VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

नवंबर 2021

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022 & 2023

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

DELHI: 28 सितंबर 1 PM

DELHI: 2023 फाउंडेशन कोर्स | 15 दिसंबर

LUCKNO: 12 अप्रैल

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

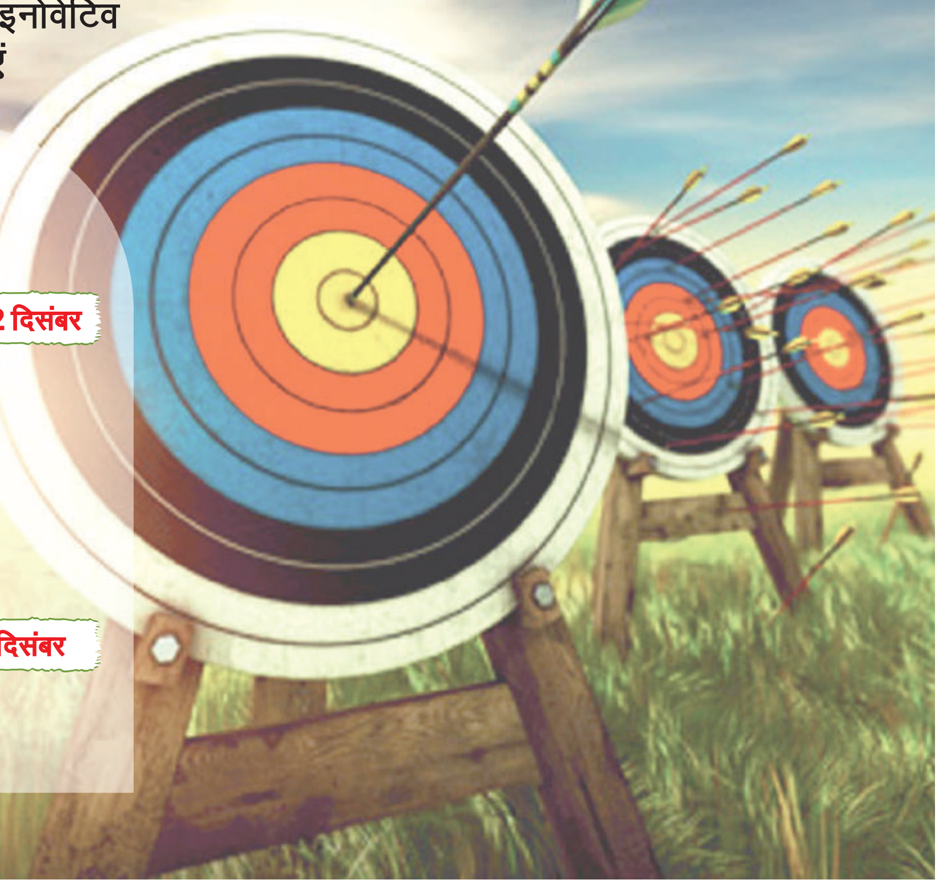

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for **PRELIMS 2021: 12 Dec**

प्रारंभिक 2022 के लिए 12 दिसंबर

for **PRELIMS 2022 starting from 12 Dec**

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for **MAINS 2021 12 Dec**

मुख्य 2022 के लिए 12 दिसंबर

for **MAINS 2022 starting from 12 Dec**

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) ______ *4*
1.1. भारत में अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (Inter-State Border Disputes in India) ______ **4**
1.2. सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule) ______ **6**
1.3. उभरते भारत में नागरिक समाज की बदलती भूमिका (Changing Role of Civil Society in Emerging India) **7**
1.4. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996} ______ **10**
1.5. सेवा वितरण में पंचायतों की भूमिका (Role of Panchayats in Service Delivery) ______ **12**
1.6. डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) ______ **15**
1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) ______ **17**
1.7.1. CBI और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख अब 5 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं {CBI and Enforcement Directorate (ED) Chiefs can now hold office up to 5 year} ______ 17
1.7.2. आंध्र प्रदेश विधान सभा ने राज्य के लिए तीन राजधानियों की स्थापना के उद्देश्य पर आधारित अधिनियम को निरसित करने के लिए विधेयक पारित किया {Andhra Pradesh (AP) Assembly Passes Bill to Repeal Act Intending 3 Capitals for the State} ______ 17
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ______ *18*
2.1. भारत-यूरेशिया (India-Eurasia) ______ **18**
2.2. द्विपक्षीय निवेश संधियां (Bilateral Investment Treaties: BITs) ______ **19**
2.3. भारत-रूस सैन्य सहयोग (India-Russia Military Cooperation) ______ **21**
2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) ______ **23**
2.4.1. लगभग 87,000 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को जटिल संघर्षों से अधिक खतरों का सामना करना पड़ता है (Over 87,000 UN Peacekeepers Face Greater Threats from Complex Conflicts) ______ 23
2.4.2. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, समकारी शुल्क पर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं {India and USA Agree on a Transitional Approach on Equalisation Levy (EL)} ______ 24
3. अर्थव्यवस्था (Economy) ______ *25*
3.1. राज्य वित्त (State Finances) ______ **25**
3.2. राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index) ______ **28**
3.3. नकदी अर्थव्यवस्था (Cash Economy) ______ **31**
3.4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016} ______ **33**
3.5. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA) ______ **36**
3.6. संधारणीय उद्यम पद्धतियां (Sustainable Business Practices) ______ **38**
3.7. खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 {Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules (MCDR), 2021} ______ **41**
3.8. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (Electronics Industry) ______ **43**
3.9. भारत में मत्स्य पालन क्षेत्रक (Fisheries Sector in India) ______ **45**
3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) ______ **48**
3.10.1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को 'बैंक नोट' की परिभाषा में शामिल किये जाने की इच्छा प्रकट की है (RBI wants Digital Currency included under Definition of 'bank note') ______ 48
3.10.2. सरकारी प्रतिभूतियां शीघ्र ही वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल होंगी {Government Securities (G-Secs) to soon join Global Bond Indices} ______ 49
3.10.3. भारतीय रिज़र्व बैंक और खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RBI Retail Direct Scheme) ______ 49
3.10.4. हार्बिंजर 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार (HARBINGER 2021 – Innovation for Transformation) ______ 49
3.10.5. विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत अनुदान योजना (Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme: SCLCSS) ______ 49
3.10.6. "विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहजता" (लीड्स) रिपोर्ट, 2021 {LEADS (Logistics Ease Across Different States) 2021 Report} ______ 50
3.10.7. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना {National Apprenticeship Training Scheme (NATS)} ______ 50
3.10.8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 'निवेशक चार्टर' का अनावरण किया है (SEBI Unveils Investor Charter) ______ 50
3.10.9. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ईंधन खपत को वर्ष 2030 तक आधा करने का लक्ष्य बाधित हो गया है (Target to Halve Global Fuel Consumption by 2030 is Stalling: IEA Report) ______ 51
3.10.10. मंत्रिमंडल ने जूट (पटसन) पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण नियमों को स्वीकृति प्रदान की है (Cabinet approves reservation norms for Jute Packaging Materials) ______ 51
3.10.11. केंद्र ने विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं), नियम 2011 में संशोधन किया (Centre Amended Legal Metrology (Packaged Commodities), Rules 2011) ______ 52
4. सुरक्षा (Security) ______ *53*
4.1. वैयक्तिक डाटा संरक्षण (Personal Data Protection) ______ **53**
4.2. विधि प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Law Enforcement) ______ **57**
4.3. रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Defence Manufacturing) ______ **59**
4.4. मादक पदार्थों का व्यापार (Drugs Trade) ______ **62**
4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) ______ **65**

4.5.1. हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी {Indian Ocean Naval Symposium (IONS)} 65
4.5.2. आईएनएस विशाखापत्तनम (INS Visakhapatnam) 65
4.5.3. वेला (Vela) 65
4.5.4. रक्षा अभ्यास (Defence Exercises) 65
4.5.5. ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp) 65
5. पर्यावरण (Environment) 66
5.1. कॉप 26 (COP26) 66
5.2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण (Air Pollution in National Capital Region) 70
5.3. हरित पोत परिवहन गलियारों के लिए 'क्लाइडबैंक घोषणा-पत्र' (Clydebank Declaration for Green Shipping Corridors) 73
5.4. राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण (National Interlinking of Rivers Authority: NIRA) 74
5.5. राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन (National Coal Gasification Mission) 77
5.6. आकस्मिक सूखा (Flash Drought) 79
5.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 81
5.7.1. पक्के टाइगर रिज़र्व 2047 घोषणा-पत्र (Pakke Tiger Reserve 2047 Declaration) 81
5.7.2. रिवर सिटीज एलायंस {River Cities Alliance (RCA)} 81
5.7.3. ई-अमृत पोर्टल (E-Amrit Portal) 81
5.7.4. पृथ्वी के प्रथम महाद्वीपों का गठन (Earth's First Continents Formation) 81
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 82
6.1. स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education in Schools) 82
6.2. भुखमरी और कुपोषण (Hunger and Malnutrition) 84
6.2.1. वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 (Global Nutrition Report 2021) 88
6.3. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया'ज मिसिंग मिडिल (Health Insurance for India's Missing Middle) 89
6.4. घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISDWs) {All India Survey on Domestic Workers (AISDWs)} 91
6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 93
6.5.1. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) द्वितीय चरण के निष्कर्ष जारी किए {Union Health Ministry Releases National Family Health Survey (NFHS-5) Phase II Findings} 93
6.5.2. भारत के लिए वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किये गए {The National Health Accounts (NHA) Estimates for India for 2017-18 is Released} 94
6.5.3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2021' रिपोर्ट जारी की है {Swachh Survekshan 2021 Report Released by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)} 94
6.5.4. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने की पहल (Initiative on Creating Lakhpati SHG Women) 95
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 96
7.1. 5G प्रौद्योगिकी (5G Technology) 96
7.2. सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं (Satellite Internet Services) 98
7.3. लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना {Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) Project} 99
7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 101
7.4.1. इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 {Internet Protocol Version 6 (IPv6)} 101
7.4.2. लगभग 75% ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) की योजना पूरी हुई {Geographical Information System (GIS) Plans for around 75% Gram Panchayats (GPs) Completed} 101
7.4.3. खाद्य सुरक्षा और मानकों पर (आनुवंशिक रूप से संशोधित या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड खाद्य पदार्थ) विनियम, 2021 के प्रारूप की अधिसूचना जारी की गई {Draft Notification on Food Safety & Standards (Genetically Modified or Genetically Engineered Foods) Regulations, 2021} 102
7.4.4. इसरो ने चंद्रयान-2 ऑर्बिटर और नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) के बीच संभावित टकराव को रोका है {ISRO Prevents Collision of Chandrayaan-2 Orbiter and with NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)} 102
7.4.5. डबल एस्टेरोइड रिडायरेक्शन टेस्ट (डार्ट) मिशन {Double Asteroid Redirection Test (DART) Mission} 102
7.4.6. नया बाह्य ग्रह (एक्सोप्लैनेट)-टीओआई 1789 बी या एचडी 82139 (New Exoplanet-TOI 1789b or HD 82139) 103
7.4.7. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को 'वेरिएंट ऑफ़ कंसर्न' के रूप में नामित किया एवं इसे 'ओमाइक्रोन' नाम दिया है (WHO Designates New Coronavirus Strain as 'variant of concern', names it 'Omicron') 103
7.4.8. ज़ायकोव-डी (ZyCov-D), विश्व की पहला सुई-मुक्त कोविड-19 वैक्सीन (ZyCov-D, the World's First Needle-free Covid-19 Vaccine) 103
7.4.9. वोल्बाचिया बैक्टीरिया (Wolbachia Bacteria) 104
8. संस्कृति (Culture) 105
8.1. मानसिकता का विऔपनिवेशीकरण (Decolonisation of Minds) 105
8.2. जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Divas) 107
8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts) 108
8.3.1. हरियाणा से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के मार्ग के किनारे एक 1600 वर्ष प्राचीन 'स्थायी बस्ती' के पुरातात्विक

प्रमाण प्राप्त हुए (Haryana: Along the lost Saraswati trail, a 1,600-yr-old site of 'continued habitation') ____ 108

8.3.2. श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया {Srinagar joins UNESCO Creative Cities Network (UCCN) under the Crafts and Folk Arts Category} 109

8.3.3. राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार आवंटित किए गए (Padma Awards Presented by The President)____________ 109

8.3.4. दार्जिलिंग टॉय ट्रेन (Darjeeling Toy Train) _____ 109

8.3.5. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव (BTV) की घोषणा की गई {Best Tourism Villages (BTV) by UNWTO}____________________________ 110

9. नीतिशास्त्र (Ethics) ____________________________ 111

9.1. नैतिकता और जलवायु परिवर्तन (Ethics and Climate Change) ________________________________ 111

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News) _____ 114

10.1. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना {Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)} ________________ 114

10.2. डेयरी सहकार योजना (Dairy Sahakar Scheme) ____ 114

11. परिशिष्ट I: आदिवासी विद्रोह (Appendix I: Tribal Revolts) ____ 116

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. भारत में अंतर-राज्यीय सीमा विवाद (Inter-State Border Disputes in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, असम और मेघालय सरकार ने कम से कम **छह क्षेत्रों** में काफी समय से लंबित **अंतर-राज्यीय सीमा विवादों** को निपटाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मेघालय का गठन असम को विभाजित करके किया गया था। इसे **वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।**
- दोनों राज्यों के बीच विस्तारित **884 कि.मी.** से अधिक सीमा क्षेत्र पर 12 विवादित क्षेत्र/बिंदु विद्यमान हैं। इनमें मुख्यत: कामरूप, **कामरूप महानगर और हैलाकांडी** जिलों में लैंगपीह, बोको आदि क्षेत्र शामिल हैं।
- इस विवाद की उत्पत्ति मेघालय सरकार द्वारा वर्ष **1969 के असम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम** को अस्वीकार किए जाने से हुई है।
- हालिया निर्णय दोनों राज्यों द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु **विशेष क्षेत्रीय समितियों** के गठन के पश्चात् लिया गया है।

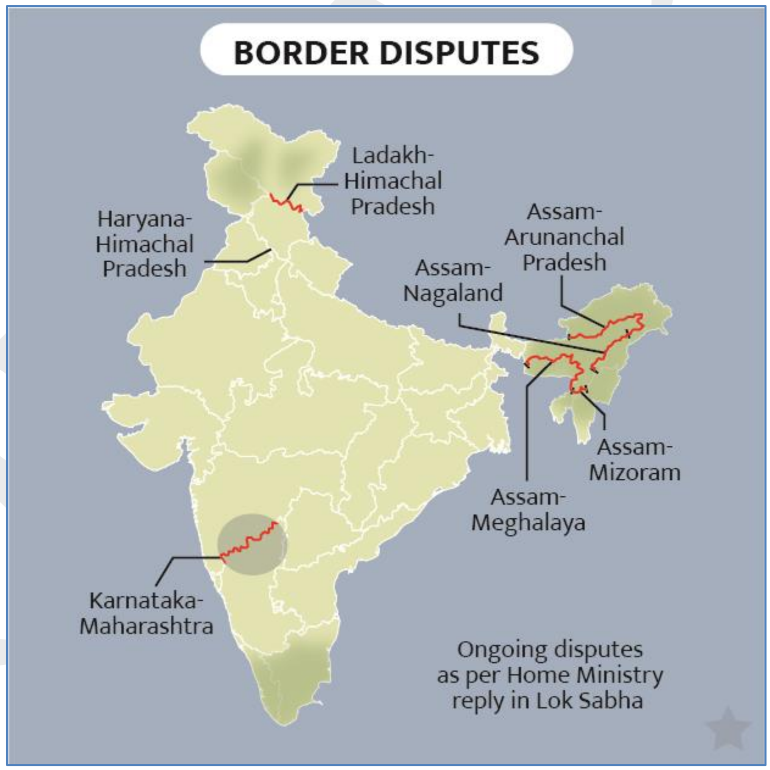

भारतीय प्रशासनिक प्रभाग और इसके अंतर-राज्यीय सीमा विवाद

विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक, वर्तमान भारतीय संघ का गठन **550 से अधिक रियासतों और ब्रिटिश क्षेत्रों** का विलय कर के किया गया था।

वर्ष 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC)[1] ने भारतीय क्षेत्र को भाषाई एवं अन्य आधारों पर **14 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों (UTs)** में विभाजित किया था। वर्तमान में, परवर्ती पुनर्गठन के माध्यम से, भारत में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या **28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र** हो गई है। यह विभाजन कुछ सीमाओं को खंडित किए बिना नहीं हो सकता है-

- वर्ष 1963 में नागालैंड के गठन के साथ प्रारंभ हुए असम राज्य के पुनर्गठन ने **असम-मेघालय विवाद** सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में **4 अंतर-राज्यीय सीमा विवादों** को जन्म दिया-
    - **असम-नागालैंड विवाद** नागा पहाड़ियों तथा उत्तरी कछार और नागांव जिलों में सभी नागा-बहुल क्षेत्र से संबंधित है। ये वर्ष 1866 की ब्रिटिश अधिसूचना के तहत नागा क्षेत्र का हिस्सा थे।
    - **असम-मिजोरम विवाद** दक्षिणी असम की बराक घाटी और लुशाई पहाड़ियों की सीमाओं से संबंधित है। यह विवाद वर्ष 1875 और 1933 की दो ब्रिटिश-कालीन अधिसूचनाओं के आधार पर उत्पन्न हुआ, जिसमें मिजोरम द्वारा वर्ष 1875 के आधार पर सीमा निर्धारण की मांग की जा रही है।
    - **असम-अरुणाचल प्रदेश** सीमा के मैदानी इलाकों में वन क्षेत्रों के संदर्भ में विवाद विद्यमान है।
- इसके अतिरिक्त, भारत में कुछ अन्य अंतर-राज्यीय सीमा विवाद भी मौजूद हैं, जो या तो सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं, जैसे कि:

सक्रिय विवाद	निष्क्रिय विवाद
• **पंचकूला के समीप** परवाणू क्षेत्र में **हरियाणा-हिमाचल प्रदेश विवाद।** • बेलगाम जिले के संबंध में **महाराष्ट्र-कर्नाटक विवाद।** बेलगाम जिले में एक बड़ी मराठी भाषी आबादी निवास करती है। **वर्ष 1956** में **कर्नाटक** के अधीन आने से पहले **यह बॉम्बे प्रेसीडेंसी का भाग** था।	• **ओडिशा-पश्चिम बंगाल विवाद** के अतीत में इसकी मुख्य भूमि की सीमाओं और बंगाल की खाड़ी में **कनिका सैंड्स द्वीप** से संबंधित मुद्दे थे। • चंडीगढ़ पर **हरियाणा-पंजाब** विवाद।

[1] State Reorganisation Commission

• **सरचू से संबंधित हिमाचल प्रदेश-लद्दाख विवाद**, जो लेह-मनाली राजमार्ग के साथ-साथ स्थित है।	• केरल के कासरगोड से संबंधित **कर्नाटक-केरल** विवाद जहां बहुसंख्यक आबादी कन्नड़ भाषी है। • मानगढ़ हिल से संबंधित **गुजरात-राजस्थान** विवाद।

वे कौन-से कारण हैं जिनसे अंतर-राज्यीय सीमा विवादों की उत्पत्ति एवं प्रसार हुआ?

- प्रशासनिक सुविधा या वाणिज्यिक हितों के आधार पर सीमाओं के निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण की **ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति** वर्तमान में पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में दावों और प्रतिदावों का प्रमुख कारण रही है।
- **सीमा विवादों पर सिफारिशों के क्रियान्वयन का अभाव:** उदाहरण के लिए, नागालैंड ने असम के साथ अपने विवाद पर सुंदरम आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। इसी प्रकार, मेघालय ने असम के साथ अपने विवाद पर वाई.वी. चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया।
- सीमा विवादों के समाधान में **संवैधानिक तंत्र की विफलता:**
    - **अनुच्छेद 131(c)** के तहत, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विधिक अधिकारों (विशेष रूप से) से संबंधित कोई भी विवाद उच्चतम न्यायालय का **मूल क्षेत्राधिकार** है। फिर भी या तो समाधान की गति धीमी है या राज्य सहयोग नहीं करते हैं। जैसे:
        - **असम-अरुणाचल प्रदेश विवाद वर्ष 1989 से ही उच्चतम न्यायालय में लंबित है।**
        - **असम-नागालैंड विवाद** में, किसी एक या दोनों राज्यों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति व्यक्त की या **उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थों की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया।**
    - इसी प्रकार, **अनुच्छेद 263** के अंतर्गत **अंतर-राज्यीय परिषद गठन करने** का प्रावधान है। **अनुच्छेद 263(a)** के तहत, यह परिषद **राज्यों के मध्य विवादों की जांच करने और परामर्श देने** हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम है। अंतर-राज्यीय परिषद को वर्ष 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के पश्चात् ही गठित किया गया था।
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित **क्षेत्रीय परिषदों** तथा उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद ने भी **आशा अनुरूप कार्य नहीं किया है।** अंतर-राज्य परिषद की तरह, **क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें प्राय: कम होती हैं और ये मुख्यतः अन्य मुद्दों से संबंधित होती हैं।**
- **केंद्र सरकार की हस्तक्षेप करने की शक्ति सीमित है।** यह केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहयोग की इच्छा व्यक्त किए जाने के बाद ही विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु एक सूत्रधार के रूप में कार्य कर सकती है। इसका उद्देश्य आपसी सामंजस्य और समझ की भावना को जीवित रखना है।
- अंतर-राज्यीय विवादों का उपयोग वोट बैंक की राजनीति हेतु **राजनीतिक अवसरवाद** के रूप में किया जाता है।
- **अन्य कारण:** बाहरी लोगों के प्रवास से स्वदेशी लोगों में भय की धारणा; संसाधनों/भूमि के लिए राज्यों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा, भू-भाग या भौगोलिक विशेषताओं जैसे वन, नदियों आदि सीमाओं की उचित पहचान करने तथा चिह्नित करने में जटिलताएं।

अंतर-राज्यीय विवादों के परिणाम

सामाजिक	• राज्यों के बीच हिंसा। उदाहरण के लिए: हाल ही में, 5 पुलिस कर्मियों की मौत के पश्चात् **असम-मिजोरम** विवाद **हिंसक संघर्ष** में परिवर्तित हो गया। • समाज के सामाजिक ताने-बाने में हुई क्षति क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा उत्पन्न करती है।
आर्थिक	• विवादित क्षेत्रों में **संवृद्धि एवं विकास का अभाव।** • **विवादित सीमाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती के कारण** लोगों और व्यवसायों के लिए **अवांछित लागत में वृद्धि।**
राजनीतिक	• **राज्यों के बीच विश्वास की कमी** के कारण नदीय जल, लोगों के प्रवास आदि जैसे अन्य अंतर-राज्यीय विवादों या अन्य विवादित सीमाओं पर **दूरगामी प्रभाव** या शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया (चेन रिएक्शन)। • **अलगाववादी प्रवृत्तियों और समूहों का उदय** जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह शत्रु पड़ोसियों सहित भारत के दुश्मनों के साथ **समूहों के संगम** का कारण बन सकता है।

आगे की राह

- भूमि सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण और अन्य तटस्थ एजेंसियों के साथ कार्य करने के लिए **राज्य समितियों का गठन** किया जाना चाहिए। सीमाओं के इस सीमांकन में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जा सकता है।
- पुलिस कर्मियों की सीमित उपलब्धता के साथ सतर्कता हेतु **UAV और सैटेलाइट इमेजरी** जैसी तकनीक का उपयोग करके **विवादित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
- सीमा पर **नो-मैन्स लैंड बनाकर** दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। यह कदम विवाद के लिए उत्तरदायी आर्थिक और सामाजिक हितों को कम करता है। साथ ही, इससे क्षेत्रीय विवाद के लिए **"बिना किसी ठोस हानि"** के समाधान तैयार करने में सहायता मिलती है।
- राज्यों के बीच **हितों के सामंजस्य हेतु अंतर-राज्य परिषदों** और **क्षेत्रीय परिषदों** की **लगातार बैठकें आयोजित करना** तथा विवाद समाधान द्वारा दोनों को लाभान्वित करने के लिए संस्थागत समाधान का सुझाव देना भी आवश्यक कदम है।
- **सीमा विवाद संबंधित मामलों का समयबद्ध समाधान करना** और न्यायालय की निगरानी में गठित आयोगों/मध्यस्थों या न्यायाधिकरणों के आदेशों और सिफारिशों को लागू करने के लिए तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

 ©Vision IAS

- उदाहरण के लिए, अंतर-राज्यीय सीमा विवादों की सुनवाई करने और समाधान तक पहुंचने हेतु पुराने विधिक दस्तावेजों (जैसे असम-मिजोरम विवाद में) की व्याख्या करने के लिए **ट्रिब्यूनलों/अधिकरणों** की स्थापना की जा सकती है।

- केंद्र सरकार द्वारा सहकारी संघवाद की भावना के आधार पर राज्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने, मध्यस्थता पर सहमति का निर्माण करने अथवा समितियों या संयुक्त प्रशासन द्वारा प्रदत्त सिफारिशों को लागू करने के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए।
- **राजनीतिक प्रयास:** हालांकि, यह एक तदर्थ उपाय है, फिर भी राष्ट्रीय दल अपने दल के प्रशासन/सदस्यों (पार्टी मशीनरी) का उपयोग **राजनीतिक समझ** विकसित करने हेतु कर सकते हैं। इससे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इसके नकारात्मक परिणामों से बचने में सहायता मिल सकती है ताकि लोगों की मानसिक सीमाओं/संकीर्णता को दूर कर इन सीमाओं को केवल भूमि तक ही सीमित किया जा सके।

1.2. सातवीं अनुसूची (Seventh Schedule)

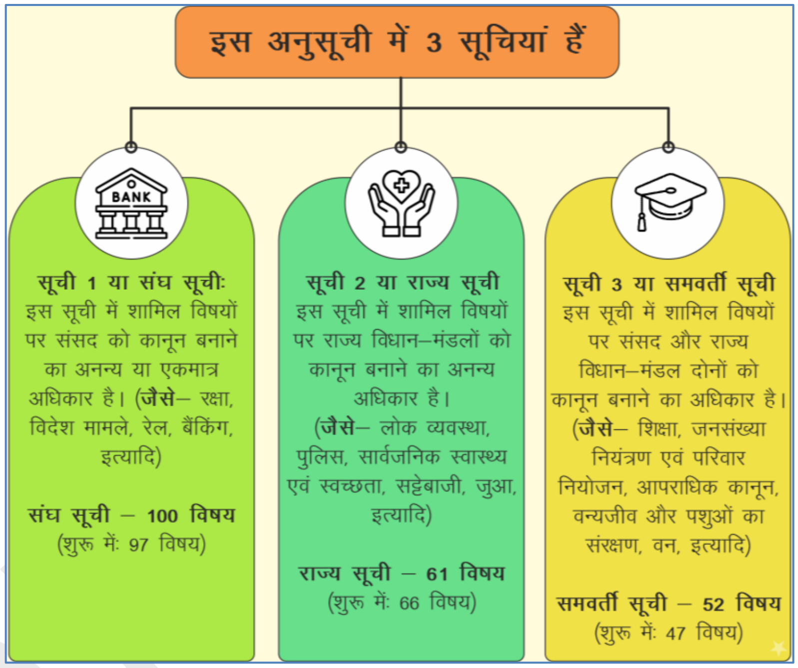

सुर्ख़ियों में क्यों?

पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह ने जलवायु परिवर्तन और महामारी की मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर संविधान की सातवीं अनुसूची की गहन समीक्षा की बात कही है।

सातवीं अनुसूची के बारे में

- अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडलों को विधायी शक्तियां प्रदान करता है।
- सामान्यतः, **राष्ट्रीय महत्व से संबंधित प्रविष्टियां संघ को आवंटित की गईं हैं और स्थानीय महत्व की प्रविष्टियों को राज्यों को आवंटित किया गया है।**
- सरकारिया आयोग के अनुसार, **समवर्ती सूची के विषय न तो केवल राष्ट्रीय सरोकार के हैं और न ही केवल स्थानीय सरोकार के हैं,** इसलिए इन्हें संवैधानिक 'ग्रे' क्षेत्र में शामिल किया गया है।

सातवीं अनुसूची में निहित सूची प्रणाली के लिए उत्तरदायी तर्क

- **भारत की एकता और अखंडता: विभाजन से संबंधित दुःखद परिस्थितियों के आलोक में,** एक आम सहमति बनी कि केवल एक सशक्त केंद्र सरकार ही **सांप्रदायिक उन्माद** से सुरक्षा प्रदान कर सकती है और नवोदित राष्ट्र के समक्ष आने वाली **जटिल प्रशासनिक समस्याओं का प्रबंधन** कर सकती है।
  - इसके अतिरिक्त, एकीकृत की जाने वाली अधिकांश रियासतों में कोई प्रभावी शासन प्रणाली प्रचलित नहीं थी और कई तो भारत की नवगठित सरकार के साथ सहयोग करने के विचार की विरोधी थीं।
- **उत्तरदायी शासन को सक्षम करना:** छोटी सरकारों को राजनीतिक भागीदारी के प्रोत्साहक के साथ-साथ विभिन्न विचारों, राजनीतिक समझौतों और सामुदायिक मूल्यों के साझे संरक्षक के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त, इनसे बहुसंख्यक आवेगों के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करके अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुदृढ़ता प्रदान करने की भी अपेक्षा की जाती है।
- **संतुलित आर्थिक विकास: नवोदित भारत की अस्थिर वित्तीय स्थिति ने भी केंद्रीकरण का समर्थन किया।** जबकि प्रांतीय स्वायत्तता को धन और विकास के समान वितरण में बाधा के रूप में देखा गया।
- **अन्य:** वर्ष 1934 की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह **सुनिश्चित करना जरुरी समझा गया कि प्रांत वास्तव में स्वायत्त बने रहें** ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का निर्धारण कर सकें।
  - यह **संघ और राज्यों के बीच सहयोग की भावना का द्योतक है** जिसे संस्थापक इसमें अंतर्निहित करना चाहते थे।

सातवीं अनुसूची में सुधार की आवश्यकता

- **राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग:**
  - सातवीं अनुसूची के तहत **निहित कार्यों का विभाजन समय के साथ तीव्र गति से धूमिल होता गया:**
    - जो वर्ष 1951 में योजना आयोग के गठन के साथ शुरू हुआ,
    - संविधान के 42वें संशोधन द्वारा **वन और शिक्षा जैसे विषयों** को राज्य सूची से समवर्ती सूची में **स्थानांतरित किए जाने पर,**
    - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MNREGA)** और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013[2] के अधिनियमन से।
  - **अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास होने के संबंध में** कुछ सामान्य शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त यह एक सामान्य भावना भी है कि राज्य सूची को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है।

[2] National Food Security Act, 2013

- उदाहरण के लिए: **तमिलनाडु में वर्ष 1969 में गठित राजमन्नार समिति** और **पंजाब में वर्ष 1973 में प्रस्तुत आनंदपुर साहिब प्रस्ताव** ने संघ एवं समवर्ती सूची दोनों में से कई प्रविष्टियों को राज्य सूची में स्थानांतरित करने तथा अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों में निहित करने की सिफारिश की थी।

- **विकेंद्रीकरण की आवश्यकता:**
  - 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के उपरांत भी, कुछ राज्यों को छोड़कर, **ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय निकायों के विकेंद्रीकरण में अत्यंत कम प्रगति हुई है।**
    - **सौंपे गए कार्य अस्पष्ट हैं, धन अनिश्चित और अपर्याप्त है** तथा निर्णय लेने वाले अधिकारियों की नियुक्ति अधिकांशत: राज्य की नौकरशाही से की जाती है।
- **शासन में परिवर्तन की आवश्यकता:**
  - **शासन की आवश्यकताएं स्थिर नहीं हैं और ये समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं।** एक विषय जो वर्ष 1950 में विधायी आवंटन हेतु महत्वपूर्ण था, वर्तमान में प्रासंगिक नहीं हो सकता है।
    - वर्तमान में **जलवायु परिवर्तन और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी समस्याएं विद्यमान** हैं। ये समस्याएं संवैधानिक प्रारूपण के समय अकल्पनीय थीं, लेकिन वर्तमान में शासन की अनिवार्यता बन गई हैं।
  - **केंद्र प्रायोजित योजनाएं इतनी लचीली होनी चाहिए** कि राज्यों को अनुकूलन और नवाचार करने की अनुमति मिल सके।
- **केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों की सिफारिशें**
  - **सरकारिया आयोग की 1988 की रिपोर्ट में एक पूरा अध्याय विधायी संबंधों पर आधारित है,** जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को दर्ज किया गया है।
  - **इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं:**
    - **प्रथम, अवशिष्ट शक्तियों को संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाए।** इनमें करारोपण की अवशिष्ट शक्ति को शामिल न किया जाए, क्योंकि उसे संघ सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
    - **द्वितीय, केंद्र द्वारा** समवर्ती सूची की प्रविष्टियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व **राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए।**
    - **तृतीय, केंद्र द्वारा समवर्ती सूची की प्रविष्टियों के संबंध में उन क्षेत्रों को सीमित किया जाना चाहिए** जो राष्ट्रीय नीति के बुनियादी मुद्दों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जबकि इस विवरण को राज्य की कार्रवाई के लिए छोड़ दिया गया है।

आगे की राह

- एम. एम. पुंछी आयोग ने वर्ष 2010 में सिफारिश की थी कि संघ को **केवल उन विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय हैं।**
- **एक औपचारिक संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है** जो समवर्ती सूची के तहत कानून के क्षेत्र में संघ और राज्यों के बीच **अनिवार्य परामर्श हेतु आवश्यक है।**
- **अवशिष्ट शक्तियों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए,** इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, न कि सूचियों की संपूर्णता को पूरा करने के प्राथमिक साधन के रूप में।
- **सूचियों की समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है,** जिसके लिए निम्न पर ध्यान दिया जा सकता है:
  - **उन प्रविष्टियों को हटाना जो अब अपनी मूल सामग्री के कारण** या प्रविष्टि के स्वरूप के कारण अप्रचलित हो गई हैं (जैसे प्रविष्टि 34, सूची **I**: देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण (Courts of Wards), प्रविष्टि 37, सूची **III**: बॉयलर आदि) .
  - **शासन की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार प्रविष्टियों को जोड़ना** और अवशिष्ट शक्तियों के लिए विधायी क्षेत्र को कम से कम करना (जैसे आपदा प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षण, आतंकवाद, उभरती प्रौद्योगिकियां इत्यादि)।
  - **मौजूदा प्रविष्टियों का उपयुक्त स्थान** (विधि केंद्र द्वारा कानूनी नीति के लिए सुझाए गए ढांचे को अपनाया जा सकता है)
    - इसमें दो पुराने सिद्धांत (भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना, संतुलित आर्थिक विकास प्राप्त करना) शामिल हैं, जो संविधान सभा द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत ग्रहण किए गए थे। साथ ही दो नए सिद्धांत (सांस्कृतिक स्वायत्तता और विविधता को बढ़ावा देना, उत्तरदायी शासन को सक्षम बनाना) स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के अनुभव से प्राप्त हुए हैं।

1.3. उभरते भारत में नागरिक समाज की बदलती भूमिका (Changing Role of Civil Society in Emerging India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)[3] अजीत डोभाल ने कहा कि यदि नागरिक समाज का विकृत, विभाजित और धूर्तता से प्रयोग किया जाता है तो यह “राष्ट्रहित को आघात पहुंचाएगा”।

[3] National Security Advisor

अन्य संबंधित तथ्य

- NSA ने इस बात पर बल दिया कि **नागरिक समाज युद्ध के नए मोर्चे** या **चौथी पीढ़ी की युद्ध पद्धति** है। यह **पुलिस का उत्तरदायित्व है** कि वह लोगों को विकृत, विभाजित और धूर्तता से **बचाए**।
    - **चौथी पीढ़ी की युद्ध पद्धति** किसी ऐसे संघर्ष को संदर्भित करती है जहां **राज्य युद्ध पर अपना एकाधिकार खो देता है** तथा राज्य गैर-राज्य अभिकर्ताओं जैसे आतंकवादी समूहों या उग्रवादियों से संघर्षरत रहता है।
    - **पहली पीढ़ी की युद्ध पद्धति** को औपचारिक युद्धक्षेत्र के संघर्ष, दूसरी पीढ़ी को तोपखानों के प्रयोग और तीसरी पीढ़ी को द्रुत, आश्चर्य और शत्रु सेना में घुसपैठ के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- इस संबंध में **भारत को नए भारत के निर्माण में नागरिक समाज की प्रभावी भूमिका की आवश्यकता है**। सरकार की सभी नवीन पहलों में व्यापक जन भागीदारी और जागरूकता की आवश्यकता होती है। साथ ही, इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने हेतु नागरिक समाज से बेहतर कोई अन्य संगठन नहीं है।

नागरिक समाज क्या है एवं उनकी क्या भूमिकाएं हैं?

- नागरिक समाज **लोगों द्वारा संचालित समाज/संस्था** होती है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी। यद्यपि समय के साथ इसकी समझ व आशय में बदलाव हुआ है।
    - इसकी उत्पत्ति मूल रोमन शब्द **सोसाइटस सिविलिस (societas civilis)** से हुई है जिसका अर्थ एक अच्छा समाज होता है।
    - नागरिक समाज शब्द को जर्मन दार्शनिक हेगेल ने प्रतिपादित किया था।
- विश्व बैंक के अनुसार, **नागरिक समाज गैर-सरकारी एवं गैर-लाभकारी संगठनों की विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है**। ये संगठन सार्वजनिक जीवन से संबंधित होते हैं और नैतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक या परोपकारी विचारों के आधार पर अपने सदस्यों और अन्य लोगों के हितों तथा मूल्यों को व्यक्त करते हैं।
- एक नागरिक समाज में **लोग स्वेच्छा से समाज कल्याण, वांछित उद्देश्य की प्राप्ति** या राज्य के समक्ष लोगों की समस्याओं को उठाने हेतु संगठित होते हैं। मूल रूप से, राज्य की निष्प्रभाविता को नागरिक समाज द्वारा उचित रूप से भरा जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, केरल में महिलाओं के नेबरहुड ग्रुप (NHGs) के एक सामुदायिक संगठन **कुदुम्बश्री** को **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु** एक प्रभावी रणनीति के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

उभरते भारत के साथ भारतीय नागरिक समाज की भूमिका कैसे बदल रही है?

- **शासन:** नागरिक समाज की सुदृढ़ता का **राज्य और बाजार पर सकारात्मक प्रभाव** पड़ सकता है। इसलिए, इसे पारदर्शिता, प्रभावशीलता, खुलेपन, अनुक्रियाशीलता और जवाबदेही जैसे सुशासन को बढ़ावा देने हेतु एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है।
    - नागरिक समाज ने अपनी प्रहरी की पारंपरिक भूमिका के दायरे का विस्तार किया है। यह अब **सामाजिक लेखा परीक्षा, कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी जैसे सरकारी तंत्रों का उपयोग कर सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**
    - नागरिक समाज **सूचना तक पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित** करते हैं जो किसी ऐसे देश में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में पहला चरण है जहां शासकीय गुप्त-बात अधिनियम (OSA)[4] प्रबल रूप से प्रभावी है। उदाहरण- RTI[5] अधिनियम के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)।
- **सामाजिक:** नागरिक समाज **अभिव्यक्ति हीन और असंगठित समुदायों के हितों** का प्रतिनिधित्व कर उन्हें **सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है**। दूसरे शब्दों में, नागरिक समाज का **लक्ष्य स्थानीय समुदायों का सशक्तीकरण करना** है।

---
[4] Official Secrecy Act
[5] सूचना का अधिकार

- उदाहरण के लिए, चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन, आरंभ इंडिया जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने बाल यौन शोषण पर जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **आर्थिक:** उन्होंने भारत के विधायी परिदृश्य को स्थायी रूप से बदलने वाले कई सुधारों को प्रेरित करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम**, **वन अधिकार अधिनियम,** शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आगामी भोजन का अधिकार विधेयक और भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे अनेक कानून इसका प्रमुख उदाहरण हैं।
- **पर्यावरण:** भारत में वर्तमान में पर्यावरण आंदोलन प्रभावी रूप से सशक्त हैं तथा भारत में नागरिक समाज के आंदोलनों के बाद कई परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया है।
  - **उदाहरण के लिए,** राज्य स्तर पर स्थानीय कार्यकर्ता चिल्का झील, खंडाधार जलप्रपात परियोजना, ओलिव रिडले कछुआ, समुद्र तट संरक्षण आंदोलन आदि के संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं।
- **राजनीतिक:** नागरिक समाज **कानून एवं व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही सुनिश्चित करने**, राजनीतिक दलों और निर्वाचन प्रक्रिया पर नियंत्रण करने, स्थानीय निकायों के नियंत्रण करने आदि की निगरानी का कार्य करता है।
  - **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स** जैसे गैर-सरकारी संगठन ने ढाई दशक से अधिक समय से लंबित सभी निर्वाचन संबंधी सुधारों, निर्वाचन प्रबंधन सुधारों, लोकतांत्रिक सुधारों के कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है।

नागरिक समाज के समक्ष अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने संबंधी चुनौतियां

- **तकनीकी:** अधिकांश भारतीय नागरिकों में डिजिटल साक्षरता का अभाव है और डिजिटल रूप से साक्षर कई लोगों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा एक अपरिचित अवधारणा है।
  - इस परिदृश्य को **भाषा, पहुँच संबंधी बाधाएं**, सीमित डेटा तथा ढांचागत प्रणालियां और जटिल बनाती हैं।
- **आर्थिक:** विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित दान पर निर्भरता कई गैर-सरकारी संगठनों के लिए उनके कार्यों में निरंतरता और सुसंगतता को कठिन बना देती है।
- **सामाजिक: ये** कॉर्पोरेट परियोजनाओं जिन्हें बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, के उदारीकरण एवं मंजूरी के एजेंडे को धीमा करने में प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं।
  - नागरिक समाज संगठनों की मौजूदगी और कर्तव्यों के संबंध में जनता के बीच **जागरूकता का अभाव है।**
- **राजनीतिक:** वर्ष 2015 में, केंद्र सरकार ने ई-फाइलिंग संबंधित आवश्यकताओं में वृद्धि की थी। गैर-सरकारी संगठनों को प्राप्त विदेशी अनुदानों की तिमाही फाइलिंग करनी अनिवार्य थी।
  - उदाहरण के लिए, केंद्र ने वर्ष 2015 में 10,069 विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA)[6] पंजीकरण रद्द कर दिए थे और वर्ष 2017 में 4,943 अन्य पंजीकरण रद्द किए गए।
- **सुरक्षा:** आसूचना ब्यूरो या खुफिया विभाग के इनपुट से ज्ञात हुआ है कि भारत में आने वाली विदेशी निधि का उपयोग राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अस्थिर करने से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है। ये सूचनाएं यह भी दर्शाती हैं कि उस निधि का उपयोग नक्सलियों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था।

आगे की राह

- **जवाबदेही:** नागरिक समाज संगठनों को उनके कार्यों और दोषों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जिनके न केवल आर्थिक अथवा वित्तीय, बल्कि व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम होते हैं।
- **निधियन:** धनी दानदाताओं पर निर्भरता कम करने के लिए निधियन के कई स्रोतों का विकास किया जाना चाहिए।
  - नागरिक समाज संगठनों को वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण के उच्चतम मानकों को अपनाना तथा उनका पालन करना चाहिए। साथ ही इन्हें स्वयं को सार्वजनिक लेखा परीक्षा, सामाजिक लेखा परीक्षा हेतु उपलब्ध रखना चाहिए।
- **सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को नियोजित करना:** नागरिक समाज संगठन **सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित** करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं, किंतु CSIs में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों को पहले ग्रामीण या शहरी निम्न आय वाले क्षेत्रों में निर्धन या वंचित समुदायों के साथ केवल निर्वहनीय वेतन पर कम से कम तीन वर्षों की स्वैच्छिक सेवा प्रदान करनी चाहिए ।
- **प्रौद्योगिकीय:** व्यापक पैमाने पर प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों के उपयोग को सामान्य बनाने के लिए सरकार, दानकर्ताओं और अन्य नागरिक समाज भागीदारों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है।
  - **उदाहरण के लिए,** सरकारी और निजी क्षेत्रक के सेवा प्रदाताओं को डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी की उपलब्धता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जबकि नागरिक समाज कार्यक्रम संबंधी अनुक्रियाओं को सरकारी प्राथमिकताओं में एकीकृत करता है।

[6] Foreign contribution regulation Act

“भारत में नागरिक समाज” के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारे “वीकली फोकस” डॉक्यूमेंट के अंतर्गत **“भारत में नागरिक समाज: विकास प्रक्रिया का आवश्यक घटक या एक विवादित विचार”** टॉपिक का संदर्भ ले सकते हैं।

भारत में नागरिक समाज: विकास प्रक्रिया का आवश्यक घटक या एक विवादित विचार

आर्थिक संवृद्धि के वर्तमान मॉडल में, स्वैच्छिक/नागरिक समाज क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण और न्यायसंगत, संधारणीय और समावेशी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक के रूप में मान्यता दी गई है। निरपवाद रूप से, इसने आधिकारिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में उनकी वैधता और भूमिका के बारे में सार्वजनिक विमर्श को जन्म दिया है। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोकतंत्र में नागरिक समाज के महत्व को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे नागरिक समाज अपने समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उभरते युग में अपना इच्छित प्रदर्शन कर सकते हैं।

1.4. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में पेसा अधिनियम की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम या पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 के बारे में

- संविधान के **अनुच्छेद 243M** के तहत संविधान के **भाग IX में निहित पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को छूट प्रदान की गई है।** हालांकि संसद को विधि द्वारा अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों में इसके प्रावधानों का विस्तार करने का अधिकार है। संसद के इस कार्य को संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।
- **पेसा अधिनियम को दिलीप सिंह भूरिया समिति** की सिफारिशों के आधार पर **वर्ष 1996 में** जनजातीय समुदायों के सशक्तीकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु अधिनियमित किया गया था।
- पेसा अधिनियम को 'संविधान के भीतर संविधान' कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के **पंचायती राज (भाग IX) के प्रावधान** को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ **अनुच्छेद 244 के खंड (1)** के अंतर्गत **10 राज्यों** के **पांचवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों** तक विस्तारित करता है।
  - ये 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना।
- यह इन क्षेत्रों में ग्राम सभा और समुदाय की भूमिका को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही यह राज्य सरकार को **प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा और पंचायतों को शक्ति और अधिकार हस्तांतरित** करने का निर्देश देता है।
- **पंचायती राज मंत्रालय** पेसा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वियन हेतु **नोडल मंत्रालय** है।

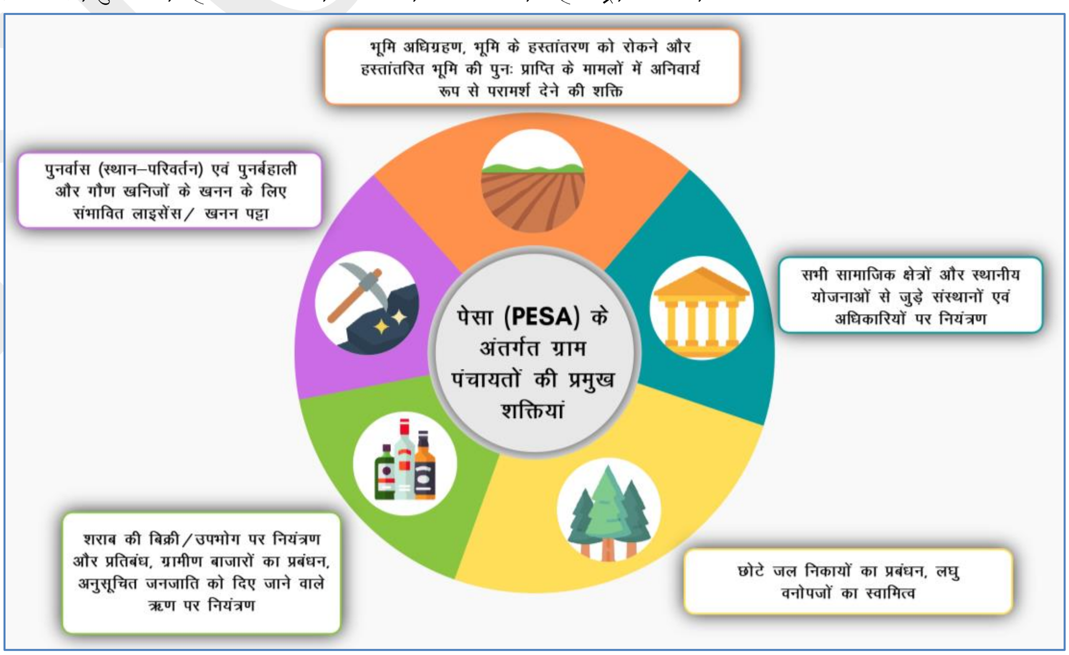

पेसा अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं और सहभागी लोकतंत्र और राज्य पंचायती राज अधिनियमों को प्रोत्साहन देना।**
- पंचायतों के संबंध में राज्यों द्वारा बनाए गए विधान, **रूढ़िजन्य विधि, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों** के अनुरूप होंगे;

- प्रत्येक ग्राम की **एक ग्राम सभा** होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नामों को ग्राम स्तर पर **पंचायत के लिए निर्वाचक नामावलियों** में सम्मिलित किया गया है;
- प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की **परंपराओं और रूढ़ियों**, उनकी **सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों तथा विवाद निपटाने के रुढ़िजन्य ढंग** का **संरक्षण और परिरक्षण** करने के लिए सक्षम होगी;
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए समुदाय की आबादी के अनुपात में **(न्यूनतम 50%) सीटों का आरक्षण** होगा, जो सभी स्तरों पर **पंचायतों के अध्यक्ष** के साथ उपबंधित होगा;
- **ग्राम सभाओं की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:** ग्रामों में सभी विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान करना, लाभार्थियों की पहचान करना, निधियों के उपयोग के प्रमाण पत्र जारी करना।

पेसा का महत्व

- **अधिकार प्राप्त ग्राम सभाएं:** यह विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान करने तथा सामाजिक क्षेत्रों में सभी प्रमुख विकास कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **जनजातीय एकीकरण:** विकेंद्रीकृत शासन जनजातीय लोगों की शिकायतों के निवारण में सहायता करता है तथा उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में विश्वास उत्पन्न करता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण:** पेसा अधिनियम ग्राम सभाओं के माध्यम से जनजातियों को पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपने संबंध सुरक्षित रखने के लिए सशक्त बनाता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2013 में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने **ओडिशा के कालाहांडी और रायगढ़ जिले** में बॉक्साइट खनन के लिए ओडिशा सरकार को ग्राम सभा की अनुमति लेने का आदेश दिया, जिसके कारण **न्यामगिरी पहाड़ियों** पर खनन कार्य निरस्त कर दिया गया।
- **जनजातीय समुदायों के हितों और अधिकारों का संरक्षण:** संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण वस्तुतः जनजातीय समुदायों की पारंपरिक संस्कृति, धर्म और पहचान के साथ-साथ संविधान द्वारा प्रदत्त उनके अधिकारों की रक्षा करने में सहायता करता है।

पेसा अधिनियम की सीमाएं

पेसा अधिनियम ने **जनजातीय समुदायों की आजीविका में वृद्धि** की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है (जैसा कि **चित्र में दर्शाया गया है**) तथा कुछ राज्य सरकारों की धीमी अनुक्रिया इन चुनौतियों में और अधिक वृद्धि कर देती है, जैसे-

- **पेसा नियम:** चार प्रमुख जनजातीय राज्यों अर्थात् **झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा** ने अभी तक पेसा नियमों का निर्माण नहीं किया है।
- **कानून की उपेक्षा करने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग:** भूमि का अधिग्रहण अन्य अधिनियमों के तहत होता है, जो पेसा की अंतर्निहित भावना अर्थात् जनजातीय भूमि का संरक्षण और ग्राम सभाओं की सहमति लेने, का उल्लंघन करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में प्राधिकारियों ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957[7] का उपयोग कर भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया।
- **कानून का निम्न स्तरीय कार्यान्वयन:** भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA)[8] द्वारा **आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा** में "पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम (PESA) की स्थिति" पर वर्ष 2010 में किए गए एक अध्ययन ने अधिनियम के **निम्न स्तरीय कार्यान्वयन** को रेखांकित किया था।
    - उदाहरण के लिए, झारखंड के खूंटी जिले में, जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनमें से 65 प्रतिशत लोगों से इसके संबंध में सहमति नहीं ली गई थी। झारखंड के गुमला जिले में इन लोगों की संख्या लगभग 26% थी।

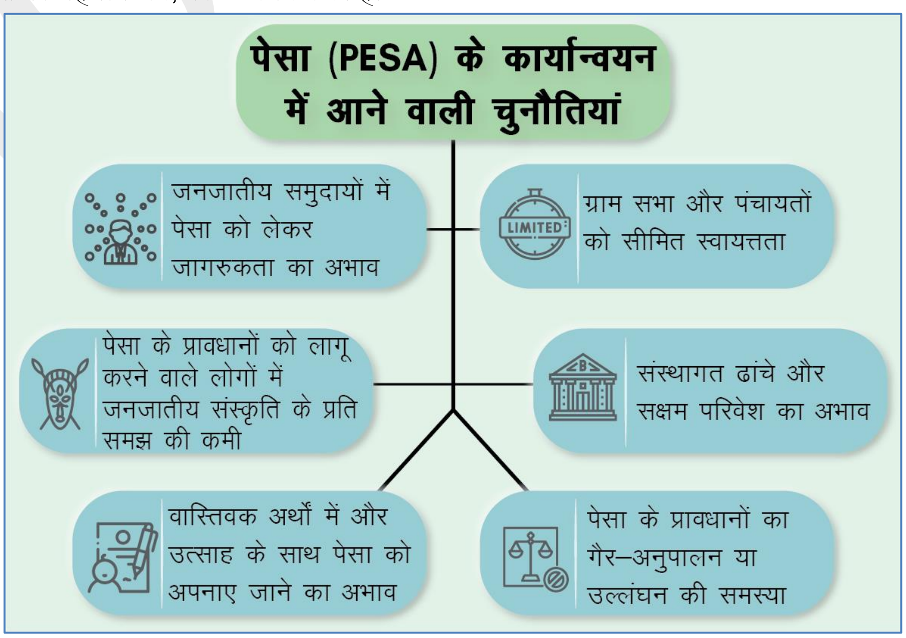

7 Coal Bearing Act of 1957
8 Indian Institute of Public Administration

आगे की राह

पेसा के माध्यम से जनजातीय लोगों के जल, जंगल और जमीन को बचाने की भावना को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर सुधार किए जा सकते हैं-

- **अनुसूचित क्षेत्रों पर नगर पालिकाओं के विस्तार (MESA) को लागू करना:** भूरिया समिति ने **73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को V (पांचवीं) अनुसूची के तहत शामिल क्षेत्रों में** विस्तारित करने के लिए **PESA** और **MESA** की सिफारिश की थी। लेकिन **नगरीय जनजातीय क्षेत्रों** में अभी तक **MESA** को लागू नहीं किया गया है।
- **पेसा नियमों का निर्माण:** शेष राज्यों को पेसा नियमों का तीव्रता से निर्माण करना चाहिए और **पंचायती राज मंत्रालय के वर्ष 2009 के मॉडल नियमों** के आधार पर लागू करना चाहिए।
- **अन्य विनियमों के साथ पेसा का समन्वय: जनजातीय अधिकारों/संस्कृति के संरक्षण हेतु** पेसा के प्रावधानों को वन अधिकार अधिनियम (2006), भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार आदि के साथ समन्वित किया जाना चाहिए।
- **नया जनजातीय सामुदायिक विकास मॉडल: पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय** को **जनजातीय समुदायों** के लिए एक नए विकास मॉडल का निर्माण करना चाहिए। **ग्राम पंचायत विकास योजना** (GPDP)[9] तैयार करते समय जनजातीय समुदाय की परंपराओं और समन्वय के प्रयासों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- **अन्य उपाय:** जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच भूमि से अलगाव को कम किया जाना चाहिए तथा जनजातीय समुदायों की क्षमता निर्माण के लिए व्यापक सामाजिक विकास (स्वास्थ्य और शिक्षा) पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

1.5. सेवा वितरण में पंचायतों की भूमिका (Role of Panchayats in Service Delivery)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **पंचायतों द्वारा सेवा वितरण के मैसूर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए गए।** इस घोषणापत्र को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला (Workshop) में हस्ताक्षरित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- 16 राज्यों के प्रतिभागियों ने **मैसूर घोषणापत्र** पर हस्ताक्षर किए और 1 अप्रैल 2022 से देश भर में पंचायतों द्वारा **सामान्य न्यूनतम सेवा वितरण शुरू करने का संकल्प लिया।**
- इस घोषणापत्र का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं को **"शासन के केंद्र"** के **रूप में मान्यता देना है।**
    - **इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संस्था-निर्माण को बढ़ावा देना है** जो नागरिकों को सशक्त बनाता है और सेवाएं प्रदान करता है जिससे विशेष रूप से समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए पंचायतों को क्या उपयुक्त बनाता है?

पंचायतों को आर्थिक विकास करने, सामाजिक न्याय को सशक्त करने और संविधान की **ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों** सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिदेशित किया गया है। इस संदर्भ में, पंचायती राज संस्थान (PRIs) **अनुच्छेद 243G** के तहत निहित बुनियादी सेवाओं विशेष रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पोषण तथा पेयजल के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं।

PRIs में आवश्यक सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए निम्नलिखित कई सकारात्मक विशेषताएं शामिल हैं:

- **सहभागी शासन:** ग्राम सभाओं को स्थानीय स्तर पर ऐसी योजनाएँ बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया है, जो स्थानीय सामाजिक पारंपरिक ज्ञान के आधार पर लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- **सामाजिक समावेश:** पंचायतों में महिलाओं (1/3 सीटों) और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण का उपबंध किया गया है, जो ग्राम स्तर के शासन में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है और विकासात्मक आकांक्षाओं को शामिल करता है।
    - उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में, महिला PRI सदस्य पोलियो उन्मूलन, स्वास्थ्य शिविरों, सेवाओं के लिए महिलाओं को संगठित करने आदि में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।

[9] Gram Panchayat Development Plan

- **उत्तरदायित्व:** पंचायतों के नियमित चुनाव के माध्यम से मतदाताओं को निर्वाचित निकायों को उनके प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी ठहराना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभा को मनरेगा जैसे कुछ कार्यक्रमों के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा करने का अधिकार भी है।
- **अनुक्रियता:** मतदाताओं से अपनी निकटता के कारण, स्थानीय रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि अपने छोटे निर्वाचन क्षेत्र को बेहतर जानते हैं और अपने मतदाताओं की पसंद के अनुसार बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए लाभप्रद स्थिति में होते हैं।
    - नीति आयोग के अनुसार, बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs)[10] को प्राप्त करने हेतु **SDGs का स्थानीयकरण** अर्थात् उप-राष्ट्रीय या जमीनी स्तर पर उनका कार्यान्वियन आवश्यक है।
- **ऊर्ध्वगामी (बॉटम-अप) दृष्टिकोण:** ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की तैयारी हेतु संवैधानिक रूप से अधिदेशित किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDP) 29 विषयों से संबंधित सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/संबंधित विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरित हैं। प्रमुख योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इस अभिसरण का अधिक महत्व है।

पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें।

- **राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA):** इसका उद्देश्य पंचायतों एवं ग्राम सभाओं की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाना, पंचायतों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत ढांचे को सशक्त करना है।
- **आदर्श नागरिक घोषणापत्र/रूपरेखा (Model Citizen's Charter):** यह पंचायत द्वारा नागरिक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों, सेवा शर्तों एवं समय सीमा और स्थानीय संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ कार्यों को संरेखित करने का विवरण देता है।
- **सबकी योजना सबका विकास:** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और राज्य के संबंधित विभागों के बीच अभिसरण के माध्यम से ग्राम सभा में योजना बनाने के लिए एक गहन और संरचित अभ्यास।
- **मिशन अंत्योदय:** यह मानव और वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करके सरकारी हस्तक्षेपों को ग्राम पंचायतों के साथ मिलाने का प्रयास करता है।
- **ई-ग्राम स्वराज:** एक वेब आधारित पोर्टल जो ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है।

- **कार्यात्मक पारदर्शिता:** ग्राम स्वराज अभियान के तहत संबंधित विभागों की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध करायी गयी धनराशि और प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक प्रकटीकरण करना अनिवार्य है।

सेवाओं के प्रभावी वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष बाधाएं

- **अभिजात्य वर्ग द्वारा अभिग्रहण:** स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की गई शक्तियों और संसाधनों को प्राय: उच्च जाति के शक्तिशाली लोगों द्वारा अभिगृहीत कर लिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सेवाओं तक पहुंच में असमानता होती है।
- **राजकोषीय विकेंद्रीकरण का अभाव:** अधिकांश राज्यों में, पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों के बिना व्यापक जिम्मेदारियां मिलती हैं। PRIs द्वारा उपयोग की जाने वाली 90 प्रतिशत से अधिक निधियां, योजनाओं (ज्यादातर केंद्रीय योजनाओं) से जुड़ी होती हैं। शर्त-रहित या मुक्त (अनटाइड) निधियों का अभाव प्रयासों को रोकता है और सार्थक योजना प्रक्रियाओं में स्थानीय निकायों को शामिल होने से हतोत्साहित करता है।
    - इसके अतिरिक्त, PRIs के पास स्वयं का राजस्व कोष बहुत कम होता है, जिससे कई राज्यों में इनको उच्च-स्तरीय सरकारों के साधारण एजेंटों तक सीमित कर दिया गया है।
- **संरचनात्मक खामियां:** किसी भी सचिव स्तरीय समर्थन की अनुपस्थिति और तकनीकी ज्ञान के निचले स्तर ने, बॉटम-अप (ऊर्ध्वगामी) योजना के एकत्रीकरण को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **तदर्थवाद (Adhocism):** स्थानीय स्तर पर सूचना की अनुपलब्धता से योजनाओं/कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने, खराब निर्णय लेने और प्रक्रिया में लोगों की सीमित भागीदारी में तदर्थता का मार्ग प्रशस्त होता है।
- **परोक्ष (प्रॉक्सी) प्रतिनिधित्व:** महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के मामले में क्रमशः पंच-पति (Panch-Pati) और परोक्ष प्रतिनिधित्व की उपस्थिति है।
- हस्त लेखापरीक्षण (मैनुअल ऑडिटिंग) के कारण, **जवाबदेही व्यवस्था कमजोर रहती है।**
- **सौंपे गए कार्यों में स्पष्टता की कमी** और पर्याप्त योग्य पदाधिकारियों की कमी ने राज्यों के साथ शक्तियों के संकेंद्रण को समर्थ बनाया है तथा ऐसा करके उन निर्वाचित प्रतिनिधियों को रोक दिया है जो जमीनी स्तर के प्रति अधिक जागरूक और संवेदनशील हैं।

[10] Sustainable Development Goals

 ©Vision IAS

पंचायतों द्वारा सेवा वितरण की श्रेष्ठ गतिविधियां

केरलः कोविड के दौरान महामारी की रोकथाम में

प्रभावी हस्तांतरण की मजबूत प्रणाली को अपनाए जाने से **कुंडुंबाश्री कार्यक्रम** को पंचायतों के साथ मिलकर लागू करने में सहायता प्राप्त हुई।

बेयरहट्टी ग्राम पंचायत, तमिलनाडुः सामाजिक सुरक्षा लाभ

पात्र लाभार्थियों की सूची बनाने और उन्हें अपने सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता के लिए विशेष अभियान।

दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत, कर्नाटकः समग्र स्वच्छता (सैनिटेशन) अभियान

आंगनवाड़ी समन्वय समितियों और स्थानीय लोगों की उच्च भागीदारी, मजबूत निगरानी प्रणाली, सक्रिय स्वयं सहायता समूह (SHGs)A

डिब्रूगढ़ जिला परिषद, असमः विज़न डॉक्यूमेंट पहल

यह दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, संबंधित जिले के विकास के प्रति एक उपयुक्त दृष्टिकोण देता है। यह अच्छी प्रशासनिक प्रथाओं को भी सम्मिलत करता है जैसे कि कार्यसंचालन में पारदर्शिता और ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देना जो स्थानीय लोगों की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करती हैं।

गेरेथांग—लाबिंग ग्राम पंचायत, सिक्किमः सहभागी लोकतंत्र के माध्यम से सेवा वितरण

प्रगतिशील प्रशासनिक गतिविधियां जैसे कि संयुक्त ग्राम प्रशासनिक केंद्र, सिंगल विंडो सिस्टम, युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत तथा बहु—उद्देश्यी सहकारी समितियां (MPCS)।

सेवा वितरण में स्थानीय सरकारों को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय

- प्रत्येक क्षेत्र में लोगों द्वारा वांछित आवश्यकताओं, वितरण के स्तर और संवर्द्धन की पहचान करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) द्वारा **सहभागी स्थानीय स्तर की योजना** सुनिश्चित करना।
- गतिविधियों के लेखे-जोखे के माध्यम से PRIs को **स्पष्ट रूप से निर्धारित भूमिकाएँ सौंपना।**
- घोषित राष्ट्रीय और राज्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **केंद्र प्रायोजित और राज्य योजनाओं को कम संख्या में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तक सीमित करना।** साथ ही, इन योजनाओं में भाग लेने के लिए PRIs के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करना।
- **प्रशासनिक और वित्तीय हस्तांतरण की एक अच्छी तरह से संरचित प्रक्रिया को अपनाना,** जो संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पंचायतों के प्रत्येक स्तर को सौंपे गए कार्यों से मेल खाती हो।
- PRIs को व्यापक अर्थों में उनकी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाने की **क्षमता प्रदान करना।**
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** डिजिटलीकरण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT)[11] का उपयोग करना चाहिए जैसे कि भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)[12] तथा परियोजना कार्यान्वयन को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का उपयोग। अधिक जवाबदेह, अनुक्रियाशील और नागरिक-हितैषी पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने के संदर्भ में इन उपायों का अत्यधिक महत्व है।
    - **पंद्रहवें वित्त आयोग** ने भी राज्य और अखिल भारतीय स्तर पर **खातों की ऑनलाइन ऑडिटिंग और उनके समेकन को सक्षम करने की अनुशंसा की है।**

निष्कर्ष

राज्य कार्यकारिणी पर सार्वजनिक वस्तुओं के कुशल वितरण की मांग कर रहे लोगों की ओर से बॉटम-अप (ऊर्ध्वगामी) दबाव बढ़ रहा है। इसे प्रभावी ढंग से केवल गहन विकेंद्रीकरण से ही पूरा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पैठ और कनेक्टिविटी से ग्रामीण-शहरी सूचना में व्याप्त अंतर कम हो रहा है तथा स्थानीय स्तर पर प्रशासन को प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

[11] Information and Communication Technology
[12] Geographic Information System

1.6. डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सिडनी-डायलॉग में, प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग संप्रभुता, शासन, नैतिकता, कानून, अधिकार और सुरक्षा पर नए प्रश्न उठा रहा है।

डिजिटल संप्रभुता के बारे में

- डिजिटल संप्रभुता **किसी राज्य का वह अधिकार है जिसके माध्यम से वह राष्ट्रीय हितों को पूरा करने हेतु अपने नेटवर्क को संचालित करता है।** इन राष्ट्रीय हितों में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा, गोपनीयता और वाणिज्य होते हैं।
    - यह किसी राज्य के स्वयं के डिजिटल भाग्य- डेटा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिस पर कोई राज्य निर्भर रहता है और उसका निर्माण करता है, पर नियंत्रण रखने की क्षमता है।
- वर्तमान में, डिजिटल प्रौद्योगिकियां व्यक्तियों, कंपनियों और संस्थानों के रोजमर्रा के जीवन का एक अभिन्न अंग हैं, परंतु **डिजिटल उत्पादों एवं सेवाओं के बाजार में अमेरिकी व चीनी बहुराष्ट्रीय निगमों का वर्चस्व है।**
- यह कई **नीति निर्माताओं के लिए एक चिंता का विषय बन गया है।** ये महसूस करते हैं कि बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक नियंत्रण है, तकनीकी बाजार में बहुत कम विकल्प हैं और बड़ी तकनीकी कंपनियों की एक छोटी संख्या के हाथों में बहुत अधिक शक्ति है।

सिडनी डायलॉग

- **सिडनी डायलॉग** ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एक थिंक-टैंक) की एक पहल है। यह उभरती एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न अवसरों एवं चुनौतियों की सामान्य समझ विकसित करने में राजनेताओं, उद्योग हस्तियों और सरकार को एक साथ लाता है।
- **बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत में हो रहे 5 महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला।**
    - **विश्व की सबसे विस्तृत जन सूचना अवसंरचना का निर्माण भारत में किया जा रहा है** जिसमें विशिष्ट डिजिटल पहचान और कुशल भुगतान संरचना शामिल है।
    - **भारत में शासन,** समावेश, सशक्तीकरण, संपर्कता, लाभ वितरण और जनकल्याण के लिए **डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग।**
    - भारत के पास **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला स्टार्ट-अप इको-सिस्टम है।**
    - **भारत के उद्योग और सेवा क्षेत्रक,** यहां तक कि कृषि क्षेत्रक में भी **व्यापक डिजिटल रूपांतरण।**
    - 5जी और 6जी जैसी **दूरसंचार प्रौद्योगिकी में स्वदेशी क्षमताओं** को विकसित करने के प्रयास।
- इसके तहत लोकतांत्रिक देशों को एक साथ काम करने के लिए एक रोडमैप प्रदान किया गया है। इस रोडमैप में डेटा गवर्नेंस तथा डेटा का संरक्षण एवं डेटा के सुरक्षित सीमा पार प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मानक और मानदंड का निर्माण करने पर विशेष बल दिया गया है।
    - लोकतंत्र में, **डेटा को एक राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है** और यह पारदर्शी नीति निर्माण एवं समस्या समाधान के लिए महत्वपूर्ण है।
    - इसके अतिरिक्त, डेटा एकाधिकार को रोकने और अनुचित प्रथाओं की जांच करने के लिए **डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया जाना चाहिए।**

डिजिटल संप्रभुता का महत्व

- **आर्थिक निर्भरता की जाँच करने के लिए:** अमेरिका और चीन की प्रौद्योगिकी कंपनियों के कथित बाजार प्रभुत्व से आधिपत्य और शोषण (डिजिटल साम्राज्यवाद या डिजिटल उपनिवेशवाद के रूप में वर्णित) के नए स्वरूपों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
    - उदाहरण के लिए, इसे GAFAs (गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़न) और NATUs [नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी (AirBnb), टेस्ला और उबर] के संदर्भ में देखा जा सकता है क्योंकि इनके पास विश्व भर के अरबों उपयोगकर्ताओं का डेटा उपलब्ध है।
- **प्रौद्योगिकीय निर्भरता को कम करने के लिए:** विदेशी डेटा अवसंरचना पर निर्भरता की पहचान करना और उसे कम करना, डिजिटल बाजारों में अनुचित प्रतिस्पर्धा से निपटना तथा उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कि 5G व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में, सुभेद्यताओं को दूर करना।
- **डेटा तक पहुंच की गारंटी:** राष्ट्रों की राजनीतिक स्वायत्तता, व्यवसायों की नवीनता और अनुसंधान संस्थानों की स्वतंत्रता के लिए भी डिजिटल संप्रभुता की आवश्यकता है ताकि संकट के समय में भी गारंटीकृत पहुंच के माध्यम से प्रासंगिक प्रौद्योगिकियां और डेटा उपलब्ध हो सके।

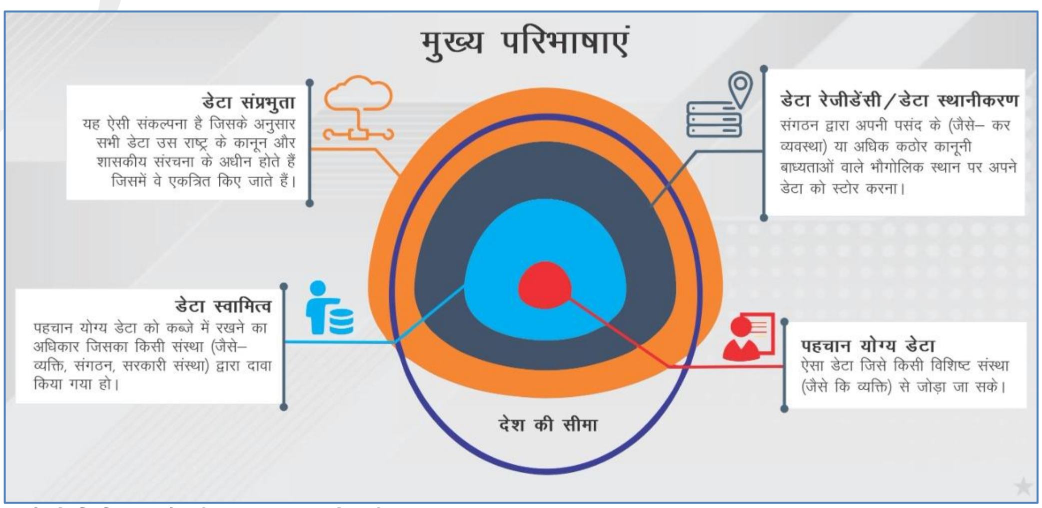

©Vision IAS

- **आंतरिक सुरक्षा और देशों की एकता:** व्यक्तिगत डेटा के भंडारण और उसके भविष्य के व्यापार के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि इसका उपयोग किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि, इस तरह के डेटा को किसी दुश्मन देश को बेचने से देश में नृजातीय संघर्षों की संभावना में वृद्धि हो सकती है। गैर-राज्य अभिकर्ता भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डेटा का दुरुपयोग कर सकते हैं।
- **नागरिकों का व्यवहार:** व्यक्तिगत डेटा के भंडारण के बारे में यह अवधारणा है कि इसका उपयोग नागरिकों के व्यवहार और राय को बदलने के लिए किया जा सकता है।
  - चुनावों के दौरान नागरिकों के व्यवहार और विचारों में बदलाव से अभिजात्य लोकतंत्र के विचार को बल मिलेगा।
  - युवाओं और बच्चों की पसंद-नापसंद को जानने के माध्यम से उनके व्यवहार में परिवर्तन, जिसका उपयोग आने वाले समय में उनके निर्णयों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है।

वैश्विक अनुभव

- **यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation: GDPR)**
  - GDPR की शर्तों के तहत, कोई भी संगठन (चाहे वह कहीं भी स्थित हो) यदि वह यूरोपीय संघ के देशों में **ग्राहकों के साथ व्यापार करना चाहता है,** तो उसे **डेटा प्रबंधन नियमों** के एक समूह का पालन करना चाहिए।
  - ये नियम व्यक्तिगत नागरिकों के लिए यह संभव बनाते हैं कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
- **यूरोपीय क्लाउड सेवा Gaia-X,** जिसकी घोषणा वर्ष 2019 में फ्रांस और जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।
  - यह **यूरोप में छोटे और मध्यम आकार के क्लाउड प्रदाताओं को जोड़ने की योजना बना रहा है** जो उन्हें विश्व के सबसे बड़े (प्राय: अमेरिका-आधारित) क्लाउड सेवा प्रदाताओं (जैसे कि, अमेज़ॅन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट) के विकल्प की पेशकश करने की अनुमति देता है।

डिजिटल संप्रभुता के लिए चुनौतियां

- **वैश्विक नियमों का अभाव:** विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कानूनी ढांचे का निर्माण पूर्व-इंटरनेट युग में किया गया था और इसे वर्तमान डेटा प्रवाह की प्रकृति को पर्याप्त रूप से विनियमित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था।
  - वर्तमान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा देशों को उन नीतियों को अपनाने से रोकता है, जो घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन और खरीद के पक्ष में होती हैं। इसमें प्रतिस्पर्धा-विरोधी उपायों को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही की धमकी भी निहित होती है।
- **बहु-हितधारक इंटरनेट शासन:** यह सरकारों के प्रभुत्व वाली स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना जारी रखता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीयवाद के सिद्धांत के साथ बदलने का प्रयास करता है।

भारत और डिजिटल संप्रभुता

- **भारत की डिजिटल संप्रभुता की दृष्टि से तीन स्तंभ हैं:**
  - बहुराष्ट्रीय निजी अभिकर्ताओं की कार्यप्रणाली पर नियामक निरीक्षण से **आर्थिक संवृद्धि और विकास के प्रमुख उपकरण के रूप में डेटा का लाभ उठाना;**
  - **डिजिटल व्यापार नियमों के असमान निर्माण को रोकने के लिए** एक वैश्विक राजनयिक पहल द्वारा समर्थित एक राष्ट्रीय समर्थन;
  - **द्विपक्षीय सुरक्षा विवादों में डेटा सुरक्षा** का लाभ उठाना।

भारत में उठाए गए कदम

- **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019** जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है और उसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करता है।
- **RBI ने सभी सिस्टम प्रदाताओं** को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में स्थित सिस्टम में संगृहीत किया जाए।

- **उदार लोकतंत्र के विरुद्ध:** डेटा स्थानीयकरण उपाय वस्तुतः निगरानी और सामाजिक एवं राजनीतिक नियंत्रण का समर्थन करते हैं।
- **व्यापार में बाधक के रूप में:** पारंपरिक सीमाओं के बिना एक कनेक्टेड दुनिया में प्रतिस्पर्धा का नया स्वरूप तेजी से एक नवीन मानदंड के रूप में स्थापित हो गया है। साथ ही, इंटरनेट की व्यापकता और उसके संबंधित उत्पाद (जैसे ई-कॉमर्स, स्मार्ट होम, कनेक्टेड डिवाइस और IoT), अब हमारे काम करने, जीवन जीने और अभिव्यक्ति के तरीके पर प्रभाव डालते हैं और इसे प्रभावित करते हैं।
  - नई पीढ़ी के व्यापार समझौतों के कुछ प्रावधानों के तहत किसी देश में निजता संबंधी कठोर कानूनों और नीतियों को व्यापार के समक्ष एक बाधक के रूप में माना जाता है और मानवाधिकार कानूनों को अन्य कानूनों के संदर्भ में तरजीह देने का विरोध किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों का उदय:** इसमें शामिल उत्तरदायित्वों की जटिलता और नेटवर्क की वैश्विक पहुंच को किसी एक राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार में उचित रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता है।
  - डिजिटल प्रौद्योगिकियों और संबंधित व्यापार मॉडल के नवाचार की गति के साथ तालमेल बिठाने के संदर्भ में विधायी प्रक्रियाओं की गति अत्यंत मंद है।

आगे की राह

- विदेशी प्रौद्योगिकियों और डिजिटल सेवाओं पर **निर्भरता और कमजोरियों की पहचान करना** उन क्षमताओं को परिभाषित करने की दिशा में पहला कदम है जिन्हें डिजिटल संप्रभुता बढ़ाने के लिए विकसित करने की आवश्यकता होगी।
  - इस संबंध में निम्नलिखित पांच क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं: क्लाउड और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर; बिजनेस टू गवर्नमेंट डेटा (B2G); बिजनेस टू कंज्यूमर डेटा (B2C); 5G कनेक्टिविटी; और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)।
- अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने और डिजिटल एकल बाजार में बाधाओं को दूर करने, डेटा पर एक महत्वाकांक्षी रणनीति को आगे बढ़ाने तथा अनुसंधान एवं विकास और कार्यबल के लिए डिजिटल कौशल में निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से इसे **सशक्त** बनाना।

 ©Vision IAS

- डेटा, डिजिटल बाजारों, उभरती प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय डेटा प्रवाह के वैश्विक शासन के लिए भागीदारी एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ाव।**
- **डेटा स्थानीयकरण संबंधी उपाय:** इसके तहत सरकार द्वारा डेटा प्रवाह से संबंधित अपने सम्प्रभु अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसे प्रवधान करना चाहिए, जिसके तहत संबंधित कंपनियों को देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर ही डेटा को संगृहीत करके के लिए बाध्य किया जा सके।

1.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

1.7.1. CBI और प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख अब 5 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं {CBI and Enforcement Directorate (ED) Chiefs can now hold office up to 5 year}

- राष्ट्रपति द्वारा दो अध्यादेश जारी किए गए हैं। ये **केंद्र को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय** (Enforcement Directorate) के निदेशकों के कार्यकाल को **दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष** करने की शक्ति प्रदान करते हैं।
    - सरकार ने **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946** (CBI निदेशक के लिए) और **केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003** (ED निदेशक के लिए) में संशोधन किए हैं।
- दोनों का वर्तमान कार्यकाल दो वर्षीय था, लेकिन इस अध्यादेश के माध्यम से इनके कार्यकाल में तीन अतिरिक्त वर्षो की वृद्धि की गई है।

1.7.2. आंध्र प्रदेश विधान सभा ने राज्य के लिए तीन राजधानियों की स्थापना के उद्देश्य पर आधारित अधिनियम को निरसित करने के लिए विधेयक पारित किया {Andhra Pradesh (AP) Assembly Passes Bill to Repeal Act Intending 3 Capitals for the State}

- आंध्रप्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास निरसन विधेयक, 2021 **वर्ष 2020 के उस अधिनियम को निरसित करता है, जिसने राज्य के लिए 'तीन राजधानियों' की योजना का मार्ग प्रशस्त किया था।**
- **अब,** राज्य एक बार फिर सभी हितधारकों के साथ परामर्श करेगा। **साथ ही, विकेंद्रीकरण के पक्ष में राज्य के सभी क्षेत्रों की संबंधित चिंताओं के समाधान हेतु भविष्य में उपयुक्त कानून प्रस्तुत करेगा।**
    - **अमरावती क्षेत्र के किसान** पिछले 700 दिनों से अधिक समय से **तीन राजधानियों के निर्णय का विरोध कर रहे थे।**
    - उन्हें आशंका थी कि सरकार उनके भूखंडों के मूल्य को कम करके उन सभी बुनियादी ढांचों का निर्माण नहीं करेगी, जिनका उसने वादा किया था।
- **तीन राजधानियों के पक्ष में तर्क**
    - **वितरित विकास।**
    - कुर्नूल और विशाखापत्तनम के मौजूदा बुनियादी ढांचे के उपयोग के कारण **वित्तीय रूप से कुशल।**
    - **बड़ी कृषि भूमि के अधिग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं है,** जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
    - अच्छी अर्थव्यवस्था वाले मध्यम आकार के शहरों का **नियोजित शहरीकरण।**
- **तीन राजधानियों के विपक्ष में तर्क**
    - सरकार के विभिन्न अंगों के बीच **समन्वय में बाधा** उत्पन्न हो सकती है।
    - विकास केंद्रों को जोड़ने वाले एक **सुविकसित बुनियादी ढांचे का अभाव हो सकता है।**
    - **विशाखापत्तनम क्षेत्र चक्रवातों के प्रति सुभेद्य है।**

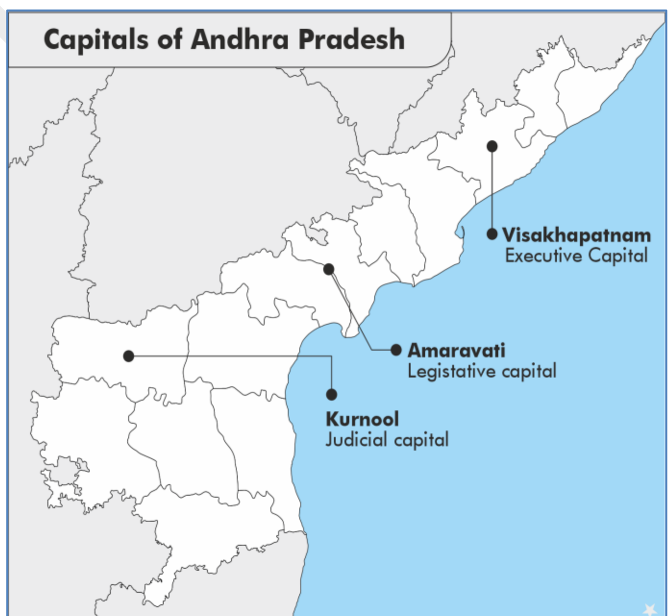

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISION IAS

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-यूरेशिया (India-Eurasia)

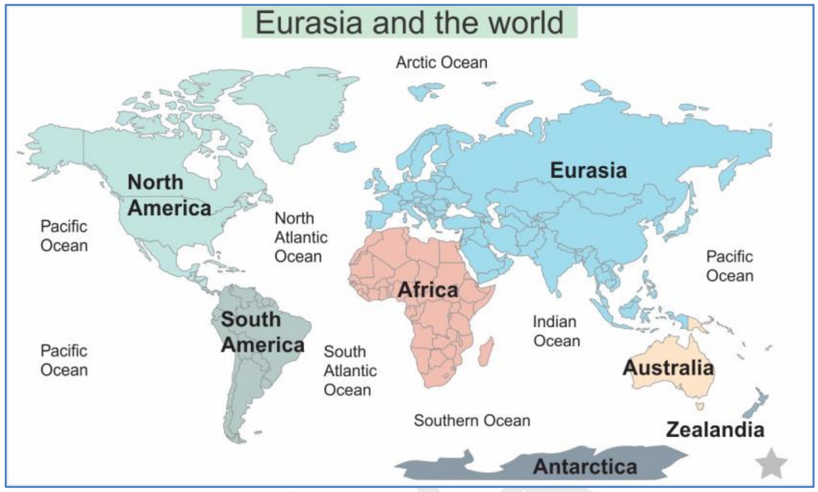

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश नीति विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलती गतिशीलता और यूरेशिया के बढ़ते महत्व के कारण भारत को यूरेशिया के प्रति एक नया, एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

यूरेशिया के बारे में

यूरेशिया पृथ्वी पर **सबसे बड़े महाद्वीपीय क्षेत्र** को संदर्भित करता है। इसमें यूरोप, मध्य पूर्व तथा एशिया के 93 देश शामिल हैं और यहां 5 बिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं।

- हालांकि, इस क्षेत्र की सीमाओं के बारे में कोई साझी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता विद्यमान नहीं है।

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में यूरेशिया के बढ़ते महत्व का क्या कारण है?

- **चीन का नाटकीय ढंग से उदय और उसकी बढ़ती रणनीतिक हठधर्मिता:** चीन एक चीन-केंद्रित एशियाई व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना एक नई आर्थिक व्यवस्था और सुरक्षा पहल निर्मित करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)[13], चीन-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता जैसी परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व ने यूरेशिया में बीजिंग के शक्तिशाली प्रभाव को स्थापित किया है।
- **बदलते भू-रणनीतिक संबंध:** चीन और अमेरिका के मध्य बढ़ते वैमनस्य ने चीन और रूस को संयुक्त राज्य अमेरिका का मुकाबला करने हेतु अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EEU) के साथ समझौता, आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा, व्यापार और संयुक्त उत्पादन तथा सैन्य अभ्यासों के माध्यम से सैन्य क्षेत्र में चीन और रूस के बीच सहयोग बढ़ रहा है।
    - EEU एक सीमा शुल्क संघ है जो गैर-EEU सदस्यों से आयात पर शुल्क आरोपित करता है।
- **क्षेत्रीय भू-रणनीतिक गठबंधन:** संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अन्य विरोधी ईरान से चीन एवं रूस की नजदीकियां बढ़ रही हैं। तीनों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास कर अपने संबंधों को और प्रगाढ़ किया** है। ईरान भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण सदस्य है।
    - साथ ही, **चीन-ईरान-रूस-तुर्की-पाकिस्तान रणनीतिक पंचकोण** आकार ले रहा है जो यूरेशिया और पश्चिम एशिया की भू-राजनीति को प्रभावित करेगा और शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन पर गहरा प्रभाव डालेगा।
- **आर्थिक विकास के लिए मजबूत संभावनाएं:** पिछले कुछ वर्षों में यूरेशिया प्रति व्यक्ति लगभग 4-5% की औसत वार्षिक आय वृद्धि दर के साथ आर्थिक विकास के मामले में विश्व के सर्वाधिक प्रगतिशील क्षेत्रों में से एक रहा है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रत्युपाय (countermeasure) के रूप में विकसित किया जा रहा क्षेत्र:** संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी मध्यथ शक्तियां स्वयं को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित कर रही हैं। इसके प्रत्युत्तर में चीन और रूस यूरेशिया को शक्ति के केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं।

भारत के लिए यूरेशिया के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता

- **ऊर्जा सुरक्षा:** यूरेशियन देश ऊर्जा (तेल, प्राकृतिक गैस) और प्राकृतिक संसाधनों (यूरेनियम और लौह अयस्क) में भारत के संभावित दीर्घकालिक भागीदार हैं। भारतीय हितों की रक्षा हेतु इन देशों के साथ आर्थिक सहयोग आवश्यक है।
- **आर्थिक उद्देश्य:**
    - **यूरेशिया की रणनीतिक प्रायद्वीपीय स्थिति** जो एशिया और पश्चिम एशिया के विभिन्न उप-क्षेत्रों को जोड़ती है, भारत के आर्थिक केंद्र बनने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी हालिया पहलों के माध्यम से इसे बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है।
    - **पर्यटन क्षमता:** भारत एक उभरता हुआ पर्यटन देश है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यूरेशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
    - **चिकित्सा एवं फार्मास्युटिकल उद्योग:** भारत सभी पांच मध्य एशियाई देशों को जोड़ते हुए टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक मध्य एशियाई ई-नेटवर्क स्थापित करने पर काम कर रहा है जिसका केंद्र भारत में होगा।

---

[13] Regional Comprehensive Economic Partnership

- **रणनीतिक उद्देश्य:**
    - **यूरेशियाई क्षेत्र चीन और रूस पर अपनी निर्भरता कम करने में रुचि रखता है** और इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को सशक्त करने के लिए भारतीय प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है।
    - **मध्य एशिया में स्थिरता:** मध्य एशिया, जो नए यूरेशिया का केंद्रबिंदु है, भारत के "विस्तारित पड़ोस" का एक भाग है और भारत के लिए अत्यधिक भू-रणनीतिक महत्व रखता है। ISIL/ISIS[14] के उभरते खतरों के साथ, क्षेत्र की कमज़ोर सीमाओं और ड्रग्स एवं हथियारों की समस्या को देखते हुए इस क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करना भारत के हित में है।

यूरेशिया में भारत की उपस्थिति बढ़ाने में चुनौतियां

- **भौगोलिक सीमाएं:** भारत की मध्य एशिया तक सीधी भौगोलिक पहुंच नहीं है।
- **चीन का प्रभुत्व:** भूटान और भारत के साथ लंबी और विवादित सीमा पर बीजिंग का बाहुबली रवैया, ताज़िकिस्तान में सुरक्षा उपस्थिति के लिए उसके प्रयास, अफ़ग़ानिस्तान में एक अहम भूमिका निभाने की कोशिश आदि चीन की मुखरता के उदाहरण हैं।
- **पाकिस्तान की अनिच्छा:** यूरेशियाई रणनीति विकसित करने के एक भाग के रूप में अफ़ग़ानिस्तान पर हाल ही में आयोजित दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है।

    - **हिंद-प्रशांत रणनीति का पूरक:** यदि हिंद-प्रशांत का संबंध दिल्ली की नई समुद्री भू-राजनीति से है, तो यूरेशिया का संबंध भारत की महाद्वीपीय रणनीति के पुनर्विन्यास से है जिसकी आवश्यकता सीमा विवाद जैसे महाद्वीपीय मुद्दों का समाधान करने के लिए है।
- **सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना:** यूरेशिया और भारत की सभ्यताएं प्राचीन काल से ही एक-दूसरे से संबंधित रही हैं; बौद्ध युग में संघ और श्रेणी के मध्य सहयोग ने दोनों क्षेत्रों के बीच स्थायी संपर्क का निर्माण किया था।
    - साझी परंपराओं और बौद्ध संस्कृति के कारण साइबेरिया के लोगों और भारतीय हिमालय क्षेत्र के लोगों में विशिष्ट ऐतिहासिक-सांस्कृतिक समानताएं हैं।

भारत की प्रमुख पहलें

- **क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करने हेतु संपर्क को बढ़ावा देना।**
    - पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए मध्य एशिया और उससे आगे तक सुगम पहुंच प्राप्त करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)[15]।**
    - भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए **चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग** के तरीकों पर चर्चा की।
    - **चेन्नई और व्लादिवोस्तोक (रूस के सुदूर पूर्व) के बीच एक समुद्री मार्ग** खोलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **भारत-यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी:** संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करने और अगले पांच वर्षों में भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सशक्त करने हेतु सामान्य रोडमैप तैयार करना।

भारत के लिए आगे की राह

- **यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्यों के साथ अधिक जुड़ाव:** यूरोप के साथ सतत सुरक्षा वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत को यूरेशियाई नीति के तहत यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)[16] दोनों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने चाहिए।
- **भारत-रूस संवादों को तीव्र करना:** रूस, चीन को एक दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। इसलिए इस क्षेत्र में बीजिंग की शक्ति को कम करने के लिए ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप (GEP) के दायरे को बढ़ाकर इसमें भारत, ईरान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को शामिल करना चाहता है। यह भारत के लिए एक अवसर है जहां दोनों देश मध्य एशिया, अफ़ग़ानिस्तान, रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में सहयोग करके अपने संबंधों को अधिक प्रगाढ़ कर सकते हैं तथा यूरेशियाई सुरक्षा पर सहयोग में वृद्धि कर सकते हैं।
- **भू-आर्थिक सहयोग:** क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के सतत विकास हेतु बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटाने और यूरेशियाई संवाद को आकार देने हेतु राजनीतिक प्रभाव एवं अपनी महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर का उपयोग करने के लिए हिंद-प्रशांत संवाद में शामिल होने हेतु भारत यूरोपीय संघ के देशों का अनुसरण कर सकता है।
- **ईरान और अरब प्रायद्वीप के साथ सहयोग:** ईरान की अवस्थिति अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भविष्य के निर्धारण में ईरान को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती है तथा इस क्षेत्र में अरब का अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रभाव है। इन देशों के साथ भारत की भागीदारी, तुर्की के साथ पाकिस्तान के गठबंधन को नियंत्रित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **प्राथमिकताओं को संतुलित करना:** भारत को अपनी कनेक्ट यूरेशिया नीति को अपनी एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत रणनीति के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO)[17] और रूस, भारत एवं चीन (RIC)[18] समूह का महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते भारत को इन प्लेटफार्मों का उपयोग रूस और चीन के साथ बहुआयामी रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए।

2.2. द्विपक्षीय निवेश संधियां (Bilateral Investment Treaties: BITs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विदेश मामलों की स्थायी समिति ने 'भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियों' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

---

14 Islamic State of Iraq and the Levant/Islamic State of Iraq and Syria
15 International North South Transport Corridor
16 North Atlantic Treaty Organisation
17 Shanghai Cooperation Organisation
18 Russia, India and China

द्विपक्षीय निवेश संधियों (BITs) के बारे में

- BITs **अंतर्राष्ट्रीय समझौते** हैं जो एक देश के नागरिकों एवं कंपनियों द्वारा दूसरे देश में निजी निवेश हेतु नियम एवं शर्तें निर्धारित करते हैं ताकि एक-दूसरे के राज्यक्षेत्रों में **विदेशी निजी निवेश को प्रोत्साहित एवं संरक्षित किया जा सके।**
- BITs विदेशी निवेश के प्रति व्यवहार/नीतियों के संबंध में दोनों देशों के बीच **न्यूनतम गारंटी की सुविधा प्रदान** करती हैं, जैसे कि:
    - **राष्ट्रीय नीति** (विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार करना),
    - **निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार** (अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार),
    - **स्वामित्वहरण से सुरक्षा** (अपने राज्यक्षेत्र में विदेशी निवेश का अधिग्रहण करने की प्रत्येक देश की क्षमता को सीमित करना)।
    - **निवेशकों के अधिकारों का संरक्षण** {एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना करना, जिसके माध्यम से कोई निवेशक मेजबान राज्य पर उस मेजबान राज्य के ही न्यायालयों में मुकदमा करने के बजाय **निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)**[19] से संपर्क कर सके}।
- वर्तमान में, विश्व में 2,500 से अधिक BITs सक्रिय हैं और **व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) इन सभी राज्यों के बीच सभी BITs का एक डेटाबेस** रखता है।

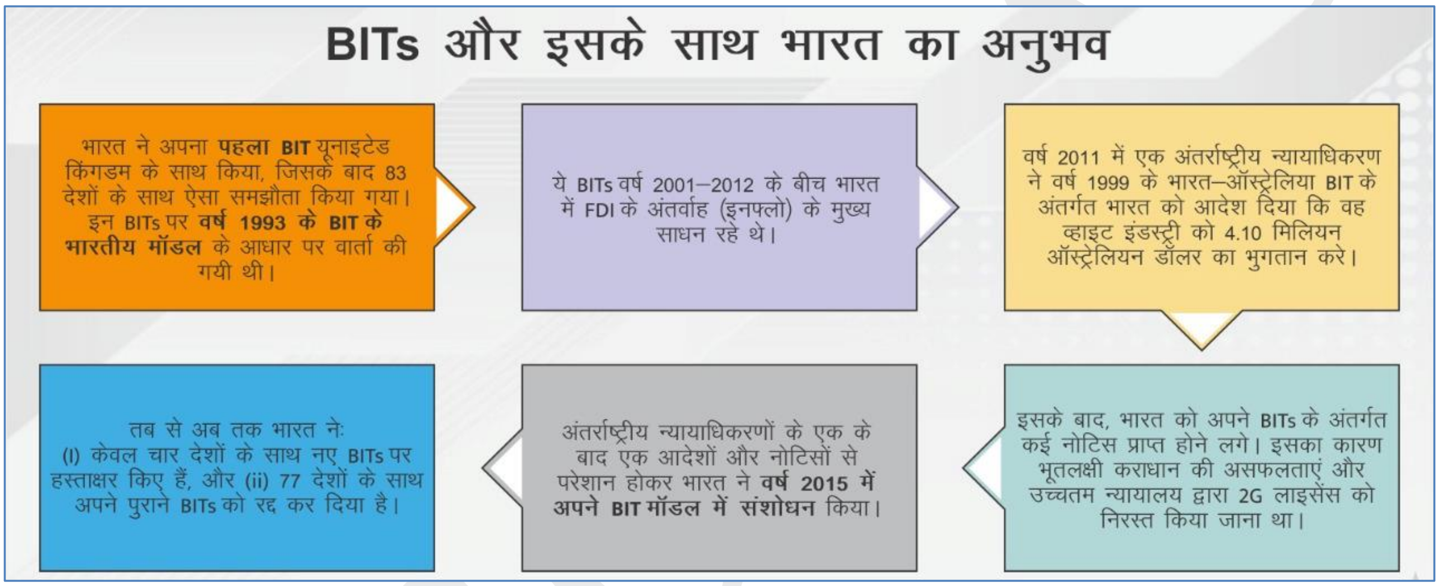

BIT मॉडल 2015 से संबंधित मुद्दे

BIT मॉडल व्हाइट इंडस्ट्रीज केस और भारत को प्राप्त विभिन्न नोटिसों के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। परिणामस्वरूप, इसका एकमात्र उद्देश्य निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से मेजबान राज्य के लिए दायित्व को सीमित करना और **BITs** के तहत दावे प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक मानकों को निर्धारित करना है:

- **निवेश की संकीर्ण परिभाषा:** भारत ने निवेश के लिए एक संकीर्ण 'उद्यम-आधारित' परिभाषा प्रस्तावित की है, जिसके अनुसार संधि के तहत केवल प्रत्यक्ष निवेशों को ही संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत पोर्टफोलियो निवेश, ऋण-प्रतिभूतियों में ब्याज, अमूर्त अधिकार आदि को निवेश की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
- **घरेलू उपचार की समाप्ति:** BIT मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने से पहले घरेलू उपचार की समाप्ति को अनिवार्य करता है। यह विदेशी निवेशकों में विश्वास बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है।
    - 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020' रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत, अनुबंधों को लागू करने में 190 देशों की सूची में 163वें स्थान पर है और यहां विवाद का समाधान करने में लगभग 1,445 दिन लगते हैं।
- **मेजबान राज्य हेतु व्यापक विवेकाधीन शक्तियां:** मेजबान राज्य किसी भी विवाद को, मात्र यह दावा करके कि विचाराधीन आचरण कराधान का विषय है, किसी ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से एकतरफा रूप से बाहर कर सकता है।

समिति की सिफारिशें

समिति ने पाया कि वर्ष 2015 के पश्चात् भारत द्वारा हस्ताक्षरित **BITs** की संख्या और उन **BITs** की संख्या जिन पर वार्ता जारी है, भारत में आवश्यक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त हैं। अत: समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशे की गई हैं:

[19] International Centre for Settlement of Investment Disputes

- चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उन देशों के साथ **नए BITs पर हस्ताक्षर** किए जाएं, जिनके साथ भारत की अतीत में ऐसी संधियां थीं।
- **BITs मसौदा: BITs** का मसौदा बिना किसी अस्पष्टता के तैयार किया जाना चाहिए ताकि मध्यस्थों और न्यायाधिकरणों द्वारा अत्यधिक व्यापक व्याख्या, भारत के विरुद्ध निवेश विवाद या दावों और निवेशकों द्वारा कुछ प्रावधानों के दुरुपयोग से बचा जा सके।
- BITs से उत्पन्न विवादों से प्राप्त नए अनुभव पर विचार करते हुए **BITs मॉडल को संशोधित** किया जाना चाहिए और इसमें उन्नत देशों द्वारा अपनाए गए BITs से सर्वोत्तम प्रथाओं एवं प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
- मध्यस्थता पूर्व परामर्श या वार्ता के माध्यम से **निवेश विवादों का समय पर समाधान करना।**
- निवेश मध्यस्थता में **स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करना** और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र को विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित करना।
- **घरेलू न्यायिक प्रणाली में सुधार करना:** वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन के माध्यम से इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं।

निष्कर्ष

पूंजी निर्यातक राष्ट्र के रूप में भारत के संभावित उदय, भारत की मेक-इन-इंडिया नीति, वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का इसका लक्ष्य और वैश्विक कंपनियों द्वारा अपने निवेश को चीन से बाहर ले जाने पर विचार करने आदि के साथ ही, भारत के लिए वर्तमान अंतर्मुखी संरक्षणवादी दृष्टिकोण से अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए BITs मॉडल की समीक्षा और संशोधन करने का यह एक उपयुक्त समय है।

2.3. भारत-रूस सैन्य सहयोग (India-Russia Military Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संपन्न हुए **21वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन** के दौरान, **S-400 वायु रक्षा प्रणालियों** की सुपूर्दगी की पृष्ठभूमि में दोनो देशों ने **10 वर्ष के रक्षा सहयोग समझौते** पर हस्ताक्षर किए। ध्यातव्य है कि वर्तमान में इन रक्षा प्रणालियों की सुपुर्दगी की जा रही है।

भारत-रूस प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा सहयोग की पृष्ठभूमि

भारत-रूस संबंध **आपसी विश्वास, एक दूसरे के मूल राष्ट्रीय हितों के लिए सम्मान और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर एक-दूसरे की स्थिति की समानता** जैसे सिद्धांतों पर आधारित हैं। दोनों देश काफी पुराने और समय की कसौटी पर भरोसेमंद साझेदार हैं।

वर्ष 1971 में, दोनों देशों ने **शांति, मित्रता और सहयोग संधि** पर हस्ताक्षर किए और वर्ष 2000 में एक-दूसरे के सामरिक भागीदार बने।

विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के **पहले 2+2 संवाद** के रूप में वर्ष 2021 के शिखर सम्मेलन ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। यह संवाद वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीतिक एवं सुरक्षा घटनाक्रमों पर विचारों के आदान-प्रदान हेतु किया गया था।

21वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में प्रमुख समझौते

रक्षा सहयोग के साथ-साथ, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों में शामिल हैं-
- प्रतिरक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए **6,00,000 से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों** का **संयुक्त उत्पादन।**
- **वर्ष 2025** तक **द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर** और **द्विपक्षीय निवेश** को **50 अरब डॉलर** तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- **साइबर हमलों** के विरुद्ध **भारतीय रिज़र्व बैंक** और **बैंक ऑफ रूस** संयुक्त रूप से काम करेंगे,
- आईएसआईएस-अल कायदा-लश्कर-ए-तैयब्बा जैसे आतंकवादी संगठनों, मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त रूप से संघर्ष करना।

प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत और रूस के बीच प्रतिरक्षा संबंधों के विभिन्न आयाम हैं, जिनमें हथियारों का व्यापार शामिल है लेकिन यह **संबंध केवल हथियारों तक सीमित नहीं है-**
- **सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग** भारत और रूस के बीच **विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी**[20] का एक स्तंभ बना हुआ है।
- भारत ने वर्ष 1962 में रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) से मिग-21 खरीदा था और **मधुर संबंधों** एवं **हितों की समानता** के कारण इस सहयोग का विस्तार, भारत में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन, रखरखाव और मरम्मत कार्यों को बढ़ावा देने के साथ, अन्य सशस्त्र बलों के लिए भी किया गया।

[20] Special and Privileged Strategic Partnership

- वर्ष 2009 में, 2011-20 की अवधि के लिए **एक द्विपक्षीय अंतर-सरकारी सैन्य और तकनीकी सहयोग** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- वर्तमान में, संयुक्त अनुसंधान, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों का विकास एवं उत्पादन और तत्पश्चात दोनों देशों के साझा मित्र देशों को निर्यात, **भारत-रूस प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग** को परिभाषित करने वाली विशेषता है। उदाहरण के लिए:
  - ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का उत्पादन करने के लिए संयुक्त उद्यम।
  - मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत **AK श्रेणी की असॉल्ट राइफलों** का निर्माण करने के लिए संयुक्त उद्यम।
  - भारत में **Ka-226T हेलीकॉप्टरों के निर्माण** के लिए संयुक्त उद्यम पर शेयरधारक समझौता।
- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद, भारत ने अपने वायु प्रतिरक्षा क्षमता अंतराल[21] को दूर करने के लिए पांच S-400 रेजिमेंटों की आपूर्ति हेतु, **S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा मिसाईल प्रणाली**[22] की सुपुर्दगी लेना शुरू कर दिया है। इस मिसाईल की खरीद का सौदा वर्ष 2018 में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर में किया गया था।

S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और CAATSA[23]

- S-400 वायु रक्षा प्रणाली **दुनिया की सबसे उन्नत मोबाइल वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों में से एक है।** यह चार अलग-अलग मिसाइलों से लैस है और यह कई रेंज में दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AWACS) विमानों को ध्वस्त कर सकती है।
- **CAATSA एक्ट** को **काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के रूप में भी जाना जाता है।** इसे वर्ष 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तीन देशों, यानी कि रूस, ईरान एवं उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- तीन देशों पर प्रतिबंधों के अतिरिक्त, यह अधिनियम उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाता है जो इन देशों के साथ व्यापार करते हैं। यह **भारत और रूस के बीच मौजूदा S-400 सौदे को इसी परिधि में लाता है।**
- परंतु, अमेरिका **भारत जैसे सामरिक सहयोगी और रक्षा बाजार** को दूर करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी सांसदों ने भारत पर प्रतिशोधी अमेरिकी कार्रवाई से बचने के लिए प्रतिबंधों में छूट हेतु एक विधेयक पेश किया है। हालांकि इस नाज़ुक हालत का भविष्य क्या होगा, यह तो समय ही बता सकता है।

प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग की बदलती गतिशीलता

S-400 ट्रायम्फ सौदा भारत और रूस के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रतीक है। परंतु, यह कदम कोई अकेली घटना नहीं है बल्कि बदलती वैश्विक और द्विपक्षीय गतिशीलता का चरम प्रभाव है-

- **बदलती विश्व व्यवस्था:** वैश्विक शक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ बढ़ती नई द्विध्रुवीय दुनिया ने दोनों प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों के साथ दोनों देशों की निकटता को बढ़ा दिया है, अर्थात्:
  - रूस, चीन के करीब होता जा रहा है जबकि भारत-चीन के बीच तनाव मौजूद है और;
  - भारत, अमेरिका के करीब होता जा रहा है जबकि रूस-अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है।
- **भू-रणनीतिक हित:** एक अंतर्मुखी (सामरिक एवं आर्थिक रूप से) और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र से भारत के दृष्टिकोण में तर्कसंगत बदलाव के साथ दोनों देशों के बीच हितों की पुरानी समानताओं को भू-रणनीतिक हितों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए,
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र:** भारत जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए **चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड)**[24] में शामिल हो रहा है।
  - **यूरेशियन क्षेत्र:** इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सामरिक मुखरता पर अंकुश लगाने के लिए भारत और यूरोप के बीच हितों की समानता।
- **आर्थिक संबंध:** वर्ष 2019 में भारत-रूस के बीच मात्र 7.5 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। इसके विपरीत, भारत-अमेरिका अथवा रूस-चीन के बीच आर्थिक संबंध कहीं अधिक विविध और प्रगाढ़ हैं।
  - उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 में रूस-चीन ने 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गैस सौदे पर हस्ताक्षर किए। इसी तरह 2020-21 में भारत-अमेरिका के बीच व्यापार 80.5 बिलियन अमेरिकी डॉलररहा, जिसमें 13.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) था।

---

[21] Air defence capability gaps
[22] Triumf Air Defence Missile System
[23] काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट
[24] Quadrilateral Security Dialogue

- **विविधता के साथ आधुनिकीकरण:** भारत ने सोवियत-युग और रूसी सैन्य उपकरणों से इतर आधुनिकीकरण तथा विविधता लाने के लिए फ्रांस, इज़राइल एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों से अपनी रक्षा खरीद का विस्तार किया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2016-20 की अवधि के दौरान भारत के हथियारों की खरीद में रूस का हिस्सा 49% रहा जबकि वर्ष 2011-15 के बीच यह 70% था। **{स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (SIPRI)[25] फैक्ट शीट के अनुसार}।**
    - वर्ष 2014 में रूस ने पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री पर लगाए अपने प्रतिबंध को हटा लिया जिसे भारतीय विविधीकरण पर चेतावनी के रूप में माना जाता है।

आगे की राह

वर्ष 2021-31 की अवधि के लिए नवीनतम रक्षा सहयोग दोनों राष्ट्रों के बीच मौजूदा संबंधों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। परंतु इसे उन ताकतों का सामना करने के लिए हितों और कार्रवाइयों के अधिक तालमेल की आवश्यकता है जो इसे प्रभावित करेंगे, जैसे-

- **साझा हित के नए मंच:** द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को व्यापक बनाना जिसके तहत वैश्विक शांति तथा स्थिरता पर साझा जिम्मेदारियों के भाग के रूप में सहयोग के नए मंचों, जैसे यूरेशियाई क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, अफगानिस्तान आदि पर काम करना शामिल है।
    - ऐसे मुद्दों पर नियमित राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी स्तर की सुरक्षा वार्ता, सामरिक समझ और कार्रवाइयों के समन्वय को बढ़ाने में मदद कर सकती है।
- **मेक-इन-इंडिया के माध्यम से रक्षा सहयोग का उन्नयन:** मेक-इन-इंडिया के अंतर्गत हथियारों के विशिष्ट डोमेन सहित इनके **संयुक्त विकास और सह-उत्पादन** को बढ़ावा देना, **आत्मनिर्भरता** को बढ़ावा देना और आधुनिकीकरण एवं विविधता के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता को कम करना।
- **कल-पुर्जों का संयुक्त निर्माण और लॉजिस्टिक सहयोग:** चूंकि भारतीय रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आयात होता है, इसलिए दोनों देशों को संयुक्त रूप से कल-पुर्जों का निर्माण करना चाहिए और आपसी लॉजिस्टिक समर्थन बढ़ाना चाहिए। साथ ही, दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग को भी बढ़ाना चाहिए।
- **संबंधो में सुधार करना:** व्यापार में विविधता लाने हेतु दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को सरकार-से-सरकार के स्तर से आगे बढ़ाकर निजी क्षेत्र में व्यापक सहयोग की ओर ले जाना चाहिए।
- **कानून-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर कार्य:** न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की भी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा, अधिकाधिक कानून-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुध्रुववाद/बहुपक्षवाद की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों (ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन आदि) पर और अधिक सहयोग की आवश्यकता है।

2.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

2.4.1. लगभग 87,000 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को जटिल संघर्षों से अधिक खतरों का सामना करना पड़ता है (Over 87,000 UN Peacekeepers Face Greater Threats from Complex Conflicts)

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रमुख, जीन-पियरे लैक्रोइक्स ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन दो या तीन वर्ष पूर्व की तुलना में आज अधिक खतरों का सामना कर रहे हैं।
- **वर्तमान में शांतिरक्षक बलों के समक्ष संघर्षों को हल करने संबंधी चुनौतियों में शामिल हैं:**
    - **संघर्ष कई कारकों से प्रेरित होते हैं।** इनमें नृजातीय तनाव, संगठित अपराध का संसाधनों के अवैध दोहन पर प्रभाव तथा आतंकवाद शामिल हैं।
    - **संघर्ष बहुस्तरीय** अर्थात् न केवल स्थानीय और राष्ट्रीय, बल्कि क्षेत्रीय एवं वैश्विक भी होते हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका के निर्धन साहेल क्षेत्र में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियां।
    - डिजिटल प्रौद्योगिकियों, फेक न्यूज और गलत सूचनाओं का प्रभाव तथा परिष्कृत साधनों के तीव्र उपयोग सहित **संघर्ष बढ़ाने वाले साधनों की उपस्थिति।**
    - **राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी परिवेश विकृत हो गया है।**
- **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय:**
    - शांति सैनिकों को अधिक फुर्तीला, सक्रिय और प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए बेहतर चिकित्सा सहायता एवं उपकरण (विशेष रूप से अधिक हेलीकॉप्टर) प्रदान करना।
    - **शांति अभियानों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि** करना अर्थात् शांति स्थापना प्रक्रिया में अधिक महिलाओं की भागीदारी का अर्थ शांति व्यवस्था का अधिक प्रभावी होना है।
    - शांति व्यवस्था का **डिजिटल परिवर्तन,** जो बेहतर संचार को सक्षम करेगा और गलत सूचनाओं का सामना करने में मदद करेगा। यह सूचना के बेहतर संग्रह और प्रसंस्करण में भी सहायता प्रदान करेगा।
- **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में**
    - शांति अभियान अपने अधिदेश **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्राप्त करते हैं।**
    - **सैनिकों और पुलिस की आपूर्ति सदस्य देशों** द्वारा की जाती है।
    - यह अभियान **तीन बुनियादी सिद्धांतों** द्वारा निर्देशित होते हैं यथा: पक्षकारों की **सहमति; निष्पक्षता** तथा आत्मरक्षा और अधिदेश की रक्षा के अतिरिक्त **बल का प्रयोग न करना।**

[25] Stockholm International Peace Research Institute

2.4.2. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, समकारी शुल्क पर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं {India and USA Agree on a Transitional Approach on Equalisation Levy (EL)}

- दोनों देशों ने **समकारी शुल्क (या डिजिटल टैक्स) से संक्रमण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।**
    - ज्ञातव्य है कि **संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम** मौजूदा एकतरफा उपायों पर एक संक्रमणकालीन दृष्टिकोण पर सहमत हो गए थे।
- समकारी शुल्क को वर्ष 2016 में **भारत में बिना किसी स्थायी प्रतिष्ठान वाली विदेशी फर्मों** (जैसे अमेज़न, गूगल आदि) **पर कर (Tax) लगाने के लिए** प्रस्तुत किया गया था।
    - **बाद में अमेरिका ने** ऑस्ट्रिया, भारत, इटली, यूनाइटेड किंगडम आदि द्वारा अपनाए गए ऐसे डिजिटल करों की जांच की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह घोषणा की कि **ये कर, अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के प्रति भेदभाव करते हैं।**
- अक्टूबर 2021 में, **भारत सहित 136 देशों ने 15% की दर से वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर लागू करने के लिए सहमति व्यक्त** की थी। साथ ही, उन बाजारों में बड़ी कंपनियों के लाभों पर कर लगाने की एक समान प्रणाली लागू करने पर भी सहमति व्यक्त की गई थी, जहां इन लाभों को अर्जित किया जाता है।
    - **समझौते के लिए देशों को सभी डिजिटल सेवा कर और अन्य समान एकपक्षीय उपायों** को हटाने की आवश्यकता है।
- **वैश्विक कर समझौते के प्रस्तावित समाधान में दो घटक शामिल हैं: स्तंभ एक,** जो बाजार क्षेत्राधिकारिता को लाभ के एक अतिरिक्त हिस्से के पुन: आवंटन से संबंधित है और **स्तंभ दो,** न्यूनतम कर को शामिल करता है और जो कर नियमों के अधीन है।
- भारत-अमेरिका समझौते के अनुसार, **भारत 31 मार्च, 2024 तक या स्तंभ 1 के लागू होने तक, जो भी पहले हो, समकारी शुल्क लागू करना जारी रखेगा**

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI ने **"राज्य वित्त: 2021-22 के बजट का अध्ययन"**[26] नामक शीर्षक से एक **रिपोर्ट** जारी की। इसका थीम या विषय **"महामारी से मुकाबला: एक त्रि-स्तरीय आयाम"**[27] है।

राज्य बजट के बारे में

- राज्य सरकार के खातों की संरचना काफी हद तक केंद्र सरकार के समान है। राज्यों के लिए भी, भारत का संविधान विहित करता है कि **विनियोग अधिनियम के प्राधिकार के बिना** किसी राज्य की संचित निधि से **कोई व्यय नहीं किया जा सकता है।**
- राज्य विधान-मंडल से यह प्राधिकार प्राप्त करने के लिए, **प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित या प्रत्याशित प्राप्तियों और व्यय का विवरण** राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। राज्य बजट की संरचना के लिए नीचे दिया गया इन्फोग्राफिक देखें:

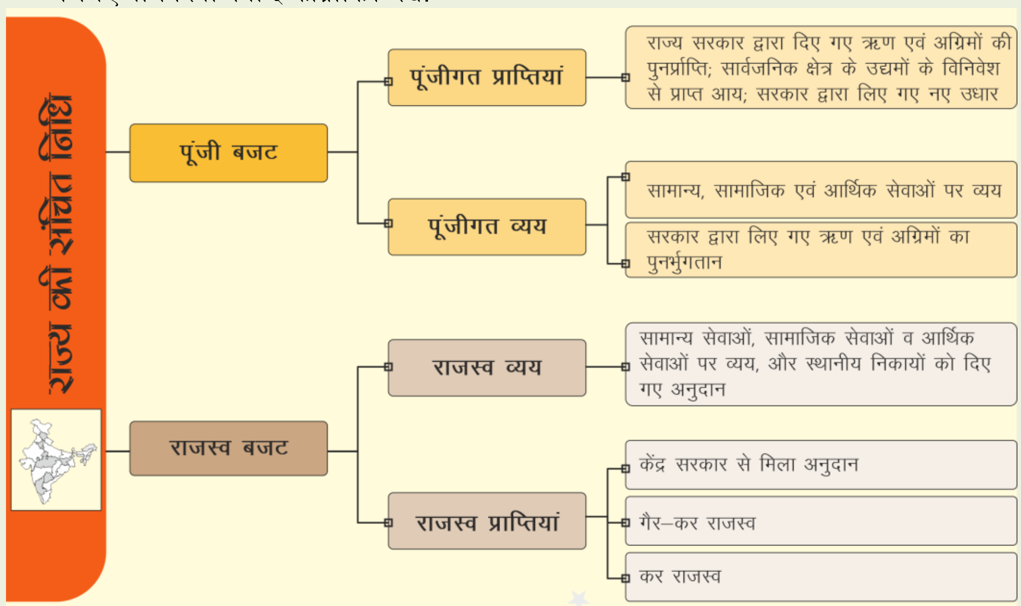

अन्य संबंधित तथ्य

- यह एक वार्षिक प्रकाशन है, जो **राज्य सरकारों के वित्त की जानकारी, विश्लेषण और मूल्यांकन** प्रदान करता है।
- **इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:**
    - वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, राज्यों ने अपने समेकित **सकल राजकोषीय घाटे (GFD)**[28] को GDP के अनुपात में **3.7%** पर रखा है। ज्ञातव्य है कि 2020-21 के संशोधित अनुमानों में यह **4.7%** था, जो कि सुधार को प्रदर्शित/रेखांकित करता है।
    - राज्यों का **GDP की तुलना में संयुक्त ऋण अनुपात** (अर्थात् संयुक्त ऋण-GDP अनुपात) **मार्च 2021 के अंत में 31%** था। यह **20% के लक्ष्य** से अधिक है, जिसे FRBM[29] समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार **वर्ष 2022-23 तक प्राप्त किया जाना है।**
        - 15वें वित्त आयोग को उम्मीद है कि वर्ष **2022-23 में ऋण-GDP अनुपात 33.3% पर** पहुँच जाएगा, और **उसके बाद धीरे-धीरे कम होकर वर्ष 2025-26 तक 32.5% तक** आ जाएगा।
    - हाल के वर्षों में **राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का अनुपात** स्थिर गति से बढ़ रहा है। यह **ऋण स्थिरता के क्षरण** को दर्शाता है।
    - **बाजार से उधारी**, जो बकाया ऋण का सबसे बड़ा घटक है, मार्च 2022 के अंत में **63 प्रतिशत तक पहुँच जाने** की आशंका है।
    - पिछले कुछ सालों में राज्यों की कुल बकाया देनदारियों में **राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF)**[30]**, बैंकों और वित्तीय संस्थानों और लोक लेखा से ऋण** की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
    - भारत में रोकथाम रणनीतियों, स्वास्थ्य देखभाल, क्वारंटाइन और परीक्षण सुविधाओं आदि का कार्यान्वयन कर **महामारी का मुकाबला करने में अग्रणी** भूमिका निभाने से त्रिस्तरीय सरकारों के वित्त पर गंभीर/अतिरिक्त दबाव उत्पन्न हो गया है।
    - अनुमान है कि वर्ष 2021 में **स्थानीय प्रधिकरणों को अपने राजस्व में लगभग 15-25 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ेगा,** जिससे सेवा प्रदायगी का वर्तमान स्तर बनाए रखना मुश्किल भरा हो सकता है।

---

[26] State Finances: A Study of Budgets of 2021-22
[27] Coping with the Pandemic: A Third-Tier Dimension
[28] Gross Fiscal Deficit
[29] Fiscal Responsibility and Budget Management
[30] National Small Savings Fund

राज्य वित्त की समझ क्यों महत्वपूर्ण है?

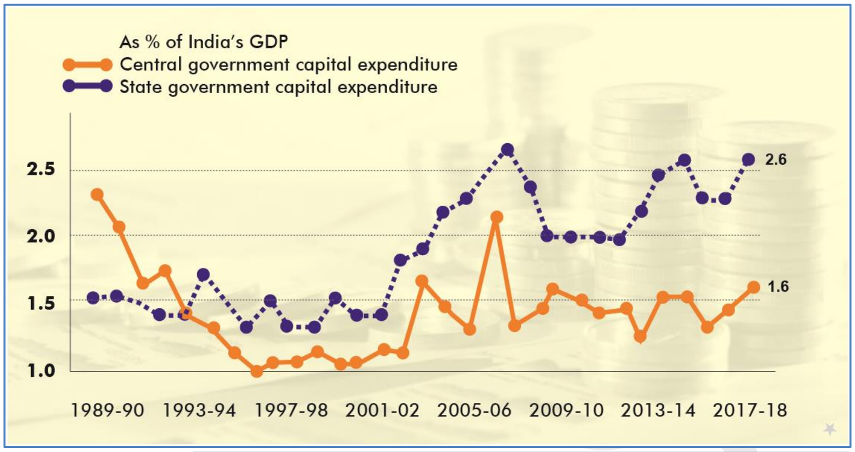

- **पूँजीगत व्यय: भारत में लगभग दो-तिहाई सार्वजनिक पूँजीगत व्यय राज्यों द्वारा किया जाता है**, जो वैश्विक स्तर पर पूँजीगत व्यय का उच्चतम विकेंद्रीकरण है **(RBI की 2020** की एक रिपोर्ट के अनुसार)। केंद्र और राज्य सरकार के पूँजीगत व्यय की तुलना के लिए इन्फोग्राफिक देखें:
- **रोजगार सृजन:** केंद्र की तुलना में **राज्यों में पाँच गुना अधिक लोग** नियोजित हैं।
    - इसके अलावा, जब राज्य बाजार से बहुत अधिक उधार लेते हैं तो उसका अर्थव्यवस्था में प्रभारित ब्याज दरों, नए कारखानों में निवेश करने के लिए व्यवसायों के लिए धन की उपलब्धता, और नए श्रमिकों को रखने की निजी क्षेत्र की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

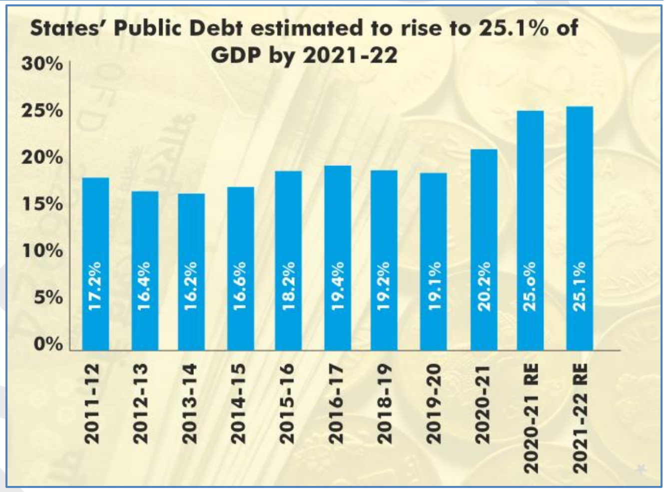

- **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** राज्यों की भारत की **GDP** निर्धारित करने में बड़ी भूमिका है, जिससे उनका खर्च करने का पैटर्न समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि, उदाहरण के लिए, उनका संयुक्त व्यय एक वर्ष से दूसरे वर्ष में संकुचित हो जाता है, तो इससे **भारत की GDP कम हो जाएगी।**
- **समष्टि आर्थिक स्थिरता:** अगर राज्यों को राजस्व जुटाने में मुश्किल होती है, तो ऋण का बढ़ता बोझ (ऋण-GDP अनुपात में दर्शाया गया) वह **दुष्चक्र** शुरू कर सकता है जिसमें राज्यों को अपने निवासियों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करने वाली नई परिसंपत्तियों के सृजन पर अपना राजस्व खर्च करने के बजाय **ब्याज भुगतान के प्रति अधिक से अधिक भुगतान करना** पड़ सकता है।

राज्य वित्त के प्रमुख रुझान

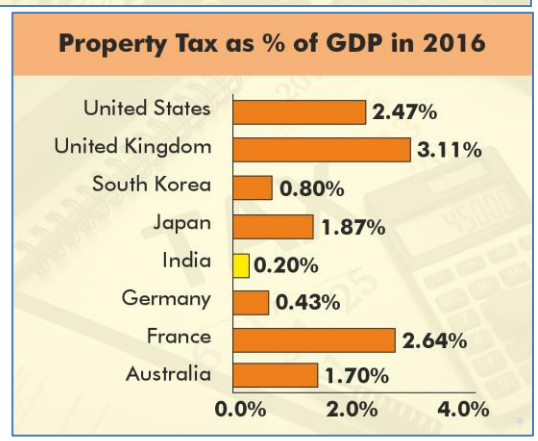

- **राजकोषीय घाटे में वृद्धि:** राज्यों का **राजकोषीय घाटा** वर्ष 2019-20 में GDP के 2.9% से बढ़कर वर्ष **2020-21** में **GDP** का **4.1%** (2.25 लाख करोड़ रुपये) हो गया।
- **बढ़ता सार्वजनिक ऋण:** वर्ष 2021-22 के अंत में, राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण **GDP** का **25.1%** होने का अनुमान है, जो वर्ष 2011-12 में **GDP** के **17.2%** से एक बड़ी वृद्धि को रेखांकित करता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **खुद का कर राजस्व, राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है:** राज्यों का अपना कर राजस्व वर्ष 2021-22 में राज्यों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत **(कुल राजस्व प्राप्तियों का 45%)** होने का अनुमान है। यह उनके GSDP का लगभग 6.7% भाग है।
- **कम संपत्ति कर संग्रह:** भारत में संपत्ति कर संग्रह का स्तर कुछ विकसित देशों की तुलना में **काफी कम (GDP का 0.2%)** है। 15वें वित्त आयोग ने कम संपत्ति कर राजस्व के लिए संपत्ति का **कम मूल्यांकन,** अपूर्ण संपत्ति कर **अभिलेखों** और **अक्षम** प्रशासन जैसे कारकों को रेखांकित किया था।
- **राज्य वित्त के लिए जोखिम को कम करने में डिस्कॉम्स बाधा बने हुए हैं:** अधिकांश राज्यों में, राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स/DISCOMs) **राज्य वित्त पर दबाव** का स्रोत बनी हुई हैं, क्योंकि वे लगातार घाटे में चल रही हैं और उनकी देनदारियाँ बढ़ती जा रही हैं।
    - उदाहरण के लिए, वर्ष 2020-21 में, 16 राज्यों ने **डिस्कॉम्स** द्वारा लिए गए 1.36 लाख करोड़ रुपये की उधारी, **(यानी वर्ष 2019-20 में GDP का 0.67%)** को गारंटी प्रदान की। इस तरह की गारंटियाँ डिस्कॉम्स द्वारा किसी भी तरह की चूक की स्थिति में **राज्य वित्त के लिए संभावित जोखिम** पैदा करती हैं।

राज्य वित्त के साथ समस्याएं

- **कर हस्तांतरण में गिरावट:** राज्यों को होने वाले कुल केंद्रीय हस्तांतरण का इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है: **(i)** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में **राज्यों का हिस्सा, (ii)** वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित **अनुदान,** और **(iii)** केंद्र द्वारा अन्य अनुदान जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए।

- 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की **41%** हिस्सेदारी की सिफारिश की है। हालांकि, केंद्र के सकल कर राजस्व के हिस्से के रूप में **विभाज्य पूल के घटते आकार** के कारण, केंद्रीय हस्तांतरण की समग्र योजना में कर **हस्तांतरण की हिस्सेदारी में गिरावट का अनुमान** है।

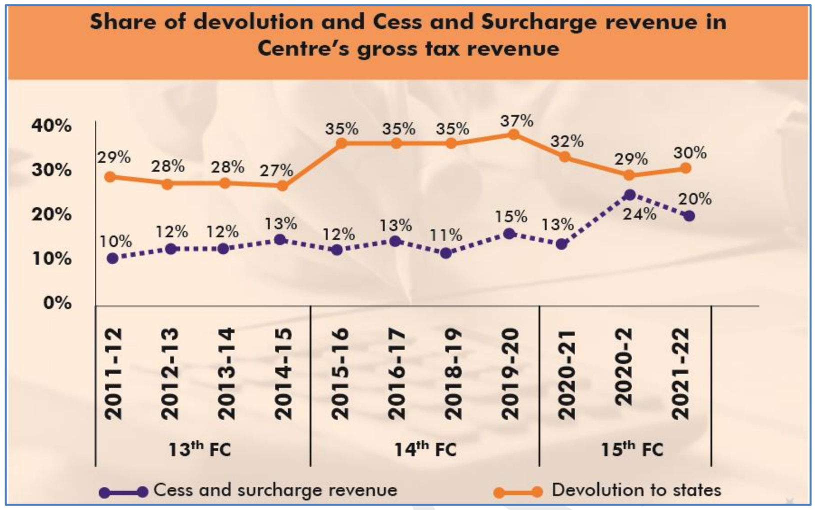

- **बढ़ते उपकरों और अधिभारों ने राज्यों को होने वाले कर हस्तांतरण को कम कर दिया है:** जहाँ उपकर और अधिभार राजस्व वर्ष 2011-20 के **दौरान सकल कर राजस्व (GTR)[31] का लगभग** 10-15% बना रहा, वहीं वर्ष **2020-21** में इनकी हिस्सेदारी बढ़कर **24%** तक पहुँचने का अनुमान है।
  - फलस्वरूप, **राज्यों को होने वाला हस्तांतरण** वर्ष 2015-20 के दौरान **GTR के लगभग 35% से घटकर पिछले दो वर्षों में GTR का लगभग 30%** हो गया।
- **राज्यों को होने वाले केंद्रीय हस्तांतरण में खुले फंड (untied funds) की हिस्सेदारी में कमी:** 15वें वित्त आयोग के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2021-26 के दौरान केंद्रीय हस्तांतरण में खुला फंड (कर हस्तांतरण + राजस्व घाटा अनुदान) केंद्र की सकल राजस्व प्राप्तियों का 29.5% होने का अनुमान है। यह वर्ष 2015-20 के दौरान हुए हस्तांतरण (32.4%) से कम है।
- **बहुत आशावादी होकर राजस्व का अनुमान लगाना:** वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान, राज्यों ने अपने बजट अनुमानों की तुलना में 10% कम राजस्व जुटाया। इसी अवधि के दौरान, राज्यों ने अपने बजट से औसतन 9% तक कम व्यय किया।
- **कम पूंजीगत व्यय:** SBI के एक शोध के अनुसार, 13 में से नौ राज्यों ने 2020-21 में बजटीय राशियों की तुलना में कम पूँजीगत व्यय की सूचना दी। पूँजीगत व्यय में कमी का आर्थिक वृद्धि पर संभावित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **अन्य मुद्दे:** कई राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए कृषि ऋण माफी जैसे लोकलुभावन कार्यक्रम, से वित्तीय तनाव को बढ़ावा मिला है। साथ ही कृषि आय बढ़ाने में भी इनका कोई विशिष्ट योगदान नहीं रहा है ।
  - **विद्युत ऋण पुनर्गठन योजना अर्थात् उदय (UDAY)**[32] के कमजोर प्रदर्शन ने भी राज्य वित्त को प्रभावित किया है।
  - कोविड-19 के चलते लॉकडाउन और शराब पर प्रारंभिक प्रतिबंध, आवागमन में तेज गिरावट, जिसका ईंधन स्टेशनों पर बुरा प्रभाव पड़ा और संपत्ति बाजार में मंदी ने भी राज्य सरकारों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जबकि राज्य सरकारें, राजस्व के लिए शराब, ईंधन और अचल संपत्ति पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
  - राज्य **घटती राजस्व स्वायत्तता** और कर में कम उछाल की समस्या से जूझ रहे हैं (GDP में वृद्धि दर की तुलना में कर अनुपात में कम बढ़ोतरी हुई है)।

राज्यों की सहायता करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदम

- **कुछ शर्तों के साथ** वर्ष **2020-21 के लिए अतिरिक्त उधारी की अनुमति:** कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, मई 2020 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे की सीमा को GSDP[33] के 3% से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में GSDP का 5% करने की अनुमति दी।
  - इस 2 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि में से, चार क्षेत्रों में **सुधारों को पूरा करने** पर 1% की वृद्धि की अनुमति दी जानी है (प्रत्येक सुधार के लिए GSDP का 0.25%) **- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, व्यवसाय करने की सुगमता, शहरी स्थानीय निकाय, और विद्युत वितरण।**
  - केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, राज्यों ने वर्ष 2020-21 में **अपने कुल GSDP के 0.42%** (89,944 करोड़ रुपये) तक सुधार से जुड़ी उधारी के लिए अनुमति प्राप्त की।
  - वर्ष **2021-22 के लिए पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता:** इस योजना के तहत, राज्यों को 2021-22 में **15,000 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया जाएगा, जिसे **50 वर्षों के बाद चुकाना** होगा। इसमें से **5,000 करोड़ रुपये का ऋण** राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों **का विनिवेश करने** या अवसंरचना परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण करने वाले **राज्यों के लिए रखा गया है।**

[31] Gross Tax Revenue
[32] Ujjwal DISCOMs Assurance Yojana
[33] Gross State Domestic Product

आगे की राह

- **वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)[34] ढांचे का कायापलट:** 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में माना गया कि FRBM अधिनियम में, विशेष रूप से महामारी के बाद बड़े पुनर्गठन की आवश्यकता है, और सिफारिश की गई कि ऋण संधारणीयता प्राप्त करने के लिए एक नए ढांचे की आवश्यकता है।
- **देनदारियों के बारे में बताना:** राज्यों को, विशेष रूप से, केंद्रीय कानून के साथ सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए अपने वित्तीय उत्तरदायित्व कानून में संशोधन करना चाहिए। व्यापक सार्वजनिक ऋण और आकस्मिक देनदारियों, और उनके जोखिमों की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण के लिए मानकों का विकास किया जाना चाहिए।
- **राजकोषीय नीति को स्थिरताकारी उपकरण के रूप में कार्य करना चाहिए:** राज्यों की राजकोषीय नीति फिर से तैयार की जानी चाहिए ताकि राजकोषीय खर्च चक्रीय (procyclical) के बजाय प्रति-चक्रीय (anti-cyclical) हो जाए और स्थिरताकारी उपकरण के रूप में कार्य करे।
- **विद्युत क्षेत्रक में सुधार:** विद्युत क्षेत्रक में सुधार करने से न केवल राज्यों को GSDP का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी की सुविधा मिलेगी, बल्कि डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार के कारण उनकी आकस्मिक देनदारियों में भी कमी आएगी।
- **स्वतंत्र राजकोषीय परिषद:** 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र के साथ-साथ राज्यों के अभिलेखों का आकलन करने की शक्तियों वाली स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए।
- **उत्पादक व्यय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए:** राज्यों को कम परिपक्वता अवधि वाली उच्च गुणक पूँजीगत परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर सामाजिक सुरक्षा संजाल जैसी सहायता प्रणालियों के निर्माण में खर्च को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी तरह, घाटे वाले राज्यों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज शुरू किया जाना चाहिए।
- **तृतीय स्तर की सरकारों को मजबूत बनाना:** RBI की रिपोर्ट में नागरिक निकायों की कार्यात्मक स्वायत्तता बढ़ाने, उनका शासन ढांचा मजबूत करने और उच्च संसाधन उपलब्धता के माध्यम से उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने जैसी सिफारिशें की गई हैं, जिसमें स्वयं का संसाधन सृजन और हस्तांतरण शामिल है।

3.2. राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** ने **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** तथा **ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल (OPHI)**[35] के सहयोग से भारत का पहला **'राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक: आधार रेखा रिपोर्ट और डैशबोर्ड'**[36] जारी किया।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)[37] के बारे में

- पहली बार वर्ष 2010 में UNDP और OPHI द्वारा विकसित किया गया MPI, निर्धनता के आकलन का एक साधन है। इसका UNDP की **मानव विकास रिपोर्ट** में उपयोग किया जाता है।
- यह निर्धनता के तीन वृहद आयामों - **स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर** - पर आधारित है। यह एक साथ किसी व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने वाले तीव्र अभावों (acute deprivations) के **10 संकेतकों** को कवर करता है।
- MPI सबसे कमजोर लोगों - गरीबों में सबसे गरीब - की पहचान करने और देशों के भीतर और समय के साथ निर्धनता का पैटर्न प्रकट करने में मदद करता है।
- **बहुआयामी गरीब 27.9% आबादी के साथ भारत को 109 देशों में 62वाँ** स्थान दिया गया है।

MPI: अन्य उपायों की तुलना में लाभ और सीमाएं

विभिन्न आयामों पर आंकड़ों के लिए बहुउद्देशीय घरेलू सर्वेक्षणों का उपयोग कर, MPI निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

- **बेहतर तुलना:** यह नीति के लिए उपयोगी निहितार्थ के साथ विभिन्न क्षेत्रों, नृजातीय समूहों या किसी अन्य जनसंख्या उप-समूह में बहुआयामी निर्धनता की संरचना को दर्शाता है।
- **आय आधारित निर्धनता मापकों का पूरक:** आय निर्धनता के आंकड़े विभिन्न सर्वेक्षणों से प्राप्त किए जाते हैं, और इन सर्वेक्षणों में अक्सर स्वास्थ्य, पोषण आदि के बारे में जानकारी शामिल नहीं होती है।

सीमाएं

- **कम संवेदनशील,** क्योंकि परिवारों को गरीब के रूप में गणना किये जाने के लिए अधिक संकेतकों में वंचित होने की जरूरत है।
- गरीबों के बीच **व्याप्त असमानता को चिन्हित करने में असमर्थ।**
- कोई व्यक्तिगत स्तरीय संकेतक न होने के कारण **अंतर-घरेलू असमानताओं को चिन्हित करने में असमर्थ।**
- सभी संकेतकों पर आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण **विभिन्न देशों के बीच तुलनात्मक दायरे को सीमित करता** है।

[34] Fiscal Responsibility and Budget Management
[35] Oxford Poverty & Human Development Initiative
[36] National Multidimensional Poverty Index: Baseline Report and Dashboard
[37] Multidimensional Poverty Index

 ©Vision IAS

<table>
<tr><td colspan="2">निर्धनता का मापन करने के भारतीय प्रयास
• भारत में निर्धनता के सटीक मापन को लेकर लंबे समय से विवाद देखने को मिला है। इस प्रकार, यहाँ निर्धनता को परिभाषित करना एक जटिल कार्य रहा है कि क्या यह निरपेक्ष (absolute) है (अर्थात, केवल भौतिक अभाव) या सापेक्ष (relative) (साथ ही, सामाजिक बहिष्करण सहित)।
• निर्धनता आकलन की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर, भारत में स्वतंत्रता पूर्व से निर्धनता को परिभाषित करने के प्रयास जारी हैं:</td></tr>
<tr><td>स्वतंत्रता पूर्व निर्धनता का अनुमान</td><td>• दादाभाई नौरोजी ने वर्ष 1901 में अपनी पुस्तक 'पॉवर्टी एंड द अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' में; 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति (NPC) ने; और 1944 में तैयार 'बॉम्बे प्लान' ने निर्धनता रेखा के अपने-अपने अनुमान दिए।</td></tr>
<tr><td>स्वतंत्रता के बाद निर्धनता का अनुमान</td><td>• योजना आयोग के कार्यकारी समूह ने 1962 में ग्रामीण और शहरी भारत के लिए अलग-अलग निर्धनता रेखाएं निर्धारित कीं।
• दांडेकर और रथ ने वर्ष 1971 में कैलोरी सेवन के आधार पर निर्धनता रेखा का सुझाव दिया था।
• अलघ समिति ने वर्ष 1979 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता रेखा प्रचलित की।
• लकड़ावाला समिति ने 1993 में कैलोरी खपत के आधार पर निर्धनता रेखा को जारी रखा और शहरी क्षेत्रों के लिए CPI-IW[38] और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए CPI-AL[39] के आधार पर राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा को प्रस्तुत/पेश किया था।
• तेंदुलकर समिति ने वर्ष 2009 में ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान निर्धनता रेखा बास्केट को प्रस्तुत/पेश किया था।
  ○ इसने कैलोरी खपत बास्केट से हटकर निजी स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय और अनुमानों के लिए मिश्रित संदर्भ अवधि (MRP)[40] के उपयोग को शामिल किया था।
• वर्ष 2014 में रंगराजन समिति ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनुशंसित कैलोरी, प्रोटीन और वसा सेवन की मात्रा सुनिश्चित करने वाले खाद्य पदार्थों के साथ अलग-अलग अखिल भारतीय ग्रामीण और शहरी बास्केट के उपयोग की सिफारिश की।
• इसने संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि के उपयोग के साथ-साथ गैर-खाद्य पदार्थ और स्वास्थ्य व्यय को शामिल कर निर्धनता रेखा निर्धारित की।</td></tr>
</table>

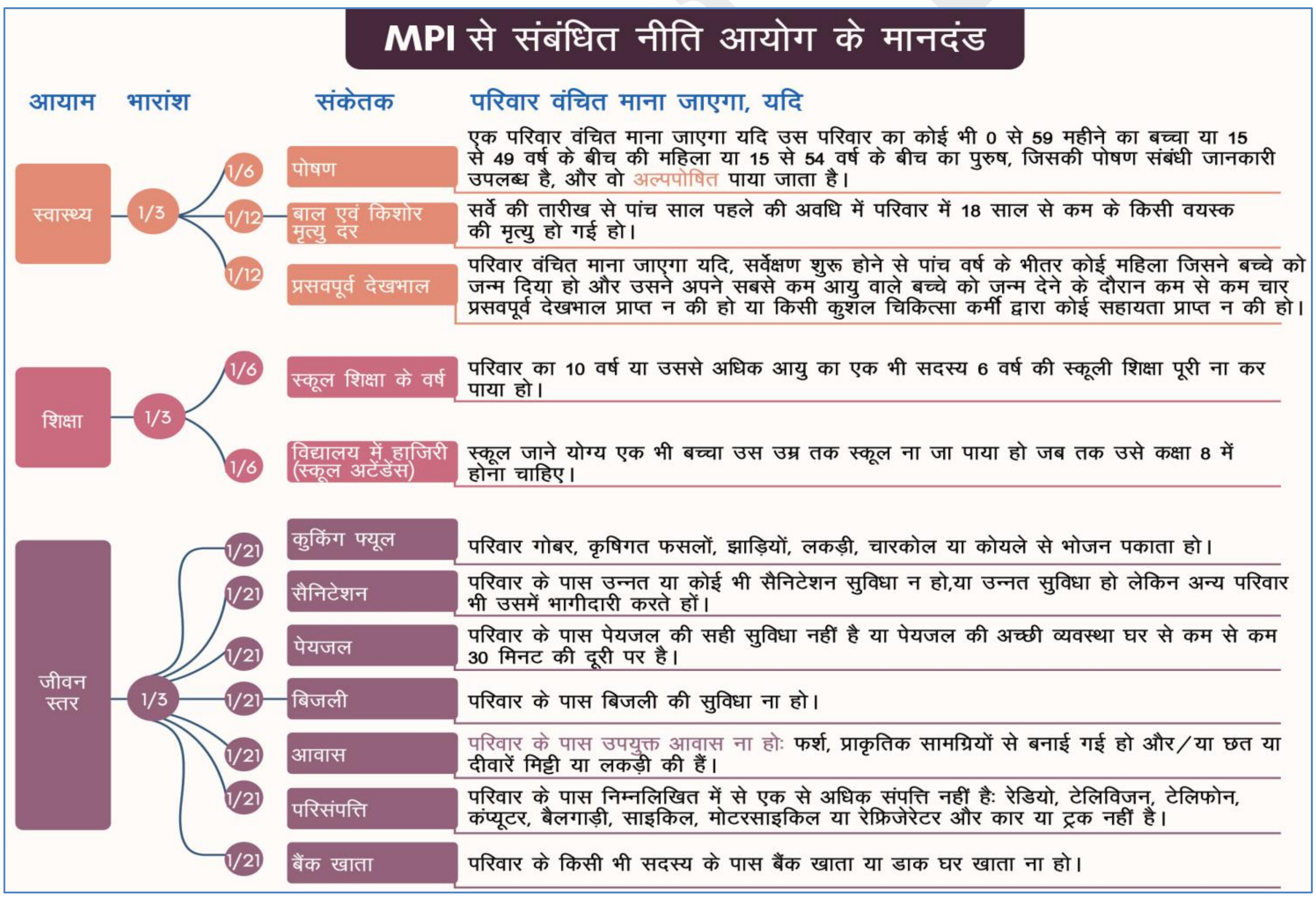

[38] Consumer Price Index for Industrial Workers
[39] Consumer Price Index for Agricultural Labourers
[40] Mixed Reference Period

नीति आयोग द्वारा तैयार बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

- यह सुधार और विकास के लिए वैश्विक सूचकांक (GIRG)[41] पहल का एक हिस्सा है। यह नवीनतम सूचकांक UNDP और OPHI के MPI पर आधारित है। इसमें **स्वास्थ्य** और **जीवन स्तर** के आयामों के तहत **दो अतिरिक्त संकेतक,** यथा- **प्रसवपूर्व देखभाल** और **बैंक खाता** शामिल हैं।
- भारत की पहली राष्ट्रीय MPI माप की यह आधारभूत रिपोर्ट **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)[42] की** वर्ष **2015-16 की संदर्भ अवधि पर आधारित है।**

राष्ट्रीय MPI के प्रमुख निष्कर्ष

राष्ट्रीय स्तर पर MPI की गणना के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों एवं सभी जिलों के लिए प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- **राष्ट्रीय MPI: राष्ट्रीय स्तर पर MPI का मान 0.155** है, **ग्रामीण स्तर पर MPI का मान 0.118** और **शहरी स्तर पर MPI का मान 0.04** है (इस गणना में **MPI** का रेंज **0** से **1** के बीच है, जहाँ उच्च मान का आशय उच्च निर्धनता से है)।
- **सबसे ज़्यादा निर्धनता वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** बिहार की 51.91% आबादी गरीब है, इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है।
- **सबसे कम निर्धनता वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश:** केरल में केवल 0.71% आबादी गरीब है, इसके बाद पुडुचेरी और लक्षद्वीप का स्थान है।
- **महत्वपूर्ण संकेतकों पर परिवारों में गरीबी:**
  - **स्वस्थ पोषण स्तर** से वंचित परिवार: 37.6%
  - **छह साल की स्कूली शिक्षा** से वंचित परिवार: 13.9%
  - **बिना सैनिटेशन सुविधा** वाले परिवार: 52%

राष्ट्रीय MPI के लाभ

राष्ट्रीय MPI का SDGs से घनिष्ठ संबंध है। यह SDG के समान लक्ष्यों को अपने संकेतकों में शामिल किए हुआ है, विशेष रूप से **"2030 एजेंडा" का लक्ष्य 1.2,** जो विशेष रूप से अपने सभी आयामों में निर्धनता को दूर करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय MPI से निम्नलिखित संभव है:

- भारत में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों के बीच **तुलनात्मक और सापेक्ष प्रदर्शन का विश्लेषण संभव बनाएगा।**
- निर्धनता कम करने के लिए केंद्रित हस्तक्षेपों के लिए **साक्ष्य आधारित नीति और कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेगा।** उदाहरण: राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों का सूक्ष्म-समन्वयन, जिन पर सार्वजनिक सेवा प्रदायगी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है।
- हस्तक्षेपों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **जिला प्रशासन की भागीदारी सुनिश्चित कर भारत की संघीय ढांचा को मजबूत करेगा।**
- जटिलता और स्तर का प्रबंधन करने के लिए **नीति निर्माताओं और स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाएगा ताकि कोई भी पीछे न छूटे।**
- **भारत की निर्धनता कम करने की क्षमता बढ़ाएगा** क्योंकि देश कोविड-19 महामारी के प्रभावों से मजबूत बनकर वापस आ रहा है।
- यह लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रगति पर नजर रखकर नागरिक समाज, अनुसंधान समुदाय और व्यवसायों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सूचित जन संवाद के लिए **सार्वजनिक नीति उपकरण के रूप में कार्य करेगा।**

निर्धनता कम करने की चुनौतियाँ

- **फंड की सीमाएं:** निम्न कर-जी.डी.पी. अनुपात के कारण, सरकार की अपने खर्चों और कल्याणकारी उपायों का वित्तपोषण करने की क्षमता कम है।
- **आर्थिक गतिविधियों में मंदी:** पिछले कुछ सालों से आर्थिक वृद्धि में मंदी के कारण, भारत में रोजगार सृजन और विकास, चिंता का विषय बना हुआ है।
- **खराब मानव संसाधन विकास:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और उत्पादक निर्धनता उन्मूलन पहलों की कमी के साथ, भारत का मानव संसाधन विकास निम्न है।
- **ऋण तक पहुँच की कमी:** उच्च NPA और अन्य कारणों से - विशेष रूप से MSME[43] क्षेत्रक के लिए संस्थागत ऋण तक पहुँच एक चुनौती बनी हुई है।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** कोविड-19 द्वारा ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों के कारण कृषि में कार्यरत लोगों की संख्या में वृद्धि हो गई है जिससे सरकारी संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ेगा।
- **योजनाओं में अंतराल:** भ्रष्टाचार की समस्या के कारण PDS[44], जन धन योजना आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं का कवरेज सार्वभौमिक नहीं हो पाया है।

---

41 Global Indices for Reforms and Growth
42 National Family Health Survey
43 Micro, Small & Medium Enterprises
44 Public Distribution System

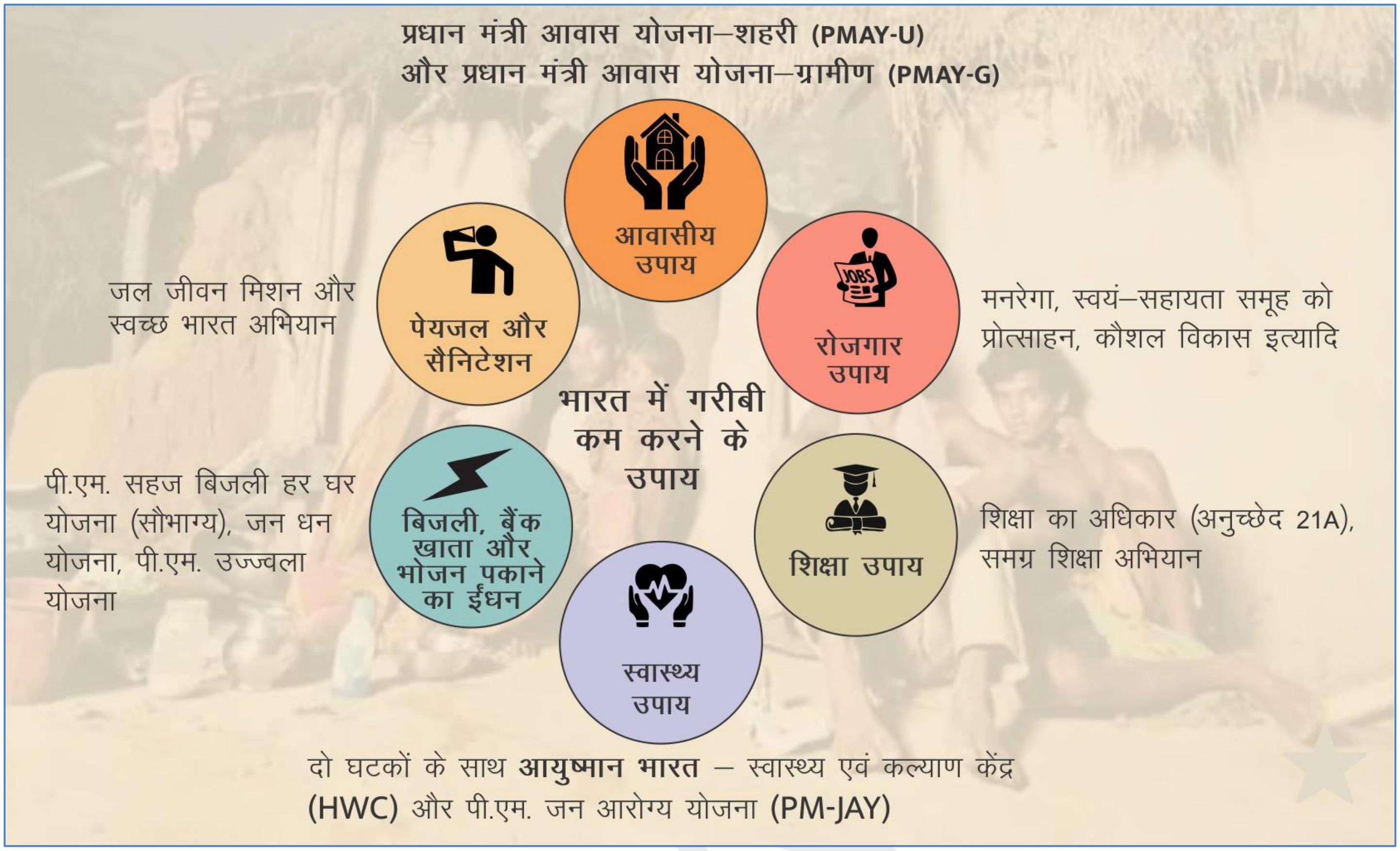

आगे की राह

- **आर्थिक संवृद्धि में तेजी लाना:** उच्च आर्थिक वृद्धि राज्य की निधि बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादक रोजगार सृजन में मदद कर सकती है।
- **कृषिगत संवृद्धि:** चूँकि कृषि में 40% से अधिक कार्यबल नियोजित हैं, ऐसे में उच्च कृषिगत संवृद्धि या संबद्ध गतिविधियों के संवर्धन से निर्धनता कम करने में मदद मिल सकती है।
- **मानव संसाधन विकास में तेजी लाना:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और अन्य पहलों के माध्यम से भारत को मानव संसाधन विकास में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- **बुनियादी ढांचा विकास:** FDI सहित निजी निवेश आकर्षित करने के लिए, भारत में कनेक्टिविटी और पहुँच में सुधार लाने की जरूरत है।
- **अन्य कदम:** सरकारी अधिकारियों का क्षमता विकास, सार्वभौमिक कवरेज के लिए योजनाओं में अंतराल को दूर करना और शासन के सभी स्तरों के बीच बेहतर समन्वय।
- **यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI):** इसका आशय सभी नागरिकों को समय-समय पर और बिना शर्त नकद भुगतान या कल्याणकारी योजनाओं के स्थान पर नकद भुगतान से है। कोविड-19 महामारी का नौकरियों पर पड़ रहे प्रभाव के तहत और समाज में बढ़ती असमानताओं के कारण UBI का महत्व अधिक हो गया है।

3.3. नकदी अर्थव्यवस्था (Cash Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

08 नवंबर, 2021 को नोटबंदी के पांच साल हो गए। इसी तारीख़ को वर्ष **2016 में भारत में 500 और 1,000 के कागज़ी नोट का वैध मुद्रा का दर्जा समाप्त कर दिया गया था।**

अन्य संबंधित तथ्य

- **नोटबंदी (Demonetization)** को मोटे तौर पर किसी मुद्रा की इकाई का वैधानिक दर्जा समाप्त करने के रूप में समझा जा सकता है।
- यह किसी **राष्ट्र द्वारा उठाया जाने वाला सबसे सख़्त क़दम** होता है। इसका मक़सद मुद्रा को स्थिर करना और मुद्रास्फीति से लड़ना; अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाना / इसका **औपचारीकरण करना**; व्यापार और बाजार में पहुंच को आसान बनाना और देश से काला धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करना होता है।

- **08 नवंबर, 2016** को सरकार द्वारा **500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट को बंद** करने की घोषणा की गयी। इसका **तत्काल तरलता (immediate liquidity) और नकदी अर्थव्यवस्था** पर गंभीर असर पड़ा।

नकदी अर्थव्यवस्था क्या है और लोग नकदी को क्यों प्राथमिकता देते हैं?

नकदी अर्थव्यवस्था को **"एक ऐसी आर्थिक प्रणाली, या उसके एक हिस्से के रूप में** परिभाषित किया जाता है, जिसमें कार्ड (डेबिट और क्रेडिट कार्ड), बैंक हस्तांतरण आदि जैसे उपकरणों के बजाय नकद (मुद्रा या सिक्कों) में **वित्तीय लेनदेन किया जाता है।"**

निम्नलिखित कारणों से नकदी को प्राथमिकता दी जाती है:

- **व्यापक अनौपचारीकरण:** ख़ास तौर पर **भारत जैसी बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था** वाले राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के लिए यह ज़रूरी है। नकदी, **सामाजिक तौर पर सुभेद्य नागरिकों,** जैसे कि ग़रीब या कम आय वाले लोग और बुज़ुर्गों, के लिए अनौपचारिक कारोबारी लेन-देन का पसंदीदा तरीक़ा है।
- **यह भुगतान का आसान और भरोसेमंद तरीक़ा** है क्योंकि यह **पूरे भारत में वैध मुद्रा** (आम लोगों के लिए भुगतान का सरकार की गारंटी वाला तरीक़ा) के तौर पर स्वीकार है।
- **यह स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करता है** क्योंकि इसमें कोई तीसरे पक्ष शामिल नहीं रहता है और **बिना किसी अतिरिक्त प्रोसेसिंग** के इंटरनेट या बिजली के बिना भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है।
  - इससे नागरिकों के **निजता के अधिकार** की रक्षा होती है, जो मौलिक अधिकार है। वित्तीय मामलों में पहचान और डेटा की सुरक्षा करके ऐसा किया जाता है।
- यह **तेज़ और सुरक्षित** प्रक्रिया है क्योंकि भुगतान तुरंत किया जा सकता है। इसमें, भुगतान करने वाले और भुगतान पाने वाले को साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी या वित्तीय जोखिम का खतरा नहीं रहता है।

नकदी अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का असर

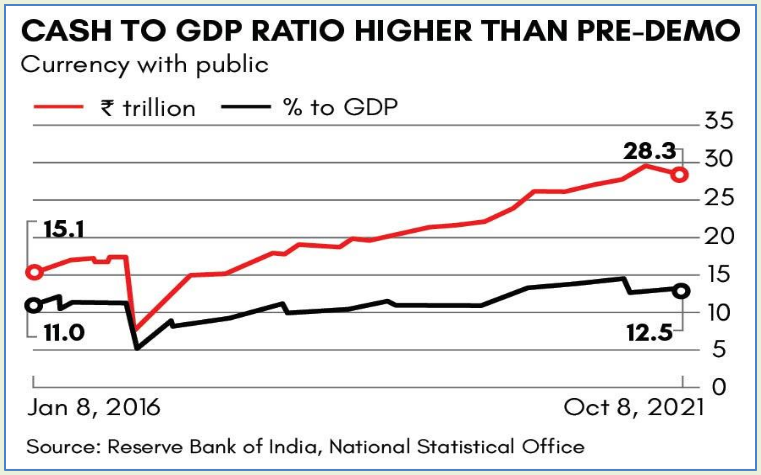

- **नकदी और GDP अनुपात या चलन में मुद्रा (CIC)[45] और GDP अनुपात (Cash to GDP Ratio or CIC to GDP Ratio):** शुरु में इस अनुपात (अर्थात् GDP में नकदी का अनुपात) में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, अब इसमें रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक समय यह अनुपात **12% से भी नीचे (ऐतिहासिक कमी)** चला गया था, लेकिन यह अब **14.7% तक** पहुंच गया है।
- **नोटबंदी से पहले** ज़्यादा मूल्यवर्ग के नोट (500 और 1,000 हजार रुपये के नोट) का हिस्सा **86%** था, जो फिर से **85.7%** (500 और 2,000) पर पहुँच गया है।
- इसी बीच **डिजिटल भुगतान** को मुख्य धारा में शामिल किया गया है। अकेले अक्टूबर 2021 में **7.71 ट्रिलियन रुपये के 4 अरब से ज़्यादा लेन-देन** हुए।

लेकिन डिजिटलीकरण का दायरा बढ़ने और एक ऑनलाइन दुनिया तैयार होने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों के बढ़ने से भी कैशलेस समाज के विचार को बढ़ावा मिला है।

कैशलेस सोसाइटी की ओर बढ़ने के क्या फ़ायदे हैं?

- **वित्तीय समावेशन (financial inclusion):** डिजिटल अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली तकनीक की मदद से समाज के सभी वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। इसमें, उन लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता।
  - उदाहरण के लिए, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)[46] तंत्र में रिसाव को कम किया जा सकता है।**
- **काले धन वाली अर्थव्यवस्था के विकास को हतोत्साहित करना:** कैशलेस समाज बन जाने से लेन-देन अधिक पारदर्शी हो जाता है और इस तरह लेन-देन की निगरानी की जा सकती है। यह अप्रत्यक्ष रूप से काले धन वाली अर्थव्यवस्था के विकास को हतोत्साहित करता है।
  - उदाहरण के लिए, हमेशा डिजिटल लेन-देन होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी।
- **जाली नोटों के उपयोग पर रोक लगाई जा सकती है:** जाली मुद्रा की छपाई के कारण केंद्रीय बैंकों को सुरक्षा वाली सुविधाओं को अपडेट करते रहना पड़ता है और असली/वैध नोटों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करनी पड़ती है। कैशलेस अर्थव्यवस्था के माध्यम से इस तरह की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी।
- **छपाई और लेनदेन की कम लागत:** मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाने वाली मुद्रा की नियमित छपाई को कम किया जा सकता है। साथ ही, कागज़ी नोट को संभालने, उसके रखरखाव और जमा करने के मुक़ाबले इसमें कम समय लगेगा और ख़र्च भी कम आएगा।

कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने में क्या चुनौतियां हैं?

- **जानकारी का सीमित होना,** क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में अब भी बैंक के बिना लेन-देन होता है और वित्तीय लेन-देन के मोर्चे पर हो रही प्रगति के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। जैसे कि, UPI[47], मोबाइल बैंकिंग वग़ैरह को अपनाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

---

[45] Currency in Circulation
[46] Direct Benefit Transfer
[47] Unified Payment Interface

- **वित्तीय साक्षरता का पर्याप्त नहीं होना:** राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र[48] के निष्कर्ष बताते हैं कि **केवल 27% भारतीय ही आर्थिक रूप से साक्षर हैं।** कैशलेस अर्थव्यवस्था को सही से नहीं अपनाने की यह बड़ी वजह है।
- **सुरक्षित और भरोसेमंद आधारिक संरचना का सीमित होना,** जिससे लोगों को बाज़ार में शामिल होने के लिए राज़ी नहीं किया जा सकता। साइबर हमलों और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे तकनीक से जुड़े बड़े खतरों के बढ़ने से इसको समझा जा सकता है।
- भुगतान के वैकल्पिक तरीक़ों जैसे **क्रिप्टोकरेंसी और अन्य आभासी मुद्राओं** (भुगतान के ऐसे साधन जिनके लिए सरकार गारंटी नहीं देती) **से जुड़ी चुनौतियां।**
- **वित्तीय सेवाओं की कम उपलब्धता** क्योंकि **भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)**[49] मार्च 2021 तक **53.9** था। इसे आर.बी.आई. द्वारा जारी किया जाता है। इसके उप सूचकांकों के तौर पर वित्तीय सेवाओं तक **पहुंच, उसके उपयोग और उसकी गुणवत्ता** को शामिल किया जाता है।
  - अगर कैशलेस अर्थव्यवस्था का पूर्ण दोहन नहीं होता है, तो **पहले से डिजिटल दुनिया में मौजूद खाई,** वित्तीय पहुंच और विकास में भी दिखने लगेगी।

आगे की राह

भुगतान के नकदी और गैर-नकदी तरीक़ों के सभी लोगों के लिए अलग-अलग फ़ायदे और चुनौतियां हैं। ऐसे में, नकदी अर्थव्यवस्था को छोड़कर आगे बढ़ने की प्रक्रिया धीरे-धीरे और संतुलित तरीके से पूरी होनी चाहिए-

- **भुगतान के लिए एकीकृत नियामक व्यवस्था:** एकीकृत नियामक व्यवस्था बनाने से यह पक्का किया जा सकेगा कि कैशलेस व्यवस्था में संक्रमण (transition) सही ढंग से हो। साथ ही, यह प्रक्रिया सुरक्षित, तेज, और किफायती भुगतान प्रणाली बनाने पर केंद्रित हो।
- **वित्तीय प्रणाली को व्यापक और गहरा करना:** वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर एक साथ और एकीकृत तरीके से काम करने की ज़रूरत है।
- **सक्षम बुनियादी ढांचा तैयार करना:** उपयुक्त प्रौद्योगिकी तक आम जनता की व्यापक पहुंच हो, यह पक्का करने के लिए ज़्यादा रफ़्तार वाले इंटरनेट और दूरसंचार नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, भारतनेट परियोजना (BharatNet project) को तेज़ी से पूरा करना।
- **यह पक्का करना कि राज्य और केंद्रीय बैंकों की भागीदारी रहे:** इससे, लोगों के लिए भुगतान के सरकार की गारंटी वाले तरीके उपलब्ध कराए जा सकेंगे, ताकि प्रणाली की प्रतिस्पर्धा और दक्षता बनी रहे।
  - इससे **उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को बदलने** में भी मदद मिलेगी, क्योंकि अभी भी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर कैश-ऑन-डिलीवरी उपयोगकर्ताओं के लिए भुगतान का सबसे भरोसेमंद तरीक़ा है।
- **वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना:** वैश्विक स्तर पर डिजिटल मुद्रा क्रांति के साथ, भारत को यह पता होना चाहिए कि विश्व में क्या हो रहा है। फिर, सुरक्षित लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

3.4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 {Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 पर **जी. एन. बाजपेयी समिति** की रिपोर्ट जारी की गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- **IBC, 2016 के परिणामों का पता लगाने के लिए,** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)[50] द्वारा एक **कार्य दल** का गठन किया गया था।

IBC, 2016 के बारे में

- **IBC, 2016** में किसी कंपनी, सीमित देनदारी वाली साझेदार फ़र्म, किसी व्यक्ति के मालिकाना हक वाले फ़र्म या साझेदारी वाली फ़र्म या किसी व्यक्ति की **दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान** का प्रावधान किया गया है (इन्फोग्राफ़िक्स देखें)।
- इस संहिता के कार्यान्वयन के **4 स्तंभ** हैं:
  - **न्यायनिर्णय करने वाली संस्थाएं** {राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT)[51] और ऋण वसूली अधिकरण (DRT)[52]},
  - पेशेवर दिवाला एजेंसियों पर नियामकीय निगरानी रखने के लिए **IBBI**,
  - **दिवाला पेशेवर (Insolvency Professionals: IPs),** और
  - **सूचना का रखरखाव करने वाली संस्थाएं (IUs)**[53]।

[48] National Centre for Financial Education
[49] Financial Inclusion Index
[50] Insolvency and Bankruptcy Board of India
[51] National Company Law Tribunal
[52] Debt Recovery Tribunal
[53] Information Utilities

जी. एन. बाजपेयी समिति की रिपोर्ट की मुख्य बातें

- **IBC के परिणामों को मापने के मक़सद से एक मेट्रिक्स तैयार करने के लिए**, कार्य दल ने एक व्यापक ढांचे का सुझाव दिया, ताकि IBC के तहत उपलब्धियों का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से किया जा सके।
- समिति ने **IBC की प्रक्रिया के लिए कुछ लक्ष्यों की पहचान की है जो इस प्रकार से हैं:-**
  - तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान
  - उद्यमिता को बढ़ावा देना
  - उधार या ऋण की उपलब्धता
  - हितधारकों के हितों को संतुलित करना
- **मुख्य सुझाव:**
  - **IBC की सफलता का आकलन करने** और इसके कार्यान्वयन में सुधार के लिए **एक मानकीकृत ढांचे की स्थापना**।
  - दिवाला प्रक्रिया **के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए भरोसेमंद रीयल-टाइम डेटा जरूरी है।**
  - संहिता के **मात्रात्मक और गैर-मात्रात्मक,** दोनों **परिणामों** को **मापा जाए** और उनकी निगरानी की जाए।
  - **गैर-मात्रात्मक परिणाम** जैसे कि देनदारों और लेनदारों के **व्यवहार में** संहिता की वजह से हुए **बदलाव** की पुष्टि की जानी चाहिए। इसके लिए, अनुसंधान और मात्रात्मक छद्म संकेतकों की मदद लेने की ज़रूरत है।

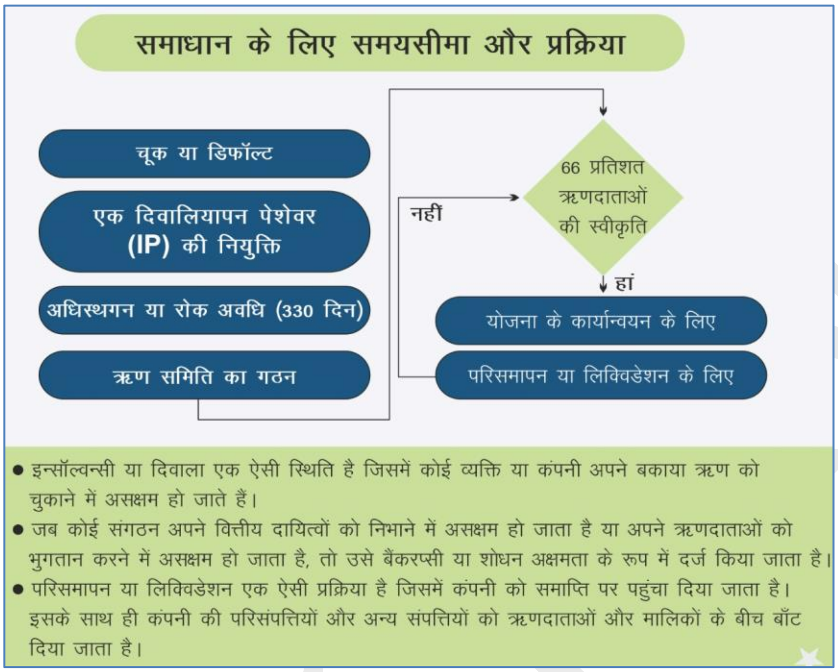

IBC, 2016 में समस्याएं

- **ख़राब प्रदर्शन:** 95% मामलों में परिसंपत्तियों की कीमत बाजार मूल्य से बहुत कम है जिससे ऋण की वसूली नहीं हो पा रही है। 71% से अधिक मामले 180 दिनों से ज़्यादा समय से लटके पड़े हैं। ऋण वसूली की बहुत कम दर और समाधान प्रक्रिया में देरी से यह पता चलता है कि संहिता अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है।
- **समाधान के लिए नियुक्त किए जाने वाले पेशेवरों की भूमिका:** स्नातक करके तुरंत आने वालों को IPs या RPs[54] के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इस वजह से, बड़े और जटिल कॉर्पोरेट मामलों को संभालने में उनकी क्षमताओं पर शक किया जाता है। संसद की स्थायी समिति ने भी इन RPs या IPs के व्यवहार की कई समस्याएं गिनाई हैं। कई IPAs[55] द्वारा अपने IPs की निगरानी के पीछे के तर्क स्पष्ट नहीं है। इससे, IPA के नियामकीय और प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्यों के बीच हितों का टकराव भी होता है।

[54] Resolution Professionals
[55] Insolvency Professional Agency

- **लेनदारों की समिति (CoC)[56] का विवेकाधिकार:** कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के मुताबिक़, CoC के व्यावसायिक ज्ञान को सर्वोच्च माना जाता है। इसके अलावा, CoC यह भी तय करती है कि अंतरिम RPs को ही RPs के तौर पर नियुक्त करना है या बिना कोई दिशा-निर्देश के अंतरिम RP की जगह पर किसी अन्य RP को नियुक्त करना है। बिना किसी आचार संहिता के इस तरह का विवेकाधिकार CoC की दक्षता को प्रभावित कर सकता है।
- **NCLT के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील:** अक्सर NCLT के फ़ैसलों के ख़िलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (NCLAT)[57] और सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। इससे, मामलों का समाधान और ऋण की वसूली में और देरी हो जाती है।
  - इसके अलावा, NCLT के लिए स्वीकृत पदों में से 50% से ज़्यादा ख़ाली पड़े हैं और यह कमी सालों से अधिकरण के कामकाज को प्रभावित कर रही है।
- **समाधान योजना में कठोरता:** एक ही बोलीदाता CoC से पूरे कारोबार का अधिग्रहण करे, उससे बेहतर यह है कि कुछ बोलीदाता मिलकर किसी कारोबार की अलग-अलग इकाइयों या परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करें। हालांकि, RP के पास वर्तमान में IBC के तहत यह विकल्प नहीं है कि वह किसी कॉर्पोरेट डिफॉल्टर की परिसंपत्तियों को कई बोलीदाताओं (bidders) के बीच नीलामी कर सके।

आगे की राह

- **लेनदारों के अधिकारों को मजबूत करना:** चूंकि दिवालियेपन से जुड़ी प्रक्रिया अब पर्याप्त तौर पर परिपक्व हो गई है' इसलिए "हेयरकट (ऋण लेने के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति के बाज़ार मूल्य और ऋण के लिए निर्धारित किए गए उसके मूल्य का अंतर)" निर्धारित करने के लिए एक बेंचमार्क/मापदंड होना ज़रूरी है। यह वैश्विक मानक के हिसाब से होना चाहिए।
- **RPs (समाधान कराने वाले पेशेवर) की संस्था:** RPs के लिए एक पेशेवर स्व-नियामक संस्था होनी चाहिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की तरह काम करे।
- **क्षमता निर्माण:** IBC का बेहतर तरीक़े से काम करना, IPs, IPAs और IUs के कामकाज के तरीक़े पर निर्भर करता है। इन संस्थाओं में समय के साथ बदलाव होना चाहिए, जिसके लिए समय-समय पर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- **लेनदारों की समिति के लिए आचार संहिता:** लेनदारों की समिति (CoC) के लिए पेशेवर आचार संहिता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे उनके फ़ैसले लेने की शक्ति परिभाषित और सीमित होगी। इसके अलावा, IBBI को चाहिए कि एक दिशा-निर्देश तैयार करे, ताकि CoC द्वारा RPs का चयन ज़्यादा पारदर्शी तरीक़े से हो सके, क्योंकि संहिता को प्रभावी बनाने में इनका बड़ा असर होता है।
- **देरी पर रोक लगाना:** IBC में संशोधन की आवश्यकता है, ताकि समाधान प्रक्रिया के दौरान बाद में भी बोली लगाने की अनुमति दी जा सके। समयसीमा में ईमानदारी बरती जानी चाहिए, ताकि इसके मूल्य की रक्षा हो सके और सारी प्रक्रिया सही तरीक़े से पूरी हो।
- **NCLT में ज़्यादा योग्य सदस्यों को शामिल किया जाए:** NCLT सदस्य के तौर पर कम से कम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि देश को उनके न्यायिक और प्रक्रियात्मक अनुभव और बुद्धिमत्ता का फ़ायदा मिल सके।
  - **मानव संसाधन की संख्या बढ़ाना:** आने वाले 3 से 4 सालों में प्रस्तावित मामलों के निपटारे के लिए ज़रूरी सदस्यों के एक विश्लेषण से पता चला है कि भर्ती प्रक्रिया की उचित तौर पर योजना बनाई जानी चाहिए। जरूरी सदस्यों की भर्ती बिना देरी के करनी होगी। NCLT सदस्यों को बेहतर प्रशिक्षण देने की भी ज़रूरत है। राष्ट्रीय विधि संस्थानों को NCLT प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। इससे, वे शैक्षिक अनुसंधान कर सकेंगे, मामले के हिसाब से उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर सकेंगे और लॉ क्लर्क एवं अन्यों के माध्यम से उचित सहायता उपलब्ध करा सकेंगे।
- **अधिक लचीली समाधान प्रक्रिया:** CIRP[58] विनियमन 37 में समाधान करने वाले पेशेवरों को इस बात की छूट दी गई है कि वे कई बोलीदाताओं के लिए समाधान योजना तैयार कर सकें। इसमें किसी कॉर्पोरेट बकायेदार की परिसंपत्ति को अल-अलग कई बोलीदाताओं को बेचा जा सकता है। IBC साफ़ तौर पर संसदीय कानून है, जबकि CIRP कानून प्रत्यायोजित अधीनस्थ विधान[59] हैं। इसलिए, IBC में यह साफ़ तौर पर बताने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए कि समाधान योजना को CIRP विनियमन 37 के तहत बताए गए किसी भी तरीक़े से पूरा किया जा सकता है।

---

56 Committee of Creditors
57 National Company Law Appellate Tribunal
58 Corporate Insolvency Resolution Process
59 delegated subordinate legislation

निष्कर्ष

IBC, 2016 के अस्तित्व में आने से पहले भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए क़ानूनी ढांचा टुकड़ों में बंटा हुआ था और असरदार नहीं था। आर्थिक और वित्तीय प्रणाली के विकास से इस बात की जरूरत पड़ी कि पूर्व की ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था में बदलाव किया जाए। इसकी वजह से IBC, 2016 को संहिता के तौर पर तैयार किया गया। हालांकि, क़ानून को लागू हुए पांच साल होने के बाद अब IBC, 2016 की कमियां सामने आने लगी हैं। इन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, ताकि इसके उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।

3.5. त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने **वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित मानदण्ड** जारी किया है, जिन्हें 1 जनवरी, 2022 से **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क** के अंतर्गत रखा जाना है।

PCA (त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई) के बारे में

- यह एक ऐसा फ्रेमवर्क या कार्यढांचा है, जिसके अंतर्गत **कमजोर वित्तीय संकेत देने वाले बैंकों को RBI की निगरानी में रखा जाता है।**
- **वर्ष 2002 में RBI ने PCA फ्रेमवर्क** को उन बैंकों के लिए एक ढांचागत आरंभिक-हस्तक्षेप प्रणाली के रूप में **पेश किया** जो खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता के कारण अल्प-पूंजीकृत हो जाते हैं, या मुनाफ़ा न कमाने के कारण असुरक्षित हो जाते हैं।
- **वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)[61] और वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC)[62]** की सिफारिशों के आधार पर इस कार्यढांचे की वर्ष **2017 में समीक्षा की गई** थी।
    - इन नियमों के अंतर्गत सहनशीलता/परिचालन वहनीयता की सीमा पार करने पर 12 बैंकों को प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा गया था।
    - एक को छोड़कर, शेष सभी बैंक पिछले दो वर्षों की समय सीमा में कार्यढांचे से बाहर हो गए, **लेकिन उनके इससे बाहर जाने के लिए कोई एक-समान नीति लागू नहीं की गई थी।**
- **PCA का उद्देश्य:**
    - **उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप (supervisory intervention) को सक्षम बनाना** तथा पर्यवेक्षित इकाई (Supervised Entity) के लिए समय पर उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और लागू करने को जरूरी बनाना, ताकि इसके **वित्तीय स्वास्थ्य को पुन:प्राप्त किया जा सके।**
    - **प्रभावी बाजार अनुशासन के एक उपकरण** के रूप में कार्य करना।
    - भारतीय बैंकिंग क्षेत्रक में **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs)[63] की समस्या पर लगाम** लगाना।
    - यदि कोई बैंक संकट की ओर बढ़ रहा है तो **नियामकों के साथ-साथ निवेशकों और जमाकर्ताओं को भी सतर्क करने** में सहायता करना।
    - **उच्च जोखिम वाले उधार पर अंकुश लगाना**, विभिन्न प्रावधानों (provisions) के लिए अधिक मात्रा में मुद्रा अलग से रखना और प्रबंधकीय वेतन को सीमा के भीतर रखना। यह बैंक बैलेंस शीट से आगे होने वाले वाले निर्गम या स्राव को रोकता है।

प्रमुख आर्थिक पद (शब्द) और परिभाषाएं

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs)**
    - यह एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसके **मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि तक बकाया रहता है।**
    - बैंकों को **NPA को वर्गीकृत करना आवश्यक होता** है, इन्हें बैंकों द्वारा निम्नलिखित तीन श्रेणियों में {यथा सब-स्टैंडर्ड एसेट्स (Sub-Standard Assets), डाउटफुल एसेट्स (Doubtful Assets), लॉस एसेट्स (Loss Assets)} वर्गीकृत किया जाता है।
        - **सब-स्टैंडर्ड एसेट्स:** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि तक NPA बनी रहती हैं।
        - **डाउटफुल एसेट्स:** ऐसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने की अवधि तक सब-स्टैण्डर्ड या घटिया श्रेणी में बनी रहती हैं।
        - **लॉस एसेट्स:** इसे असंग्रहयोग्य (uncollectible) और इतने कम मूल्य का माना जाता है कि एक बैंक योग्य संपत्ति के रूप में इसके निरंतरता की कोई गारंटी नहीं होती है। हालांकि, इसका कुछ वसूली मूल्य हो भी सकता है।
- **पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR)[60]:** यह वह पूंजी है जिसे एक बैंक को अपनी कुल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में रखना होता है।
- **परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset quality):** यह बताता है कि ऋण के किस हिस्से के वापस भुगतान की संभावना नहीं है। यह **शुद्ध NPA अनुपात** में परिलक्षित होता है - अर्थात, खराब ऋण (bad loans) का प्रावधान करने के बाद कुल अग्रिमों का वह हिस्सा जो 'गैर-निष्पादित' के रूप में टैग या निर्दिष्ट किया गया है।
- **लीवरेज अनुपात (Leverage ratio):** यह दर्शाता है कि एक ऋणदाता ने आय उत्पन्न करने के लिए धन उधार लेने में खुद को कितना अधिक बढ़ाया है या कितनी छूट दी है। जितना अधिक उत्तोलन या लेवरिज होगा, ऋणदाता के लिए उतना ही जोखिम भरा स्थिति होगी।
- **परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ या रिटर्न ऑन एसेट (RoA):** यह कुल परिसंपत्ति के प्रतिशत के रूप में शुद्ध आय से प्राप्त लाभप्रदता या मुनाफे को मापता है।

---

60 Capital Adequacy Ratio
61 Financial Stability and Development Council
62 Financial Sector Legislative Reforms Commission
63 Non Performing Assets

PCA फ्रेमवर्क में हाल में लाए गए बदलाव

- **PCA की व्यावहारिकता और मानदंड (PCA applicability and criteria):**
  - PCA कार्यढांचा या फ्रेमवर्क **भारत में संचालित सभी बैंकों पर लागू होगा, जिनमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालन करने वाले विदेशी बैंक भी शामिल** हैं। यह पहचान किए गए संकेतकों की जोखिम सीमा[64] के उल्लंघन पर आधारित है।
  - हालांकि, **भुगतान या पेमेंट बैंकों और लघु वित्त बैंकों (SFBs),** जहां त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है, **को ऋणदाताओं की सूची से हटा दिया गया है।**
- **PCA के लिए मापदंड (Parameters for PCA):**
  - **पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और उत्तोलन या लेवरिज,** ये 3 मापदंड या पैरामीटर हैं जो संशोधित कार्यढांचे में निगरानी के प्रमुख क्षेत्र होंगे। इसमें गंभीरता के बढ़ते क्रम में **1 से 3 तक तीन जोखिम सीमाएं** होंगी।
  - संशोधित कार्यढांचे में संकेतक के रूप में **परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ या रिटर्न ऑन एसेट को हटा दिया गया है।**
- किसी बैंक को **लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों[65] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे पर्यवेक्षी मूल्यांकन[66]** के आधार पर PCA कार्यढांचे में रखा जाएगा।
  - RBI **एक वर्ष की अवधि के दौरान बीच में भी** (एक सीमा से दूसरी सीमा में स्थानांतरण सहित) **किसी भी बैंक पर PCA लागू कर सकता है,** यदि परिस्थितियां ऐसी बन गई हों।
- **PCA से बाहर निकलना और PCA के अंतर्गत प्रतिबंधों का हटाना:**
  - **यदि लगातार चार तिमाही के वित्तीय विवरणों में किसी भी मापदंड या पैरामीटर में जोखिम सीमा का उल्लंघन नहीं देखा जाता है,** और साथ ही इनमें से एक का (RBI द्वारा मूल्यांकन के अधीन) लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण[67] होना चाहिए।
  - **यह RBI की पर्यवेक्षी आश्वासन (Supervisory comfort) पर आधारित** होता है, इसमें बैंक की लाभप्रदता की निरंतरता का मूल्यांकन भी सम्मिलित है।
- **PCA के अंतर्गत रखे जाने के बाद बैंक के लिए निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाई:**

<table>
<tr><th colspan="3">RBI द्वारा की जाने वाली अनिवार्य एवं विवेकाधीन कार्रवाई</th></tr>
<tr><th>विनिर्देश</th><th>अनिवार्य कार्रवाई</th><th>विवेकाधीन कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>जोखिम सीमा 1 (Risk Threshold 1)</td><td>• लाभांश वितरण / लाभ के प्रेषण (भेजने) पर प्रतिबंध।
• प्रमोटर/मालिकों/जनक (Parent) (विदेशी बैंक की स्थिति में) को पूंजी जुटाना पड़ता है।</td><td rowspan="3">सामान्य विकल्प
• विशेष पर्यवेक्षी कार्रवाई[68]
• रणनीति संबंधी
• प्रशासन संबंधी
• पूंजी संबंधी
• ऋण जोखिम संबंधी
• बाजार जोखिम संबंधी
• मानव संसाधन (HR) संबंधी
• लाभप्रदता संबंधी
• संचालन/कारोबार संबंधी
• अन्य</td></tr>
<tr><td>जोखिम सीमा 2</td><td>जोखिम सीमा 1 की अनिवार्य कार्रवाइयों के अतिरिक्त,
• शाखा विस्तार पर प्रतिबंध; घरेलू और/या विदेशी</td></tr>
<tr><td>जोखिम सीमा 3</td><td>जोखिम सीमा 1 और 2 की अनिवार्य कार्रवाइयों के अतिरिक्त,
• बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर तकनीकी उन्नयन के लिए किए जाने वाले व्यय के अतिरिक्त अन्य सभी पूंजीगत व्यय पर उचित प्रतिबंध।</td></tr>
</table>

- हालांकि, PCA के अंतर्गत आने पर भी, **ऐसे बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों/अन्य उच्च गुणवत्ता वाले तरल निवेशों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है।**

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) के लाभ

- यह **बैंक को पुन:पूंजीकृत करने और आवश्यक पूंजी को बनाए रखने में मदद करता है,** क्योंकि अधिकांश बैंक गतिविधियों को जमाओं द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, जिसे चुकाने की आवश्यकता रहती है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि बैंक अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी बनाए रखें।

---

[64] thresholds of identified indicators
[65] Audited Annual Financial Results
[66] Supervisory Assessment
[67] Audited Annual Financial Statement
[68] Special Supervisory Actions

- यह **एक सीमित विनियमन को सुनिश्चित करेगा**, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक PCA बैंकों द्वारा गैर-मूल्यांकित (unrated) उधारकर्ताओं या उच्च जोखिम वाले लोगों को दिए जाने उधार वितरण/ऋण को विनियमित करेगा। हालांकि, यह बैंक के उधार देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाएगा।

निष्कर्ष

PCA, हालांकि रामबाण नहीं है, लेकिन फिर भी **प्रारंभिक चरण में बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण संकेतक है,** जिसकी सहायता से समय पर हस्तक्षेप और कुशल वित्तीय प्रबंधन किये जा सकते हैं।

PCA से जुड़ी समस्याएं

- **पूंजी का अभाव:** PCA बैंक पहले से ही धन की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि सरकारी वित्त उनके लिए बहुत मुश्किल है। **ये बैंक अपने दम पर पूंजी जुटाने की स्थिति में नहीं हैं।**
- **और गिरावट:** PCA कभी-कभी बाजार हिस्सेदारी के नुकसान को तीव्र करता है और वित्तीय प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की स्थिति में और गिरावट का कारण बनता है, जो प्रणाली पहले से ही निजी बैंकों और विदेशी बैंकों के पक्ष में है।
- **प्रशासन या सुधार के मोर्चे पर यह अधिक ध्यान नहीं देता है।**

3.6. संधारणीय उद्यम पद्धतियां (Sustainable Business Practices)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI)[69] ने भारत में जलवायु कार्रवाइयों के संचालन में **"बिजनेस रिस्पॉन्सबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR)"** की भूमिका पर **CoP26 (ग्लासगो)** में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

उद्यम उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट या BRSR के बारे में

- **वैश्विक स्तर पर निवेशकों के बढ़ते दबाव** के कारण, विनियामकों द्वारा **कंपनियों के लिए** यह **अनिवार्य** किया जा रहा है, कि वे वैश्विक स्तर पर **संधारणीयता से संबंधित अपने प्रदर्शन रिपोर्ट** का प्रकटीकरण करें। उदाहरणस्वरूप- यूरोपियन यूनियन ने 500 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी कंपनियों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और अभिशाशन (ESG)[70] संबंधी रिपोर्ट का प्रकटीकरण करना अनिवार्य कर दिया है।
- **संधारणीय प्रदर्शन (Sustainability performance)** या **ESG संबंधी प्रकटीकरण** या **BRSR** के भारतीय संस्करण को मई 2021 में सेबी द्वारा पेश किया गया था। इसका उद्देश्य सूचीबद्ध कंपनियों के लिए **अनिवार्य वित्तीय प्रकटीकरण के साथ गैर-वित्तीय मापदंडो** पर अतिरिक्त **प्रकटीकरण** को सुनिश्चित करना है।

BRSR और इसके सिद्धांत क्या हैं?

- **सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015**[71] के अंतर्गत BRSR में **पर्यावरण (E**nvironment**), सामाजिक (S**ocial) **और अभिशासन (G**overnance) से संबंधित **आवश्यक (अनिवार्य) और नेतृत्व (स्वैच्छिक) संबंधी प्रकटीकरण** शामिल हैं।
    - वर्तमान में, **कुछ कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से** इससे संबंधित रिपोर्ट का प्रकटीकरण किया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप, हाल ही में, इंडिगो, ESG रिपोर्ट के माध्यम से संधारणीय उड्डयन के अपने प्रयासों को प्रकट करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बन गयी है।
- BRSR में **नौ सिद्धांतों शामिल हैं।** यह तीन खंडों, यथा- **सामान्य प्रकटीकरण, प्रबंधकीय प्रकटीकरण** और **प्रणाली-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण**[72] में विभाजित है। यह प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग कर **अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और लोगों** पर कंपनियों के प्रभावों का मापन करेगा। साथ ही, इससे संधारणीयता में कंपनी के योगदान के संबंध में उच्च पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और कंपनी के लिए **साख भी सृजित** होगी।

---

69 Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry
70 Environment, Social and Governance
71 SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
72 Principle-wise performance disclosures

मुख्य निष्पादन सूचकांक

पर्यावरणीय	सामाजिक	कॉर्पोरेट गवर्नेंस
GHG उत्सर्जन	CEO भुगतान अनुपात	बोर्ड भिन्नता
ऊर्जा एवं उत्सर्जन गहनता	लिंग डाइवर्सिटी या भिन्नता	बोर्ड निर्भरता
अपशिष्ट प्रबंधन	जेंडर पे या लिंग भुगतान अनुपात	नैतिकता, और भ्रष्टाचार–रोधी
जल उपयोग	वैश्विक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	डेटा निजता
जलवायु खतरे का शमन या उसे कम करना, आदि	मानव अधिकार इत्यादि	खुलासे की प्रथाएं, इत्यादि

BRSR के 9 सिद्धांत

1. बिज़नसेज या उद्योग अपना कार्य या प्रबंधन और प्रशासन ईमानदारी के साथ करें तथा उसका तरीका नैतिक, पारदर्शी और उत्तरदायी होना चाहिए।
2. उद्योग या कारोबार को ऐसे तरीके से वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो संधारणीय और सुरक्षित हों।
3. उद्योग या कारोबार को सभी कर्मचारियों का कल्याण और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। इसमें मूल्य श्रृखला में शामिल लोगों को भी समाहित करना चाहिए।
4. उद्योग या कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हित का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
5. उद्योग या कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए।
6. उद्योग या कारोबार को पर्यावरण के संरक्षण और उसे बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों का सम्मान करना चाहिए।
7. उद्योग या कारोबार जब भी जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में जुटे तो उसे ऐसे तरीके का प्रयोग करना चाहिए जो उत्तरदायी और पारदर्शी हों।
8. उद्योग को समावेशी विकास और समानतापूर्ण विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।
9. उद्योग को उत्तरदायी तरीके से अपने उपभोक्ताओं के हित और उन्हें लाभ उपलब्ध कराने में लगा रहना चाहिए।

उद्यम उत्तरदायित्व (Business Responsibility) और संधारणीय पद्धतियों (Sustainability Practice) की आवश्यकता क्यों है?

- यह जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध कंपनी के अनुकूलन और शमन प्रयासों के माध्यम से **व्यापार में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।**
- यह कम कार्बन उत्सर्जन, जलवायु अनुकूल और संधारणीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर स्थायी अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। यह भारत के लिए वर्ष 2070 तक अपने **निवल शून्य यह नेट ज़ीरो लक्ष्य** को पूरा करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- यह सभी कंपनियों और क्षेत्रकों की तुलना के माध्यम से भावी जोखिमों की पहचान कर हितधारकों, विशेष रूप से निवेशकों के लिए **दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।** उदाहरणस्वरूप. बैंक **हरित जमाओं (Green Deposits)** पर निवेश के निर्णय ले सकते हैं। हरित जमा का आशय पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी परियोजनाओं और पहलों में निवेश की जाने वाली मियादी जमा (term deposits) से है।

- **वैश्विक संधारणीय निधियों में पूंजी** की उपलब्धता बढ़ती जा रही है। ऐसे में यह आवश्यक **पूंजी तक पहुँच को बढ़ाएगा।** मॉर्निंगस्टार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में वैश्विक संधारणीय निधियों की परिसंपत्तियां बढ़कर चार गुना से अधिक हो गई हैं। इन निधियों के तहत सितंबर 2019 के अंत में लगभग 900 बिलियन डॉलर की पूंजी थी जो सितंबर 2021 के अंत में बढ़कर 3.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई।
- यह सामाजिक रूप से उत्तरदायी उद्यम पद्धतियों के माध्यम से **भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सहायक होगा।**
- यह पारदर्शिता व विविधता में सुधार के माध्यम से **कॉर्पोरेट अभिशासन को मजबूत बनाएगा।**

संधारणीयता की रिपोर्टिंग हेतु प्रमुख वैश्विक मानक

- **GRI मानक:** यह मानक ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) द्वारा प्रदान किया गया है। यह एक स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **संधारणीयता लेखांकन मानक बोर्ड (SASB)[73]:** इसका प्रबंधन वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। यह एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है।
- **ISO 26000 मानक:** इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रदान किया गया है। यह एक स्वतंत्र गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट**: यह सार्वभौमिक संधारणीयता सिद्धांतों पर आधारित, विश्व की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉर्पोरेट संधारणीयता पहल है।

भारत में उद्यम उत्तरदायित्व और संधारणीय पद्धतियों को अपनाने के समक्ष आने वाली चुनौतियां

- **रिपोर्टिंग संबंधी मानक एवं फ्रेमवर्क: क्षेत्रकों** और **मानकों** की बहुलता के कारण एकल फ्रेमवर्क की सहायता से सभी कंपनियों के लिए एक ही मानदंड को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
- **अनुपालन संबंधी जोखिम:** निकट भविष्य में, संगठनों द्वारा **गुणात्मक** और **मात्रात्मक** मानकों का अनुपालन करना निम्नलिखित मुद्दों के कारण चुनौतीपूर्ण होगा:
  - ESG से संबंधित डेटा को एकत्र करने, उसकी निगरानी करने और उसे रिपोर्ट करने में आने वाली **लागत संबंधी जोखिम**।
  - अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए **तकनीकी और योग्य पेशेवरों की सीमित उपलब्धता।**
  - संक्रमण, संपत्ति सबंधी जोखिम (जलवायु परिवर्तन के कारण) और प्रतिष्ठा के कारण कुछ व्यवसायों/उद्यमों को कम कार्बन अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंडों को पूरा करने हेतु **संधारणीयता संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ता है।**
- **मानदण्ड का अभाव (Lack of Benchmarks):** प्रदर्शन संबंधी संकेतकों के संबंध में मानदण्ड के अभाव के कारण कंपनियों और हितधारकों को ऐसे प्रकटीकरण के प्रति समझ विकसित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, इस तरह के प्रकटीकरण **क्षेत्रक या संयंत्र विशिष्ट** के बजाय **कंपनी विशिष्ट** होते हैं, जो विषम वास्तविकता प्रस्तुत कर सकते हैं।
- **ग्रीनवाशिंग (Greenwashing):** यह एक ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ कोई कंपनी या संस्था ESG को बढ़ावा देने के संबंध में गलत या मिथ्या जानकारी प्रकट करती है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे विपरीत होती है या दावों को गलत साबित करती है।
- **नेतृत्व संबंधी समस्या:** हाल ही में, यस बैंक और IL&FS आदि में कंपनी के अभिशासन में हुई चूक, नेतृत्व से जुड़े मुद्दों को उजागर करती है। यह चूक केवल स्वयं या शेयरधारकों के संकीर्ण स्वार्थ को दर्शाती है।
- **व्यापक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:** यह पूंजी की अनुपलब्धता, अप्रचलित तकनीक का इस्तेमाल, और जाँच या संवीक्षा से बचने के लिए अनौपचारिक बने रहने संबंधी व्यावहारिक मुद्दों को दर्शाता है।

आगे की राह

कोविड-19 वैश्विक महामारी ने एक **संधारणीय भविष्य** के लिए लोगों, ग्रह और समृद्धि का एक साथ संरक्षण करने के महत्व को उजागर किया है। BRSR, **विनियामक प्रतिबंधों** के माध्यम से इस दिशा में पहला कदम है। निम्नलिखित तरीकों के माध्यम से कॉर्पोरेट भारत को इसे **अपनाने** और इसका **अनुपालन** करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है:

- **अपने सभी हितधारकों के हितों और व्यापक पैमाने पर समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए** हितधारक पूंजीवाद (stakeholder capitalism) को बढ़ावा देना (चित्र देखें)।
- **व्यापक प्रकटीकरण:** अन्य हितधारकों के लिए कार्रवाई की पुष्टि करने हेतु डेटा ट्रेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक प्रकटीकरण की राह चुनना।
  - डेटा ट्रेल्स व्यक्तिगत जानकारी की बढ़ती मात्रा को संदर्भित करता है जो हमारे डिजिटल व्यवहार के माध्यम से उत्पन्न होती है। यह विभिन्न डिजिटल सेवाओं, प्रणालियों और उपकरणों के बढ़ते उपयोग के परिणामस्वरुप आगे दर्ज की जाती है।

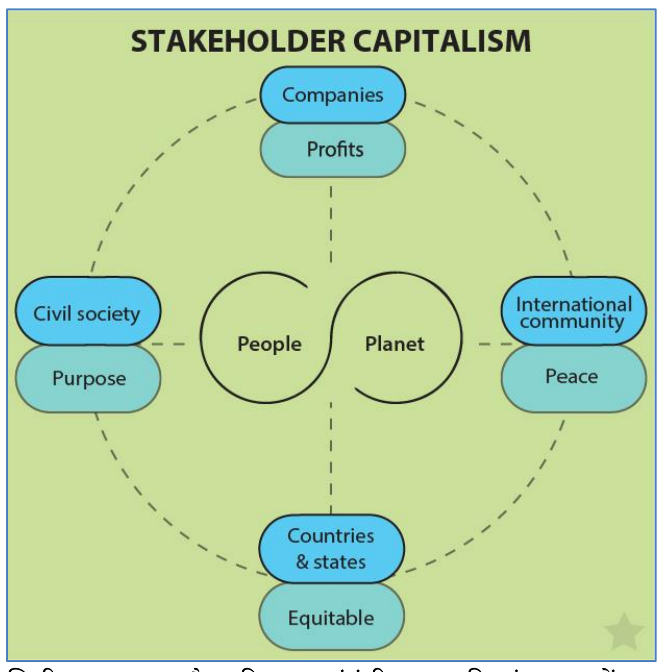

- **हितधारकों की भागीदारी में वृद्धि करके उनकी क्षमता निर्माण करना**, ताकि वे वित्तीय अनुपालन और परिचालन संबंधी प्रभाव की जांच कर सकें।

73 Sustainability Accounting Standards Board

- कार्यबल, तकनीक तथा डेटा को एकत्र और निगरानी करने वाली पद्धतियों को विकसित करने के लिए संधारणीय रिपोर्टिंग में **शोध को बढ़ावा देना।**
- प्रकटीकरण पर अधिक पारस्परिकता और संदर्भों के आदान-प्रदान (cross-referencing) के लिए **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।**
- पूंजी और संधारणीय भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच के साथ **अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण को बढ़ाना देना।**
- इससे संबंधित न केवल **जोखिमों** के बारे में बल्कि **इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों** के बारे में भी **जागरूकता बढ़ाना।**
- **संधारणीयता को कंपनी और उसके नेतृत्व के विज़न तथा मिशन के दृष्टिकोण में शामिल करने के साथ-साथ** कारोबारी रणनीति का भी हिस्सा बनाना चाहिए।

3.7. खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 {Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules (MCDR), 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

खान मंत्रालय ने **खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017** में **संशोधन** करने के लिए खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

पृष्ठभूमि

- **MMDR या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957**[74] भारत में खनन क्षेत्र को विनियमित करता है। यह कानून खनन कार्यों के लिए पट्टे (लीज) देने संबंधी अनिवार्यताओं को भी अधिदेशित करता है।
- MMDR कानून, 1957 की **धारा 18 केंद्र सरकार को खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास तथा खनन कार्यों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाने का अधिकार** देता है।
- इसी के चलते, **खनिज संरक्षण और विकास नियमों (2017)** को तैयार किया गया था, जिसमें समय-समय पर संशोधन भी किए गए हैं।

खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2021 के बारे में-
किए गए मुख्य संशोधन हैं:

- **डिजिटल योजना पेश करना: भारतीय खान ब्यूरो (IBM)**[75] द्वारा निर्दिष्ट कुछ या सभी पट्टों के लिए खदान से संबंधित सभी योजनाएं **डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS)** या **टोटल स्टेशन** (सर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक/ऑप्टिकल उपकरण) या **ड्रोन सर्वेक्षण** के संयोजन से तैयार की जाएंगी।
- **अनिवार्य ड्रोन सर्वेक्षण:**
  - 1 मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना अथवा 50 हेक्टेयर या उससे अधिक के पट्टे वाले खनन क्षेत्र के पट्टाधारक को प्रत्येक वर्ष पट्टे पर दिए गए क्षेत्र और पट्टे की सीमा के बाहर 100 मीटर तक ड्रोन सर्वेक्षण कर फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  - अन्य पट्टाधारक **उच्च रिजोल्यूशन वाले उपग्रह चित्र प्रस्तुत करेंगे।**
- **रोजगार में वृद्धि:** खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी द्वितीय श्रेणी वाले सक्षमता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ माइनिंग इंजीनियर, खान और खनन सर्वेक्षण में डिप्लोमा डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।
- **अनुपालन के भार में कमी:**
  - अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए दैनिक रिटर्न/विवरणी के प्रावधान को हटा दिया गया है। राज्य सरकार के अलावा, भारतीय खान ब्यूरो (IBM) को भी मासिक या वार्षिक विवरणी में गलत जानकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है।
  - **श्रेणी 'A' वाले खदानों** (25 हेक्टेयर से कम पट्टा क्षेत्र) के लिए अंशकालिक / पार्ट-टाइम खनन इंजीनियर या पार्ट-टाइम भूविज्ञानी को शामिल किया जा सकता है। इससे छोटे खनिकों पर नियमों के पालन का बोझ कम होगा।
- **वित्तीय आश्वासन:** यदि पट्टाधारक निर्दिष्ट समय सीमा में अंतिम खान को बंद करने की योजना प्रस्तुत नहीं करता है, तो वह **वित्तीय आश्वासन** या **निष्पादन सुरक्षा (performance security) का अधिकार खो देगा।**
- **दंड नियमों का युक्तिकरण:**
  - पहले, **नियमों के उल्लंघन की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक नियम के उल्लंघन पर सजा** (कारावास या जुर्माना या दोनों) का प्रावधान था।
  - वर्ष 2021 के इन संशोधन नियमों में निम्नलिखित प्रमुख शीर्षकों के तहत नियमों के उल्लंघन को वर्गीकृत किया गया हैं:
    - **बड़े उल्लंघन:** कारावास की सजा, जुर्माना या दोनों।
    - **मामूली उल्लंघन:** केवल जुर्माने, न कि दंड।
    - नियमों के उल्लंघन के अन्य मामलों को अब अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है।

[74] Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957
[75] Indian Bureau of Mines

भारत में खान और खनिज का संक्षिप्त विवरण

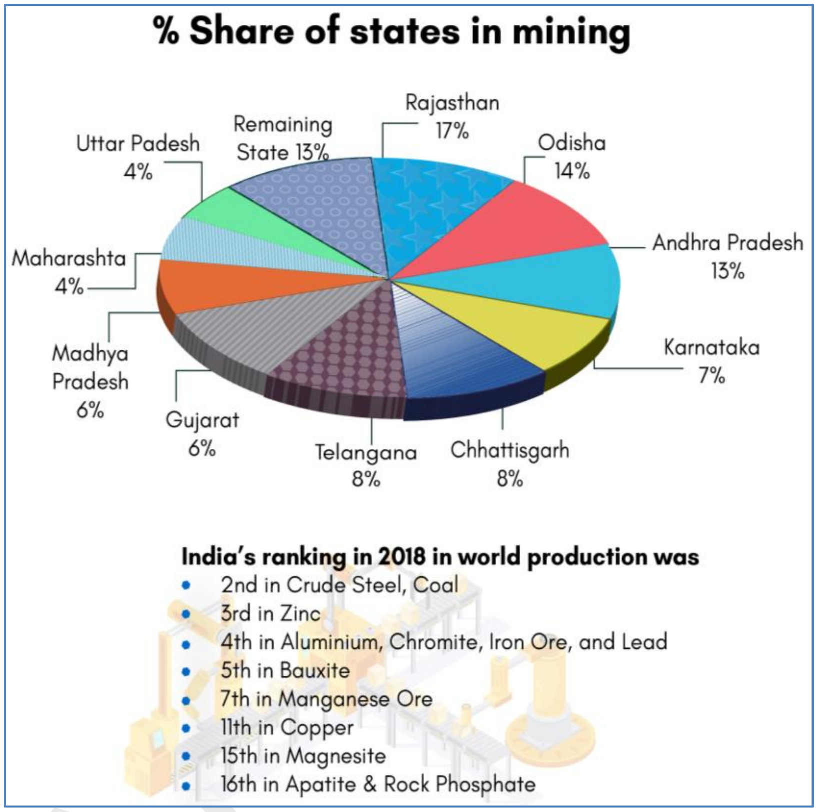

- **खनिज:**
  - भारत खनिजों के मामले में **काफी हद तक आत्मनिर्भर** बना हुआ है। इसमें **लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी-आधारित सिरेमिक, कांच** आदि जैसे उद्योगों को आपूर्ति की जाने वाली **प्राथमिक कच्ची सामग्री** शामिल हैं।
  - भारत में **कायनाइट, मैग्नेसाइट, रॉक फॉस्फेट, मैंगनीज अयस्क** आदि की कमी है। इनकी मांग को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।
  - वर्ष 2020-21 के दौरान **खनिज उत्पादन (परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर) के कुल मूल्य में** कोविड-19 वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में **लगभग 11.35% की गिरावट** हुई है।
- **खान या खदान:**
  - भारतीय खनन उद्योग में बड़ी संख्या में **छोटी क्रियाशील खदानें शामिल** हैं।
  - रिपोर्ट की गई 1,303 खानों में से **अधिकांश खदानें मध्य प्रदेश में हैं।** इसके बाद गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और गोवा का स्थान आता है।
  - **खनिज उत्पादन के मूल्य** के संदर्भ में लगभग **87 प्रतिशत, 10 राज्यों में सिमित** है। इसे प्रतिशत के रूप में नीचे दर्शाया गया है:

भारत में खनन क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **विनियामकीय चुनौतियां:**
  - किसी कंपनी द्वारा सफलतापूर्वक अन्वेषण किए जाने के बाद भी खनन पट्टा प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं होती है।
  - आमतौर पर खनन लाइसेंस सैद्धांतिक रूप से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें पारदर्शी प्रणाली का अभाव है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं:**
  - अवसंरचना की अपर्याप्तता की स्थिति **उचित परिवहन और लॉजिस्टिक्स संबंधी सुविधाओं के अभाव** के कारण बनी हुई है।
  - अधिकांश **प्रमुख खनन राज्यों में रेल कनेक्टिविटी अत्यंत खराब** है। इसमें परिवहन की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, जिससे समग्र आपूर्ति श्रृंखला की लागत बढ़ जाती है।
  - **बंदरगाहों पर खनिजों को संभालने की क्षमता अपर्याप्त** है। साथ ही, कुछ बंदरगाहों की रेल/सड़क से कनेक्टिविटी भी खराब है।
- **संधारणीयता संबंधी चुनौतियां:**
  - भारत में खनन क्षेत्र में **संधारणीयता** के महत्व को इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि **खनन संबंधी प्रस्तावों में से 40 प्रतिशत** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहते हैं।
  - पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी के अलावा, खनन परियोजनाओं को **स्थानीय समुदाय के कल्याण को बढ़ाने संबंधी उद्देश्य हेतु निर्धारित अनिवार्यताओं** का भी पालन करना होता है। अतः इस प्रकार के अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया है।
- **पर्यावरणीय चुनौतियां:**
  - **वायु**
    - सतही खदानों (surface mines) में **ब्लास्टिंग प्रक्रिया** से **अत्यधिक मात्रा में धूल** उत्पन्न होती है।
    - कई कोयला खदानों से **मीथेन** गैस निकलती है जो कि एक प्रबल ग्रीनहाउस गैस है।
    - प्रगलन (Smelting) की प्रक्रिया के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य भारी धातुएं निर्मुक्त होती हैं।
  - **जल**
    - भारी धातुएं और जहरीले तत्व जैसे कि **पारा, सीसा, आर्सेनिक** आदि खदानों से रिसकर **भूजल को प्रदूषित कर सकते** हैं।
    - खनन कार्यों में अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग होता है, जिससे जलीय निकायों पर दबाव पड़ता सकता है।

- **स्थल**
  - ब्लास्टिंग और सतही खनन से उप-सतही चट्टानों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे **खनिज निक्षेप के ऊपर स्थित परत धराशायी** हो सकती है और साथ ही ये **भूकंप** का कारण भी बन सकते हैं।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां:**
  - खनन कार्य, विशेष रूप से भूमिगत खनन, जोखिम युक्त एक अत्यंत खतरनाक कार्य है क्योंकि खदान में काम करने वालों को **खराब वायु-संचालन/ वेंटिलेशन, कम दृश्यता और खदान के ढहने** संबंधी खतरों का सामना करना पड़ता है।
  - पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसी दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप खदान में काम करने वालों की मौत हो गई है।

चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **MMDR अधिनियम, 1957 में सुधार:** वर्ष 2015 में इस अधिनियम में कई सुधार करने के लिए व्यापक रूप से संशोधन किया गया था। इनमें से मुख्य रूप से शामिल हैं:
  - पारदर्शिता में सुधार हेतु खनिज रियायतों की **ऑनलाइन नीलामी को अनिवार्य** करना।
  - **जिला खनिज प्रतिष्ठान**[76] और **राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास**[77] की स्थापना करना।
  - अवैध खनन के लिए कठोर दंड के प्रावधान करना।
  - इस अधिनियम में वर्ष 2016 और वर्ष 2020 में **गैर-नीलामी वाले कैप्टिव खानों (किसी कंपनी के स्वामित्व वाली खदानों) के लिए पट्टों के हस्तांतरण की अनुमति देने** और **पट्टों की अवधि समाप्त होने से संबंधित अनपेक्षित मुद्दे** से निपटने के लिए संशोधन किया गया था।
- **राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019:** इसमें खनन क्षेत्रक को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान शामिल हैं:
  - निजी क्षेत्र को **अन्वेषण / खोज** के लिए प्रोत्साहित करना।
  - खनन संस्थाओं के **विलय और अधिग्रहण** को प्रोत्साहित करना।
  - निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए खनन पट्टों के हस्तांतरण को सक्षम बनाना और **समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण करना।**
  - निजी क्षेत्र के लिए खनन में वित्तपोषण को बढ़ावा देने हेतु **खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा** देने का प्रस्ताव करना।
- **अवैध खनन की रोकथाम:**
  - अवैध खनन को रोकने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति बनाई गई है-
    - राज्य और जिला स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा टास्क फोर्स का गठन करना,
    - MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 23C के तहत नियमों का निर्माण करना, और
    - केंद्र सरकार को समीक्षा के लिए अवैध खनन पर तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना।
- **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** और **जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF):**
  - PMKKKY के तहत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 60% धन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे कि
    - पेयजल / पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण / स्वास्थ्य देखभाल / शिक्षा / कौशल विकास /महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और विकलांग लोगों का कल्याण / स्वच्छता पर;
    - शेष 40% धनराशि का उपयोग अन्य प्राथमिकताओं जैसे सड़क और भौतिक अवसंरचना / सिंचाई / जलसंभर (watershed) के विकास के लिए किया जाएगा।
  - PMKKKY को संबंधित जिलों के DMF द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

निष्कर्ष

सरकार और उद्योग, दोनों को संधारणीय विकास के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें पर्यावरण के अलावा अन्य आयामों जैसे कि हितधारकों की सहभागिता और परामर्श, स्थानीय क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास तथा संचार एवं जवाबदेही में पारदर्शिता को शामिल किया जाना चाहिए।

3.8. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (Electronics Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) ने **"भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में हिस्सेदारी में वृद्धि"**[78] पर अपना विज़न दस्तावेज (दृष्टिपत्र) जारी किया है।

---

[76] District Mineral Foundation
[77] National Mineral Exploration Trust
[78] Increasing India's Electronics Exports and Share in Global Value Chains

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विज़न दस्तावेज, **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC)** में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अवसरों और ध्यान देने वाले मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। साथ ही, यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पर्याप्त भागीगरी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण करने पर भी जोर देता है।
- यह **MeitY के विजन 1,000 दिन** का एक हिस्सा है। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का अवलोकन

- **भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक के लिए संभावनाएं:** इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में अगले 3-5 वर्षों में भारत के शीर्ष निर्यातों में से एक बनने की संभावना है।
  - **सकल घरेलू उत्पाद के तहत हिस्सेदारी में वृद्धि करना:** भारत निकट भविष्य में अपने सकल घरेलू उत्पाद में **इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% करने** का लक्ष्य बना रहा है।
  - **बढ़ती मांग:** MeitY के अनुसार, देश में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की मांग वर्ष 2009 में 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यह बढ़कर वर्ष 2020 में लगभग 400 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गयी।
  - **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE), 2019:** इसके तहत वर्ष 2025 तक 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा गया है।
  - **प्रमुख कार्यक्रम:** डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत **भारत सरकार द्वारा निर्धारित विज़न से** इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है।
- **निर्यात के उभरते नए गंतव्य:** भारत द्वारा उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि जैसे विशाल संभावनाओं वाले नए बाजारों को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं हेतु निर्यात गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।
- **निवेश हेतु आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत:** चीन में विनिर्माण और श्रम की तेजी से बढ़ती लागत के कारण भारत को निवेश हेतु आकर्षक गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।
- **अवसंरचना पर मुख्य ध्यान:** भारत में विश्व-स्तरीय लॉजिस्टिक तथा अवसंरचना के साथ 200 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMCs)[79] स्थापित किए जाने हैं।

इस क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **उत्पादन और विनिर्माण पर कम ध्यान:** इलेक्ट्रॉनिक्स के वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में (बाजार के आकार के अनुसार) भारत की हिस्सेदारी मात्र 1-2% के बराबर है।
- **अवसंरचनात्मक अंतराल:** विद्युत की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी भौतिक अवसंरचना का अभाव है।
- **आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक संबंधी बाधाएं:** इसमें उच्च परिवहन लागत, कच्चे माल की उच्च लागत और अकुशक परिवहन के कारण आने वाली कठिनाइयां शामिल है।
- **व्यापार संबंधी बाधाएं:** उच्च आयात शुल्क, अतिरिक्त राज्य-स्तरीय कर और उल्टी शुल्क संरचना[80] आदि व्यापार के संबंध में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **आयात पर अत्यधिक निर्भरता:** वर्तमान में, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और लगभग सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों की मांग के 65% की पूर्ति आयात के माध्यम से की जाती है।
- **आपूर्ति-मांग में अपेक्षित अंतर:** भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का अनुमानित उत्पादन वर्ष 2020 तक 104 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि मांग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
- **वैश्विक अभिकर्ताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा:** इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखला के भौगोलिक संकेन्द्रण से पता चलता है कि भारत को अधिकांश प्रतिस्पर्धा चीन और वियतनाम से मिल रही है।

आगे की राह

- **अवसंरचना में सुधार:** इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग एक विनिर्माण उद्योग है। अतः इसके लिए अनिवार्य अवसंरचना, अत्याधुनिक तकनीक की आपूर्ति, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति आदि सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- **मूल्य श्रृंखला को युक्तिसंगत बनाना:** इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों, उत्पादों और संपूर्ण उत्पाद श्रृंखलाओं का स्वदेशी स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कच्चे माल की लागत, करों के प्रावधान, शुल्क और अन्य बाधाओं पर विचार किया जाना चाहिए।
  - विज़न दस्तावेज में इस बात की सिफारिश की गई है कि विनिर्माताओं को किसी भी अन्य देश पर निर्भरता को कम करते हुए विनिर्माण क्षमता (तैयार उत्पादों, उप-संयोजनों और घटकों के लिए) को भारत में स्थापित करने हेतु 1-4 वर्षों की अवधि के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या संयुक्त उद्यम जैसे विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।

---

[79] Electronic Manufacturing Clusters

[80] inverted duty structure

 ©Vision IAS

- **व्यापार बाधाओं को दूर करना:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला को आकर्षित करने के लिए खुले व्यापार और निवेश नीतियों की आवश्यकता होती है। प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क बाधाएं निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- **इनपुट पर लगने वाले प्रशुल्क (टैरिफ) में कमी करना:** विनिर्माताओं की लागत को कम करने और उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का समर्थन करने के लिए प्रशुल्क की दर को कम करने के साथ-साथ उल्टी प्रशुल्क संरचना को समाप्त कर प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाना होगा।
- **निर्यात में वृद्धि:** भारत को व्यापार संचालन को बढ़ाने में प्रमुख कंपनियों की सहायता के लिए और क्षेत्रीय व्यवसायों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भाग लेने योग्य बनाने के लिए **निर्यात संवर्द्धन परिषदों** और **निर्यात केंद्रों** को मजबूत करना चाहिए।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देना:** इस क्षेत्रक में विकास को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रक में संलग्न MSMEs को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **अनुसंधान और विकास में सुधार करना:** प्रत्येक केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय के तहत एक समर्पित पद स्थापित करना चाहिए, जो कुशल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए कार्यबल तैयार करने हेतु उद्योग-अकादमिक के मध्य परस्पर संबंध, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रशिक्षण तथा विकास में सुधार के लिए उत्तरदायी हो।

3.9. भारत में मत्स्य पालन क्षेत्रक (Fisheries Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने वर्ष 2024-25 तक मत्स्य पालन क्षेत्रक से **1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य** निर्धारित किया है।

भारत में मत्स्य पालन के बारे में

- भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि** (aquaculture) **करने वाला** देश है।
  - एक्वाकल्चर अर्थात जलीय कृषि के तहत जलीय जंतुओं का पालन-पोषण अथवा संवर्धन किया जाता है। इनका पालन-पोषण ताजे जल, समुद्री जल, पश्चजल क्षेत्र और अंतर्देशीय खारे/ लवणीय जल क्षेत्र में किया जाता है। इसके तहत फिनफिश, कड़े खोल वाले जलीय जीव (crustaceans), घोंगा आदि सहित जलीय पादपों मुख्यतः शैवाल की खेती की जाती है।
- **वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 7.7%** है। साथ ही, **मत्स्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का चौथा स्थान** है।
- मत्स्य और शेलफिश प्रजातियों के संदर्भ में वैश्विक जैव विविधता का 10% से अधिक भारत में मौजूद है।
- मात्स्यिकी, **राज्य सूची का विषय है। इसलिए मात्स्यिकी से जुड़े विनियमन में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।**
  - **केंद्र सरकार की भूमिका,** सहकारी संघवाद के मार्गदर्शक सिद्धांतों के तहत इस संबंध में **राज्य के प्रयासों को सहायता करने की है।**
  - **अंतर्देशीय मात्स्यिकी** को पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, वहीं **समुद्री मात्स्यिकी** के तहत उत्तरदायित्व केंद्र और संबंधित तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मध्य साझा किया जाता है।

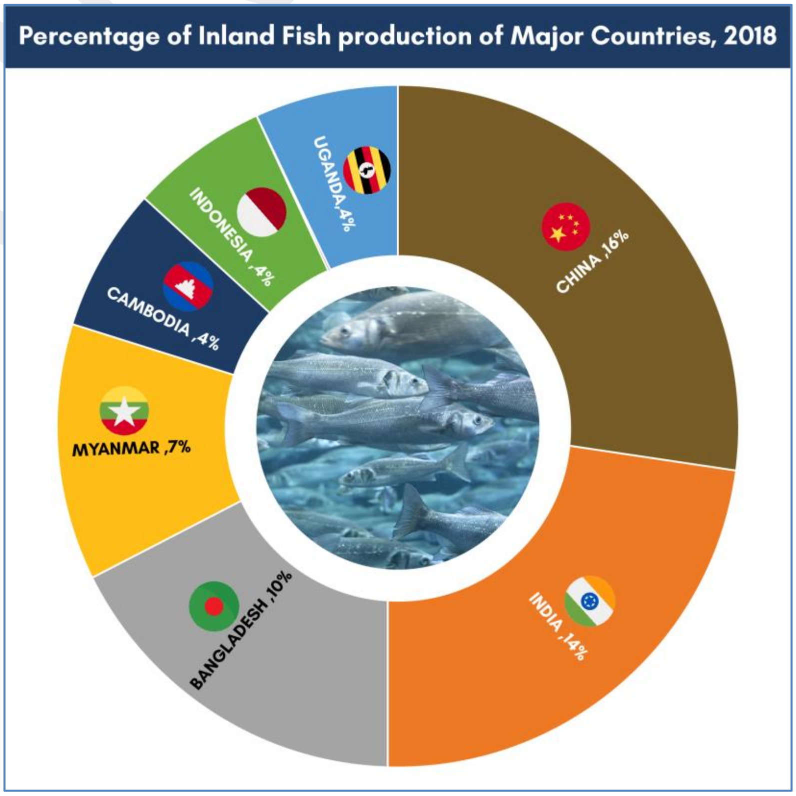

मत्स्य पालन क्षेत्रक का महत्व

- **खाद्य सुरक्षा:** यह **भोजन और पोषण संबंधी एक महत्वपूर्ण संसाधन** है, मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। विश्व में अंतर्देशीय स्तर पर मत्स्य पालन संबंधी उत्पादन का 90% से अधिक मानव उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें विकासशील देशों की हिस्सेदारी अधिक है।
  - अंतर्देशीय मछली वस्तुतः **'प्रच्छन्न भुखमरी (Hidden hunger)'** को दूर करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरणस्वरूप- अंतर्देशीय मछलियां उन लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करती हैं जहां अन्य पोषक स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं या अत्यधिक महंगे होते हैं। विश्व स्तर पर खाद्य संप्रभुता का आधार मत्स्य पालन और जलीय कृषि हैं।

* **अर्थव्यवस्था:** अधिकतर मत्स्य पालन ग्रामीण निर्धनों द्वारा प्रायः निर्वाह और छोटे पैमाने की आर्थिक सुरक्षा के लिए किया जाता है। मत्स्य पालन, प्राथमिक स्तर पर लगभग 2.5 करोड़ मछुआरों और मछली पालन करने वाले किसानों को आजीविका प्रदान करता है तथा यह संबंधित मूल्य श्रृंखला के तहत लगभग 5 करोड़ लोगों की आजीविका का सहारा भी है।
    * मछली के बाजार मूल्य के अलावा, **मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने और पर्यटन गतिविधियों** में भी मजबूत आर्थिक प्रभाव है।

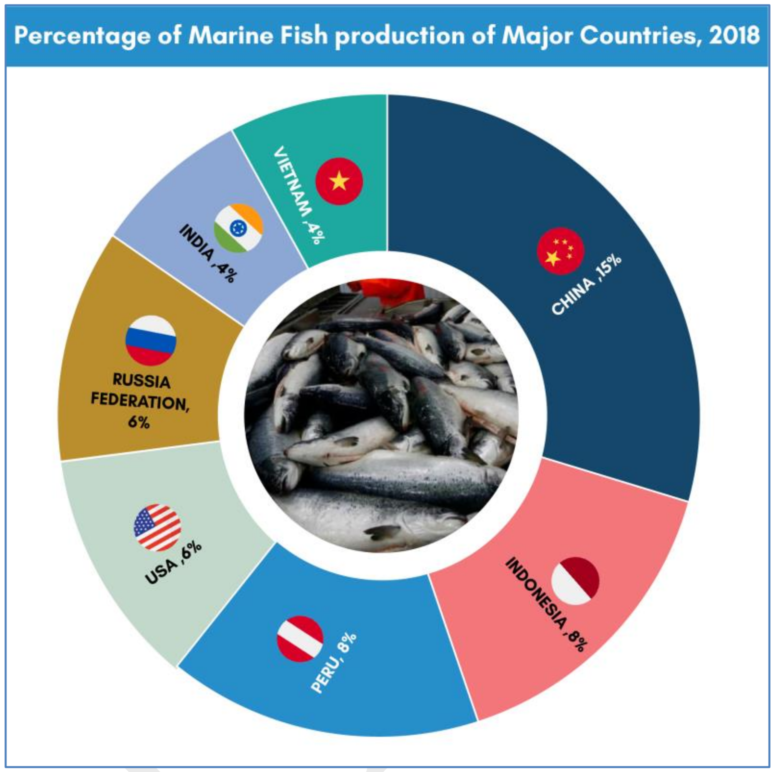

* **पर्यावरण:** अंतर्देशीय मछलियां वस्तुतः **पारितंत्र की कार्यप्रणाली और पारितंत्र में परिवर्तन के संकेतक** के रूप में कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय स्तर पर मछली पकड़ने और जलीय कृषि संबंधी कई कार्यों के कम पर्यावरणीय प्रभाव के कारण इन्हें **'हरित खाद्य (Green Food)' आंदोलन** के लिए प्रासंगिक माना जा सकता है।
* **सामाजिक:** दुनिया भर कई समुदायों के लिए ये गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। कई संस्कृतियों में, अंतर्देशीय मछलियों को पवित्र माना जाता है और साथ ही वे कई समुदाय की सामुदायिक पहचान भी होती हैं।
    * मत्स्य पालन वस्तुतः आर्थिक बदलाव, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और जल विकास परियोजनाओं आदि के कारण **प्राथमिक आय स्रोत विफल हो जाने जाने पर अंतिम सहारा प्रदान करता है।** यह एक सामाजिक सुरक्षा-जाल के रूप में कार्य करता है, साथ ही आय, रोजगार और भोजन के वैकल्पिक या पूरक स्रोत भी प्रदान करता है।

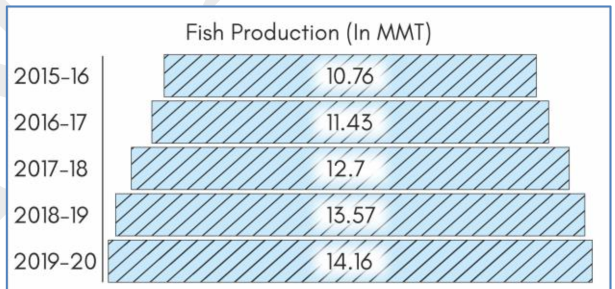

* **सशक्तीकरण:** यह **स्वयं की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने** के साथ-साथ आश्रितों की आवश्यकताओं को पूरा करके लोगों को सशक्त बनाने के अवसर प्रदान करता है।
    * यह **नृजातीय रूप से अल्पसंख्यकों, ग्रामीण निर्धनों और महिलाओं सहित वंचित आबादी के लिए गरीबी का निवारण करने में** विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
* **मानव स्वास्थ्य और कल्याण:** यह रोग नियंत्रण और चिकित्सा अनुसंधान में विकास में योगदान करता है।
* **रोग वाहक (जैसे मलेरिया, डेंगू बुखार, पीत-ज्वर) मच्छरों के नियंत्रण के लिए,** लार्वा का भक्षण करने वाली मछली का प्रायः उपयोग किया जाता है।

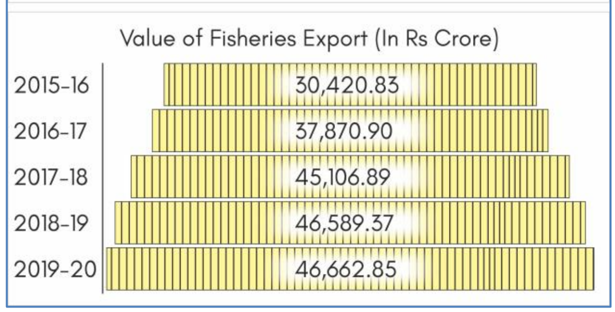

मात्स्यिकी/मत्स्य पालन क्षेत्रक के विकास के समक्ष बाधाएं

* **अपर्याप्त अवसंरचना:** विशेष रूप से मछली पकड़ने के बंदरगाह, मछली को जलपोतों से उतारे जाने वाले केंद्रों, शीत भंडारण श्रंखला और वितरण प्रणाली, खराब प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, अपव्यय, पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन, कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता आदि कुछ अन्य कारक हैं जो मात्स्यिकी के विकास को बाधित करते हैं।
* **तकनीकी पिछड़ापन और वित्तीय बाधाएं:** भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास में हुए विलंब के लिए, ये बाधाएं मुख्य रूप से उत्तरदायी रही हैं। इसके अलावा, नई तकनीक के कारण मछली पकड़ने के बेड़ों की क्षमता दोगुनी हो जाने से मछली के भंडार तेजी से घट रहे हैं।
* **अत्यधिक दोहन:** असंधारणीय रूप से मछली पकड़ने से मछलियों और जलीय जैव विविधता के साथ-साथ नदी तथा झील के किनारे रहने वाले समुदायों के लोगों की आजीविका के समक्ष एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
    * इसके लिए खाद्य-पदार्थ की अत्यधिक मांग, बाजार का दबाव, मछली पकड़ने की गियर तकनीक का विकास, उचित प्रबंधन दृष्टिकोण और नीतियों का अभाव, आकस्मिक रूप से जाल में अवांछित समुद्री जीवों का फंसना, और जंगली प्रजातियों का अविनियमित एक्वैरियम व्यापार प्रमुख कारण हैं।
* **पर्यावरण प्रदूषण:** औद्योगिक, घरेलू या कृषि गतिविधियों के कारण ताजे जल के प्रदूषण के परिणाम अक्सर विनाशकारी होते हैं। इसके परिणामस्वरूप मछली प्रजातियों का विलोपन हो सकता है और नदियां तथा झीलें जीव विहीन हो सकती हैं।

* **जलवायु परिवर्तन:** इससे वैश्विक स्तर पर समुद्र गर्म हो रहे हैं और साथ ही, इससे वर्षा के प्रतिरूप, जलस्तर, नदी प्रवाह और जल के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है। मछलियां अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। इसलिए जल के तापमान में वृद्धि या कमी का उनके विकास तथा प्रजनन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही जल के प्रवाह और रासायनिकता में परिवर्तन होगा।
* **आक्रामक प्रजातियां:** विदेशी आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश वस्तुतः देशी मछली प्रजातियों और ताजे जल के उनके पारितंत्र के समक्ष सबसे बड़े वैश्विक खतरों में से एक है।
* **पर्यावास में परिवर्तन, विखंडन और विनाश:** बांध निर्माण, कृषि पद्धतियों, शहरी विकास, नदियों का तलकर्षण संबंधी गतिविधियों और भू-आकृतिक परिवर्तन के कारण बाढ़ के मैदानों का निम्नीकरण, उनके आकार में कमी या यहां तक कि उनका विनाश होने से व्यापक संख्या में ताजे जल की मछली प्रजातियों के अस्तित्व के समक्ष संकट उत्पन्न हो रहा है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में मत्स्य पालन सब्सिडी

* विश्व व्यापार संगठन के सदस्य '**हानिकारक, मत्स्य पालन सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने** हेतु एक समझौते पर सहमति का प्रयास कर रहे हैं। हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी दुनिया भर में अत्यधिक मछली पकड़ने और मछली के भंडार में कमी का कारण है।
  * इसके तहत पहली बार वार्ता वर्ष 2001 में दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आरंभ की गई थी।
* वैश्विक मत्स्य पालन सब्सिडी को कम करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक मसौदा प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत **तट के करीब मछली पकड़ने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के लिए समयबद्ध छूट का प्रस्ताव** किया गया है।
  * विकसित देशों का दावा है कि **मत्स्य पालन सब्सिडी से वैश्विक मछली बाजारों में महत्वपूर्ण विकृतियां उत्पन्न होती हैं।** साथ ही, यह अत्यधिक मछली पकड़ने (अतिमत्स्यन) और क्षमता से अधिक मछली पकड़ने और मछलियों की कमी में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है।
* **भारत की चिंता:**
  * इससे विकासशील देशों को प्रदत्त **विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)**[81] का अधिकार कमजोर हो सकते है।
    * **S&DT विशेष प्रावधान होते हैं, जो विकासशील देशों को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं।** इसके तहत समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए लंबी अवधि, प्रतिबद्धता के निम्न स्तर और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के उपाय शामिल होते हैं।
  * **इन सब्सिडियों को समाप्त करने से** कम आय और कम संसाधन वाले **मछुआरों के लिए आजीविका के साधन महंगे हो जाएंगे।**
  * यह राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सीमित कर देगा।
  * **तटीय देशों के** अपने समुद्री अधिकार क्षेत्र (अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में निहित) के भीतर जीवित संसाधनों का अन्वेषण, दोहन और प्रबंधन करने के **संप्रभु अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए और यह विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान तंत्र के अधीन नहीं होना चाहिए।**
  * किसी भी समझौते के तहत इस तथ्य को मान्यता प्रदान करना चाहिए कि विभिन्न देश विकास के विभिन्न चरणों में हैं और मछली पकड़ने की वर्तमान व्यवस्था में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए।

सरकार द्वारा की गई पहल

* **नीली क्रांति:** इसे 3,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ लागू किया गया है। इसका उद्देश्य मछुआरों और मछली का पालन करने वाले किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एकीकृत तथा क्षेत्र के समग्र विकास और मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है।
* **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** वर्ष 2019 में, सरकार द्वारा मछुआरों और मछली का पालन करने वाले किसानों की आय को दोगुना करने तथा उनके लिए सार्थक रोजगार पैदा करने एवं कृषिगत सकल मूल्य वर्धन (GVA) और निर्यात में मत्स्य क्षेत्रक के योगदान को बढ़ाने के लिए इस नई योजना का आरंभ किया गया था।
  * सरकार द्वारा इस क्षेत्रक में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
* वर्ष 2018-19 के दौरान 7,522 करोड़ रुपये की **मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF)**[82] **की स्थापना की गई।**
* **वर्ष 2019 में,** सरकार ने निम्नलिखित दो अलग-अलग विभागों के साथ एक नया **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** का निर्माण किया:
  * मत्स्य पालन विभाग; तथा
  * पशुपालन और डेयरी विभाग।
* **राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2020:** इसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्रक विकसित करना है, ताकि मछुआरों एवं मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आर्थिक समृद्धि तथा कल्याण में योगदान दिया जा सके। साथ ही, देश को एक संधारणीय एवं जिम्मेदार तरीके से खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान की जा सके।
* हाल ही में, सरकार ने **मछुआरों और महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** देने की घोषणा की है।

[81] Special and Differential Treatment
[82] Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund

आवश्यक पहल या उपाय

- मछली पालन क्षेत्र की संधारणीयता को सुनिश्चित करते हुए मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, जिसमें मुख्य आगतों जैसे कि गुणवत्ता, स्वस्थ मछली बीज, भोजन आदि और अच्छी प्रजातियों का ध्यान रखा गया हो।
- गहरे समुद्र और अल्प रूप से प्रयोग किए गए संसाधनों, बहुदिवसीय मत्स्यन, प्रजाति विशिष्ट मछली पालन के दोहन के लिए समुद्री मत्स्यन का विविधीकरण।
- तालाबों और अल्प–प्रयोग वाले बड़े जल निकायों में संवर्धन या कल्चर आधारित मत्स्यन को अपनाना
- FFDAs में सुधार करना, सहकारी समितियों तथा स्वयं–सहायता समूहों को शामिल करना, और मछुआरा समुदाय का सामाजिक आर्थिक कल्याण।
- मत्स्यन से जुड़े सभी विभाग/संगठनों का एक एकल एजेंसी के अंतर्गत नेटवर्क बनाना।
- उत्पादन पश्चात्, मूल्य वर्धन और मार्केटिंग अवसंरचना

निष्कर्ष

विभिन्न प्रजातियों और विभिन्न क्षेत्रकों के लिए विनियामकीय प्रबंधन रणनीतियों और ठोस नीतिगत प्रयासों के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्रक के संसाधनों का संधारणीय दोहन करना अभी भी संभव है। पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों के अनुसार मत्स्य पालन करने और खपत को जारी रखते हुए इस क्षेत्रक में संधारणीयता बनाए रखने की आवश्यकता है।

3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

3.10.1. भारतीय रिज़र्व बैंक ने डिजिटल करेंसी को 'बैंक नोट' की परिभाषा में शामिल किये जाने की इच्छा प्रकट की है (RBI wants Digital Currency included under Definition of 'bank note')

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अक्टूबर, 2021 में **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934** में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य **डिजिटल प्रारूप वाली मुद्रा को शामिल करने के लिए 'बैंक नोट' की परिभाषा का विस्तार** करना था। इसे **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)** के रूप में जाना जाता है।
  - CBDC डिजिटल रूप में एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी वैध मुद्रा है। यह **अधिदिष्ट मुद्रा** (सरकार द्वारा समर्थित) के समान है और अधिदिष्ट मुद्रा के साथ "वन-टू-वन (प्रत्येक के लिए अलग अलग)" विनिमय योग्य है। केवल उसका स्वरूप भिन्न होता है।
- **भारत के लिए CBDC के संभावित लाभ:**
  - भारत में विशेष रूप से **कम मूल्य के लेनदेन के लिए नकद उपयोग में निरंतर रुचि** के साथ-साथ देश में **डिजिटल भुगतान का बढ़ता प्रसार** एक विशिष्ट परिदृश्य है।
  - भारत की **मुद्रा और सकल घरेलू उत्पाद के मध्य उच्च अनुपात** का एक अन्य लाभ है। इससे **मुद्रा की छपाई, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत को कम किया जा सकता है।**

- **निजी आभासी मुद्राओं (virtual currencies: VCs) का प्रादुर्भाव** एक अन्य कारण है, क्योंकि यदि इन आभासी मुद्राओं को मान्यता मिलती है, तो **सीमित परिवर्तनीयता वाली राष्ट्रीय मुद्राएं खतरे में आ सकती हैं।**
- यदि किसी भी बैंक पर दबाव की स्थिति आती है, तो इससे **जमाकर्ताओं द्वारा अपनी शेष राशि का आहरण** करना आसान हो जाएगा।

3.10.2. सरकारी प्रतिभूतियां शीघ्र ही वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल होंगी {Government Securities (G-Secs) to soon join Global Bond Indices}

- **वैश्विक बॉण्ड सूचकांक** में विश्व भर के निवेश-श्रेणी के **और** सरकारी बॉण्ड **को शामिल होते हैं। इनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक की होती है।**
    - **इस कदम से ऋण बाजार में विदेशी प्रवाह आकर्षित** होने की अपेक्षा है और **इससे सरकार को अपने बाजार उधार कार्यक्रम में सहायता मिलेगी।**
- G-Sec **केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य लिखत (tradeable instrument) है।** यह सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा होता है।
    - **सरकारी प्रतिभूतियां** या तो **अल्पावधिक** या **दीर्घावधिक** होती हैं। **अल्पावधिक प्रतिभूतियां** आमतौर पर एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि की होती हैं और इन्हें ट्रेजरी बिल कहा जाता है। **दीर्घावधिक प्रतिभूतियां** आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता अवधि की होती हैं और इन्हें सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है।
    - **केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं,** जिन्हें **राज्य विकास ऋण** भी कहा जाता है।
    - सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए, इन्हें **जोखिम मुक्त गिल्ट-एज लिखत** कहा जाता है।
    - **वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल होने के लाभ:**
        - यह सरकारी बॉण्ड खरीदने के लिए वाणिज्यिक बैंकों पर से दबाव को कम करेगा।
        - विदेशी निवेशकों की अधिक भागीदारी से भारतीय बॉण्ड बाजारों के लिए सकारात्मक माहौल के निर्माण में मदद मिलेगी।
        - बॉण्ड में विदेशी प्रवाह भारतीय रुपये को मजबूती और स्थिरता प्रदान करेगा।
        - इससे पूंजी की लागत कम होगी और ब्याज दरों में कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप ऋण की स्थिरता बनी रहेगी।

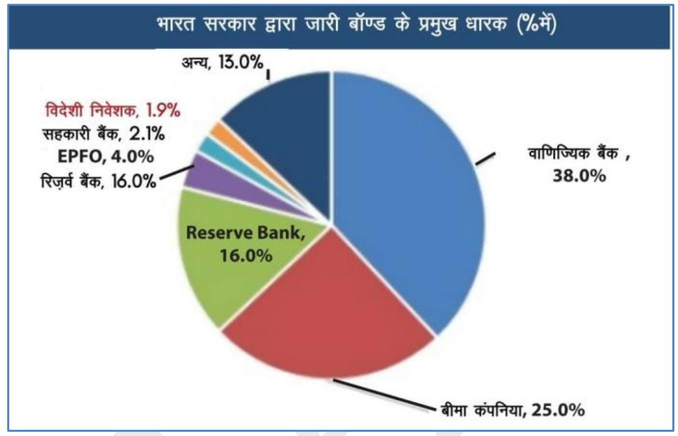

3.10.3. भारतीय रिज़र्व बैंक और खुदरा प्रत्यक्ष योजना (RBI Retail Direct Scheme)

- इस योजना का उद्देश्य **सरकारी बॉण्ड बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच को आसान बनाना है।**
- यह **केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल, राज्य विकास ऋण और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड में निवेश** करने के लिए एक **पोर्टल** प्रदान करता है।
- व्यक्तिगत निवेशक **RBI में एक प्रतिभूति खाता खोलने, प्राथमिक नीलामी में बोली लगाने** तथा **बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने** के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए **कोई शुल्क नहीं** लिया जाएगा।

3.10.4. हार्बिंजर 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार (HARBINGER 2021 – Innovation for Transformation)

- यह भारतीय रिज़र्व बैंक का **प्रथम वैश्विक हैकथॉन** है। इसका मूल विषय **'स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स'** है।
- हैकाथॉन में प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनमें निम्नलिखित क्षमताएं हों:
    - **डिजिटल भुगतान को वंचित लोगों** के लिए सुलभ बनाना।
    - भुगतान में **आसानी और उपयोगकर्ता अनुभव** को बढ़ावा देना।
    - डिजिटल भुगतान की **सुरक्षा को मजबूत करना तथा ग्राहक सुरक्षा को बढ़ावा देना।**

3.10.5. विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत अनुदान योजना (Special Credit Linked Capital Subsidy Scheme: SCLCSS)

- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री ने **सेवा क्षेत्र के लिए SCLCSS** का शुभारंभ किया है।

- यह योजना **सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने** में मदद करेगी।
- इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर संयंत्र एवं मशीनरी व सेवा उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान (सब्सिडी) दिए जाने का प्रावधान है।

3.10.6. "विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सहजता" (लीड्स) रिपोर्ट, 2021 {LEADS (Logistics Ease Across Different States) 2021 Report}

- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** ने तीसरी लीड्स रिपोर्ट, 2021 जारी की है।
- **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक्स परितंत्र की दक्षता के आधार पर रैंकिंग** प्रदान करने के उद्देश्य से लीड्स इंडेक्स वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य राज्यों में **लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार** पर ध्यान केंद्रित करना है। यह देश के **व्यापार में सुधार करने और लेनदेन की लागत को कम** करने के लिए आवश्यक है।
- "LEADS 2019" के समान, 2021 संस्करण में भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि वर्ष 2020 में कोई रिपोर्ट जारी नहीं किया गया था।
- वर्ष 2018 और 2019 के लीड्स संस्करण **धारणा-आधारित अनुक्रिया** पर केन्द्रित थे, वर्ष 2021 की रिपोर्ट में पहली बार **सभी 36 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए** सूचकांक निर्माण में **वस्तुनिष्ठ मापदंडों** को पेश किया गया है।
- **वर्ष 2021 का सूचकांक इक्कीस संकेतकों पर आधारित** है, जिसमें सत्रह धारणा संकेतक (Perception indicators) और चार वस्तुनिष्ठ संकेतक शामिल हैं।
- धारणा संकेतक को मुख्यतः **तीन आयामों** को सम्मिलित करते हुए विकसित किया गया है:
  - **अवसंरचना** - सड़क, रेल, युनिमॉडल, मल्टी-मॉडल व वेयरहाउसिंग।
  - **सेवाएं** - गुणवत्ता, समयबद्धता, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता क्षमता, सुरक्षा एवं संरक्षा आदि।
  - **विनियामक** - सरलीकरण, अनुमोदन प्राप्त करने में आसानी, विनियामक सेवा दक्षता आदि।
- **प्रमुख विशेषताएं :**
  - **गुजरात, हरियाणा और पंजाब, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य** रहे हैं।
  - पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत, **जम्मू और कश्मीर का स्थान शीर्ष** रहा है, उसके बाद सिक्किम और मेघालय का स्थान है।
  - अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में **दिल्ली शीर्ष** स्थान पर रहा है।
  - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड **शीर्ष सुधारकर्ता** राज्य रहे हैं।
- **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सुझावात्मक पहल:**
  - राज्य लॉजिस्टिक्स **नीति और मास्टर प्लान** का निर्माण किया जाना चाहिए।
  - लॉजिस्टिक्स के लिए **एकल खिड़की निकासी प्रणाली** को स्थापित किया जाना चाहिए।
  - **प्रभावी शिकायत निवारण व विवाद समाधान तंत्र** स्थापित करना चाहिए।
  - राज्य अवसंरचना उन्नतीकरण के माध्यम से **लॉजिस्टिक्स में कौशल विकास** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3.10.7. राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना {National Apprenticeship Training Scheme (NATS)}

- हाल ही में, मंत्रिमंडल ने **राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) को** वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक **जारी रखने की मंजूरी** दी है।
- NATS (शिक्षा मंत्रालय के तहत) **एक वर्ष का कार्यक्रम** है। यह **तकनीकी रूप से योग्य युवाओं** को उनके **कार्यक्षेत्र में आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करता है।**
  - संगठनों द्वारा प्रशिक्षुओं (Trainees) को **उनके कार्यस्थल पर प्रशिक्षण दिया जाता है।**
  - शिक्षुता की अवधि के दौरान, **प्रशिक्षुओं को एक वृत्तिका (स्टाइपेंड) राशि का भुगतान** किया जाता है। इसमें से **50% भारत सरकार से नियोक्ता को पुनर्भुगतान योग्य है।**
- NATS अगले पांच वर्षों में लगभग 7 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा और लगभग 9 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

3.10.8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 'निवेशक चार्टर' का अनावरण किया है (SEBI Unveils Investor Charter)

- **चार्टर का उद्देश्य:** निवेशकों को निवेश से जुड़े संभावित जोखिमों को समझने तथा **निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बाजार** में निवेश करने में सक्षम बनाकर उनके **हितों की रक्षा करना।**
  - बजट 2021 में निवेशकों को सभी प्रकार के **वित्तीय उत्पादों की दुर्भावनापूर्ण बिक्री** से बचाने के उद्देश्य से **निवेशक चार्टर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।**
  - यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त वर्ष 2021 में खुदरा निवेशकों की कुल संख्या में 14.2 मिलियन की वृद्धि हुई है।
- चार्टर निवेशकों के **अधिकारों और उत्तरदायित्वों** की रूपरेखा तैयार करता है।
  - **अधिकारों में शामिल हैं**
    - **निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान** प्राप्त करना।
    - सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम (स्कोर्स/SCORES) पोर्टल में दर्ज निवेशकों की शिकायतों का समय पर समाधान करना।
      - ✓ **स्कोर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।** इसे निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों और बिचौलियों के विरुद्ध सेबी में अपनी शिकायतें दर्ज कराने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  - **निवेशकों के उत्तरदायित्व**
    - सेबी से मान्यता प्राप्त संस्थानों और **सेबी में पंजीकृत या विनियमित संस्थाओं** के साथ ही संव्यवहार/लेन-देन करना।

- किसी भी बदलाव के मामले में उनके **संपर्क विवरण (Contact details) को अपडेट करना।**
- यह सुनिश्चित करना कि शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दर्ज किया जाए।
- **उनके खाते केवल उनके लाभ के लिए** संचालित किए जाते हैं।

- जनवरी 2022 से, सभी सेबी विनियमित संस्थाओं को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर प्रत्येक शिकायत के समाधान में लगने वाले औसत समय का प्रकटीकरण करना होगा।

3.10.9. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ईंधन खपत को वर्ष 2030 तक आधा करने का लक्ष्य बाधित हो गया है (Target to Halve Global Fuel Consumption by 2030 is Stalling: IEA Report)

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के **ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव (GFEI) के अपडेट के अनुसार:**
  - **वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से नए लाइट-ड्यूटी वाहनों की आधी ईंधन खपत के वैश्विक लक्ष्य** को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति धीमी रही है। यह मंद प्रगति नीतिगत कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
  - इसके अनुसार **कुशल इलेक्ट्रिक कारों की बाजार हिस्सेदारी को बढ़ावा देने वाली** मजबूत नीतियों तथा **वैश्विक रूप से आंतरिक दहन इंजनों में दक्षता संबंधी प्रौद्योगिकियों** को अपनाया जाना चाहिए।
  - GFEI के वर्ष 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, **देशों को ईंधन अर्थव्यवस्था पर कानूनों को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।**
- GFEI की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक लाइट-ड्यूटी वाहनों की **ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सरकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना और समर्थन करना है।**
  - GFEI **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच (ITF), स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद (ICCT),** कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय-डेविस तथा FIA फाउंडेशन के मध्य एक साझेदारी है।
  - इसका लक्ष्य नए लाइट ड्यूटी वाहनों के लिए वर्ष 2030 तक उनकी औसत ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार करना है (2005 की आधार रेखा की तुलना में)। साथ ही, इसमें **इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तकनीक** भी शामिल करना है।
- IEA एक **स्वायत्त अंतरसरकारी** संगठन है। इसे **वर्ष 1974 में OECD के ढांचे** के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ताकि देशों को सामूहिक रूप से तेल आपूर्ति व्यवधानों से निपटने में सहायता मिल सके।
  - यह अपने सदस्य देशों को **ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों** पर परामर्श देता है।
  - वर्ष 2017 में, **भारत इस समूह में एक सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हुआ था।**
  - IEA **वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, तेल बाजार रिपोर्ट** आदि प्रकाशित करता है।

3.10.10. मंत्रिमंडल ने जूट (पटसन) पैकेजिंग सामग्री के लिए आरक्षण नियमों को स्वीकृति प्रदान की है (Cabinet approves reservation norms for Jute Packaging Materials)

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इस वर्ष पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण नियमों को मंजूरी प्रदान की है। इसमें **यह निर्धारित किया गया है कि शत-प्रतिशत खाद्यान्न और 20% चीनी अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक की जानी चाहिए।**
  - यह कार्यवाही **जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987** के तहत की गई है।
  - यह अधिनियम कुछ वस्तुओं की आपूर्ति एवं वितरण में **जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग का प्रावधान करता है।** यह उपबंध कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन आदि के हित में है।
- **महत्व:**
  - इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी, क्योंकि जूट एक प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल, नवीकरणीय और पुन: उपयोग किए जाने वाला फाइबर है।
  - वर्तमान प्रस्ताव में आरक्षण नियम भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन के हितों की रक्षा करेंगे।
  - ये 40 लाख जूट किसानों की उपज के लिए **एक गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित करते हैं।**

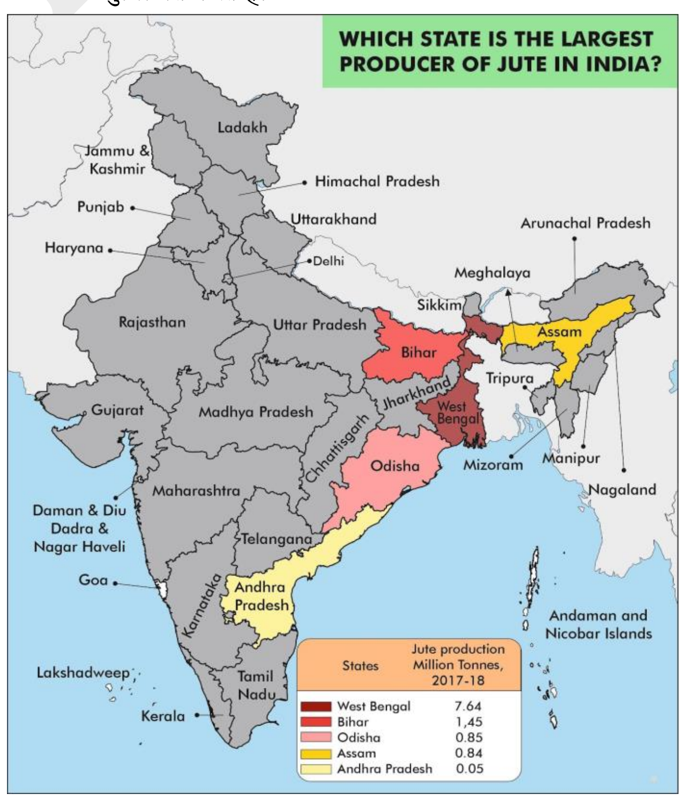

- **जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न पहलें**
    - कच्चे जूट की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए **जुट-इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज।**
    - **जूट स्मार्ट (SMART)** जूट क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक ई-सरकार पहल है।
    - जूट **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था में सम्मिलित** है।
- **जूट के बारे में:**
    - भारत विश्व में जूट का **सबसे बड़ा उत्पादक है।**
    - जूट को **जलोढ़ मिट्टी और अत्यधिक वर्षा** एवं 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।
    - जूट की फसल हेतु मानसून के मौसम में **उष्ण और उच्च आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है।**

3.10.11. केंद्र ने विधिक माप विज्ञान (पैकबंद वस्तुएं), नियम 2011 में संशोधन किया (Centre Amended Legal Metrology (Packaged Commodities), Rules 2011)

- ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे।
- **मुख्य विशेषताएं:**
    - पहले से पैक किए गए उत्पादों पर सभी करों सहित **भारतीय मुद्रा में MRP** की अनिवार्य घोषणा।
    - पहले से पैक किए गए उत्पादों पर **निर्माण की तिथि** की अनिवार्य घोषणा।
    - **खुदरा बिक्री के लिए** बने सभी पूर्व पैक उत्पादों हेतु **यूनिट बिक्री मूल्य** प्रस्तुत किया गया है, ताकि कीमतों की आसानी से तुलना की जा सके।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

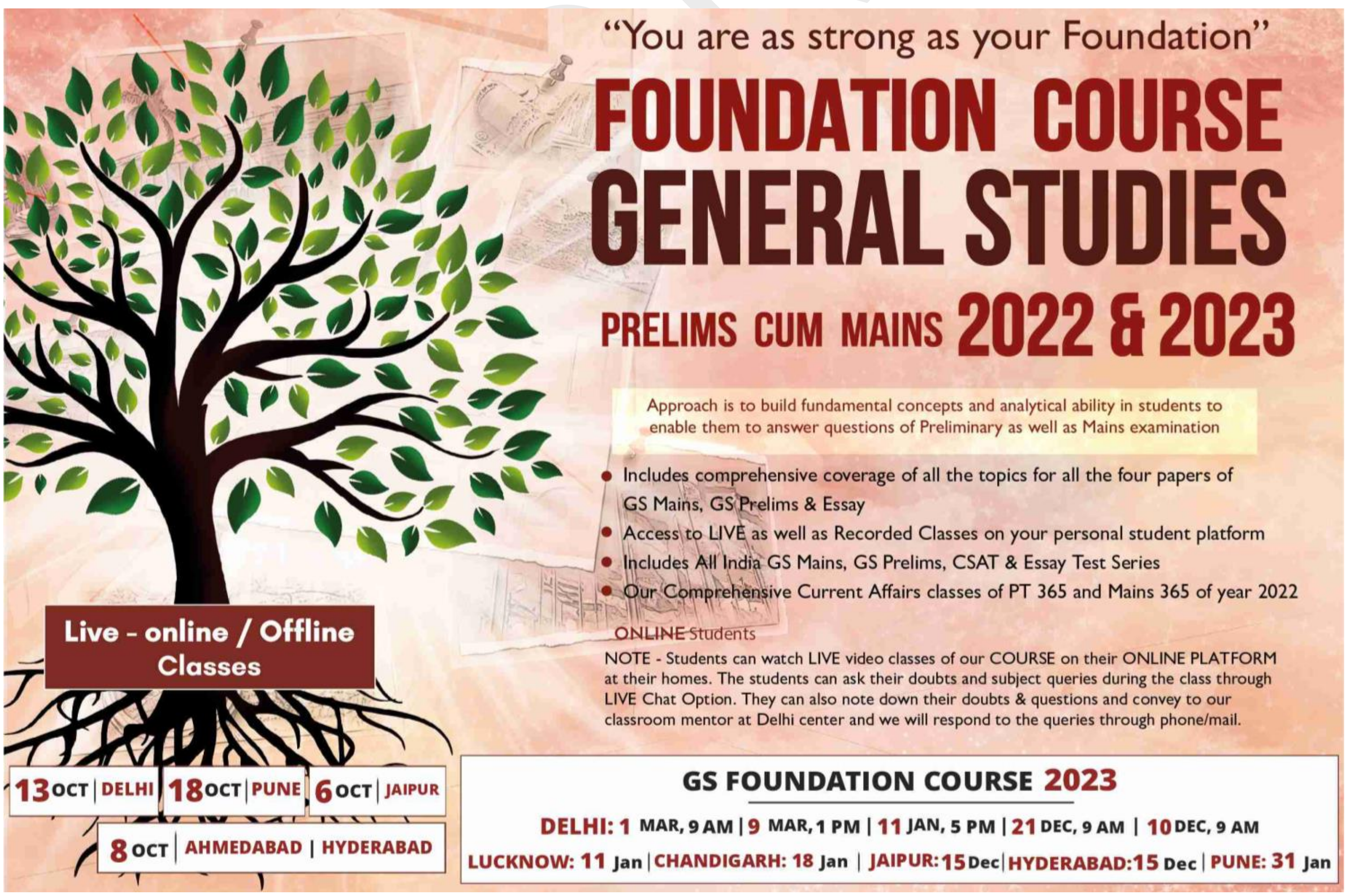

4. सुरक्षा (Security)

4.1. वैयक्तिक डाटा संरक्षण (Personal Data Protection)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक (PDP Bill), 2019 पर मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और इसे अंगीकृत किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **PDP विधेयक को पहली बार वर्ष 2019 में प्रस्तुत किया गया था** और उस समय इसे जांच के लिए **संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को अग्रेषित कर दिया गया था।**
  - PDP विधेयक, 2019 के प्रावधान, विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण) रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित हैं।
- JPC, वर्ष 2019 से रिपोर्ट पर विचार कर रही है तथा उसे **अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पांच बार समय-विस्तार मिला है।**

वैयक्तिक और अवैयक्तिक डाटा

- **डाटा को मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:** वैयक्तिक और अवैयक्तिक डाटा।
  - वैयक्तिक डाटा वह डाटा होता है, जो पहचान आधारित विशेषताओं, लक्षणों या गुणों से संबंधित होता है और **जिसे किसी व्यक्ति की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।**
  - अवैयक्तिक डाटा में **समेकित डाटा शामिल होते हैं। इनके माध्यम से व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकती है।**
- उदाहरण के लिए, जहाँ किसी व्यक्ति की अवस्थिति (location) की जानकारी वैयक्तिक डाटा के अंतर्गत आती है; वहीं कई चालकों की अवस्थिति से प्राप्त जानकारी, जिसे प्रायः ट्रैफ़िक प्रवाह का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है, अवैयक्तिक डाटा के अंतर्गत आती है।

डाटा संरक्षण के बारे में

- डाटा संरक्षण उन **नीतियों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति की निजता में घुसपैठ को कम करने का प्रयास करते हैं।** किसी व्यक्ति की निजता में घुसपैठ उनके वैयक्तिक डाटा के संग्रह और इस्तेमाल के कारण होती है।
- **यह आश्वस्त करता है कि डाटा का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है, साथ ही इसका इस्तेमाल केवल अधिकृत उद्देश्यों के लिए किया गया है** और इसमें लागू कानूनी या विनियामक अर्हताओं का पालन किया गया है।
- यह लोगों के वैयक्तिक डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और **उक्त डाटा के संग्रह, इस्तेमाल, स्थानांतरण और प्रकटीकरण को विनियमित करता है।**

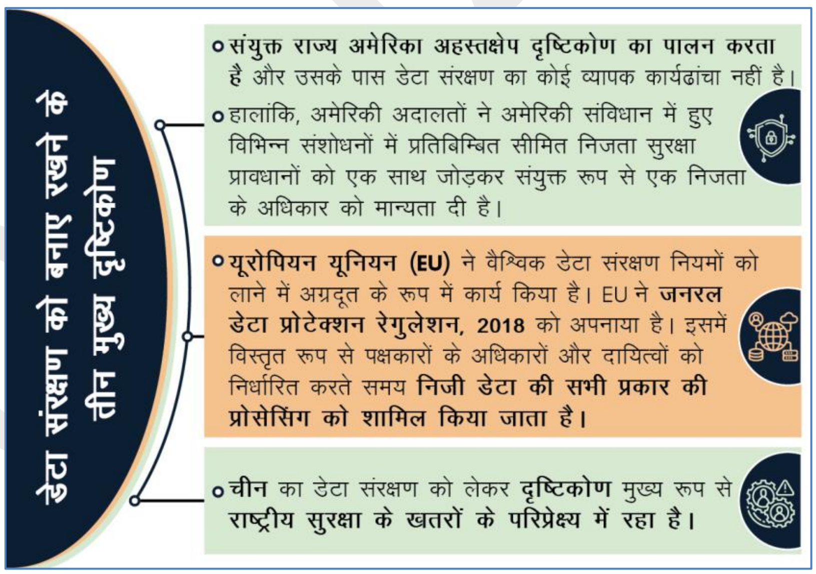

- यह **वैयक्तिक डाटा को संसाधित करने वाले संगठनों के लिए जवाबदेही के उपायों को** स्थापित करता है और अनधिकृत और हानिकारक डाटा प्रसंस्करण के लिए निदान प्रदान कर इसे पूरकता प्रदान करता है।

डाटा संरक्षण की आवश्यकता

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन:** अपर्याप्त सुरक्षा, उपभोक्ता के विश्वास में कमी लाकर नकारात्मक बाजार प्रभाव उत्पन्न कर सकती है और जरूरत से ज्यादा कड़ी सुरक्षा परिणामी प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव के साथ व्यवसायों को अनुचित रूप से बाधित कर सकती है।
- **नई मुद्रा के रूप में डाटा:** उपयोगकर्ता-जनित (user-generated) डाटा में वृद्धि और डाटा के घातांकीय औद्योगिक मूल्य को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि सरकारी निकाय अपने नागरिकों के डाटा अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाएं।
- **डिजिटल संप्रभुता का संरक्षण:** नागरिकों द्वारा सृजित डाटा को एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। अतः इस डाटा को भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के अधीन राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर संग्रहित एवं संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- **निजता के अधिकार से अपेक्षित पात्रताओं को परिभाषित करना:** डाटा संरक्षण कानून हमारे गोपनीयता से संबंधित अधिकारों के दायरे को स्पष्ट करने में सहायता करेगा। यह स्पष्ट करता है कि हमारे वैयक्तिक डाटा एकत्र करने वाले जिम्मेदार संगठन इसके संबंध में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।
- **डाटा संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों को प्राप्त करना:** भारत के लिए डाटा के वैध सीमा पार हस्तांतरण को सुनिश्चित करने और भारत तथा अन्य देशों में रहने वाले नागरिकों के लिए समान स्तर की डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नियमों का एक स्पष्ट समुच्चय (Set) निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

- **महामारी के दौरान डाटा संग्रह में वृद्धि:** डिजिटल संपर्क ट्रेसिंग और सामान्य स्वास्थ्य निगरानी में बड़ी मात्रा में वैयक्तिक और अवैयक्तिक संवेदनशील डाटा संग्रह शामिल होता है। इस तरह के उपाय संभावित रूप से मूल मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के उल्लंघन का कारण बन सकते हैं।
- **साइबर अपराधों का बढ़ता परिष्करण:** ये वर्तमान में अत्यंत संगठित और सहयोगात्मक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट पर उत्पन्न होने वाले डाटा की मात्रा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा जैसी नई तकनीकों के प्रसार से डाटा के दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न होता है।

भारत के लिए डाटा संरक्षण से संबंधित चुनौतियां

- **भारत में डाटा और निजता के संरक्षण से संबंधित कोई व्यापक कानून नहीं है।** वास्तव में जो नीतियां और कानून मौजूद भी हैं, वे अपनी प्रकृति में क्षेत्रीय हैं।
- भारत में **डाटा स्थानीयकरण** अर्थात् देश के भीतर डाटा संग्रह रखने **की क्षमता का अभाव है।**
  - अधिकांश डाटा संग्रह करने वाली कंपनियां विदेशों में स्थित हैं। वे अन्य क्षेत्रों में भी डाटा निर्यात करते हैं, जिससे वहां भारतीय कानूनों को लागू करना कठिन हो जाता है।
- **कई निजी क्षेत्रक की कंपनियां डाटा गतिकी (dynamics) में शामिल हैं,** जिससे एक समान डाटा संरक्षण ढांचे को लागू करना कठिन हो जाता है।

भारत में डाटा संरक्षण

- भारत में डाटा संरक्षण हेतु कोई समर्पित कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में **कुछ अधिनियम/न्यायालय के निर्णय सामान्य रूप से डाटा संरक्षण को कवर करते हैं।**
  - **हाल ही में निजता के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है**, जिसका उद्भव मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 से हुआ है। इसे न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ वाद में मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43A** उपयोगकर्ता के डाटा को दुरुपयोग से संरक्षण प्रदान करती है। लेकिन यह धारा केवल कॉर्पोरेट संगठनों पर लागू होती है न कि सरकारी एजेंसी पर। इसके अतिरिक्त, यह नियम केवल संवेदनशील वैयक्तिक डाटा जैसे किसी की चिकित्सा संबंधी संपूर्ण जानकारी, बायोमेट्रिक जानकारी तक ही सीमित हैं।
  - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम जैसे अन्य अधिनियम** भी वैयक्तिक जानकारी को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

- **प्रौद्योगिकी-संचालित विश्व में डाटा की सत्यता और मात्रा** के कारण, लाखों-करोड़ों और संभवतः अरबों डाटा रिकॉर्ड को संभालना असाधारण हो जाता है।
- डेल टेक्नोलॉजीज द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 66% उत्तरदाता चिंतित हैं कि उनके मौजूदा डाटा **सुरक्षा उपाय मैलवेयर और रैंसमवेयर जैसे खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।** जबकि 74% इस तथ्य से सहमत हैं की **घर से काम करने वाले कर्मचारियों में वृद्धि होने के साथ उनके साइबर खतरों से डाटा हानि के जोखिम के संपर्क में आने की संभावना में वृद्धि हुई है।**

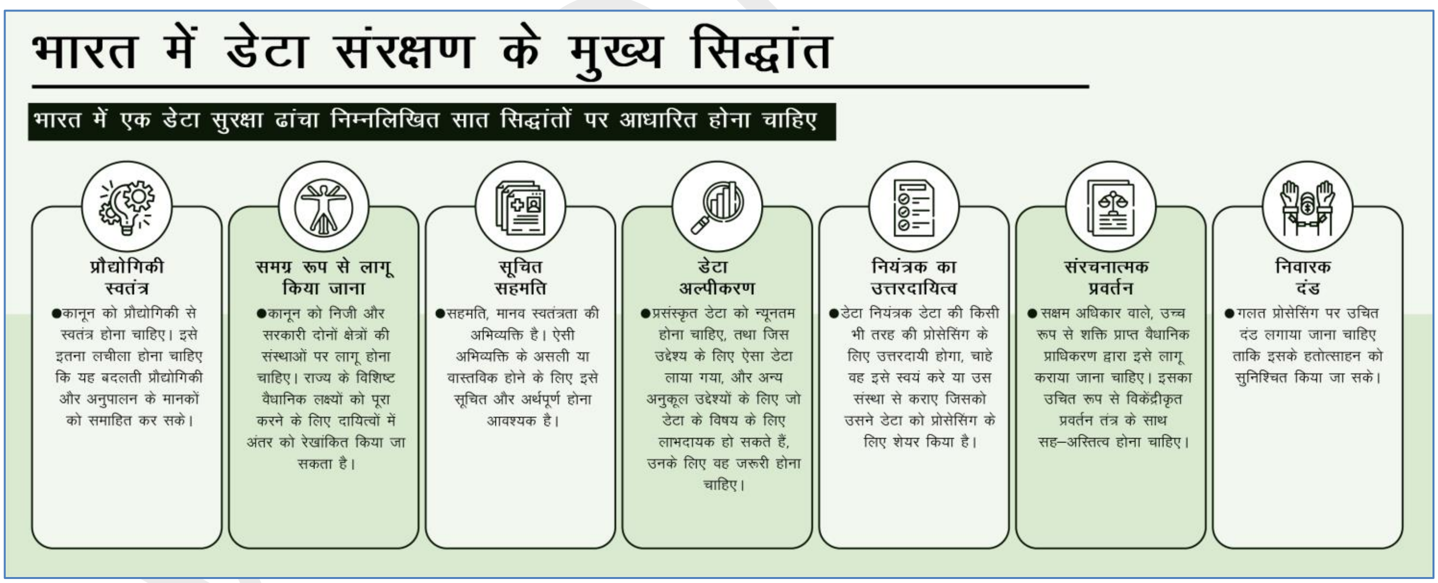

निष्कर्ष

उपयोगकर्ता-जनित डाटा में वृद्धि और डाटा के घातांकीय औद्योगिक मूल्य को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकारी निकाय नागरिकों के डाटा अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

एक सशक्त वैयक्तिक डाटा संरक्षण कानून समय की मांग है। इस तरह के कानून को भारतीयों द्वारा साझा किए गए वैयक्तिक डाटा से संबंधित विशेष चिंताओं एवं आकांक्षाओं, उनके डर और आशाओं को आधारभूत स्तर से समझना चाहिए।

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक (PDP Bill), 2019

प्रावधान	वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक (PDP Bill), 2019 की मुख्य विशेषताएं	संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा की गई सिफारिशें
वैयक्तिक डाटा (ऐसे डाटा जो किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं)	• यह **विभिन्न प्रकार के वैयक्तिक डाटा** के संबंध में चर्चा करता है, जैसे कि ○ **संवेदनशील वैयक्तिक डाटा** (वित्त, स्वास्थ्य, आधिकारिक पहचान-पत्र, यौन जीवन संबंधी, यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक, आनुवंशिकी, ट्रांसजेंडर स्थिति, मध्यलैंगिक स्थिति, जाति या जनजाति, धार्मिक या राजनीतिक विश्वास या संबद्धता से संबंधित)। ○ **महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा** (सैन्य या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित डाटा तथा सरकार इसे समय-समय पर परिभाषित कर सकती है)। ○ **सामान्य वैयक्तिक डाटा-** वे डाटा जो संवेदनशील और महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा के श्रेणी में नहीं आते हैं।	• **अवैयक्तिक डाटा को भी कानून के दायरे में शामिल** किया जाना चाहिए।
प्रयोज्यता (Applicability)	• यह विधेयक **निम्न माध्यमों से वैयक्तिक डाटा के संसाधन को नियंत्रित करता है-** ○ सरकार ○ भारत में निगमित कंपनियां ○ भारत में व्यक्तियों के वैयक्तिक डाटा से संबंधित विदेशी कंपनियां।	
डाटा संग्रहण करने वाली संस्थाओं के दायित्व (एक इकाई या व्यक्ति जो वैयक्तिक डाटा को एकत्र करता है तथा संसाधित करने के साधन और उद्देश्य को निर्धारित करता है)	• वैयक्तिक डाटा को **केवल विशिष्ट, स्पष्ट और वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है।** • सभी **डाटा संग्रह करने वाली संस्थाओं को कुछ पारदर्शिता और जवाबदेही के उपाय करने चाहिए** जैसे: ○ संरक्षण हेतु सुरक्षोपायों को लागू करना (जैसे डाटा एन्क्रिप्शन तथा डाटा के दुरुपयोग को रोकना)। ○ व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।	• कंपनियों को **डाटा अतिक्रमण की रिपोर्ट 72 घंटे के भीतर देनी होगी।** • यदि डाटा प्रिंसिपल (व्यक्ति या संस्था जो डाटा का स्वामी होता है) से संबंधित जानकारी किसी और को दी जाती है तो इसका अनिवार्य रूप से प्रकटीकरण करना होगा। • **वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को डाटा सुरक्षा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करना,** जिन्हें अंततः चूक या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। • **विशेष रूप से बच्चों के डाटा से संबंधित** कंपनियों को **अतिरिक्त अनुपालन** करने की आवश्यकता होगी।
डाटा प्रिंसिपल (जिस व्यक्ति का डाटा एकत्र और संसाधित किया जा रहा है) के अधिकार	• इनमें निम्न अधिकार शामिल है- ○ **डाटा संग्रह करने वाली संस्थाओं** से यह पुष्टि करने का अधिकार कि क्या उनके वैयक्तिक डाटा को संसाधित किया गया है। ○ डाटा संग्रह करने वाली संस्थाओं द्वारा अपने वैयक्तिक डाटा के **निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने का अधिकार है,** यदि यह अब आवश्यक नहीं है या सहमति वापस ले ली गई है। ○ इसमें **भूलाए जाने का अधिकार भी शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन**	• **उस धारा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा जो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण की अनुमति देता है।** यदि अन्य बातों के अलावा यह आवश्यक है, जैसे कि **सरकार से सेवाओं या लाभों के प्रावधान के लिए** या किसी भी कार्रवाई या गतिविधि के लिए सरकार से लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/परमिट जारी करने हेतु।

	प्रकाशित अपने वैयक्तिक डाटा को मिटाने की अनुमति देता है। साथ ही उन्हें फेसबुक और ट्विटर जैसी संस्थाओं से किसी भी डाटा को सार्वजनिक डोमेन से हटाने के लिए आग्रह करने की स्वतंत्रता देता है।	
सोशल मीडिया मध्यस्थ (Social media intermediaries)	• यह विधेयक सोशल मीडिया मध्यस्थों को परिभाषित करता है ताकि मध्यस्थों को इसमें शामिल किया जा सके। यह उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन पारस्परिक क्रिया को सक्षम बनाते हैं तथा जानकारी साझा करने की अनुमति देते हैं। ○ ऐसे सभी मध्यस्थ जिनके पास एक अधिसूचित सीमा से अधिक उपयोगकर्ता हैं तथा जिनकी कार्रवाइयां चुनावी लोकतंत्र या लोक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं, उनके कुछ दायित्व होते हैं। इन दायित्वों में भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए एक स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र प्रदान करना शामिल है।	• किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तब तक संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि **प्रौद्योगिकी को संभालने वाली मूल कंपनी भारत में एक कार्यालय स्थापित नहीं करती है।** • वे **सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,** जो मध्यस्थों के रूप में कार्य नहीं करते हैं, **उन्हें प्रकाशक माना जाना चाहिए।** उनके द्वारा पोषित की जाने वाली विषयवस्तु के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही उनके प्लेटफॉर्म पर असत्यापित खातों की विषयवस्तु के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। • ऐसे सभी प्लेटफार्मों पर विषयवस्तु के विनियमन हेतु भारतीय प्रेस परिषद की तर्ज पर एक **सांविधिक मीडिया विनियामक प्राधिकरण** स्थापित किया जा सकता है।
डाटा संरक्षण प्राधिकरण (Data Protection Authority)	• यह विधेयक एक डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है। यह प्राधिकरण **व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने, वैयक्तिक डाटा के दुरुपयोग को रोकने** और विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने **के लिए कदम उठा सकता है।**	• **डाटा संरक्षण प्राधिकरण (DPA),** जिसे कानून के तहत डाटा को कैसे प्रबंधित और संसाधित किया जाए, यह विनियमित करने के लिए स्थापित किया जाना है, को **सभी मामलों** (न कि केवल नीतिगत मामलों में) **में केंद्र सरकार के निर्देशों से बाध्य** होना चाहिए।
भारत के बाहर डाटा का स्थानांतरण	• संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा को प्रसंस्करण के लिए भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति दी गई हो और जो कुछ अतिरिक्त शर्तों के अधीन हो। हालांकि, ऐसे संवेदनशील वैयक्तिक डाटा को भारत में ही संगृहीत रखा जाना चाहिए। • **महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा को केवल भारत में संसाधित किया जा सकता है।** • संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा के अतिरिक्त अन्य वैयक्तिक डाटा के लिए ऐसे विशेष अधिदेश नहीं होते हैं।	• केंद्र सरकार को **डाटा प्रोत्साहन पर एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए तथा उसकी घोषणा** करनी चाहिए। • विदेशी संस्थाओं के पास पहले से मौजूद **संवेदनशील और महत्वपूर्ण वैयक्तिक डाटा प्रतियों की समयबद्ध तरीके से देश में वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए।** • Ripple (संयुक्त राज्य अमेरिका) और INSTEX (यूरोपीय यूनियन) की तर्ज पर **सीमा पार भुगतान के लिए एक वैकल्पिक स्वदेशी वित्तीय प्रणाली का विकास** किया जाना चाहिए। • सरकार को **सभी डिजीटल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों के औपचारिक प्रमाणन प्रक्रिया** हेतु एक तंत्र स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे डाटा सुरक्षा के संबंध में ऐसे सभी उपकरणों की अखंडता/सत्यनिष्ठा सुनिश्चित होगी।
छूट	• **केंद्र सरकार अपनी किसी भी एजेंसी को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे सकती है:** ○ राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में। ○ उपर्युक्त मामलों से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध (अर्थात्, वारंट के बिना गिरफ्तारी) को घटित होने से रोकने के लिए।	• **JPC ने कई सदस्यों के सुझावों** को स्वीकार नहीं किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि **राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वतंत्रता और किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंताओं को संतुलित करने** की आवश्यकता है। • सदस्यों द्वारा असहमति पत्र में दिए गए तर्कों में निम्नलिखित शामिल हैं: ○ छूट के लिए **आधार के रूप में लोक व्यवस्था को हटाया जाना चाहिए।**

	• **वैयक्तिक डाटा के प्रसंस्करण को भी कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए विधेयक के प्रावधानों से छूट दी गई है जैसे:** ○ किसी भी अपराध के निवारण, जांच या अभियोजन; ○ वैयक्तिक, घरेलू; ○ पत्रकारिता के उद्देश्य से।	○ ऐसी छूट प्रदान करने के लिए **न्यायिक या संसदीय निरीक्षण** की व्यवस्था होनी चाहिए। ○ विशेष एजेंसी को विधेयक के दायरे से छूट प्रदान करने के कारणों सहित एक लिखित आदेश जारी किया जाना चाहिए।

4.2. विधि प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Law Enforcement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने जमीनी स्तर पर पुलिस की आवश्यकताओं के लिए भविष्य की तकनीकों को अपनाने और अंतर-संचालित प्रौद्योगिकियों के विकास का आह्वान किया, जिससे देश भर के पुलिस बलों को लाभ होगा।

पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का महत्व

भारत में, पुलिस से जनसंख्या का अनुपात 150 प्रति 1,00,000 से भी कम है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 222 की सिफारिश की गई थी। इसलिए प्रौद्योगिकी **एक बल गुणक के रूप में कार्य** कर सकती है जिससे विभिन्न तरीकों से पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है:

- **जनता पुलिस इंटरफेस में सुधार:** भारत में अधिकांश नागरिक पुलिस स्टेशन जाने के विचार से डरते हैं। पुलिस तक डिजिटल पहुंच प्रदान करने से नागरिक अपने घर पर आसानी से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए, **पंजाब पुलिस** द्वारा **नागरिक को सेवाएं प्रदान करने वाला पोर्टल, सांझ** शुरू किया गया है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) डाउनलोड करने और चोरी हुए वाहनों एवं खोए हुए मोबाइलों की खोज के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ अन्य सेवाएं प्रदान करता है।
- **अपराध निवारण:** अपराध निवारण में **बिग डाटा** एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसका उपयोग अपराध के तरीके और महत्वपूर्ण गतिविधि या अपराध के स्थान की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** का उपयोग अपराध के प्रकार, समय, स्थान के बीच सहसंबंध का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसके पश्चात निष्कर्षों का उपयोग बीट कांस्टेबलों को अधिक प्रभावी ढंग से तैनात करने हेतु किया जा सकता है जिससे अपराध को कम किया जा सके या रोका जा सके।
    - हाल ही में, सरकार ने **राष्ट्रीय स्वचालित चेहरा पहचान प्रणाली (NAFRS)** के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। यह प्रणाली अपराध की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए या फेस मास्क, मेकअप आदि के बावजूद अपराधी की पहचान करने हेतु चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का उपयोग करेगी।

- **अपराध का पता लगाना:** प्रौद्योगिकी प्रभावी रूप से अपराधी के डिजिटल पदचिह्न प्राप्त करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, **मोबाइल फोरेंसिक** का उपयोग संपर्क, फोटो, SMS, वीडियो इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** का उपयोग उंगलियों के निशान, चेहरे की छवियों से मिलान करने तथा सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। **बिग डाटा** का उपयोग सोशल मीडिया उपकरणों, वित्तीय संस्थानों, यात्रा रिकॉर्ड, होटल में ठहरने, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDRs) और आपराधिक रिकॉर्ड जैसे कई स्रोतों से डाटा को एकीकृत करने के लिए किया जा सकता है।
    - ये तीनों (मोबाइल फोरेंसिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डाटा) अपराधी के बारे में 360-डिग्री दृश्य बनाने और आपराधिक सहयोगियों के बीच संबंधों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं।
- **जागरूकता उत्पन्न करना:** सोशल मीडिया का उपयोग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों तक पहुंच स्थापित करने हेतु किया जा सकता है। जिससे इन एजेंसियों द्वारा ट्रैफिक जाम, साइबर अपराध से कैसे बचें, अफवाहों को कैसे दूर करें, फेक न्यूज का मुकाबला कैसे करें आदि के बारे में जानकारी प्रदान की जा सकती है।
- **आंतरिक दक्षता में सुधार:** मुख्य प्रदर्शन संकेतक जैसे कि आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने में लगने वाला समय, हल किए गए अपराधों के प्रकार, शिकायतों के निवारण में लगने वाला समय, नागरिक प्रतिपुष्टि (फीडबैक) स्कोर का उपयोग किसी अधिकारी के प्रदर्शन को अधिक निष्पक्ष तरीके से निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
- **वास्तविक-समय एकीकरण:** आपराधिक न्याय प्रणाली के पांच स्तंभ अर्थात् पुलिस, न्यायालय, अभियोजन, जेल और फोरेंसिक हैं। इन स्तंभों की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के बीच वास्तविक-समय एकीकरण डुप्लीकेट डाटा प्रविष्टि और त्रुटियों को कम करने में मदद करता है तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।

प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग में चुनौतियां

- **निजता का उल्लंघन:** यह देखा गया है कि आपराधिक जांच में प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां पुलिस वैयक्तिक जानकारियों की जांच करने लगती है, जो कि जांच के लिए प्रासंगिक नहीं होती हैं।
    - उदाहरण के लिए, कुछ देशों में शरीर पर धारण किए जाने वाले कैमरों और कार के भीतर की वीडियो का उपयोग किया जा रहा है, किंतु उन्हें गोपनीयता, डाटा प्रतिधारण और सार्वजनिक प्रकटीकरण नीतियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **विनियमन का अभाव:** प्रौद्योगिकी के उपयोग को विनियमित करने और प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए कानूनों के अभाव में, यह पुलिस पर ही छोड़ दिया जाता है कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है।
- **खर्चीला कार्य:** प्रौद्योगिकी को प्रतिदिन अपडेट किया जा रहा है और परिवर्तित हो रही प्रौद्योगिकी के साथ पुलिस विभाग को अपग्रेड करने की आवस्यकता होती है। हालांकि, प्रौद्योगिकियां महंगी होती हैं और इसलिए उन्हें समय-समय पर बदलने से भारी खर्च का वहन करना होगा।
- **पुलिस अधिकारियों के लिए तनाव में वृद्धि:** कई उन्नत प्रौद्योगिकियों को सीखने और लागू करने में अंतर्निहित तनाव शामिल होता है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रौद्योगिकी को अपनाएं, लेकिन दुर्भाग्यवश, इसे श्रेष्ठतम स्तर पर उपयोग करने हेतु उन्हें आवश्यक उचित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है।

आगे की राह

- **अन्य चिरस्थायी समस्याओं का समाधान:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) द्वारा सामना किए जा रहे अन्य मुद्दों जैसे कि जवाबदेही की कमी, महिलाओं का निम्न स्तरीय प्रतिनिधित्व और हथियारों की कमी के समाधान के लिए लंबे समय से लंबित पुलिस सुधारों के साथ-साथ नवीन तकनीक को अपनाया जाना चाहिए।
- **विनियमन प्रौद्योगिकियां:** वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 और डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 के अधिनियमन में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग और निजता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए आवश्यक नियमों का निर्माण किया जा सके।
- **क्षमता निर्माण:** नई प्रौद्योगिकियों के संबंध में अधिकारियों को पर्याप्त समय तक प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उपकरणों के उपयोग की दक्षता में सुधार कर उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया जा सके और तनाव को कम किया जा सके।

 ©Vision IAS

- **डिजिटल विश्वास का निर्माण:** डिजिटल नैतिकता को आत्मसात करने की आवश्यकता है। यह एक व्यापक ढांचा है जिसमें समाज में डिजिटल विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकी, पारदर्शी डाटा और डिजिटल नैतिकता शामिल हैं।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी न केवल अपराध को नियंत्रित करने में पुलिस की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करने का वादा करती है, बल्कि यह उनकी पेशेवर स्थिति को संवर्धित और वैधता को प्रोत्साहित कर सकती है। ऐसी प्रौद्योगिकियां जो विश्व स्तर पर कानून के प्रवर्तन में सहायता करती हैं उन्हें भारतीय परिवेश के अनुकूल अपनाए जाने व उनके साथ तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है।

4.3. रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance in Defence Manufacturing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधान मंत्री ने **तीनों सेवाओं को स्वदेशी रूप से विकसित** हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH), ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सौंपे।

अन्य संबंधित तथ्य

- उन्होंने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के 400 करोड़ रूपये के संयंत्र की आधारशिला भी रखी। यह **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे** के **झांसी खंड** की पहली इकाई है, जिसे 183 एकड़ में निर्मित किया जाएगा।
- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल** करने पर जोर देते हुए उन्होंने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि हमारे सशस्त्र बलों को **'आत्मनिर्भर'** बनाने के लिए देश का मंत्र **'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड'** है।

भारत के रक्षा औद्योगीकरण का विकास

भारत के रक्षा प्रोत्साहन को **पाँच विभिन्न चरणों** में विभाजित किया जा सकता है:

स्वतंत्रता से 1960 के दशक के मध्य तक	• ब्रिटिश भारत के 18 **आयुध कारखानों** ने **राज्य के नेतृत्व वाले रक्षा उद्योग** की आधारशिला का गठन किया। • **स्वावलंबन (Self-sufficiency)** भारत के औद्योगिक विकास को नियंत्रित करने वाला समग्र आर्थिक सिद्धांत था।
1960 के दशक से - 1980 के दशक तक	• रक्षा उत्पादन में स्वावलंबन (Self-sufficiency) का स्थान **आत्मनिर्भरता (Self-reliance)** शब्द ने ले लिया। • **लाइसेंस उत्पादन और प्रत्यक्ष खरीद** कार्रवाई का प्रमुख तरीका बना रहा।
1980 के दशक के मध्य से 2000 के दशक के प्रारंभ तक	• विदेशी कंपनियों के साथ **सह-विकास और सह-उत्पादन** पर ध्यान केंद्रित किया गया था। • भारत और रूस ने संयुक्त रूप से **ब्रह्मोस के उत्पादन** हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2000 के दशक के मध्य से 2014 के अंत तक	• सरकार ने रक्षा उत्पादन में **निजी क्षेत्रक की शत-प्रतिशत भागीदारी** को अनुमति देने का निर्णय लिया। • **ऑफसेट क्लॉज** (पहली बार वर्ष 2005 में घोषित) के तहत, 300 करोड़ रुपये या उससे अधिक के अनुबंध प्राप्त करने वाली विदेशी कंपनियों को भारतीय रक्षा उद्यमों के लिए अनुबंध मूल्य के **विदेशी मुद्रा घटक का 30 प्रतिशत संबंधित उद्योग में पुनः निवेश करना आवश्यक था।**
2014 से वर्तमान तक	• **मेक इन इंडिया** पहल के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल करना। • पिछले चरण के समान, **निजी क्षेत्रक की व्यापक भागीदारी के माध्यम से** रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। • इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए **राजनीतिक और नौकरशाही इच्छाशक्ति** का एक बड़ा स्तर रहा है।

रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने में आने वाली समस्याएं

- **भारी आयात निर्भरता:** स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों में भी आयात निर्भरता देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, CAG की वर्ष 2011 की रिपोर्ट ने इस तथ्य को उजागर किया था कि **स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH)** के उत्पादन के लिए भी **90 प्रतिशत आयात निर्भरता थी।**
- **एक व्यापक नीतिगत ढांचे का अभाव: एक व्यावहारिक व्यापक प्रोत्साहन नीति का अभाव** भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मुख्य चुनौती है। वर्ष 2019 में रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) द्वारा जारी अधिसूचना कई **वैचारिक और प्रक्रियात्मक अपर्याप्तताओं** से ग्रस्त थी।
  - उदाहरण के लिए, यह शर्त कि 'स्वदेशी उत्पाद हमेशा सस्ता होना चाहिए और उसे आयातित संघटक के उन सभी तकनीकी और कार्यात्मक विनिर्देशों को पूरा करना चाहिए, जिसे वह प्रतिस्थापित करना चाहता है', इसे **अवास्तविक और अव्यवहारिक** बनाती है।

- **आत्मनिर्भरता की निगरानी के लिए तंत्र का अभाव:** इस दिशा में होने वाली **प्रगति की समीक्षा** को सक्षम करने के लिए **कोई संस्थागत तंत्र नहीं** है। खरीद डाटा कई खरीद उप-शीर्षों के तहत दिए जाते हैं और **प्रत्येक उप-शीर्ष स्वदेशी योगदान के सटीक स्तर के बारे में अंशपूर्ण होता है।**
- **हितधारकों के मध्य तालमेल का अभाव:** रामा राव समिति (2008) ने DRDO द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख परियोजनाओं के संदर्भ में **अनुसंधान एवं विकास एजेंसी, उद्योग और उपयोगकर्ताओं** के मध्य तालमेल की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया था।
  - विकास परियोजनाओं में **उपयोगकर्ता की भागीदारी का अभाव** और उत्पादन एजेंसियों की **पहचान में देरी** के कारण **विलंब और अनिश्चितता** हुई है।
- **गुणात्मक आवश्यकताओं (QRs) पर कॉस्मेटिक संबंधी जोर:** अन्य देशों के विपरीत, जहां QRs एक **एकीकृत, पेशेवर एजेंसी** द्वारा तैयार किए जाते हैं, भारत में यह कार्य **व्यक्तिगत सेवा मुख्यालय (SHQs)** द्वारा किया जाता है, जिनके अधिकारियों के पास प्रायः आवश्यक **प्रशिक्षण या विशेषज्ञता का अभाव** होता है।
  - SHQs द्वारा तैयार किए गए QRs प्रायः **घरेलू उद्योग की क्षमता की तुलना में अवास्तविक पाए जाते हैं।**
- **अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश की कमी:** उदाहरण के लिए, आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) में अनुसंधान और विकास संबंधी व्यय उनके **कुल कारोबार (टर्नओवर) के 0.7-0.8% से भी कम है। नई पूंजी पर** व्यय उनके राजस्व व्यय के **1% से भी कम** है।
- **निजी क्षेत्र के समक्ष आने वाली बाधाएं:** ऊर्जा, दूरसंचार, रिफाइनरी, आदि जैसे अन्य क्षेत्रक जो **कर लाभ और अन्य प्रोत्साहनों** का लाभ प्राप्त करते हैं उनकी तुलना में **रक्षा निर्माण क्षेत्र के प्रति भेदभाव किया गया है।**
  - निजी क्षेत्रक ने **भुगतान शर्तों, विनिमय दर भिन्नता और पूंजी की लागत से संबंधित चिंताओं** को भी उठाया है, जो **सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों के साथ-साथ** विदेशी विक्रेताओं के उत्पादों के मुकाबले उनके **उत्पादों को अप्रतिस्पर्धी बना देता** है।
  - स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों/प्रणालियों की खरीद में **कई जांच और परीक्षण शामिल होते हैं जिनमें काफी समय लगता है।** परिणामस्वरूप, ऑर्डर देने में देरी होती है और उद्योग को **अग्रिम उत्पादन योजना** के क्रियान्वयन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
  - **छिटपुट मांग और सीमित बाजार पहुंच** के साथ संयुक्त रूप से रक्षा वस्तुओं की **उच्च लागत और प्रौद्योगिकी-गहन प्रकृति** निजी क्षेत्रक को और अधिक हतोत्साहित करती है।
  - इस उद्योग ने अवसंरचना **उप-क्षेत्रों की सरकार की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची** में अपने को शामिल करने और RBI के परिपत्र में **'अवसंरचना के वित्तपोषण - अवसंरचना ऋण की परिभाषा'** पर इसे शामिल करने की मांग की है।

भारत के रक्षा उद्योग से संबंधित प्रमुख तथ्य

रक्षा खर्च
- वैश्विक सैन्य व्यय में लगभग 3.7% की हिस्सेदारी के साथ विश्व में **सेना पर तीसरा सबसे अधिक खर्च करने वाला देश।**
- रक्षा व्यय भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 2.9% है। वर्ष 2020 में रक्षा पर लगभग 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए।
- वर्ष 2021–22 के बजट में रक्षा संबंधी पूंजीगत परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 18.75% की वृद्धि की गई। यह पिछले 15 वर्ष में की जाने वाली **अधिकतम वृद्धि** है।

रक्षा उद्योग
- रक्षा उद्योग, जिसमें एयरोस्पेस और समुद्री जहाज निर्माण उद्योग शामिल हैं, का **वर्ष 2019–20 में अनुमानित आकार लगभग 80,000 करोड़ रुपये का** था।
- इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान लगभग **63,000 करोड़** रुपये का है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान गत वर्षों के दौरान धीरे–धीरे बढ़कर **17,000 करोड़ रुपये** तक पहुंच गया है।
- वर्ष 2020 तक लगभग 300 **निजी क्षेत्र की कंपनियों** को करीब 500 औद्योगिक लाइसेंस (IL) जारी किए जा चुके हैं।
- रक्षा उद्योग को **8,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** के एक मजबूत आधार का सहयोग प्राप्त है।

रक्षा निर्यात
- वर्ष 2015–20 के दौरान भारत के रक्षा निर्यात में **35 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से बढ़ोतरी हुई और यह 2,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- SIPRI की वर्ष 2020 की रिपोर्ट में **भारत का वैश्विक शस्त्र निर्यातकों में 23वां स्थान था।**
- वर्ष 2019–20 में **85% से अधिक निर्यात अनुज्ञप्तियां (uthorisations)** निजी क्षेत्र को प्राप्त हुईं।

रक्षा आयात
- **वर्ष 2016–20** के बीच, भारत विश्व के **दूसरे सबसे बड़े शस्त्र आयातक** देश के रूप में उभरा। इसकी **वैश्विक शस्त्र आयात में 9.5% भागीदारी** रही।
- हालांकि, वर्ष 2011–2015 के बीच हुए आयात की तुलना में **33% की गिरावट आई।**
- रूस, भारतीय उपमहाद्वीप में शस्त्रों की सबसे अधिक आपूर्ति करने वाला देश है। इस क्षेत्र में कुल आयात का 49% भाग रूस से प्राप्त किया गया।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2000 से जून 2021 के बीच रक्षा क्षेत्र में FDI का अंतर्प्रवाह **10.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (61.52 करोड़ रुपये)** रहा।

रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हाल की पहलें

पहल	विवरण
रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति, 2020 (प्रारूप)	• इसका उद्देश्य **वर्ष 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात** सहित 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार हासिल करना है।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 (DAP)	• **स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित** हथियार प्रणालियों पर ध्यान देने के साथ भारत को **वैश्विक विनिर्माण केंद्र** में रूपांतरित करना।
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची	• रक्षा मंत्रालय (MoD) ने **209 वस्तुओं की एक सूची** तैयार की है, जो कि सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची है। इन वस्तुओं के लिए इनके विरुद्ध सांकेतिक समय सीमा से परे **आयात पर प्रतिबंध होगा।**
प्रौद्योगिकी विकास कोष (TDF)	• सार्वजनिक/निजी उद्योगों विशेषकर **MSMEs और स्टार्ट-अप** की भागीदारी के माध्यम से **रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने** के लिए DRDO के अधीन TDF का निर्माण किया गया है।
अनुकूल FDI नीति	• सरकार ने नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की इच्छा रखने वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को **स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74 फीसदी तक** और **सरकारी मार्ग से 100 फीसदी तक** बढ़ाया है।
रक्षा औद्योगिक गलियारे (DICs)	• सरकार ने **उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों** में एक-एक रक्षा औद्योगिक गलियारे को स्थापित किया है। वर्ष 2024 तक रक्षा गलियारों में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।
रणनीतिक साझेदारी मॉडल	• यह रक्षा विनिर्माण कंपनियों के साथ **दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी** की परिकल्पना करता है, जिसमें वे घरेलू विनिर्माण अवसंरचना की स्थापना के लिए **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** की मांग करने हेतु वैश्विक मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ गठजोड़ करेंगे।

आगे की राह

- **आत्मनिर्भरता का अनुमान लगाने के लिए एक डेटा बैंक का सृजन करना:** रक्षा सेवाओं के प्राक्कलन (DSE) को **स्वदेशी स्रोतों से खरीद** के साथ-साथ आयात और अप्रत्यक्ष आयात पर जानकारी को प्रतिबिंबित करने के लिए **उपयुक्त रूप से संशोधित** किया जाना चाहिए। इससे **आत्मनिर्भरता सूचकांक के प्राक्कलन** में आसानी होगी और की गई प्रगति की निगरानी करने में मदद मिलेगी।
- **रक्षा औद्योगिक नीति वक्तव्य: उन्नत देशों जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया** के अनुभव के आधार पर, जो समय-समय पर रक्षा औद्योगिक नीति वक्तव्य जारी करते हैं, इसी तरह का अभ्यास **रक्षा मंत्रालय (MoD)** द्वारा किया जाना चाहिए।
- **उन्नत रक्षा विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (BRADS) के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देना:** रामा राव समिति ने **संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी (DARPA)**, जो रक्षा क्षेत्र में मौलिक परिवर्तनवादी नवाचार में सबसे अग्रणी रही है, की तर्ज पर कार्य करने के लिए BRADS के निर्माण की सिफारिश की।
  - DARPA जैसी संरचना मिशन मोड में **परिचालन लचीलेपन** और **नौकरशाही-मुक्त वातावरण** में **सर्वोत्तम संभव प्रयोगशालाओं में** अनुसंधान करने की क्षमता के साथ 'भविष्य की आवश्यकताओं' के लिए **नवाचार को बढ़ावा** देने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है।
- **अनुकूल वित्तीय ढांचा:** अनेक देश रक्षा उत्पादन क्षेत्र के परिपोषण और विकास के लिए कई **राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहन** प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया में सरकार ने रक्षा प्रोत्साहन के **प्रारंभिक चरण** के दौरान एक **विशेष रक्षा कर** (जो 15 वर्षों तक लागू रहा) के माध्यम से धन जुटाया।
  - इज़राइल ने 15 प्रतिशत **मूल्य वरीयता** के माध्यम से स्थानीय उद्यमों को **प्रोत्साहित करना जारी रखा है।**
- **अन्य उपाय:**
  - **कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता** को पूरा करने के लिए, सरकार को **परमाणु और अंतरिक्ष विभागों** द्वारा स्थापित संस्थानों की तर्ज पर **समर्पित रक्षा-विशिष्ट विश्वविद्यालयों** का निर्माण करना चाहिए।
  - सरकार को **नामांकन के आधार पर और खरीद प्रक्रिया की समय-सीमा के आधार पर कोई रक्षा अनुबंध नहीं देने** की अपनी स्पष्ट स्थिति पर कायम रहना चाहिए।
  - QRs के निर्माण में **उद्योग की भागीदारी** के संबंध में **सिसोदिया समिति** की सिफारिश को भी लागू किया जाना चाहिए। QR सूत्रीकरण में दक्षता **तीव्र और बेहतर खरीद** को बढ़ावा देगी तथा **यथार्थवादी आवश्यकताओं** को प्रस्तुत करके अधिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।

4.4. मादक पदार्थों का व्यापार (Drugs Trade)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) की वर्ष 2021 की विश्व ड्रग रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में अफीम का उत्पादन विगत पांच वर्षों से बढ़ रहा है, जो इस युद्धग्रस्त राष्ट्र को वैश्विक मादक पदार्थों के व्यापार का केंद्र बनने से रोकने के प्रयासों को कमजोर कर रहा है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **अफगानिस्तान में** पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020 के दौरान अफ़ीम पोस्त की अवैध खेती हेतु उपयोग की जाने वाली भूमि विस्तार में **37% की वृद्धि दर्ज की गई।**
- वर्तमान में, अफगानिस्तान **विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक** देश है। यहां अफ़ीम के वैश्विक उत्पादन का लगभग 87% उत्पादित किया जाता है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के पतन के साथ, मादक पदार्थ**, तालिबान के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत रहें हैं।**
- भारत में नशीली दवाओं की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तीव्र अधिग्रहण के साथ हेरोइन और क्रिस्टल मेथामफेटामाइन की **सीमा पार तस्करी में भारी वृद्धि का संदेह है।**
    - हाल ही में, बेंगलुरु पुलिस ने अफगानिस्तान से अवैध रूप से लाए गए मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में दो ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया था।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी

- पिछले तीन दशकों से **भारत** स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र (Golden Triangle) और स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र (Golden Crescent) में उत्पादित हेरोइन तथा हशीश के लिए एक **ट्रांजिट हब के साथ-साथ गंतव्य स्थल बन गया है।**
    - इसके अतिरिक्त, घरेलू स्तर पर एवं विश्व के विभिन्न भागों में उत्पादित विभिन्न नशीले (साइकोट्रोपिक) और फार्मास्युटिकल पदार्थों तथा अग्रगामी रसायनों का भी भारतीय क्षेत्र के माध्यम से अवैध व्यापार किया जाता है।
- UNODC 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, **भारत** वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2017 तक **भांग (कैनेबिस) की सर्वाधिक अवैध खेती और उत्पादन करने वाले देशों में से एक है।**
- भारत के भीतर, **सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र** उत्तर-पूर्वी भारत (विशेष रूप से मणिपुर) और उत्तर पश्चिम भारत (विशेष रूप से पंजाब) हैं। इनके बाद मुंबई, दिल्ली और अब हरियाणा का स्थान आता है।
- **मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ने के कारण:** अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन में वृद्धि, भारत में अधिक घरेलू मांग, अनुकूल भौगोलिक स्थिति और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा सीमा सुरक्षा बलों की मिलीभगत के कारण यह तस्करी बढ़ रही है।

विश्व ड्रग रिपोर्ट, 2021 की अन्य मुख्य बातें

- विश्व स्तर पर लगभग 275 मिलियन लोगों ने मादक पदार्थों का उपयोग किया और 36 मिलियन से अधिक लोग मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित थे।
- **डार्क वेब पर मादक पदार्थों की बिक्री** लगभग चार गुना **बढ़ गई है।**
- **कोविड का प्रभाव:**
    - कोविड महामारी ने **पहले से विद्यमान तस्करी की गति को और तीव्र कर दिया है।** इनमें बड़े शिपमेंट और भूमि एवं जलमार्गों का बढ़ता उपयोग, निजी विमान एवं उपभोक्ताओं को मादक पदार्थ पहुंचाने के लिए संपर्क रहित तरीके जैसे मेल डिलीवरी आदि शामिल हैं।
    - महामारी के दौरान **भांग (कैनेबिस) और दर्द निवारक औषधि (सेडेटिव्स) के गैर-चिकित्सा संबंधी उपयोग में वृद्धि हुई है।**
    - आर्थिक नुक़सान में वृद्धि और सामाजिक अलगाव की भावनाओं ने पैसा कमाने के लिए **मादक पदार्थों के उपयोग** और **इनकी खेती को बढ़ाने** में योगदान दिया है।

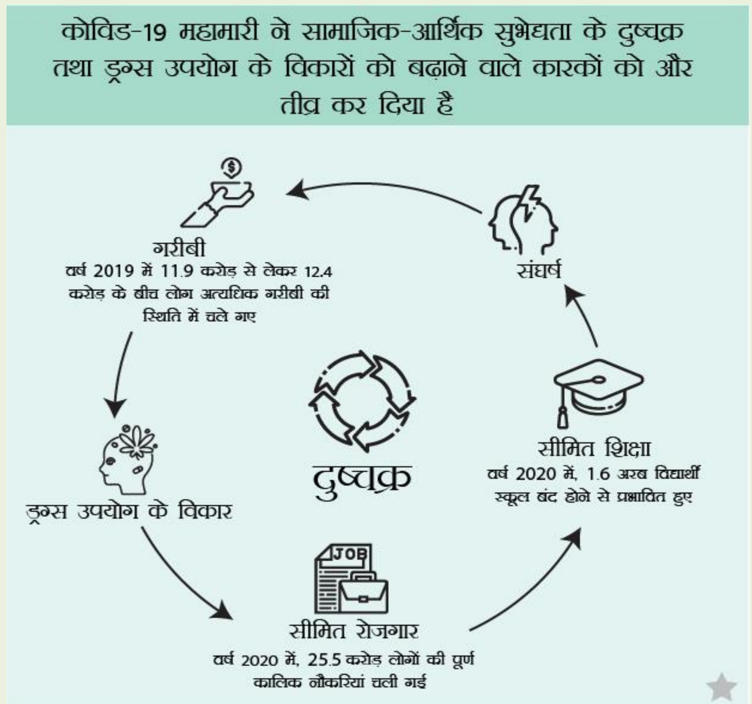

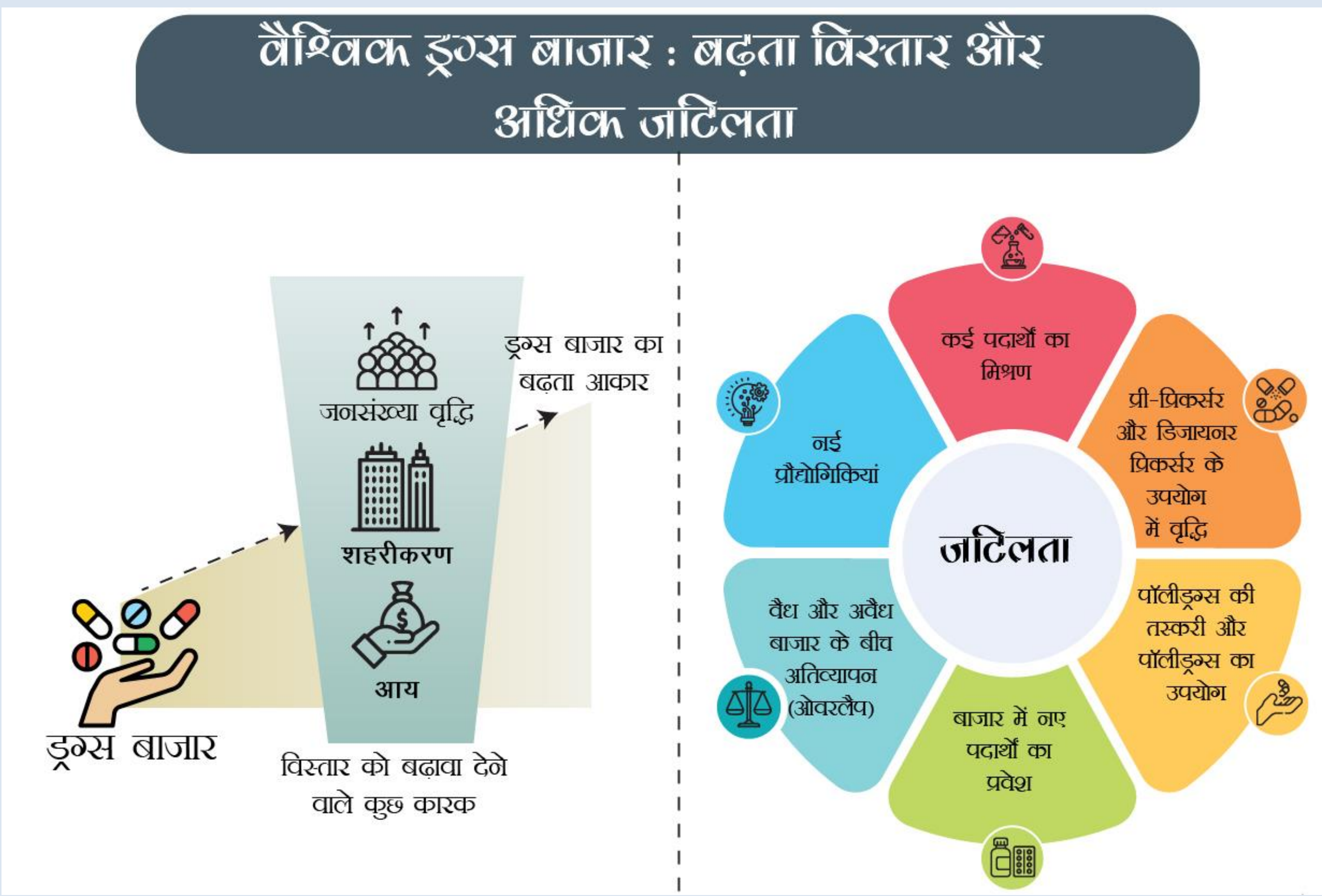

मादक पदार्थों का व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरे के रूप में

मादक पदार्थों और रसायनों की दोतरफा अवैध आवाजाही, भारत की सीमाओं का उल्लंघन करती है और विभिन्न तरीकों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करती है जैसे कि:

- **मादक पदार्थों की तस्करी अन्य संगठित आपराधिक उद्यमों को सुगम बनाती है:** मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के उल्लंघन करने का तात्पर्य यह है कि उन्हीं मार्गों का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के साथ-साथ देश में आतंकवादियों के आवागमन के लिए भी किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, पठानकोट हमले के दौरान, आतंकवादियों ने मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा जांचे और परखे गए मार्गों से पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया।
- **स्वापक-आतंकवाद (Narco-terrorism):** यह मादक पदार्थों के तस्करों, आपराधिक नेटवर्कों और आतंकवादियों के बीच सांठ-गांठ या मिलीभगत है। इसका उद्देश्य आतंकवाद के जरिए राष्ट्र को अस्थिर करना या अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के जरिए इसे कमजोर करना है। उदाहरण के लिए, डी कंपनी (D Company) ने सीमा पार आवाजाही में सहायता प्रदान करके और उन्हें देश में धन एवं आश्रय प्रदान करके भारत में इस्लामी आतंकवादी समूहों की गतिविधियों को आसान बनाया।
- **आतंकवाद वित्तपोषण:** नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों की अवैध बिक्री से उत्पन्न धन का उपयोग भारत में आतंकवादी गतिविधियों और वामपंथी उग्रवाद के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि जम्मू-कश्मीर के उग्रवादियों के वित्त का 15 प्रतिशत मादक पदार्थों की बिक्री के माध्यम से सृजित होता है।
- **मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा मिलता है:** नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर उपलब्धता घरेलू आबादी द्वारा उनकी मांग को प्रोत्साहित करती है। मादक पदार्थों की खपत में वृद्धि से दुराचारी व्यवहार उत्पन्न होता है, जिससे समाज में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा होती है। साथ ही, मादक पदार्थों के व्यसन से पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास के लिए संसाधनों पर व्यय करने और उत्पादन में होने वाली हानि के चलते देश को काफी आर्थिक नुकसान होता है।
    - वर्ष 2018 में भारतीय सेना द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में लगभग 40% युवा किसी न किसी रूप में मादक पदार्थों की लत से पीड़ित थे। यह आंकड़ा वर्ष 2008 में 5% से भी कम था।
- **राज्य संस्थानों पर प्रभाव:** मादक पदार्थों की तस्करी का राजनीतिक प्रक्रिया पर भी सीधा असर पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रग कार्टेल अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए राज्य संस्थानों में अपनी पैठ बना लेते हैं, उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप करते हैं और तत्पश्चात् उनको भ्रष्ट कर देते हैं।

संबंधित जानकारी

ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स (GDPI)

- यह **ड्रग नीतियों** और उनके कार्यान्वयन का **डेटा-संचालित वैश्विक विश्लेषण है।** साथ ही, यह ड्रग नीति के क्षेत्र में **एक आवश्यक जवाबदेही और मूल्यांकन तंत्र** प्रदान करता है।
    - GDPI, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम (Harm Reduction Consortium) की एक परियोजना है।
- इस सूचकांक में **75 संकेतक** शामिल हैं और इसमें **ड्रग नीति** के **पांच व्यापक आयाम शामिल हैं** – आपराधिक न्याय, चरम प्रतिक्रियाएं, स्वास्थ्य एवं हानि में कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं तक पहुंच और विकास।
    - **नॉर्वे एवं न्यूजीलैंड** मानवीय और स्वास्थ्य-संचालित ड्रग नीतियों पर **अग्रणी देश हैं।**
    - **ब्राजील, युगांडा और इंडोनेशिया अंतिम तीन** स्थान पर हैं।
    - **भारत को** 30 देशों में **18वां स्थान प्राप्त हुआ है।**

मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम में आंशिक सफलता के कारण

इन उपायों के बावजूद, भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को केवल आंशिक सफलता मिली है। उसके निम्नलिखित कारण हैं:

- **मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को कम प्राथमिकता दी जाती है,** जिसके कारण संबंधित संगठन मादक पदार्थों के तस्करों को पकड़ने और बाद की जांच में आवश्यक तत्परता प्रदर्शित नहीं करते हैं।
- **प्रणालीगत मुद्दे** जैसे विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, भ्रष्टाचार, सूचनाओं या जानकारी की कमी, ख़ुफ़िया विफलता, जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी, मादक पदार्थ का पता लगाने का खराब प्रशिक्षण और प्रक्रियात्मक देरी।

भारत द्वारा किए गए उपाय

भारत ने नशीले पदार्थों और मादक पदार्थों की आपूर्ति के साथ-साथ मांग को कम करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है:

- **नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट** (NDPS) **जैसे कानून बनाना:** औषधीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों तथा सरकार द्वारा अधिकृत पदार्थों को छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत, सभी नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की खेती, उत्पादन, परिवहन, निर्यात एवं आयात निषिद्ध है।
- गश्त लगाने (Patrolling) और निगरानी को सशक्त करके **सीमाओं एवं तटों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।**
- जागरूकता निर्माण और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 272 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए **नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना (2020-21)।**
- मादक पदार्थों और रसायनों के अवैध व्यापार की रोकथाम पर कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से **पड़ोसी देशों से सहयोग प्राप्त करना।**
    - उदाहरण के लिए, हाल ही में, भारत ने चाबहार और बंदर अब्बास बंदरगाहों से मादक पदार्थों के अंतःप्रवाह को रोकने हेतु ईरान से सहायता मांगी है।
- **स्वयंसेवी संगठनों से सहयोग:** भारत तीन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों, अर्थात्, सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1971 और नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के विरुद्ध कन्वेंशन, 1988 का हस्ताक्षरकर्ता है।

आगे की राह

विभिन्न कानूनों के अधिनियमन ने वास्तव में सरकार को मादक पदार्थों की आपूर्ति और मांग में कमी के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन प्रदान किए हैं। हालांकि, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए सरकारों को अपनी रणनीति में कमियों को दूर करने हेतु सशक्त उपायों के साथ-साथ कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

4.5.1. हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी {Indian Ocean Naval Symposium (IONS)}

- हाल ही में, 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) के **7वें संस्करण** की मेज़बानी **फ्राँसीसी नौसेना द्वारा पेरिस में** की गई।
- IONS की **परिकल्पना भारतीय नौसेना द्वारा वर्ष** 2008 में एक मंच के रूप में की गई थी। यह हिंद महासागर क्षेत्र के **तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का प्रयास** करता है।
- यह क्षेत्रीय रूप से **प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा** के लिए एक मुक्त और समावेशी मंच प्रदान करता है।

4.5.2. आईएनएस विशाखापत्तनम (INS Visakhapatnam)

- हाल ही में, एक P15B **स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, INS विशाखापत्तनम** को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।
    - इसके साथ ही, विशाखापत्तनम श्रेणी के चार में से पहले विध्वंसक को नौसेना में **औपचारिक रूप से शामिल** किया गया है।
- भारत का **स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम** 1990 के दशक के अंत में **तीन दिल्ली श्रेणी** (P-15 वर्ग) के युद्धपोतों के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद **तीन कोलकाता श्रेणी** (P-15A) विध्वंसकों को एक दशक बाद शामिल किया गया था।
- वर्तमान में, P-15B (विशाखापत्तनम श्रेणी) के तहत, **कुल चार युद्धपोतों** की योजना बनाई गई है **(विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल और सूरत)।**

4.5.3. वेला (Vela)

- यह **प्रोजेक्ट-75 की चौथी पनडुब्बी** है। इसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट की तीन अन्य पनडुब्बियां **कलवरी, खंडेरी और करंज** हैं।
- **प्रोजेक्ट-75 में स्कॉर्पीन डिजाइन की छह पनडुब्बियों** का निर्माण शामिल है।
    - स्कॉर्पीन पनडुब्बियां विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकती हैं। इनमें **सतह-रोधी युद्ध, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्रित करना, माइंस बिछाना, क्षेत्र की निगरानी** करना आदि शामिल हैं।
- इन पनडुब्बियों का **निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)** मुंबई में किया जा रहा है।

4.5.4. रक्षा अभ्यास (Defence Exercises)

- **कोर्पेट (CORPAT or Coordinated Patrol) या समन्वित निगरानी का 32वां संस्करण:** यह **भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समन्वित गश्त नौसैनिक अभ्यास** है।
- **शक्ति 2021: भारत-फ्रांस** सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण है।
- **सिटमैक्स-21:** यह **भारत, सिंगापुर** और **थाईलैंड** के बीच **त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास** है।
- **अभ्यास 'सागर शक्ति':** यह **भारत की युद्धक तत्परता का परीक्षण** करने के लिए कच्छ में आयोजित एक व्यापक **'सैन्य अभ्यास'** है।
- **"दोस्ती" सैन्य अभ्यास: मालदीव, भारत** और **श्रीलंका के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती'** का यह 15 वां संस्करण था।

4.5.5. ऑपरेशन संकल्प (Operation Sankalp)

- भारतीय नौसेना के पोत **आईएनएस त्रिकंद को वर्तमान में ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तैनात** किया गया है।
- **ऑपरेशन संकल्प** के तहत भारतीय नौसेना द्वारा इस क्षेत्र में एक **फ्रंट लाइन पोत की तैनाती की जा रही है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
    - व्यापारिक पोतों की **सकुशल और सुरक्षित आवाजाही** सुनिश्चित करना;
    - समुद्री समुदाय में **विश्वास** सृजित करना और
    - क्षेत्रीय समुद्री **सुरक्षा में योगदान** करना।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. कॉप 26 (COP26)

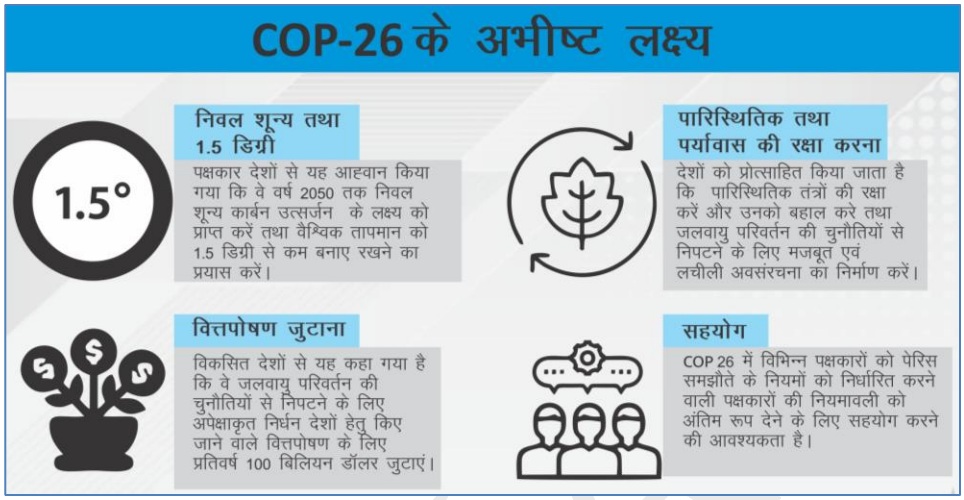

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 26वें सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन के ग्लासगो में संपन्न हुआ।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज {यह क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक के रूप में कार्य करती है (CMP 16)} का 16वां सत्र और पेरिस समझौते (CMA 3) के लिए पक्षकारों की बैठक के रूप कार्य करने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज का तीसरा सत्र भी शामिल था।
- COP26 सम्मेलन का उद्देश्य **पेरिस नियम पुस्तिका[83] को अंतिम रूप देना** है। मैड्रिड में वर्ष 2019 में आयोजित COP25 शिखर सम्मेलन से इस नियम पुस्तिका से संबंधित कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसलिए **संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रक्रिया के "नियम 16"** के तहत इस पर सहमति के लिए इसे अगले वर्ष अर्थात COP26 के लिए अग्रेषित कर दिया गया था।
- यह सम्मेलन UNFCCC के सभी 197 पक्षकारों के **ग्लासगो जलवायु समझौता (GCP)[84]** पर सहमति के साथ संपन्न हुआ। यह एक वैश्विक समझौता है जो इस दशक में जलवायु संबंधी कार्रवाई में तेजी लाएगा और पेरिस नियम पुस्तिका को पूरा करेगा।
    - इस समझौते का उद्देश्य वर्ष 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस (वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के तहत सहमत) तक सीमित करना है। साथ ही, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक 45 प्रतिशत की कटौती और वर्ष 2050 तक समग्र रूप से शून्य उत्सर्जन स्तर को प्राप्त करना है।
- **COP26 के प्रमुख निष्कर्ष**

चर्चा के क्षेत्र	**महत्वपूर्ण निर्णय और प्रगति**
महत्वाकांक्षा	• COP26 के समापन तक, 153 देशों ने वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए **नई जलवायु योजनाएं (इसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDCs के रूप में जाना जाता है)** प्रस्तुत की जानी है। • देशों से वर्ष 2022 के अंत तक जलवायु संबंधी अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से विचार करने और उन्हें मजबूत करने का अनुरोध किया गया है।
जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई	• **इस COP के तहत पहली बार जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध कार्रवाई को स्पष्ट रूप से लक्षित करने हेतु निर्णय लिया गया है।** इसके तहत "कार्बन कैप्चर और संचयन के बिना दहन किए जा रहे कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने" और अकुशल जीवाश्म-ईंधन सब्सिडी को भी "चरणबद्ध रूप से समाप्त करने" का निर्णय लिया गया है।
अनुकूलन	• देशों से **वर्ष 2025 तक वर्ष 2019 के स्तर से अनुकूलन हेतु जलवायु वित्त के अपने सामूहिक प्रावधान को कम से कम दोगुना करने** का आग्रह किया गया है। • संयुक्त राष्ट्र के अनुकूलन निधि के लिए 356 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी, जो इस निधि के लिए सबसे अधिक एकल रूप से जुटाई गई निधि थी। ○ इस निधि का लाभ यह है कि यह विशेष रूप से अनुकूलन संबंधी परियोजनाओं पर केंद्रित है। साथ ही, यह गरीब देशों को ऋण प्रदान करने के बजाय 100% अनुदान पर आधारित है। • **अनुकूलन सम्बंधी वैश्विक लक्ष्य पर शर्म अल-शेख कार्य कार्यक्रम[85]:** इसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में सुभेद्यता को कम करना, लचीलेपन को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अनुकूलित होने में लोगों और हमारे ग्रह की क्षमता को बढ़ाना है।

83 Paris rulebook
84 Glasgow Climate Pact
85 Sharm el-Sheikh Work Programme on the Global Goal on Adaptation

अनुच्छेद 6 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार	• **अनुच्छेद 6,** जिसमें पेरिस समझौते के बाजार और गैर-बाजार-आधारित तंत्र शामिल हैं, को अंतिम रूप दिया गया है। इस अनुच्छेद के संबंध में प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं: ○ **वर्ष 2013 से क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सृजित कार्बन क्रेडिट** (320m टन CO_2 के समतुल्य की राशि) को आगे बढ़ाते हुए पेरिस तंत्र में अग्रेषित (carried over) किया जाएगा, लेकिन वर्ष 2030 तक इसका उपयोग करना होगा। ○ पारंपरिक बाजार तंत्र (अनुच्छेद 6.4) के तहत आय के 5% का उपयोग अनिवार्य रूप से अनुकूलन संबंधी गतिविधियों के वित्तपोषण में किया जाना चाहिए। ○ देशों के मध्य कार्बन क्रेडिट के द्विपक्षीय व्यापार के तहत अनुकूलन के लिए धन का योगदान (अनुच्छेद 6.2) स्वैच्छिक है। ○ **दोहरी गणना से बचना**, जिसमें एक से अधिक देश अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं की गणना के तहत उत्सर्जन में एक ही कमी पर समान रूप से दावा कर सकते हैं। ○ REDD+ (reducing emissions from deforestation and forest degradation+) नामक संयुक्त राष्ट्र योजना के तहत, निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण में कमी से वर्ष 2015 और वर्ष 2021 के दौरान ऐतिहासिक रूप से सृजित कार्बन क्रेडिट के उपयोग का बहिष्कार किया गया है।
हानि और क्षति	• हानि और क्षति हेतु वित्तपोषण के लिए **ग्लासगो डायलॉग** का सृजन किया गया है। • विकसित देशों ने UNFCCC द्वारा स्थापित एक वेबसाइट **सैंटियागो नेटवर्क** का समर्थन करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस वेबसाइट पर विकास बैंकों जैसे संगठनों के लिंक मौजूद हैं जो हानि और क्षति के संबंध में सहायता प्रदान कर सकते हैं।
जलवायु कार्रवाई और समर्थन संबंधी पारदर्शिता पर नियम	• सभी देश प्रारूपों और तालिकाओं के एक साझा और मानकीकृत समुच्चय का उपयोग करके अपने उत्सर्जन और वित्तीय, तकनीकी एवं क्षमता-निर्माण संबंधी समर्थन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने पर सहमत हुए हैं।
साझा समय सीमा	• देशों को उनकी राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए साझा समय-सीमा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ○ इसका आशय यह है कि देशों द्वारा वर्ष 2025 में प्रस्तुत की जाने वाली NDCs के लिए समाप्ति तिथि वर्ष 2035, और वर्ष 2030 में प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिबद्धताओं के लिए समाप्ति तिथि वर्ष 2040 होनी चाहिए।

COP26 वार्ता के दौरान आरंभ की गई स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएं / घोषणाएं / एजेंडा

नाम	**विवरण**	**क्या भारत हस्ताक्षरकर्ता है?**
निर्णायक एजेंडा	यह वर्ष 2030 से पूर्व तक विश्व स्तर पर प्रत्येक उत्सर्जन क्षेत्रक (विद्युत, सड़क परिवहन, इस्पात, कृषि आदि) में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और संधारणीय समाधानों को सबसे किफायती, सुलभ और आकर्षक विकल्प बनाने के लिए मिलकर काम करने हेतु देशों को प्रतिबद्ध करता है।	✓
वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता	यह एक स्वैच्छिक गैर-बाध्यकारी समझौता है। इसके तहत हस्ताक्षरकर्ता देशों ने वर्ष 2030 तक अपने मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30 प्रतिशत की कटौती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।	✗
वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो नेताओं की घोषणा	यह घोषणा देशों को वर्ष 2030 तक निर्वनीकरण और भू-निम्नीकरण को रोकने और पुनर्स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध करती है।	✗
वन, कृषि और वस्तु व्यापार (ACT)[86] विवरण	इसका नेतृत्व संयुक्त रूप से यू.के. और इंडोनेशिया द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य वस्तु-उत्पादन और उपभोग करने वाले देशों के बीच संधारणीय व्यापार का समर्थन करना है।	✗

[86] Forest, Agriculture and Commodity Trade

सतत कृषि नीति कार्रवाई एजेंडा	इसके तहत हस्ताक्षरकर्ता, प्रकृति का संरक्षण करने हेतु तत्काल कार्रवाई और निवेश करने के साथ-साथ कृषि में अधिक संधारणीय तरीकों को अपनाने हेतु सहमत हुए हैं।	✗
"100% शून्य-उत्सर्जन करने वाली कारों और वैन की दिशा में प्रगति हेतु तेजी लाने" पर घोषणा	इसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर वर्ष 2040 (प्रमुख बाजारों में 2035 से पहले) तक यह सुनिश्चित करना है कि सभी बिकने वाली नई कारें और वैन शून्य उत्सर्जन करने वाली हों।	✓
बियॉन्ड ऑयल एंड गैस एलायंस (BOGA)	यह सरकारों और हितधारकों का एक अन्तर्राष्ट्रीय गठबंधन है। यह तेल और गैस के उत्पादन को प्रबंधित आधार पर चरणबद्ध रूप से समाप्त करने को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम कर रहा है।	✗

विवादास्पद मुद्दे जो बने हुए हैं

- **विश्वसनीयता, कार्रवाई और प्रतिबद्धता में अंतराल:**
  - **वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्य अपर्याप्त हैं:** वर्तमान प्रतिबद्धताओं से भी 1.8 से लेकर 2.4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा।
  - **जमीन स्तर पर नीतियों का खराब कार्यान्वयन:** देशों के पास निवल शून्य लक्ष्यों सहित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त कानूनी और प्रशासनिक संरचनाएं तथा लघु और दीर्घावधि वाली रणनीतियों का भी अभाव है।
- **वित्त संबंधी अंतराल:** जलवायु वित्त से संबंधित प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं:
  - **अनिश्चितता और कम पहुंच:** जलवायु वित्त से संबंधित व्यवस्था में एकरूपता का अभाव है। इसके तहत जलवायु वित्त से संबंधित विभिन्न निधियों हेतु अलग-अलग मानदंड मौजूद हैं जो विकासशील देशों के लिए धन तक पहुंचने में अत्यधिक देरी और कठिनाइयों का कारण बनते हैं।
  - **अनुदान आधारित वित्त:** लगभग 71% अनुकूलन वित्त, विकासशील देशों को अनुदान के बजाय ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। यह स्थिति इन देशों की ऋणग्रस्तता का कारण बनती है।
  - **अपर्याप्तता:** विकासशील देशों के लिए बाढ़, सूखे, लू/हीटवेव और अन्य चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि के साथ अनुकूल करने में आने वाली वार्षिक लागत वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष लगभग $ 300 बिलियन और वर्ष 2050 तक $ 500 बिलियन होने का अनुमान है।
  - **अनुकूलन पर कम ध्यान:** वर्ष 2019 में अनुकूलन संबंधी गतिविधियों के लिए कुल जलवायु वित्त का केवल 25% उपयोग किया गया। वैश्विक जलवायु वित्त में योगदान का अधिकांश उपयोग शमन संबंधी गतिविधियों में किया जाता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं जिन्हें अक्सर बेहतर निवेश के विकल्प के रूप में देखा जाता है।
  - **विश्वास संबंधी मुद्दे:** विकसित देश वर्ष 2020 तक गरीब देशों के लिए वार्षिक आधार पर 100 अरब डॉलर की जलवायु वित्त संबंधी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहे हैं। यह लक्ष्य वर्ष 2023 में ही पूरा होने की संभावना है।
- **हानि और क्षति हेतु कड़ी कार्रवाई का अभाव:** विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के संबंध में किसी भी दायित्व और मुआवजे के दावों से लगातार बचा जाता रहा है। ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत हानि और क्षति से संबंधित निधि प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, संरचना या तंत्र जैसे कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है।
- **अन्य मामले:**
  - क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सृजित कार्बन क्रेडिट की सशर्त बिक्री की अनुमति से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य वाली नई और मजबूत परियोजनाएं हतोत्साहित हो सकती हैं।
  - कई देश अभी भी अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस आदि पर निर्भर हैं और उनके लिए इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना मुश्किल होगा।
  - विभिन्न क्षेत्रकों के आधार पर उत्सर्जन में कमी के लिए लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अभाव।

आगे की राह

- **मजबूत और बाध्यकारी राष्ट्रीय कानूनों** के साथ पेरिस समझौते के तहत परिकल्पित 1.5 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देशों को वर्ष 2022 तक अपने लक्ष्यों/महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - राष्ट्रीय निवल शून्य लक्ष्यों का सूक्ष्म रूप से और पारदर्शी आधार पर आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है।
- ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए विद्युत उत्पादन, भवन निर्माण, उद्योग, परिवहन, भूमि उपयोग, तटीय क्षेत्र प्रबंधन और कृषि संबंधी क्षेत्रों में **दूरगामी परिवर्तन करने की आवश्यकता है।** साथ ही, तकनीकी रूप से कार्बन कैप्चर और संचयन करने संबंधी गतिविधियों और जलवायु संबंधित वित्त की व्यवस्था में भी तत्काल वृद्धि करने की आवश्यकता है ।

- मौजूदा जलवायु संबंधी क्षति का सामना करने के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में ग्लासगो हानि और क्षति सुविधा की स्थापना, कमजोर देशों को सहायता प्रदान कर सकती है। इसकी स्थापना हानि और क्षति का समाधान करने के लिए वर्ष 2013 के अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क {जिसे **वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म** (WIM) के रूप में जाना जाता है} के प्रयासों के आधार पर की जा सकती है।
- **कुशल रूप से निष्पादित एक स्टॉकटेक**, जो यह मूल्यांकन करने में सहायता कर सकता है कि क्या राष्ट्र अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं? साथ ही, यह उत्सर्जन में कटौती संबंधी नए लक्ष्यों पर निर्णय लेने में मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकता है।
- **देश** अपने NDC लक्ष्यों के लिए **क्योटो व्यवस्था के तहत मान्यता प्राप्त परियोजनाओं से कार्बन क्रेडिट के उपयोग को स्वेच्छा से त्याग सकते हैं।**

व्याख्या: जलवायु परिवर्तन वार्ता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली/पद

- **हानि और क्षति:** यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संदर्भित करता है जिसे अनुकूलित नहीं किया जा सकता है, और इसके तहत हानि स्थायी प्रकृति की होती हैं। इसमें समुद्र के जल स्तर और तापमान में वृद्धि जैसी मंद गति से आरंभ होने वाली प्रक्रियाओं और बाढ़, तूफान और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं को शामिल किया गया है।
- **अनुच्छेद 6 के तहत बाजार- और गैर-बाजार-आधारित तंत्र:** इसमें महत्वाकांक्षा बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के साथ जलवायु संबंधी लक्ष्यों की दिशा में "स्वैच्छिक सहयोग" के लिए तीन अलग-अलग तंत्र शामिल हैं। इसमें से दो तंत्र बाजारों पर आधारित हैं जबकि तीसरा "गैर-बाजार दृष्टिकोण" पर आधारित है।
    - **अनुच्छेद 6.2** "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार शमन परिणामों" (ITMOs)[87] के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को अभिशासित करता है। इन परिणामों में कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में प्रति टन या नवीकरणीय विद्युत के मामले में किलोवाट घंटे में मापी गई उत्सर्जन कटौती शामिल हो सकती है।
        - उदाहरण के लिए, इसके तहत देश अपनी उत्सर्जन व्यापार योजनाओं को जोड़ सकते हैं या अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ऑफ़सेट खरीद सकते हैं।
    - **अनुच्छेद 6.4** यह विश्व में कहीं भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक द्वारा उत्सर्जन में कटौती से संबंधित कार्बन के व्यापार हेतु एक नए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा', जिसे "सतत विकास तंत्र" (SDM)[88] के रूप में भी जाना जाता है।
    - **अनुच्छेद 6.8** उन देशों के बीच (जहां किसी प्रकार का कार्बन व्यापार शामिल नहीं है) जलवायु सहयोग के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करता है, जैसे कि विकास संबंधी सहायता।

अन्य संबंधित तथ्य: ग्लोबल रेसिलिएंस इंडेक्स इनिशिएटिव (GRII)

- इसे COP26 के दौरान संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)[89], बीमा विकास मंच (IDF)[90], आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)[91] आदि सहित 10 वैश्विक संगठनों द्वारा आरंभ किया गया था।
- यह सभी क्षेत्रकों और भौगोलिक क्षेत्रों में लचीलापन के आकलन के लिए विश्व स्तर पर सुसंगत मॉडल प्रदान करेगा।

COP26 चार्टर ऑफ एक्शन

- इसे ग्लासगो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले **ऊर्जा और संसाधन संस्थान** (TERI)[92] द्वारा आरंभ किया गया था।
- **इसमें भारत के लिए प्रमुख विषयों** जैसे इक्विटी, हरित वित्त, अनुकूलन और प्रत्यास्थता, प्रकृति-आधारित समाधान, ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन तथा व्यापार तथा उद्योग **से संबंधित प्रश्नों और चुनौतियों को शामिल किया गया है।**

निवल शून्य (net Zero) के लिए ग्लासगो वित्तीय गठबंधन (GFANZ)[93]

- GFANZ को मूल रूप से अप्रैल 2021 में पेरिस समझौते के अनुरूप अर्थव्यवस्था के डी-कार्बोनाइजेशन के माध्यम से निवल-शून्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में तेजी लाने हेतु अग्रणी वित्तीय संस्थानों हेतु एक मंच के रूप में आरंभ किया गया था।
    - इसे अब UNFCCC क्लाइमेट एक्शन चैंपियंस और COP26 प्रेसीडेंसी के साथ संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई और वित्त के लिए विशेष दूत द्वारा आरंभ किया गया था।
    - **'निवल शून्य' का उद्देश्य वर्ष 2050 तक निवल-शून्य उत्सर्जन के स्तर को प्राप्त करना है।**
        - यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के **रेस टू जीरो अभियान** के अनुरूप है। यह वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने के लिए कठोर और तत्काल कार्रवाई करने हेतु कंपनियों, शहरों, क्षेत्रों, वित्तीय और शैक्षणिक संस्थानों सहित गैर-राज्य अभिकर्ताओं को एकत्र करता है।
- GFANZ के तहत सदस्यों में **नेट जीरो बैंकिंग एलायंस, नेट जीरो एसेट मैनेजर्स इनिशिएटिव, नेट जीरो एसेट ओनर्स एलायंस, नेट जीरो इंश्योरेंस एलायंस, नेट जीरो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स एलायंस आदि शामिल हैं।**

---

87 Internationally Traded Mitigation Outcomes
88 Sustainable Development Mechanism
89 United Nations Office for Disaster Risk Reduction
90 Insurance Development Forum
91 Coalition for Disaster Resilient Infrastructure
92 The Energy and Resources Institute
93 Glasgow Financial Alliance for Net Zero

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम-वित्त पहल (UNEP FI)[94] के तहत आरंभ किया गया **नेट-जीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA), नवीनतम नेट जीरो गठबंधन है।**
- **अन्य निवल शून्य/नेट जीरो गठबंधनों** में नेट ज़ीरो एसेट मैनेजर्स इनिशिएटिव और यू.एन द्वारा संचालित नेट-ज़ीरो एसेट ओनर एलायंस आदि शामिल हैं।

- **इससे पहले, वर्ष 2019 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पोंसिबल बैंकिंग' (PRBs) को भी आरंभ किया था।** इसके तहत बैंक "संधारणीय पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने ग्राहकों के साथ काम करने" और व्यवसाय संबंधी रणनीति को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित करने हेतु सहमत हुए थे।

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (Climate Change Performance Index: CCPI)

- भारत ने CCPI में **शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में अपना स्थान बरकरार रखा है।**
  - CCPI में **डेनमार्क सर्वोच्च रैंक वाला देश** है (हालाँकि शीर्ष तीन स्थान रिक्त रहे)।
- CCPI के तहत **60 देशों और यूरोपीय संघ** (जो संयुक्त रूप से वैश्विक GHG के 90% से अधिक का उत्सर्जन करते हैं) **का मूल्यांकन चार श्रेणियों** यथा GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति में किया जाता है।
- CCPI को जर्मनवाच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन संबंधी नीति में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु एक साधन के रूप में विकसित किया गया था।

5.2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण (Air Pollution in National Capital Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना या ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)[95] की 'आपातकालीन (Emergency)' श्रेणी के तहत कार्रवाई को कार्यान्वित करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया था।

वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के बारे में

- दिल्ली-एन.सी.आर. में वायु के अत्यधिक प्रदूषित हो जाने की स्थिति में **GRAP अनिवार्य रूप से पालन की जाने वाली एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका है।** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- इसे वर्ष 2016 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- इसमें वायु की गुणवत्ता में गंभीर गिरावट के मामले में स्कूलों को बंद करने और सड़क पर वाहनों के संचालन की सम-विषम योजना (odd-even road-space rationing scheme) को लागू करने जैसे चरम उपाय शामिल हैं।

एन.सी.आर. में उच्च वायु प्रदूषण के कारण

- **वाहन से निकलने वाला धुआं/प्रदूषण:** परिवहन क्षेत्रक PM2.5 उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है और दिल्ली की वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की 80 प्रतिशत मात्रा के लिए भी उत्तरदायी है।
- **औद्योगिक प्रदूषण:** दिल्ली में छोटे पैमाने के उद्योगों के कई औद्योगिक क्लस्टर/संकुल विद्यमान हैं जो वायु, जल या मृदा के संबंध में उत्सर्जन संबंधी मानकों की सीमा को पूरा नहीं करते हैं।
  - साथ ही, दिल्ली के पास स्थित विद्युत ताप संयंत्रों से होने वाले उत्सर्जन के कारण भी इस क्षेत्र की हवा प्रदूषित होती है।
- **पराली दहन:** जैसे ही नया फसली मौसम आरंभ होता है, किसानों द्वारा फसल की कटाई के बाद खेतों को साफ़ कर अगली फसल के लिए तैयार करने हेतु धान के डंठल और पुआल जैसे अवशेषों को जलाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली एन.सी.आर. सहित उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में धूम कोहरे (smog) की एक सघन परत विद्यमान हो जाती है।

94 United Nations Environment Programme-Finance Initiative
95 Graded Response Action Plan

- **निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियां:** निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली बारीक़ धूल का धूम कोहरे/स्मॉग के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC)[97] के अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में 30 प्रतिशत वायु प्रदूषण, निर्माण स्थलों से उत्पन्न होने वाली धूल के कारण होता है।
- **खुले में कचरा/अपशिष्ट जलाना:** IIT कानपुर के एक अध्ययन के अनुसार, खुले में कचरा जलाने पर नियंत्रण करने से दिल्ली की हवा में प्रदूषकों के स्तर को 10% तक कम किया जा सकता है।
- **ईंधन का दहन:** दिल्ली में सर्दियों के मौसम के दौरान विशेष रूप से निर्धन लोगों द्वारा खाना पकाने और ठंड से बचने संबंधी उद्देश्यों के लिए ईंधन को जलाने से पर्यावरण में राख और कार्बन मोनो-ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
- **भौगोलिक अवस्थिति और जलवायु दशाएं:** देश के आंतरिक भाग में अवस्थिति और कठोर सर्दियों के कारण (बॉक्स देखें), समान उत्सर्जन स्तरों वाले अन्य महानगरीय शहरों की तुलना में इस क्षेत्र की हवा को साफ करने/स्वच्छ बनाने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है।
- **अन्य स्रोत:** डीजल जनरेटर सेट के माध्यम से स्वस्थाने/इन-सिटू विद्युत उत्पादन सहित धूल भरी आंधी, वनाग्नि आदि से होने वाले मौसमी उत्सर्जन भी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को बढ़ाते हैं।

सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के कारण

- **तापमान प्रतिलोमन:** कम सतही तापमान से तापमान प्रतिलोमन[96] वायुमंडल की निचली परतों में होने लगता है, जिससे प्रदूषक वायुमंडल के निचले स्तर पर ही फंसे रह जाते हैं।
- **सघन वायु:** ठंडी सघन वायु की गति मंद होती है, जिससे वे प्रदूषकों को बहा ले जाने या तितर-बितर करने में असमर्थ होती हैं। इसके परिणामस्वरूप दृश्यता संबंधी समस्या उत्पन्न होती है।
- **कटाई पूर्व का मौसम और पराली दहन:** यह गतिविधि दिल्ली में सर्दियों के आरंभ के समय के साथ मेल खाता है।
- **पटाखों को जलाना:** दिल्ली में सर्दियों के आरंभ के आस-पास दीपावली के दौरान पटाखे जलाने से भी अल्पावधि के लिए वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **ठण्ड से बचने के लिए कचरे/अपशिष्ट को जलाना:** दिल्ली की हवा में क्लोराइड की उपस्थिति, नगरपालिका अपशिष्ट को जलाने और सड़कों पर ठंड से बचने के लिए लोगों द्वारा प्लास्टिक तथा रबर के टायरों को जलाने का संकेत देती है।

वायु प्रदूषण के प्रभाव

स्वास्थ्य

- सूक्ष्म कण (PM2.5) स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक जोखिम प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। ये व्यक्ति के फेफड़ों तथा रक्त संचार में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं।
- इन सूक्ष्म कणों का प्रभाव पड़ने से फेफड़ों की कार्यप्रणाली प्रभावित हा` सकती है और अस्थमा तथा हृदय रोगों में परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं।

अर्थव्यवस्था

- दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के कारण कॉर्पोरेट कंपनियों के प्रमुख यहाँ से बाहर की और रुख कर सकते हैं और भारत तथा विदेश में अन्य शहरी समुदायों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
- PM10 प्रदूषण की अनुमानित आर्थिक लागत वर्ष 1995 से 2015 के दौरान तिगुनी हो गई है।

पर्यावरण

- वायु प्रदूषण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली और उसकी विकास प्रक्रिया की क्षमता को प्रभावित करता है।

शिक्षा

- यदि स्कूल लगातार बंद रहेंगे तो छात्रों की शिक्षा में कमी रह सकती है।
- वायु प्रदूषण का उच्च स्तर छात्रों की समझने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।

कृषि

- वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है।
- जमीनी स्तर का ओजोन फसल और वनोत्पाद को भी प्रभावित करता है जिससे आगे पौधों के अंकुरण और वृद्धि की संधारणीयता बाधित होती है।

इस क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **10 सूत्रीय कार्ययोजना:** यह एक 10 सूत्रीय योजना है जिसमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए दस कदम/प्रयास शामिल हैं। इसमें पराली दहन के लिए पूसा संस्थान की सहायता से डीकंपोजर तैयार करना, पटाखों पर प्रतिबंध, स्मॉग टावरों की स्थापना, इको वेस्ट पार्क का निर्माण करना आदि शामिल हैं।
- **कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए कड़े प्रदूषण मानदंड:** केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए प्रदूषण संबंधी मानदंडों को कठोर किया था।

[96] temperature inversion
[97] Delhi Pollution Control Committee

- हालांकि, इसके क्रियान्वयन को पूर्व-निर्धारित वर्ष 2017 से बढ़ाकर वर्ष 2022 कर दिया गया है।
- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)[98]:** यह देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध, राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है।
  - इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक कणिकीय पदार्थ (PM)[99] के संकेन्द्रण में 20% से 30% की कमी करना है। इस लक्ष्य हेतु PM के संकेन्द्रण के संबंध में आधार वर्ष 2017 निर्धारित किया गया है।
- **भारत स्टेज मानदंड:** दिल्ली अपने क्षेत्र में वाहनों के लिए उच्चतम उत्सर्जन मानक यथा भारत स्टेज VI को लागू करने वाला देश का पहला शहर था।
  - भारत स्टेज (BS) उत्सर्जन मानदंड, मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषकों को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित मानक हैं।
- **उद्योगों में प्रौद्योगिकी उन्नयन:** प्रदूषण के उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के लिए विशेष रूप से ईंट भट्ठा उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन किया गया है।
- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)[100]:** इसका गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के संबंध में बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान करना है।
- **सस्ते ईंधन पर प्रतिबंध:** उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पेट्रोलियम कोक या पेटकोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति:** दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, कार, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और माल वाहक वाहन खरीदने के लिए मांग आधारित आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **अन्य अल्पकालिक उपाय:** केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा समय-समय पर किये गए उपायों में पटाखों पर प्रतिबंध, ऑड-ईवन फॉर्मूला, अन्य राज्यों से वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध आदि शामिल हैं।

दिल्ली-एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण से निपटने के समक्ष चुनौतियां

- **पहले से किए गए सक्रिय उपायों का अभाव:** इस क्षेत्र में प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से किए गए सक्रिय (pre-emptive) और अग्रिम उपायों का अभाव है, जबकि प्रदूषण संबंधी गंभीर दशाओं के दौरान तदर्थ (ad-hoc) उपायों को लागू करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **महत्वपूर्ण मानदंडों का अनुपालन न करना:** वायु की बेहतर गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु प्रदान किए गए विभिन्न मानदंडों का सरकार के सभी स्तरों पर अपर्याप्त रूप से अनुपालन किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए, सरकार और स्थानीय नगर निगमों द्वारा निर्माण उद्योग से संबंधित पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन, जैसे मलबे को ढक कर रखना और अपशिष्ट का प्रबंधन करना आदि को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं किया जाता है।
- **पड़ोसी राज्यों से अपर्याप्त सहायता:** दिल्ली एक स्थलरुद्ध (landlocked) केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी वायु गुणवत्ता पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करती है। हालांकि, अन्य राज्यों में प्रदूषण को रोकने संबंधी नीतियों में भिन्नताएँ विद्यमान हैं।
  - उदाहरण के लिए, दिल्ली के कई पड़ोसी राज्यों में पेटकोक जैसे सस्ते ईंधन का अभी भी उपयोग किया जा रहा है।
- **नौकरशाही संबंधी उदासीनता:** हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से नौकरशाही संबंधी उदासीनता की ओर इशारा करते हुए नौकरशाही की आलोचना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली-एन.सी.आर. क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु लिए जाने वाले सभी आसान या मुश्किल मामलों के संबंध में निर्णय लेने की जिम्मेदारी न्यायालय पर छोड़ दी गई है।
- **जनता के समर्थन का अभाव:** यह सम-विषम (ऑड-ईवन) नियम और पटाखों पर प्रतिबंध, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध के अनुपालन में जनता की अनिच्छा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथ ही, निर्माण संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंधों को लेकर बिल्डरों द्वारा भी विरोध किया जाता रहा है।

आगे की राह

- **समर्पित वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रकोष्ठ:** दिल्ली के लिए एक समर्पित वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रकोष्ठ को स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि GRAP का एक निवारक उपायों के रूप में उपयोग किया जा सके, ना कि वायु की गुणवत्ता एक निश्चित खतरनाक स्तर तक पहुँचने के बाद इसका उपयोग किया जाए।
- **व्यवहार परिवर्तन:** कारपूलिंग करना, सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग करना, संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन को अपनाना इत्यादि जैसी हरित पद्धतियों की दिशा में उपयुक्त प्रोत्साहनों के माध्यम से सार्वजनिक व्यवहार को इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए।
- **ईंधन कुशल, शून्य और कम उत्सर्जन करने वाले वाहनों को बढ़ावा देना:** इसे मोटर वाहनों, ई-वाहनों में सी.एन.जी. के उपयोग के संबंध में कर संबंधी प्रोत्साहन जैसे उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

---

[98] National Clean Air Programme
[99] Particulate Matter
[100] Commission for Air Quality Management

- **क्षमता निर्माण:** वायु प्रदूषण संबंधी महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में नीति निर्माताओं और जनता के मध्य अधिक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।
- स्रोत/उद्गम क्षेत्र पर ही वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब आदि के साथ कुशल **अंतर-राज्यीय समन्वय** की आवश्यकता है।

5.3. हरित पोत परिवहन गलियारों के लिए 'क्लाइडबैंक घोषणा-पत्र' (Clydebank Declaration for Green Shipping Corridors)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व के 22 देशों के गठबंधन द्वारा वैश्विक समुद्री उद्योग में वि-कार्बनीकरण (decarbonisation) को गति प्रदान करने के लिए बंदरगाहों के मध्य शून्य उत्सर्जन पोत परिवहन व्यापार मार्गों को सृजित करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा **'**ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत **ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स के लिए क्लाइडबैंक घोषणा'** पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत वर्ष 2025 तक कम से कम **6 हरित गलियारों (पोत परिवहन मार्गों) की स्थापना** का समर्थन करने के प्रति सहमति व्यक्त की गई है।
    - **हरित गलियारों / ग्रीन कॉरिडोर** को **दो प्रमुख बंदरगाह केंद्रों के बीच पोत परिवहन मार्ग के रूप में परिभाषित** किया गया है, जिस पर **सार्वजनिक और निजी प्रयासों द्वारा शून्य-उत्सर्जन करने वाले पोतों से संबंधित तकनीकी, आर्थिक और विनियामकीय व्यवहार्यता को तीव्रता से लागू किया जाता है।**
- **भारत ने अभी तक इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए** हैं।
- कार्बन तटस्थ रणनीति के तहत **शून्य-कार्बन ईंधन पर चलने वाले पोतों का उपयोग करना** और **बंदरगाह अवसंरचना का उन्नयन करना** होगा।

भारतीय पोत परिवहन परिदृश्य

- भारत, **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)** का सदस्य है और **समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (MARPOL)**[101] का हस्ताक्षरकर्ता है।
- हाल ही में, भारत द्वारा IMO के तहत **वर्ष 2050 तक पोत परिवहन उद्योग के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 50% की कटौती करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।** लगभग 7500 किमी की तटरेखा और 12 बड़े और 200 छोटे बंदरगाहों के साथ, **भारत विश्व का 16 वां सबसे बड़ा** समुद्री देश है।
- **मात्रा के हिसाब से देश का लगभग 95% व्यापार (मूल्य की दृष्टि से 70%)** समुद्री मार्गों के माध्यम से होता है।
- भारत **रणनीतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर** अवस्थित है और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले पोतों को मरम्मत और रखरखाव संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।

भारत में हरित पोत परिवहन के समक्ष चुनौतियां

- **अपर्याप्त अवसंरचना:** भारत में परिवहन के विभिन्न माध्यमों (रेलवे, राजमार्गों के साथ जलमार्ग की कनेक्टिविटी) के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करने वाली संरचना में पर्याप्त गुणवत्ता का अभाव है। इसके परिणामस्वरूप अधिकाधिक कार्गो की ढुलाई पोत परिवहन के द्वारा की जाती है जिससे उत्सर्जन होता है।
- **निवेश की कमी:** पोत परिवहन उद्योग को मौजूदा पोतों को पर्यावरण के अनुकूल पोतों में बदलने के लिए निवेश संबंधी निधि प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का उपयोग**: पोत परिवहन में उपयोग होने वाले ईंधन में सल्फर की उच्च मात्रा होती है और इन ईंधनों के दहन पर सल्फर डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। इस प्रकार ऐसे ईंधनों से होने वाले उत्सर्जन से पर्यावरणीय क्षति होती है।
- **प्रतिकूल मौसमी दशाएं:** भौगोलिक रूप से, भारत में पवनों के मौसमी उत्क्रमण के साथ-साथ प्रायः परिवर्तनशील स्थानीय मौसमी दशाओं का सामना करना पड़ता है। इससे पोत परिवहन मार्गों में अधिक विचलन, अधिक ईंधन की खपत होती है और इसलिए अधिक उत्सर्जन होता है।

आगे की राह

- **कम सल्फर मात्रा वाले कच्चे तेल का उपयोग करना:** भारत द्वारा ईंधन में सल्फर की सीमा वर्तमान 3.5% से घटाकर 0.5% कर दी गई है क्योंकि भारत, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) का सदस्य है।
- **मौजूदा पोतों में पर्यावरण अनुकूलन बदलाव करना:** जैव ईंधन से चलने के लिए पोतों के इंजनों में आवश्यक बदलाव करना और इनमें स्क्रबर लगाने से उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **मार्ग नियोजन:** न्यूनतम दूरी वाले मार्गों का उपयोग करना और साथ ही पोतों को इष्टतम गति से चलाना चाहिए जिससे ईंधन की खपत तथा उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।

---

101 International Convention on Prevention of Marine Pollution

- **हरित जहाज पुनर्चक्रण:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा अलंग, गुजरात में पोत पुनर्चक्रण की 'बीचिंग' (Beaching) प्रणाली को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे पोतों को पुनर्चक्रण हेतु विखंडित करने से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि पोतों को पुनर्चक्रण हेतु विखंडित करना एक अत्यंत प्रदूषणकारी गतिविधि है।
- **हरित बंदरगाह निर्माण:** हरित बंदरगाहों का पारिस्थितिक पदचिह्न (ecological footprint) बहुत कम होता है। ऐसे बंदरगाहों द्वारा विकास के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों को परस्पर संतुलित किया जाता है। भारत अपने प्रत्येक बड़े बंदरगाह की कुल विद्युत मांग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 60% करने की मंशा रखता है, जो वर्तमान में मात्र लगभग 10% है।

5.4. राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण (National Interlinking of Rivers Authority: NIRA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने भारत में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विशेष निकाय यथा 'राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण' (NIRA)[102] के गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान की है।

राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना प्राधिकरण (NIRA) क्या है?

- NIRA देश में नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की योजना बनाने, जांच करने, वित्त पोषण और कार्यान्वयन के लिए **एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय** है।
- NIRA की **अध्यक्षता, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी** द्वारा की जाएगी।
- यह मौजूदा **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA)** की जगह लेगा और नदियों को जोड़ने वाली **सभी परियोजनाओं के लिए एक छत्रक निकाय के रूप में कार्य** करेगा।
- **NIRA का कार्य**
  - जल शक्ति मंत्रालय या विदेश मंत्रालय के निर्देशानुसार **पड़ोसी देशों और संबंधित राज्यों तथा विभागों के साथ समन्वय** स्थापित करना।
  - इसे नदी जोड़ो परियोजनाओं और उनके कानूनी पहलुओं के तहत **पर्यावरण, वन्य जीव तथा वन स्वीकृति से संबंधित मुद्दों के संबंध में अधिकार प्राप्त है।**
  - **यह धन जुटाने हेतु अधिकृत है।** साथ ही, यह उधार ली गई धनराशि या जमाराशि पर प्राप्त धन या ब्याज पर दिए गए ऋण के संग्राहक (repository) के रूप में कार्य करेगा।
  - इसके पास अलग-अलग नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए एक **विशेष प्रयोजन साधन (SPV) स्थापित करने** की शक्ति है।

केन-बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना (RLP)

- हाल ही में, केंद्रीय कैबिनेट ने **केन-बेतवा** RLP **के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को स्वीकृति** प्रदान की है।
- यह **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना** (NPP) के तहत नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना है।
- केन-बेतवा RLP के तहत **दौधन बांध और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर के निर्माण के माध्यम से केन से बेतवा नदी तक जल पहुँचाया जाएगा।** ये दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं।
- इसके तहत **जल अधिशेष क्षेत्रों से बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा प्रवण और जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल पहुंचाया जाएगा।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसका कार्यान्वयन एक विशेष प्रयोजन साधन (SPV) यथा केन-बेतवा संपर्क परियोजना प्राधिकरण (KBLPA) द्वारा किया जाएगा।
- हालांकि, ऐसी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व आंशिक रूप से जलमग्न हो जाएगा और गिद्धों तथा सियारों का पर्यावास प्रभावित होगा।

केन और बेतवा नदी के बारे में			
नदी	**उद्गम**	**नदी बेसिन**	**अन्य विशेषताएं**
केन नदी	कैमूर हिल्स (जबलपुर)	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश	• यह नदी पन्ना से होते हुए बहती है और अंतिम सहायक नदी के रूप में यमुना में मिल जाती है।

[102] National Interlinking of Rivers Authority

भारत में नदी जोड़ो (ILR) कार्यक्रम के बारे में

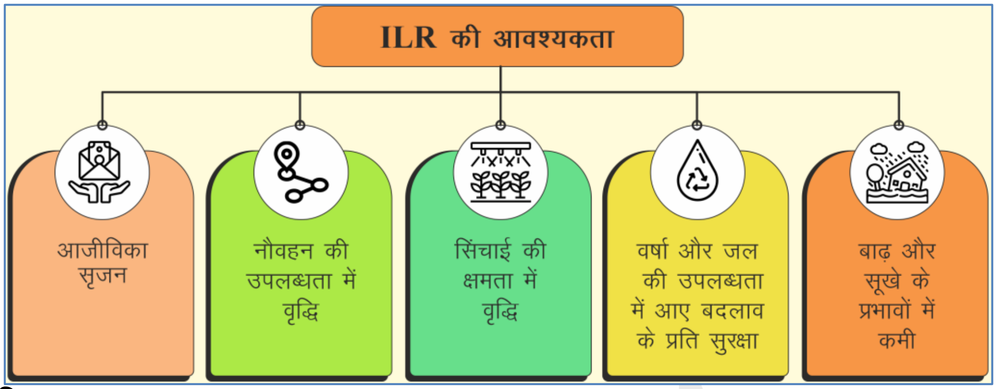

- **ILR की पृष्ठभूमि:**
  - भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की प्रारंभिक योजना का सुझाव वर्ष 1858 में एक **ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था,** उन्होंने नौवहन उद्देश्यों के लिए **गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का सुझाव दिया** था।
    - लेकिन भारतीय नदियों को आपस में जोड़ने का विचार कुछ दशक पहले स्वतंत्र रूप से एम. विश्वेश्वरैय्या, के.एल. राव और डी.जे. दस्तूर द्वारा पुनर्जीवित किया गया था।
  - वर्ष 1980 में, तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) द्वारा **राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP)** तैयार की गई थी।
    - NPP के तहत, **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA)** ने 30 लिंक (16 प्रायद्वीपीय क्षेत्र से संबंधित और 14 हिमालयी क्षेत्र से संबंधित) की पहचान की है। (मानचित्र देखें)
  - ILR कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सितंबर, 2014 में **"नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति"** का गठन किया गया है।
  - **जल शक्ति मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ILR की प्रगति की निगरानी** की जाती है।
- **ILR का उद्देश्य:** इसका उद्देश्य देश की विभिन्न **जल अधिशेष वाली नदियों को जल की कमी वाली नदियों से जोड़ना** है, ताकि अधिशेष क्षेत्र से अतिरिक्त जल को जल की कमी वाले क्षेत्र में पहुंचाया जा सके।
- अभी तक, **छह ILR परियोजनाएं तैयार की गयीं हैं:** इसमें केन-बेतवा, दमनगंगा-पिंजाल, पार-तापी-नर्मदा, मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा, महानदी-गोदावरी, और गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) शामिल हैं।

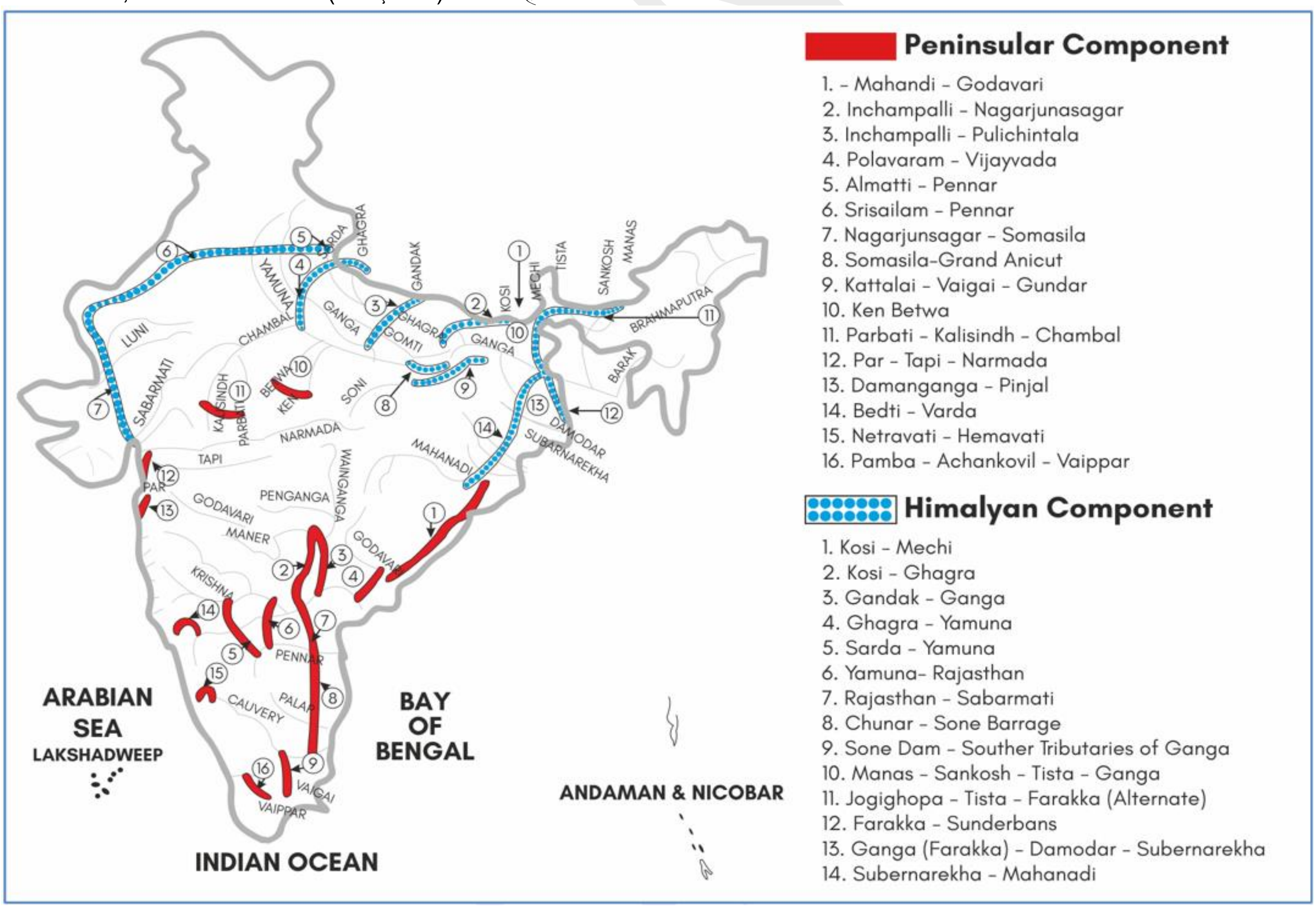

ILR के बहुआयामी लाभ

- **किफायती:**
  - **सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि:** इससे विशेष रूप से कृषि, लॉजिस्टिक्स आदि जैसे क्षेत्रों के तहत आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के अवसरों और सेवा क्षेत्रक में भी वृद्धि होगी।
  - **बेहतर सिंचाई सुविधा:** कृषि के विकास के लिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण इनपुट है। उदाहरण के लिए, भाखड़ा बांध के परिणामस्वरूप पंजाब और हरियाणा में बांध-नहर के नेटवर्क और भूजल पंपिंग के माध्यम से सिंचाई की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है।
  - **नौपरिवहन:** नदियों को जोड़ने वाली बड़ी नहरों से अंतर्देशीय नौपरिवहन की क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है।
  - **परिवहन:** इससे भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप कच्चे माल और उत्पादों का परिवहन तीव्र और लागत प्रभावी होगा।
- **पर्यावरण संबंधी:**
  - **बाढ़ और सूखे का समाधान:** इससे देश भर में बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान, जल अधिशेष वाले क्षेत्रों से नदी के जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करके किया जा सकेगा।
  - **जल उपलब्धता:** इसके तहत वैकल्पिक और बारहमासी जल संसाधन उपलब्ध कराकर, जल संकट का समाधान किया जा सकेगा। इससे निर्धन वर्ग को अधिक से अधिक समानता के साथ पीने योग्य जल उपलब्ध हो पाएगा।
- **सामाजिक:**
  - ILR से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और खाद्यान्न के मूल्यों में अस्थिरता को कम करने में सहायता मिलेगी, जिससे **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित हो सकेगी।
  - इससे जल के लिए लंबी दूरी तय करने वाली **महिलाओं और लड़कियों पर बोझ कम होगा।**
  - **रोग के बोझ** (असुरक्षित पेयजल के कारण) **को कम करके संबंधित** क्षेत्र में **स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा।**
  - इससे संबंधित क्षेत्र से **संकटग्रस्त प्रवासन को रोकने में सहायता मिलेगी।**

ILR से जुड़ी चुनौतियां

- **किफायती:** नदियों को जोड़ने वाली नहरों के निर्माण के साथ-साथ निगरानी और रखरखाव संबंधी अवसंरचना के संबंध में नदियों को आपस में जोड़ना एक महँगी योजना है।
- **पर्यावरण संबंधी:**
  - **मानसून प्रणाली का बाधित होना:** बांधों का निर्माण हिमालय के वनों के समक्ष संकट पैदा कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरुप मानसून कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है।
  - **अवसादन:** अवसादन (Sedimentation) की तीव्र दर के कारण कई सिंचाई परियोजनाओं का जीवन काल और लाभ काफी कम हो गया है।
  - **वनों की कटाई:** नहरों का निर्माण करने के लिए भूमि की आवश्यकता के कारण कुछ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर वनों की कटाई करनी होगी।
  - **समुद्री जीवन के लिए खतरा:** इससे समुद्र में पहुंचने वाले ताजे जल की मात्रा में कमी हो सकती है जिससे समुद्री जीवन प्रणाली के समक्ष एक गंभीर संकट पैदा हो सकता है। यह स्थिति व्यापक पारिस्थितिक आपदा उत्पन्न कर सकती है।
- **सामाजिक:**
  - **मानव विस्थापन:** बांधों के निर्माण से संबंधित भूमि उपयोग प्रतिरूप और बांधों के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिवास में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। इसे "विकास के कारण विस्थापन" के रूप में भी जाना जाता है।
- **राजनीतिक तनाव**: भारत में जल, राज्य सूची का विषय है। इसलिए ILR के तहत संबंधित नदी वाले राज्यों के मध्य जल के बंटवारे और प्रबंधन की समस्या एक जटिल मुद्दा है।
  - कुछ ILR परियोजनाओं के अन्तर्राष्ट्रीय निहितार्थ हैं। इनका **भूटान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों पर प्रभाव पड़ सकता** है।

आगे की राह

- **लचीले संघीय मुद्दे:** संघीय मुद्दों को अत्यधिक लचीला बनाने पर ध्यान देने के साथ-साथ नदी को आपस में जोड़ने की आवश्यकता और व्यवहार्यता संबंधी प्रत्येक मामले पर अलग-अलग आधार पर विचार किया जाना चाहिए।
- **उचित मूल्यांकन:** नदियों को आपस में जोड़ने को तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए **सामाजिक-पर्यावरणीय, वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यांकन** करने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी परियोजना का विस्तृत जल विज्ञान, भूवैज्ञानिक, मौसम विज्ञान और पर्यावरण संबंधी विश्लेषण भारत के लिए लाभप्रद होगा।
- **पुनर्वास:** विस्थापित लोगों के लिए पर्याप्त पुनर्वास उपाय किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

नदियों को आपस में जोड़ने का प्रयास जल की कमी का समाधान करने वाला एक अच्छा प्रयास है, लेकिन पर्याप्त सर्वेक्षण और विस्तृत अध्ययन के बाद ही नदियों को आपस में जोड़ना होगा ताकि पर्यावरण या जलीय जीवन के समक्ष कोई संकट उत्पन्न ना हो जाए।

5.5. राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन (National Coal Gasification Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन' का खाका तैयार किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार का **लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन (MT) कोयले का गैसीकरण** करना है। साथ ही, पहली बार इस सन्दर्भ में किसी मिशन दस्तावेज को जारी किया गया है।
- वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के विजन को आगे बढ़ाने के लिए, कोयला मंत्रालय ने कार्यान्वयन रणनीति तैयार की है जिसमें शामिल हैं:
    - **कोयला क्षेत्रों की गैसीकरण क्षमता का मानचित्रण करना,** विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में।
    - विभिन्न कच्चेमाल / फीडस्टॉक (राख की कम मात्रा वाला कोयला, पेट कोक के साथ मिश्रित कोयला और राख की उच्च मात्रा वाला कोयला) के लिए उपयुक्त **स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना।**
    - विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना के लिए **उपयुक्त व्यवसाय मॉडल का विकास करना।**
    - **अंतिम उत्पादों के लिए विपणन संबंधी रणनीति का निर्माण करना।**
    - आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रोत्साहित करने हेतु **नीतिगत समर्थन प्रदान करना।**
    - **विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करना।**
    - **विभिन्न कंपनियों को मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करना** और गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

कोयला गैसीकरण के बारे में

- कोयला गैसीकरण, **कोयले को संश्लेषित गैस (इसे सिनगैस भी कहा जाता है) में परिवर्तित करने की प्रक्रिया** है। यह **हाइड्रोजन (H_2), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का मिश्रण** होती है।
- सिनगैस प्रौद्योगिकी (syngas technology) के तहत सामग्री के स्वस्थाने गैसीकरण के माध्यम से **गैर-खनन योग्य कोयले / लिग्नाइट को दहनशील गैसों में परिवर्तित** किया जाता है।
- अतीत में, भारत में कोयले के गैसीकरण हेतु कई प्रयास किए गए हैं। ये प्रयास 1960 के दशक में आरंभ हुए और अब भी अलग-अलग क्षमताओं / पैमाने के साथ जारी हैं।

भारत की कोयला गैसीकरण पहल

- कोयला मंत्रालय द्वारा **कोयला गैसीकरण से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों का एक संसाधन समूह का गठन किया गया है।**
- **भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने** द्रवीकृत शायिका गैसीकरण तकनीक[103] **विकसित की है।** यह तकनीक उच्च राख की मात्रा वाले भारतीय कोयले हेतु उपयुक्त है। इसके तहत सर्वप्रथम कोयले से सिनगैस का उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात सिनगैस को 99% शुद्धता वाले मेथनॉल में परिवर्तित किया जाता है।
- **जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने घरेलू कोयले का उपयोग करके कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित विश्व का पहला डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (DRI) संयंत्र स्थापित किया है,** जो पहले से ही उड़ीसा के अंगुल जिले में इस्पात बनाने हेतु काम कर रहा है।

कोयला गैसीकरण की आवश्यकता

- **पर्यावरण के अनुकूल**: कोयले के दहन की तुलना में कोयला गैसीकरण को स्वच्छ विकल्प माना जाता है।
    - इस निर्णय से देश को **COP21 पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता** मिलेगी।
- **विविध अनुप्रयोग**: कोयला गैसीकरण से उत्पादित सिनगैस का उपयोग **संश्लेषित प्राकृतिक गैस (SNG), ऊर्जा ईंधन** (मेथनॉल और इथेनॉल), **उर्वरकों और पेट्रो-रसायनों के लिए** अमोनिया के उत्पादन में किया जा सकता है।
- **आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सहायक:** गैसीकरण तकनीक के माध्यम से भारत को तेल, गैस, मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया और अन्य उत्पादों की कमी का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सकेगा।
    - ये उत्पाद, **कच्चे तेल के आयात को कम करने में सहायता** करेंगे।
    - भारत वर्तमान में, प्रति वर्ष 50 से 70 लाख टन यूरिया का आयात करता है। इसलिए गैसीकरण से **घरेलू स्तर पर उत्पादित उर्वरकों की उपलब्धता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।**
- **अप्रयुक्त भंडार का दोहन:** भारत के अधिकांश ज्ञात कोयला भंडार, **गैर-प्राप्ति योग्य** हैं। भूमिगत कोयला गैसीकरण प्रणाली से गहराई में, बिखरे हुए और वनों से आच्छादित इन प्रचुर भंडारों का गैसीकरण हेतु उपयोग करने में सहायता मिल सकती है।

---

103 fluidized bed gasification technology

कोयला गैसीकरण के समक्ष चुनौतियां

- **कोयले की गुणवत्ता:** भारत में उपलब्ध कोयले की गुणवत्ता **ज्यादातर निम्न श्रेणी के साथ उच्च राख की मात्रा वाले कोयले की है**। उच्च राख मात्रा वाले कोयले से सिनगैस का उत्पादन करने की तकनीक प्रमुख चुनौतियों में से एक है। भारतीय कोयले की गुणवत्ता के अनुकूल स्वदेशी तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है।
- **पूंजी और समय गहन:** कोयला गैसीकरण संयंत्र की स्थापना एक पूंजी-गहन कार्य है और इसके लिए कम से कम 48 महीने की आवश्यकता होगी।
- **अवसंरचना संबंधी आवश्यकता:** सिनगैस का उत्पादन करने वाली परियोजनाओं की स्थापना में **भूमि, जल, विद्युत की आवश्यकता** महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही, इसके संबंध में विभिन्न उत्पादों के लिए बाजार का विकास करना और उत्पादन के स्थान से उपभोग केंद्र तक उत्पादों की परिवहन लागत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- **रीफ्रैक्टरीज (refractories) का छोटा जीवनकाल:** इनका उपयोग गैसीफायर के अंदर सुरक्षा के लिए किया जाता है। वर्तमान में, रीफ्रैक्टरी (ऊष्मा रोधी पदार्थ) का **जीवनकाल 12 से 16 महीने** है। गैसीफायर की रिलाइनिंग (अर्थात पुनः ऊष्मा रोधी पदार्थ स्थापित करना) की लागत लगभग 1 मिलियन डॉलर आती है और इसके लिए तीन से छह सप्ताह तक गैसीफायर को बंद रखना पड़ता है।
- **जल-गहन**: कोयला गैसीकरण, ऊर्जा उत्पादन के सर्वाधिक जल-गहन प्रणालियों में से एक है। चीन के बड़े क्षेत्रों में, विशेष रूप से देश के पश्चिमी हिस्सों में नए गैसीकरण संयंत्र स्थापित किये जाने हैं , यह क्षेत्र पहले से ही जल की कमी का सामना कर रहे हैं।
    - साथ ही , इसमें **जल संदूषण, भूमि धंसाव और अपशिष्ट जल को सुरक्षित रूप से निपटाने से संबंधित चिंताएं** भी शामिल हैं।

आगे की राह

- **अंतर-मंत्रालयी सहयोग**: राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय, विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी।
    - उदाहरण के लिए, यदि मेथनॉल को गैसोलीन (पेट्रोल या डीजल) के साथ मिश्रित किया जाता है और मेथनॉल का परिवहन अंतर-राज्य पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है तो इसके लिए कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और राज्य सरकारों के मध्य घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होगी।
- **गैसीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाना:** भारत में गैसीकरण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए चीन की तर्ज पर अनुसंधान और विकास सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

कोल गैसीफिकेशन प्रोडक्ट या कोयला गैसीकरण के उत्पाद

स्रोत	यौगिक: पूर्वगामी	यौगिक: डेरिवेटिव्स	उत्पाद
बिटुमिनस कोयला (उच्च ग्रेड)	हाइड्रोजन		रिफाइनरी प्रक्रियाएं; अमोनिया; अमोनियम नाइट्रेट
	कार्बन मोनोऑक्साइड		एसिटिक एसिड; रासायनिक फीडस्टॉक
		घरेलू क्लीनर; वाटरप्रूफ सीलेंट	घरेलू क्लीनर; वाटरप्रूफ सीलेंट
	मेथनॉल		रंग, फॉर्मलाडिहाइड; ईंधन; प्लास्टिसाइज़र; मिथाइल एसीटेट के स्रोत
		फॉर्मलाडेहाइड	कॉल्क्स; सीमेंट और गोंद; निर्माण में उपयोग होने वाले व चिपकाने वाले तत्व; डिटर्जेंट; उंगलियों के नाखून की पॉलिश; तरल साबुन और शैंपू
		ओलेफिन्स	एथिलीन ग्लाइकॉल; पॉलिएस्टर फाइबर; इंजन शीतलक; एथिलीन और प्रोपिलीन के स्रोत
		एथिलीन	सिंथेटिक रबड़ बनाने के स्टाइरीन
		प्रोपिलीन	ईंधन (प्रोपेन के समान); रेफ्रिजरेंट
		मिथाइल एसीटेट	पेंट और गोंद के लिए विलायकः एसिटिक एनहाइड्राइड के स्रोत
		एसिटिक एनहाइड्राइड	सेलुलोसिक प्लास्टिकः फ़िल्टर उत्पाद; फोटोग्राफिक फिल्म

- **वित्त पोषण की आवश्यकता:** सरकार वित्तीय साधनों जैसे व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding), दीर्घकालिक ऑफ-टेक अनुबंध, विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण और पूंजी की कम लागत के माध्यम से विभिन्न निजी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।
- **नीतिगत समर्थन** जैसे:
    - कोयला गैसीकरण हेतु खपत और/या बेचे गए कोयले की मात्रा पर 400 रुपये प्रति टन के **GST क्षतिपूर्ति उपकर की छूट प्रदान करना;**
    - कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए **15 वर्षों के लिए कर से छूट प्रदान करना**;
    - **पूंजीगत उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करना**;
    - **20-30% की दर से ब्याज दर अनुदान (Interest Rate Subvention)** प्रदान किया जा सकता है;
    - इस क्षेत्रक में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पेट्रोल के साथ **15% मेथनॉल-मिश्रण लक्ष्य को निर्धारित करना।**
- **अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना:** कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त वार्षिक बजट निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- कोयला गैसीकरण की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत आधार पर घरेलू **कोयले की कीमतों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए।**

5.6. आकस्मिक सूखा (Flash Drought)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक नए अध्ययन के अनुसार, भारत में आकस्मिक सूखे की अधिकांश घटनाएं मानसून के मौसम के दौरान हुई हैं।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- **नेचर कम्युनिकेशंस** नामक पत्रिका (जर्नल) में प्रकाशित अध्ययन में **संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, दक्षिण अफ़्रीका, स्पेन, पश्चिमी रूस और ऑस्ट्रेलिया में सूखे की तीव्रता** में वृद्धि को रेखांकित किया गया है।
- आकस्मिक सूखे की घटना की उच्चतम आवृत्ति मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई गई थी। इनमें ब्राजील का एक बड़ा भाग, अफ़्रीका का साहेल क्षेत्र एवं ग्रेट रिफ़्ट वैली और भारत शामिल हैं।

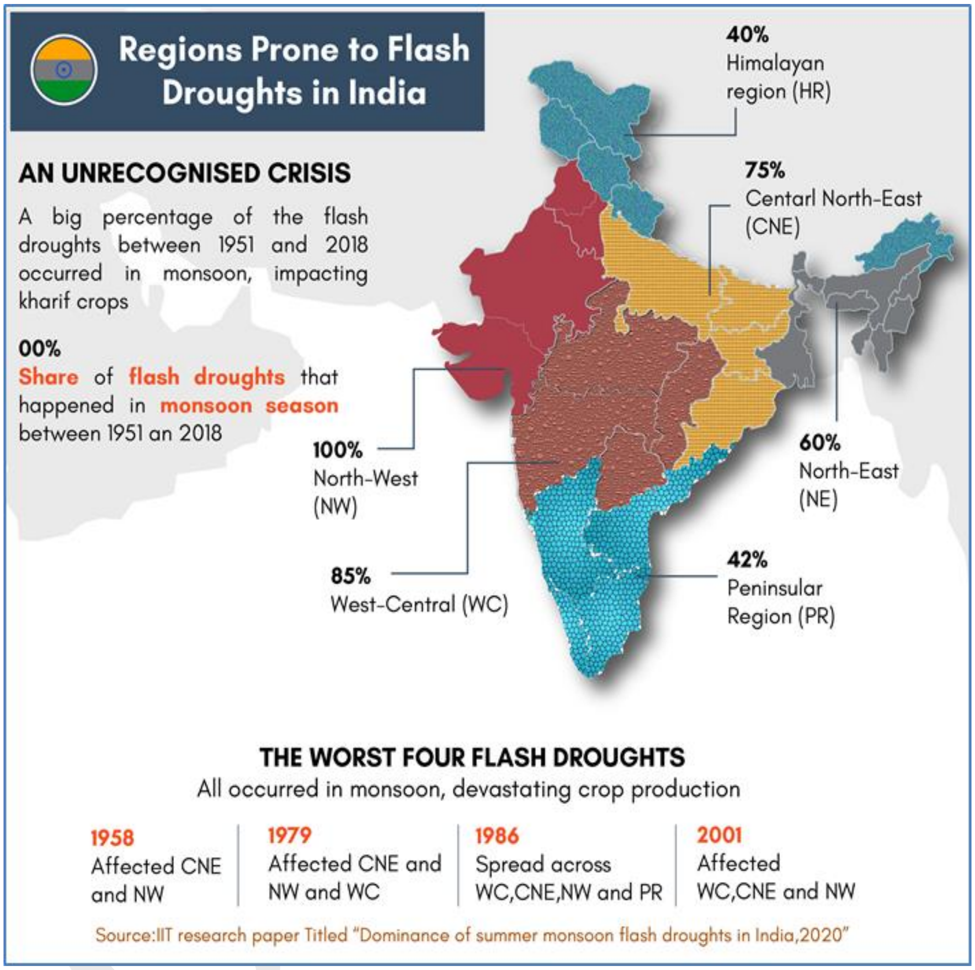

आकस्मिक सूखे (Flash Drought) के बारे में:

- कृषि, जल संसाधन, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तीव्र सूखे की अल्पावधि, आकस्मिक सूखे की विशेषता है।
- **आकस्मिक सूखे के चालक तत्व:**
  - यह वर्षा की सामान्य से कम दर, असामान्य रूप से उच्च तापमान, पवन गति और विकिरण द्वारा प्रेरित होता है। साथ ही, मौसम में ये परिवर्तन स्थानीय जलवायु में त्वरित परिवर्तन ला सकते हैं।
  - **वर्षण में कमी**: जब एक विस्तारित अवधि (जैसे, कई सप्ताह) के लिए वर्षा की कमी होती है, तो **वाष्पन-वाष्पोत्सर्जन** के माध्यम से मृदा में नमी कम हो जाती है। यह भूमि की सतह को शुष्क कर देती है।
    - **वाष्पन-वाष्पोत्सर्जन** वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जल भूमि से वायुमंडल में मृदा से वाष्पन द्वारा और पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है।
  - **टेलीकनेक्शन:** यह मौसम संबंधी या अन्य ऐसी पर्यावरणीय घटनाओं के बीच सह-संबंध दर्शाता है, जो एक विस्तारित क्षेत्र पर प्रभावी होती हैं। उदाहरण के लिए, **अल नीनो-दक्षिणी दोलन** (ENSO)[104] एक **टेलीकनेक्शन चरण** है। यह सूखे और गर्म परिस्थितियों को बढ़ावा देता है, जो **आकस्मिक सूखे की आवृत्ति** को बढ़ा सकता है।
  - **वाष्पीकरणीय मांग का प्रवर्धन:** स्थायी वायुमंडलीय स्थितियां, सौर सूर्यातप और भूमंडलीय तापन में वृद्धि के माध्यम से सतह पर वाष्पीकरणीय मांग (जिस सीमा तक पर्यावरण जल को वाष्पित करने का प्रयास करता है) को बढ़ा सकती है।

भारत में सूखे का संक्षिप्त परिचय

- सूखे की स्थिति की निगरानी और प्रबंधन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) प्रारंभिक चेतावनी और पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए नामित एजेंसी है।
- सूखे को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  - **मौसम संबंधी सूखा:** यह तब होता है जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा उसके दीर्घावधि औसत के 25% से कम होती है। यदि कमी 26-50% के बीच है, तो यह सामान्य (मॉडरेट) सूखा है और 50% से अधिक गंभीर सूखा है।
  - **जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजिकल) संबंधी सूखा:** इसे सतही और उप-सतही जल आपूर्ति में कमी के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके कारण सामान्य और विशिष्ट जरूरतों के लिए पानी की कमी हो जाती है।
  - **कृषि सूखा**: यह तब होता है जब फसल उगाने के मौसम के दौरान मिट्टी की नमी और वर्षा अपर्याप्त होती है। यह आमतौर पर मौसम संबंधी और जल विज्ञान सूखे, दोनों से उत्पन्न होता है।

[104] El Niño-Southern Oscillation

- **वर्षा की उच्च परिवर्तनशीलता:** वर्षा की उच्च परिवर्तनशीलता और वाष्पीकरणीय मांग के कारण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूखे में वृद्धि की अधिक आशंका है।
- **अंतः-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ)[105] का दोलन:** वाष्पीकरणीय मांग में वृद्धि के साथ-साथ यदि ITCZ- प्रेरित वर्षा की शुरुआत में विलंब/ कमी होती है, तो मई-जून (वर्षण में वृद्धि से जुड़ी अवधि) में आकस्मिक सूखे में वृद्धि की आशंका अधिक होती है।
- **प्रतिचक्रवात:** आकस्मिक सूखे के विकास पर उनका दोहरा प्रभाव पड़ता है:
  - वे वर्षा को अवरुद्ध करते हैं, जो मृदा में नमी की पुनः पूर्ति को सीमित करता है।
  - कम मेघ आच्छादन और सतह का उच्च तापमान, नमी की वाष्पीकरणीय मांग में वृद्धि करते हैं।

- **आकस्मिक सूखे के प्रभाव**
  - **कृषि पर:**
    - वर्ष 1951-2018 के मध्य भारत में मानसून के मौसम के दौरान चावल और मक्का की कृषि के तहत लगभग 10-15% क्षेत्र आकस्मिक सूखे से प्रभावित हुआ था।
    - वर्ष 1976, वर्ष 1979, और वर्ष 1982 के आकस्मिक सूखे, भारत में मानसून के मौसम के दौरान खरीफ फसलों को प्रभावित करने वाले 3 सबसे गंभीर आकस्मिक सूखे हैं।
  - **अर्थव्यवस्था पर:**
    - कई उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं। कच्चे माल की आपूर्ति कम होने और उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण उन्हें हानि होगी। इस प्रकार, **आकस्मिक सूखे का अर्थव्यवस्था पर 'गुणक प्रभाव'** पड़ता है।
    - **संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR)[106]** की रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर सूखे का प्रभाव, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2-5% प्रति वर्ष अनुमानित है।
  - **पर्यावरण पर:**
    - जल निकायों (झीलों, तालाबों, जलाशयों आदि) में जल का निम्न स्तर पेयजल की उपलब्धता को कम करेगा तथा वनस्पतियों और जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
    - यह वनों की कटाई, वनाग्नि का कारण बनता है और मरुस्थलीकरण में वृद्धि करता है।
    - बार-बार पड़ने वाला आकस्मिक सूखा लुप्तप्राय प्रजातियों पर दबाव बढ़ा सकता है और जैव विविधता के ह्रास का कारण बन सकता है।
  - **समाज पर:**
    - आकस्मिक सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सहज नहीं हो सकते हैं, वे विवाह स्थगित कर सकते हैं और अपनी संपत्ति जैसे: मवेशी, भूमि इत्यादि बेचने के लिए विवश हो सकते हैं। साथ ही, यह लोगों को निर्धनता की ओर धकेलता है।
    - फसल की उपज में कमी के कारण, खाद्य सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है क्योंकि अपर्याप्त भोजन से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होगी।
    - दुर्लभ जल संसाधनों तक पहुंच और उपयोग संघर्ष उत्पन्न करते हैं जो सामाजिक रूप से विघटनकारी प्रकृति के हैं।

आगे की राह:

- **प्रारंभिक पूर्वानुमान और चेतावनी:**
  - आरंभिक-चेतावनी प्रणालियाँ (EWS)[107] जलवायु और जल स्रोतों में प्रवृत्तियों की पहचान कर सकती हैं, जिनकी आवश्यकता आकस्मिक सूखे की घटना के उद्भव या संभावना का पता लगाने के लिए होती है।
  - उदाहरण के लिए: भारत का मौसम विज्ञान विभाग, खरीफ और रबी की फसल के मौसम के दौरान रियल टाइम आधार पर प्रत्येक दो सप्ताहों पर कृषि सूखे का पर्यवेक्षण करता है।
- **राज्यों द्वारा निगरानी:** राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों से सूखे के मापदंडों पर सूचना का विश्लेषण करने के लिए मौसम विज्ञानियों, जल विज्ञानियों और कृषि वैज्ञानिकों की एक बहु-विषयक टीम से युक्त कार्यबल वाले **सूखा निगरानी केंद्र (DMC)[108]** स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।
- **उपग्रहों का उपयोग:** विसंगतियों की जांच के लिए इसरो से संबंधित एजेंसियों द्वारा उपग्रह छाया चित्र संग्रह तक पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए: विलंब से बुवाई वर्षा की कमी को इंगित करती है और फसलों का सूख जाना मृदा की नमी के तनाव को दर्शाता है। यह दोनों आकस्मिक सूखे के संकेतक हैं।
- **अंतर-एजेंसी सहयोग:** कई एजेंसियां आकस्मिक सूखे के लिए विभिन्न मापदंडों की निगरानी में शामिल हैं। सूचना के कुशल प्रसार और आकस्मिक उपायों को सक्रिय करने के लिए उनके प्रयासों को समन्वित करने की आवश्यकता है।

---

[105] Inter-Tropical Convergence Zone

[106] UN Office for Disaster Risk Reduction

[107] Early-warning systems

[108] Drought Monitoring Centres

5.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

5.7.1. पक्के टाइगर रिज़र्व 2047 घोषणा-पत्र (Pakke Tiger Reserve 2047 Declaration)

- हाल ही में, अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने **जलवायु परिवर्तन-सुनम्य और उत्तरदायी अरुणाचल प्रदेश पर पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा-पत्र[109] को अपनाया है।** इस घोषणा-पत्र के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में **पांच व्यापक विषयों** के माध्यम से अल्प उत्सर्जन और जलवायु-सुनम्य विकास की परिकल्पना की गई है।
  - इन पांच व्यापक विषयों में शामिल हैं: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं सभी का कल्याण, टिकाऊ व अनुकूलित जीवन, आजीविका और अवसर तथा साक्ष्य सृजन एवं सहयोगात्मक कार्रवाई।
- मंत्रिमंडल ने **'कैसर-ए-हिंद'** को राज्य तितली के रूप में अपनाया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य में **तितली पर्यटन को बढ़ावा देना और तितली की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना है।**

5.7.2. रिवर सिटीज एलायंस {River Cities Alliance (RCA)}

- हाल ही में, **जल शक्ति मंत्री ने RCA का शुभारंभ** किया है।
- RCA **नदी-शहरों के लिए शहरी नदियों के सतत प्रबंधन हेतु विचार एवं चर्चा करने और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक समर्पित मंच** है।
  - यह तीन व्यापक विषयों- **नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता** पर केंद्रित होगा।
- **RCA में गंगा बेसिन और गैर-गंगा बेसिन राज्यों के शहर शामिल हैं।**
- RCA नदी तट पर बसे शहरों के लिए शासन के पहलुओं को मजबूत करने और बाहरी आर्थिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उनकी निवास योग्यता की क्षमता में सुधार करने के अवसर प्रदान करेगा।

5.7.3. ई-अमृत पोर्टल (E-Amrit Portal)

- **'ई-अमृत', इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर एक वेब पोर्टल है।** इसे भारत द्वारा ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम (UK) में **COP-26 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था।**
- यह **इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन** है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के बारे में मिथकों को समाप्त करना और इलेक्ट्रिक वाहनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार की पहलों के पूरक के रूप में कार्य करना है।
- इस पोर्टल को **नीति आयोग** द्वारा UK सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत और UK–भारत संयुक्त रोडमैप 2030 के भाग के रूप में **विकसित एवं होस्ट** किया गया है।

5.7.4. पृथ्वी के प्रथम महाद्वीपों का गठन (Earth's First Continents Formation)

- **सबसे प्राचीन महाद्वीपीय खंडों** (जिन्हें क्रेटन्स कहा जाता है) **की चट्टानों की आयु के आधार पर,** शोधकर्ताओं ने पाया है कि पृथ्वी के शुरुआती महाद्वीप पिछले **अनुमानों की तुलना में कम से कम 700 मिलियन वर्ष पहले महासागर में से ऊपर आ गए थे।**
  - यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि **लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले महाद्वीपों का उत्थान शुरू** हुआ था।
- अध्ययन में यह भी पता चला है कि **झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र** सबसे पहले उदय होने वाली महाद्वीपीय भूमि हो सकता है।
- यह अध्ययन एक और धारणा का खंडन करता है कि **महाद्वीपों का उदय प्लेट विवर्तनिकी (plate tectonics) के कारण** हुआ था।
  - महाद्वीप संभवतः समुद्र तल से इसलिए ऊपर उठे थे, क्योंकि उन पर पृथ्वी की अंदरूनी परतों से बाहर आने वाले मैग्मा द्वारा उनके उत्थान के लिए बल लगाया गया था।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

[109] declaration on climate change-resilient and responsive Arunachal Pradesh

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education in Schools)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में किए गए **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)**[110] **और शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER)**[111] ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दों को फिर से सुर्ख़ियों में ला दिया है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)

- यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों के सीखने का **राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधिक व्यापक सर्वेक्षण** है। NAS **स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता** को व्यवस्थित स्तर पर प्रदर्शित करता है।
- NAS 2021 का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्कूल के प्रकार के स्तर पर **प्रमुख कक्षा एवं विषयों में भारत के छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं,** इसकी जानकारी प्रदान करना है।
- सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान, राज्यों के शिक्षकों ने देखा कि बच्चे (विशेष रूप से कक्षा 3 और 5 के बच्चे) **न तो प्रश्नों को भलीभांति समझ पा रहे हैं तथा न ही ओएमआर शीट भरने में सक्षम हैं।**

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER)

- यह **'प्रथम'** नामक एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित होती है। इस **वार्षिक सर्वेक्षण** का उद्देश्य भारत के **प्रत्येक जिले और राज्य के लिए बच्चों के नामांकन और बुनियादी अधिगम (सीखना) स्तर का विश्वसनीय अनुमान** प्रदान करना है।
- ASER भारत के सभी ग्रामीण जिलों में **वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष आयोजित** किया जाता है।
- यह भारत में सबसे बड़ा **नागरिक-नेतृत्व वाला सर्वेक्षण** है।
- अधिकांश अन्य बड़े व्यापक अधिगम आकलनों के विपरीत, ASER स्कूल-आधारित की बजाय **घरेलू-आधारित सर्वेक्षण** है।
- **महामारी** के संदर्भ में, ASER केंद्र ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में वर्ष 2020 में **सीखने के अवसरों तक पहुंच** पर अपना ध्यान केंद्रित किया था।
- **ASER 2021 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:**
  - वर्ष 2018 और वर्ष 2021 के बीच सभी कक्षाओं में बालक और बालिकाओं दोनों के नामांकन में **निजी से सरकारी स्कूलों की ओर "शिफ्ट" का** एक पैटर्न दिखाई दिया है।
  - **ट्यूशन** लेने वाले बच्चों का अनुपात **वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक बढ़ गया** है। ज्यादातर वंचित परिवारों में। सर्वाधिक वंचित परिवारों के बच्चों में ट्यूशन लेने की प्रवृत्ति में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है।
  - सभी कक्षाओं में नामांकित सभी बच्चों में से **दो तिहाई से अधिक के पास घर पर स्मार्टफोन** है। स्मार्टफोन वाले घरों में भी केवल एक चौथाई बच्चे (27%) ही आवश्यकता होने पर इसका उपयोग कर पाते थे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है और इसका क्या महत्व है?

हालांकि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की **कोई मानक परिभाषा** नहीं है, परन्तु इसे आमतौर पर प्रत्येक छात्र के **सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास** पर केंद्रित माना जाता है। यह **बच्चे को जीवन के लिए तैयार** करता है न कि केवल परीक्षण के लिए।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है-

- **एक व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण:** वैश्विक शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क का 90% विकास 5 वर्ष की आयु तक होता है। इसका अर्थ है कि **प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की गुणवत्ता** का बच्चे के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- **स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी:** जहां एक सुखद प्राथमिक अनुभव एक बच्चे को **माध्यमिक स्कूल जारी रखने और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए** प्रेरित करता है, वहीं एक उत्साहहीन व उबाऊ प्राथमिक शिक्षा अवधि के कारण बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देता है। वास्तव में, **36% बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही** पढ़ाई छोड़ देते हैं।

[110] National Achievement Survey
[111] Annual Status of Education Report

- **गरीबी से बचने के लिए:** एक शिक्षित व्यक्ति **अर्थव्यवस्था में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाता है**, जो समृद्धि की कुंजी है। यह गरीबी से बचने के लिए रोजगार, बेहतर आजीविका और व्यापक अवसरों का वादा करती है। इस प्रकार यह लोगों को अपने भाग्य का निर्धारण करने में समर्थ बनाती है।
- **सकारात्मक प्रभाव:** शिक्षा का मूल्य केवल एक व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बड़े पैमाने पर **समाज को भी लाभ प्रदान करती है।** एक मजबूत शिक्षा प्रणाली स्वास्थ्य में सुधार करती है और समुदायों के लचीलेपन को बढ़ाती है। विकास का प्रत्येक पहलू शिक्षा, ज्ञान और उसके अनुप्रयोग से जुड़ा है।
    - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा **असमानताओं को कम करने और लैंगिक समानता** तक पहुंचने में भी मदद करती है। इसके अतिरिक्त, यह लोगों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण समाजों के निर्माण में योगदान देने हेतु भी महत्वपूर्ण है।
- **सतत विकास लक्ष्य (SDGs):** इन लक्ष्यों को हासिल करने का सबसे प्रभावी साधन पूरी तरह से **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** ही है। लोगों को एक **सतत अर्थव्यवस्था** के विचार का समर्थन करने के लिए **कौशल की आवश्यकता** होती है। इस विचार को केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही आत्मसात किया जा सकता है।

भारतीय स्कूलों में खराब गुणवत्ता वाली शिक्षा को उजागर करने वाले प्रमुख तथ्य

- ASER 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए ग्रामीण जिलों में कक्षा 1 में केवल **16% बच्चे ही निर्धारित स्तर पर पाठ पढ़** सकते हैं, जबकि लगभग **40% बच्चे अक्षरों को पहचान भी नहीं** सकते हैं। कक्षा III में **केवल 51% बच्चे** ही कक्षा I का पाठ पढ़ सकते हैं।
- NAS 2017 (कक्षा 3, 5 और 8 के लिए आयोजित) में यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी विषयों एवं कक्षाओं में लक्षित प्रदर्शन स्तरों को प्राप्त करने वाले केवल **45.2 प्रतिशत** छात्र ही हैं।
- वर्ष 2009 में, **अंतर्राष्ट्रीय छात्र आकलन कार्यक्रम (PISA)[112] परीक्षा में भाग लेने वाले 73 देशों में भारत 72वें स्थान** पर था।
    - PISA को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)[113] द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में आयोजित किया जाता है। यह **गणित, विज्ञान व पठन** में 15 वर्षीय छात्रों के प्रमुख ज्ञान एवं कौशल का आकलन करता है।

स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- **शिक्षा की गुणवत्ता पर अपर्याप्त ध्यान:** नामांकन में सुधार पर ध्यान देने के साथ, हमने लगभग-सार्वभौमिक स्कूल नामांकन हासिल किया है। हालांकि, शिक्षा की गुणवत्ता की उत्तरोत्तर आवश्यक निगरानी और अधिगम के परिणामों की उपलब्धि पर तुलनीय ध्यान नहीं दिया जाता है।
- **रटंत अधिगम पर ध्यान देना:** वर्तमान में, स्कूलों का ध्यान मुख्य रूप से पाठ्यक्रम को पूरा करने और परीक्षा के लिए सीखने पर रहता है। विशेष रूप से कक्षा 1-3 के लिए (जहां बुनियादी अधिगम की व्यवस्था की जा रही है) रटंत-आधारित शिक्षा से **योग्यता आधारित शिक्षा** की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता है।
- **सभी शिक्षण मॉडल के लिए एक जैसी व्यवस्था:** एक औसत कक्षा में छात्र विविध शिक्षण स्तरों पर होते हैं। इनमें से कई वर्तमान कक्षा स्तर से भी पीछे होते हैं। सभी शिक्षण मॉडल के लिए एक जैसी व्यवस्था (One-size-fits-all teaching model) इस अंतर में वृद्धि करती है और प्रत्येक क्रमिक वर्ष के साथ अधिगम गिरावट को बढ़ाती रहती है।
- **अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विशेषकर 9वीं से 12वीं कक्षा तक:** बढ़ती प्रतिस्पर्धा संस्कृति का हिस्सा बनने के कारण, छात्र सीखने की बजाय कक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार की मानसिकता बेहद हानिकारक है, क्योंकि यह उस व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है जहां छात्र केवल एक परीक्षा के लिए जानकारी रखते हैं और बाद में इस जानकारी को स्मृति में नहीं रखते।
    - इस तरह की संस्कृति का प्रसार छात्र पर **बहुत अधिक तनाव** और दबाव का कारण बन सकता है। इससे उसका **मानसिक स्वास्थ्य** प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त, यह **छात्र के आत्मसम्मान पर नकारात्मक प्रभाव** भी डाल सकता है, यदि वह वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है।
    - उदाहरण के लिए, **निजी ट्यूशन इन महत्वपूर्ण वर्षों के दौरान** छात्रों के समय और ध्यान का एक बड़ा हिस्सा व्यय करती है।
- **मूल्यांकन में दोष:** वर्तमान मूल्यांकन ढांचा प्रणालीगत स्तर पर छात्र के प्रदर्शन का प्रभावी ढंग से मापन करना और ट्रैक करना कठिन बनाता है। साथ ही, शिक्षण सामग्री और पद्धतियों, प्रशिक्षण सामग्री आदि को अनुकूलित करने के लिए इनपुट निकालना भी मुश्किल बनाता है।
- **गैर-शिक्षण कार्यों में शिक्षकों की संलग्नता:** राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA)[114] की एक रिपोर्ट के अनुसार, **शिक्षक के वार्षिक स्कूल के घंटों का केवल ~ 19% ही शिक्षण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।** शेष समय गैर-शिक्षण गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, जैसे चुनाव ड्यूटी, डेटा संग्रह आदि।
- **बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी:** बड़ी संख्या में प्रारंभिक विद्यालयों में कोई ढांचा और पेयजल, बिजली, अध्ययन सामग्री आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पास नवीन शिक्षण-अधिगम सामग्री (कई निजी स्कूलों में उपलब्ध) का अभाव है, जिससे कि वे गणित पढ़ाने के ठोस रूप और फिर सार रूप में आगे बढ़ सकें।

---

112 Program for International Student Assessment
113 Organisation for Economic Co-operation and Development
114 National Institute of Educational Planning and Administration

- **योग्य शिक्षकों की कमी:** नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार, कई शिक्षक स्वयं अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षा के **विषय में <60-70% स्कोर कर रहे हैं।**
  - यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रतिशत (जो शिक्षकों के रूप में नियुक्तियों के लिए पात्रता निर्धारित करता है) हाल के वर्षों में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है।
- **जीवन-कौशल पर बहुत कम या कोई ध्यान नहीं देना:** पारंपरिक पाठ्यचर्या और जीवन-कौशल सीखने के एजेंडे के बीच संगतता की संभावित कमी है। साथ ही, शिक्षा निरंतरता में इन्हें कैसे विकसित किया जा सकता है, इसकी समझ का भी अभाव है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- **उचित रखरखाव युक्त बुनियादी ढांचा:** प्रभावी और पर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि सभी छात्रों को प्री-प्राइमरी स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित एवं रुचिकर स्कूली शिक्षा मिल सके।
- **अकादमिक निगरानी और डेटा समर्थित समीक्षा:** गुणवत्ता मूल्यांकन अंतर्दृष्टि और स्कूलों के दौरे से प्राप्त डेटा एवं उनकी अकादमिक निगरानी के बारे में डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। इस डेटा का उपयोग सोपानगत, डेटा-समर्थित और ऐसी नियमित समीक्षा बैठकों के लिए किया जा सकता है, जो एक निर्धारित संरचना एवं प्रारूप का पालन करते हैं।
- **शिक्षक की उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए प्रत्यायन की पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली:** इसकी व्यापक स्वीकार्यता को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों सहित एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से एक सामान्य प्रत्यायन ढांचा (accreditation framework) तैयार किया जाना चाहिए।

प्रमुख सरकारी पहलें

- **RTE अधिनियम:** बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, समुचित सरकार को घर के निकटवर्ती स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है।
- **समग्र शिक्षा:** यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक एकीकृत योजना है, जो पूर्व-विद्यालय स्तर से बारहवीं कक्षा तक विस्तृत है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP-2020):** यह विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षा के स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है जैसे कि नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना की शुरुआत, बचपन की देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता व संख्या-ज्ञान, परिवर्तन मूल्यांकन आदि।

- **निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन:** सरकारी स्कूल के बुनियादी ढांचे एवं कक्षा शिक्षाशास्त्र में सुधार के लिए एक निश्चित समयरेखा निर्धारित की जा सकती है। ऐसा वार्षिक भुगतान व्यवस्था के बदले या किसी अन्य तंत्र के माध्यम से निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके किया जा सकता है।
- **वर्धित अधिगम:** आमने-सामने शिक्षण, अतिरिक्त सहायता सत्र आयोजित करने, करियर मार्गदर्शन और छात्रों को सलाह देने आदि जैसे तंत्र के माध्यम से अधिगम के संवर्धन के लिए **स्वयंसेवी प्रयासों में समुदाय एवं स्कूलों के पूर्व छात्रों को शामिल करने के प्रयास** किए जाने चाहिए।
- **अनुभवात्मक अधिगम:** अनुभवात्मक अधिगम को अपनाया जाना चाहिए। इसमें अन्य के अलावा प्रत्येक विषय के भीतर मानक शिक्षाशास्त्र के रूप में **व्यावहारिक शिक्षण, कला-समेकित शिक्षा, कहानी-आधारित शिक्षाशास्त्र** तथा विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज के साथ अपनाया जाना चाहिए।
  - अधिगम के परिणामों की उपलब्धि में अंतर को समाप्त करने के लिए, कक्षा संव्यवहार को **योग्यता-आधारित और अधिगम शिक्षा की ओर स्थानांतरित** करना चाहिए। मूल्यांकन साधन भी सीखने के परिणामों, क्षमताओं और किसी नियत कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए निर्दिष्ट प्रकृति के साथ संगत किया जाना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** प्रौद्योगिकी-संचालित अध्यापन (TDP) कक्षा संव्यवहार को अधिक **रचनात्मक, संवादात्मक, रोचक और आकर्षक बनाकर** हमारे सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है।
- **शिक्षकों को पर्याप्त सहायता:** शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, उपकरण और कार्यप्रणाली जैसे स्मार्ट क्लासरूम एवं डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री के साथ प्रशिक्षित एवं समर्थित किया जाना चाहिए। सरकार को सेवाकालीन शिक्षक पेशेवर विकास में भी निवेश करना चाहिए, जो प्रासंगिक, केंद्रित और व्यावहारिक हो।
  - अध्यापन पेशे को एक गुणी व सामाजिक रूप से मूल्यवान करियर के रूप में बदलने और शिक्षकों को उच्च पेशेवर मानकों पर रखने से शिक्षण पेशे में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

6.2. भुखमरी और कुपोषण (Hunger and Malnutrition)

सुर्खियों में क्यों?

वर्ष 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञातव्य है कि इस रैंकिंग में यह अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों यथा **पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल** से भी पीछे रह गया है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:

- 17.9 के GHI स्कोर को दर्शाने वाली वैश्विक भुखमरी, मध्यम (moderate) श्रेणी में है। समस्त विश्व, 2030 तक भुखमरी के स्तर को कम करने में सफल नहीं हो सकेगा।
- विवाद, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी, भुखमरी को संचालित करने वाले अत्यंत शक्तिशाली घटक हैं।
- **विश्वभर में भुखमरी का स्तर:**
    - **सोमालिया में भुखमरी का उच्चतम स्तर है।** चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देश शीर्ष देशों में शामिल हैं।
    - **सहारा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका और दक्षिण एशिया,** विश्व के वह क्षेत्र हैं, जहां भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। दोनों क्षेत्रों में भुखमरी की समस्या को **गंभीर** माना जा रहा है।
    - सभी क्षेत्रों में से यूरोप और मध्य एशिया का वर्ष 2021 का GHI स्कोर सबसे कम है।
- **भारत के संदर्भ में:** 27.5 के स्कोर के साथ भारत का भुखमरी स्तर गंभीर है। विभिन्न घटकों में भारत का प्रदर्शन:
    - पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **दुबलापन: 17.3 प्रतिशत।**
    - आबादी में **कुपोषितों** का अनुपात: 15.3 प्रतिशत।
    - पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **ठिगनापन:** 34.7 प्रतिशत।
    - पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **मृत्यु दर:** 3.4 प्रतिशत।

भारत भुखमरी और कुपोषण को समाप्त क्यों नहीं कर सका है?

- **धन संबंधी मुद्दे:** वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में बाल पोषण के लिए आवंटन वर्ष 2020-21 की तुलना में **18.5%** से कम हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए वर्ष 2020 के समेकित बाल विकास योजना (ICDS)[115] के लेखा परीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि आवंटित किए गए 1042 करोड़ रुपए में से, राज्य सरकारों को वास्तव में केवल 908 करोड़ रुपए ही वितरित किए गए थे।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) के बारे में:

- यह एक समकक्ष समीक्षा युक्त (Peer reviewed) वार्षिक रिपोर्ट है। GHI को **कंसर्न वर्ल्डवाइड** (अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन) और **वेल्थुंगरहिल्फ़** (जर्मनी में निजी सहायता संगठन) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। GHI का उपयोग वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी के स्तर को मापने तथा निगरानी करने के लिए किया जाता है।
- **GHI के अंक चार घटक संकेतकों के मूल्य पर आधारित होते हैं:**
    - **अल्पपोषण:** अपर्याप्त कैलरी ग्रहण करने वाली आबादी।
    - **बाल दुबलापन:** पाँच वर्ष से कम आयु के वे बच्चे, जिनकी लंबाई के अनुसार उनका वज़न कम होता है। यह **गंभीर कुपोषण** को दर्शाता है।
    - **बाल ठिगनापन:** पाँच वर्ष से कम आयु के वे बच्चे, जिनकी आयु के अनुसार लंबाई कम है। यह **दीर्घ कुपोषण** को दर्शाता है।
    - **बाल मृत्यु:** पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। यह आंशिक रूप से **अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ पर्यावरण** के प्राणघातक मिश्रण को दर्शाता है।
- (GHI के संघटन के लिए इंफोग्राफिक्स देखें)

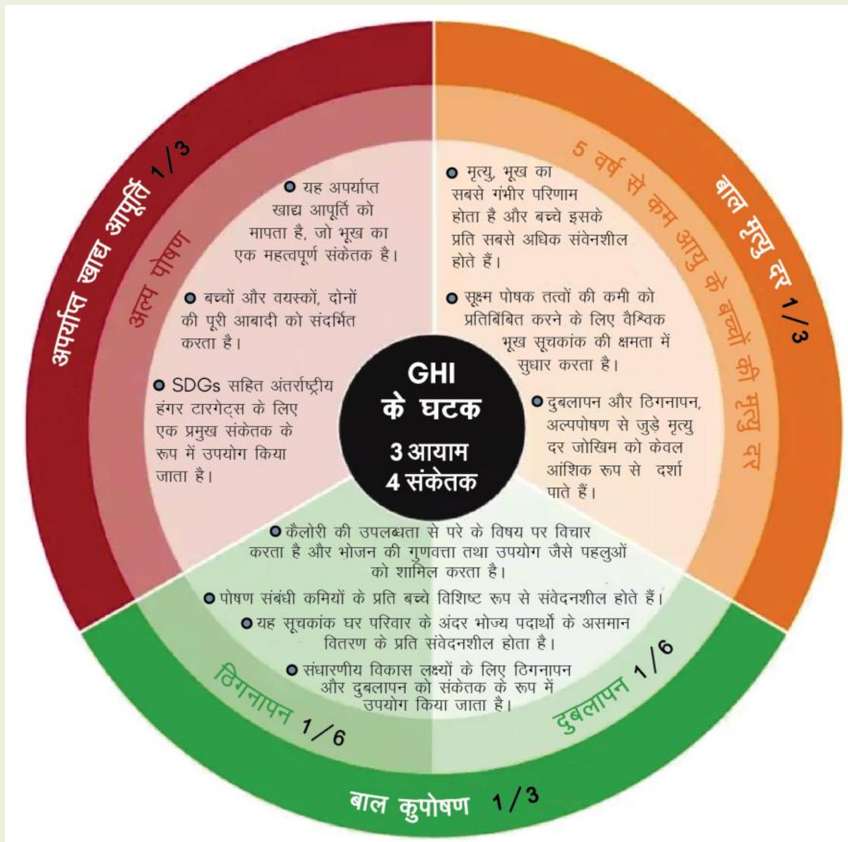

- चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर, GHI भुखमरी को 100 बिन्दु स्केल पर मापता है। जहां 0 सर्वोत्तम संभावित अंक है (कोई भुखमरी नहीं) और 100 सबसे खराब।
- प्रत्येक देश के GHI अंक को उसकी **गंभीरता** के हिसाब से 'कम' से लेकर 'अत्यंत चिंताजनक' के बीच वर्गीकृत किया जाता है।

GHI Severity Scale				
≤9.9 low	10.0-19.9 moderate	20.0-34.9 serious	35.0-49.9 alarming	≥50.0 extremely alarming

115 Integrated Child Development Scheme

- **निगरानी का अभाव:** गर्भवती/ दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों में पोषण की वास्तविक जांच करने के लिए वर्ष 2017 में कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (CAS) की संकल्पना की गई थी। नवंबर 2019 तक, केवल लगभग आधे आंगनवाड़ी केंद्रों में ही CAS की व्यवस्था थी।
  - इसके अतिरिक्त, यह सितंबर 2020 से अक्रियान्वित है। यह कुपोषित बच्चों की अवस्था को ट्रैक करने की प्रशासन की क्षमता के साथ बुरी तरह से समझौता कर रहा है।
- **खाद्य बर्बादी:** अक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कारण, उत्पादित 40% फल और सब्जियाँ तथा 30% अनाज बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रकार वे उपभोक्ता बाज़ार तक नहीं पहुँच पाते हैं।
- **विकेन्द्रीकरण का अभाव:** शासन, संसाधन, निर्णय निर्माण और विकास संबंधी कारवाई का केन्द्रीकरण तथा उत्पादक परिसंपत्तियों, संसाधनों एवं संपत्ति का संकेन्द्रण अन्य बाधाएं हैं।
  - स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बहुत कम राज्य ही स्थानीय निकायों को शामिल करते हैं।

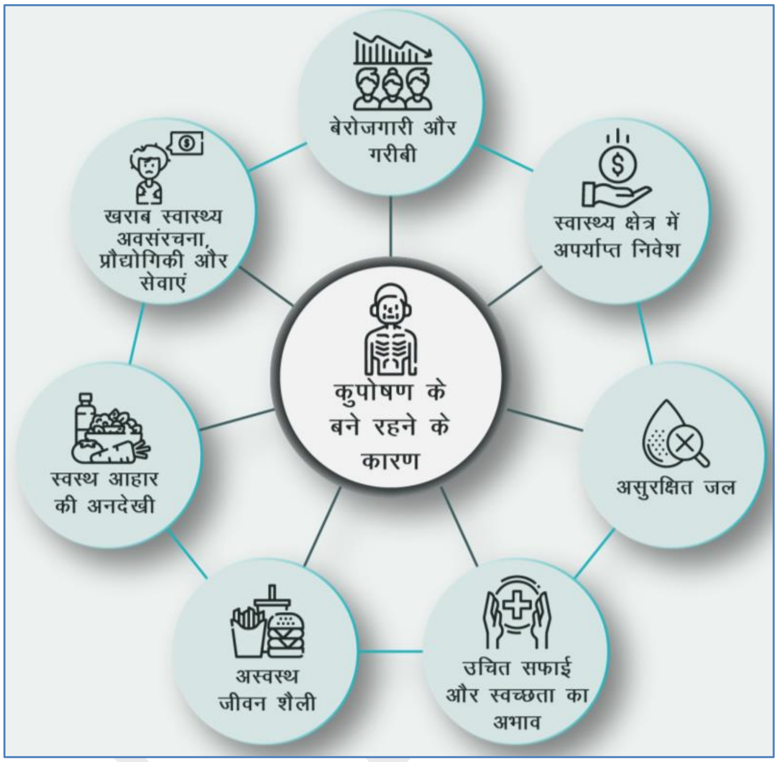

- **सामाजिक घटक:** भारतीय समाज में महिलाओं का निम्न स्तर, खराब बाल देखभाल रीतियाँ, जैसे जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू न करवाना, बाल विवाह आदि।
  - डेटा के अनुसार प्रति वर्ष कम से कम 1.5 मिलियन लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता है और इससे भारत सबसे अधिक बालिका वधुओं वाला देश बन गया है।
  - बालिका वधुओं (जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया) द्वारा उत्पन्न बच्चों में कुपोषण का खतरा अधिक होता है।
- **अन्य शासन संबंधी समस्याएं:** पर्याप्त राजनीतिक और सामाजिक दृढ़ता का अभाव, जवाबदेहिता की कमी, कर्मचारी रिक्तता और फील्ड कर्मचारियों की अनुपस्थिति, जिला स्तर के अलग-अलग डेटा का अभाव तथा सरकारी योजनाओं का अप्रभावी एवं अक्षम कार्यान्वयन तथा भारी मात्रा में लीकेज।

भुखमरी और कुपोषण के प्रभाव:

वैयक्तिक स्तर पर	• **मानसिक रूप से,** संज्ञानात्मक प्रकार्य घट जाता है। **शारीरिक रूप से,** भूख काफी हद तक व्यक्ति की मांसपेशियों, हड्डियों, चमड़ी और आंतरिक अंगों को प्रभावित करती है। • पर्याप्त पोषण का अभाव हमारी प्रतिरोधक प्रणाली को भी कमजोर बनाता है। यह लोगों को दीर्घकालिक रोगों के प्रति सुभेद्य बनाता है।
समाज पर	• इसके प्रभाव कई पीढ़ियों तक तक रहते हैं, क्योंकि कुपोषित स्त्रियाँ अक्सर कम वज़न वाले शिशुओं को जन्म देती हैं। इसलिए, कुपोषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है और एक दुष्चक्र का निर्माण करता है। • शारीरिक और मानसिक क्षमता में कमी, धन अर्जन के अवसरों को भी कम करती है। इससे गरीबी का जोखिम बढ़ जाता है।
अर्थव्यवस्था पर	• अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक और उत्पादन क्षमता के 8% तक की हानि हुई है। • बाल या मातृ कुपोषण, भारत के कुल रोगों के भार का 15% है।

सरकार द्वारा की गई पहलें:

- **प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेपण:** सरकार, प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेपण के रूप में, ICDS के व्यापक दायरे के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। उदाहरण के लिए **आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।**
- **पोषण अभियान:** इसका उद्देश्य बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनापन, कम वज़न, रक्ताल्पता आदि के प्रचलन को रोकना और कम करना तथा पंचायती राज संस्थानों को सम्मिलित करके देश भर में जन्म के समय कम वज़न के प्रचलन को भी घटाना है।

- वर्ष 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को पोषित करने वाली विकासशील प्रथाओं पर ध्यान देते हुए, पोषक तत्वों, वितरण, प्रसार एवं परिणाम को सशक्त करने के लिए **मिशन पोषण 2.0** लॉन्च किया गया है।

- **अनीमिया मुक्त भारत (AMB) योजना:** इसे वर्ष 2018 में बच्चों, किशोरों और प्रजननीय आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त अनीमिया (रक्ताल्पता) को कम करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- **राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सलाह:** सरकार द्वारा सभी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को संपूरक पोषण की गुणवत्ता को, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित मानकों तथा उसमें निर्धारित विनियमों के अनुरूप सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
- **पोषण वाटिकाएं:** आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं के विकास के सहयोग के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पोषण व्यवहार में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार संबंधी विविधता अंतराल को समाप्त करना है।
- **पोषण स्मार्ट विलेज:** इस पहल की घोषणा भारत में 75 मिलियन गांवों तक पहुंच स्थापित करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यावहारिक बदलाव का प्रचार करना, पारंपरिक ज्ञान को व्यवहार में लाना तथा पोषण युक्त कृषि का कार्यान्वयन करना है।

आगे की राह:

- **बजट आवंटन में बढ़ोतरी:** बजट आवंटन में पर्याप्त राजनीतिक ध्यान कुपोषण की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। एक शोध से यह ज्ञात हुआ है कि भारत के पोषण हस्तक्षेपों में व्यय किए गए 1 डॉलर के बदले सार्वजनिक आर्थिक लाभ में 34.1 डॉलर से 38.6 डॉलर तक का प्रतिलाभ मिल सकता है, जो वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक है।
- **शुरुआती पहचान और उपचार सेवाओं का विस्तार:** दुबलेपन से पीड़ित बच्चों के उपचार को बढ़ाने और इन्हें नियमित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से जोड़ने की ज़रूरत है। साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना चाहिए और अधिक सुभेद्य बच्चों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **अंतर-विभागीय अभिसरण को मज़बूत करना:** इस संदर्भ में बांग्लादेश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का भारत में भी अनुसरण किया जा सकता है। बांग्लादेश की, पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना बहु-क्षेत्रक अभिसरण नीति पर आधारित है। इसमें बाल कुपोषण से निपटने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्यपालन, पशुचारण, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि शामिल हैं।
- **समुदाय सशक्तीकरण:** वर्तमान व्यवस्था में जन जागरूकता, सामुदायिक संबंध और सशक्तीकरण के माध्यम से अंतरालों एवं अक्षमताओं को संबोधित करने की ज़रूरत है। ऐसे हस्तक्षेप समुदायों को अपने अधिकार और हक पहचानने में मदद करेंगे। साथ ही, इनसे अक्षमताओं का भी निवारण होगा।
  - यह कुपोषण के लिए समुदाय आधारित समाधान करने में मदद करेगा। इससे दबावग्रस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का कार्यभार कम होगा। भारत में समुदाय आधारित समाधानों पर किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि ये गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों की स्थिति को सुधारने में प्रभावशाली हैं।
- **स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता:** बच्चों को यह समझाने के लिए कि उन्हें पोषण संबंधी जरूरतों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसके लिए प्रभावी पोषण संचार अभियान (स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों, प्रिन्ट और सोशल मीडिया में) चलाने की आवश्यकता है।
- **न्यायिक और नागरिक समाज की सक्रियता:** जनहित याचिका के परिणामस्वरूप भोजन का अधिकार अभियान (जिसे मार्च 2014 में लॉन्च किया गया था) शुरू किया गया है। यह व्यक्तियों और संगठनों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है। इस अभियान के अंतर्गत समाज की आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिए (जिसमें पूर्ण पोषण भी शामिल है) राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। ऐसे और कदमों की ज़रूरत है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखना:** बाल कुपोषण को कम करने में थाईलैंड के प्रयास अत्यंत सरहानीय हैं। यहां वर्ष 1980-88 की अवधि के दौरान बाल कुपोषण (कम वज़न) को बड़ी श्रेष्ठता से 50% से 25% तक कम किया गया था।
  - इस सफलता को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ मिश्रित प्रयासों से प्राप्त किया गया था। इसमें तीव्र वृद्धि निरीक्षण और पोषण शिक्षा, मज़बूत संपूरक भरण प्रावधान, उच्च मानव संसाधन गहनता से कवरेज के उच्च दर की सुनिश्चितता, आयरन एवं विटामिन अनुपूरण व लवण आयोडीनीकरण आदि शामिल हैं।

संबंधित सुर्ख़ियां:

सामुदायिक रसोई योजना:

- केंद्र ने सामुदायिक रसोई योजना के ढांचे पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ **राज्यों से खाद्य सचिवों के एक समूह** का गठन किया है।
  - इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सामुदायिक रसोई योजना पर अखिल भारतीय नीति तैयार करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था।
- **सामुदायिक रसोई ऐसी संस्थाएं हैं, जो नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराती हैं।** साथ ही, ये भुखमरी और कुपोषण की समस्या का हल भी करती हैं।

विश्व खाद्य स्थिति रिपोर्ट (World Food Situation Report)

- इस रिपोर्ट को **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** द्वारा जारी किया जाता है।
- **रिपोर्ट के अनुसार:**
  - **वैश्विक अनाज व्यापार (विशेष रूप से गेहूं और चावल में) "में जो पहले प्रत्याशित थी उससे अधिक मजबूत प्रवृत्ति"** देखी जा रही है, भले ही उत्पादन इस सीजन के शुरुआती अनुमानों से कम हो।
  - हालांकि, **वैश्विक अनाज उत्पादन और व्यापार के इस सीजन में रिकॉर्ड उच्च स्तर** पर रहने की संभावना है, लेकिन वस्तु सूची के 6 मिलियन टन से अधिक संकुचित होने का भी अनुमान है।

6.2.1. वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 (Global Nutrition Report 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट (GNR), 2021 से पता चलता है कि विश्व अभी भी पोषण संकट का सामना कर रहा है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट के बारे में:

- GNR एक **बहु-हितधारक पहल** है। इसमें एक हितधारक समूह, स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह और सचिवालयी रिपोर्ट शामिल हैं।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट की कल्पना **वर्ष 2013 में प्रथम न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट (N4G) के बाद** की गई थी। यह सरकारों, सहायता प्रदाताओं, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र और व्यवसायों में फैले 100 हितधारकों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र के रूप में स्थापित है।
- GNR वैश्विक, क्षेत्रीय और विभिन्न देशों के मध्य **विश्व की पोषण स्थिति** के बारे में विवरण प्रदान करती है। साथ ही, अपने सभी रूपों में **असंतुलित आहार और कुपोषण से निपटने के संघर्ष में सामना की जा रही चुनौतियों का आकलन करती है।**
  - यह रिपोर्ट **पोषण पर स्वतंत्र रूप से सटीक डेटा** उपलब्ध कराती है। यह डेटा **साक्ष्य-आधारित, समयबद्ध और प्रभावी कार्यों** के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे देश अपने असंतुलित आहार और कुपोषण को समाप्त करने के लिए अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता तथा इस संदर्भ में अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष:

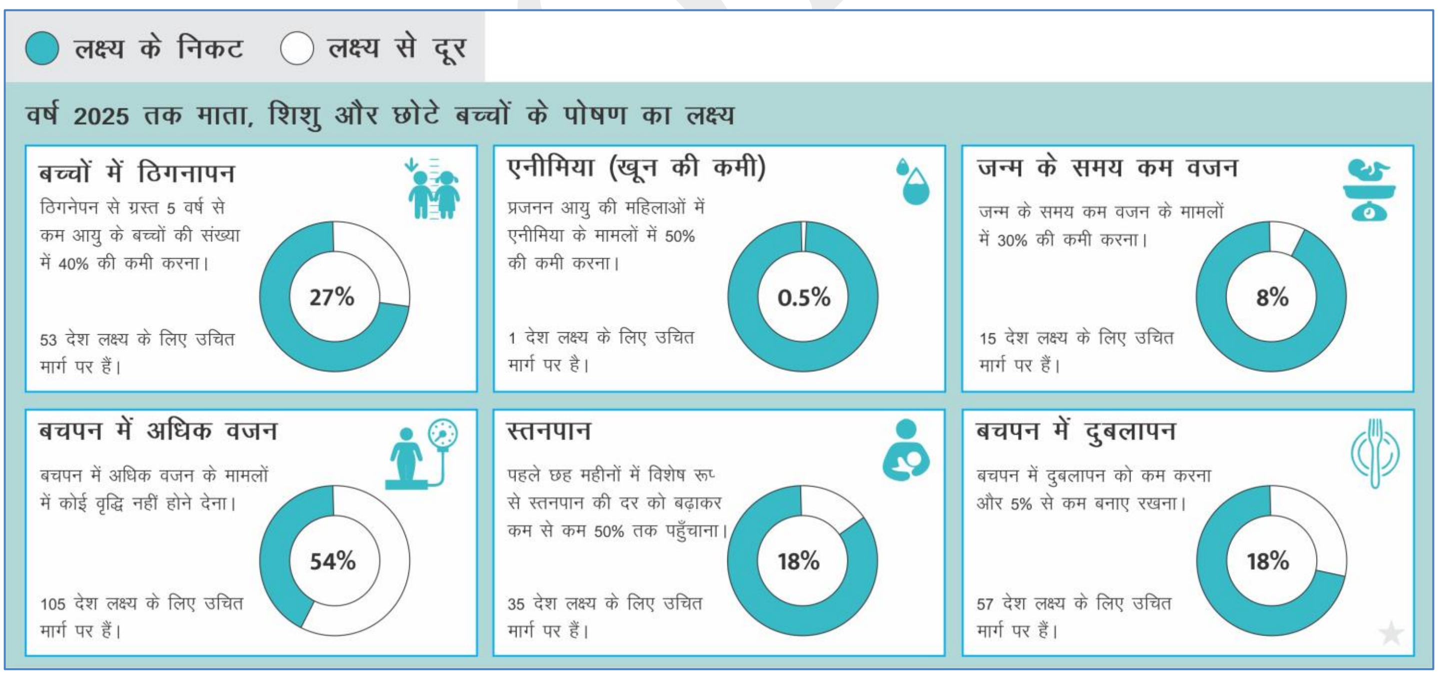

- **वैश्विक स्तर पर**, ठिगनापन, दुबलापन, रक्ताल्पता, जन्म के समय कम वज़न और बचपन के मोटापे की समस्या से निपटने वाले छह में से पांच वैश्विक मातृक, नवजात और छोटे बच्चों के पोषण (MIYCN)[116] लक्ष्य अभी प्राप्त करने कठिन हैं।
- **कोई भी देश वयस्क मोटापे में वृद्धि को रोकने या नमक के सेवन में कमी** हासिल करने की दिशा में प्रगति नहीं कर रहा है।

[116] Maternal, infant, and young child nutrition

- **कोविड -19 महामारी के प्रभावों** ने वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को प्रभावित किया है।
    - महामारी ने अनुमानित अतिरिक्त 155 मिलियन लोगों को विश्व स्तर पर अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया गया है, जबकि आहार से संबंधित चिरकालिक रोग वाले लोग कोविड-19 के बदतर परिणामों का अनुभव कर रहे हैं।
- **विश्व भर में आहार में सुधार करने में बहुत कम प्रगति हुई है**। साथ ही, पिछले एक दशक में वयस्कों की होने वाली कुल मौतों में से एक-चौथाई का कारण खराब आहार है।
- **निम्न-आय वाले देशों** में फलों और सब्जियों जैसे प्रमुख स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थों का सबसे कम सेवन और **कम वजन का उच्चतम स्तर** जारी है, जबकि **उच्च-आय वाले देशों में** उत्तम स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों वाले खाद्य पदार्थों का सेवन सबसे अधिक होता है। इसमें लाल मांस, प्रसंस्कृत मांस और डेयरी एवं **अधिक वजन व मोटापे के उच्चतम स्तर शामिल हैं।**
- **कुपोषण को दूर करने की वित्तीय लागत बढ़ रही है।**

भारत से संबंधित निष्कर्ष:

- 15-49 आयु वर्ग की **आधी से अधिक भारतीय महिलाएँ रक्ताल्पता से पीड़ित हैं।**
    - वर्ष **2016 में 52.6% महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित थीं। वर्ष 2020 में** ऐसी भारतीय महिलाओं की **संख्या बढ़कर 53% हो गई है।**
- **भारत भी उन 23 देशों में शामिल है, जिन्होंने बाल दुबलेपन को कम करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की है** या जहाँ स्थिति और खराब हो रही है।
    - दुबलेपन से तात्पर्य उन बच्चों से है, जिनका वज़न उनकी ऊँचाई के अनुसार कम है।
    - **5 वर्ष से कम आयु के 17% से अधिक भारतीय बच्चे दुबलेपन की समस्या से प्रभावित हैं।** यह आंकड़ा **एशिया के औसत से काफी अधिक** है, जहां करीब **9% बच्चे** प्रभावित हैं।
- भारत में लगभग **6.2% वयस्क महिलाएं और 3.5% वयस्क पुरुष मोटापे के साथ जीवन यापन कर रहे हैं।**
- **भारत उन 105 देशों में से एक है, जो शीघ्र ही बचपन में अतिवजन की समस्या को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं।** इसके अतिरिक्त, उन 53 देशों में से भी एक है, जो जल्द ही ठिगनेपन के निवारण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं।
    - **भारत में 0-5 महीने के आयु वर्ग के लगभग 58% शिशुओं को अनन्य रूप से स्तनपान** कराया जाता है।
- भारत में 'जन्म के समय कम वज़न की समस्या' के प्रसार पर **पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है।**

सुझाव:

- **पोषण के वित्तपोषण के पारंपरिक स्रोतों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।** साथ ही, नवीन और निजी वित्त पोषण का विस्तार किया जाना चाहिए।
- **मौजूदा पोषण निवेश की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार** कुपोषण पर उपलब्ध संसाधनों के प्रभाव को बढ़ा सकता है।
- **खाद्य प्रणालियों को बदलने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाने** तथा पशु-आधारित खाद्य पदार्थों को कम करने के लिए नीतिगत पहल की तत्काल आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आहार लोगों और पर्यावरण के लिए स्वस्थ एवं टिकाऊ है।
- **बेहतर डेटा, अधिक जवाबदेही और व्यवस्थित निगरानी** आवश्यक प्रगति की पहचान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम ट्रैक पर बने रहें।

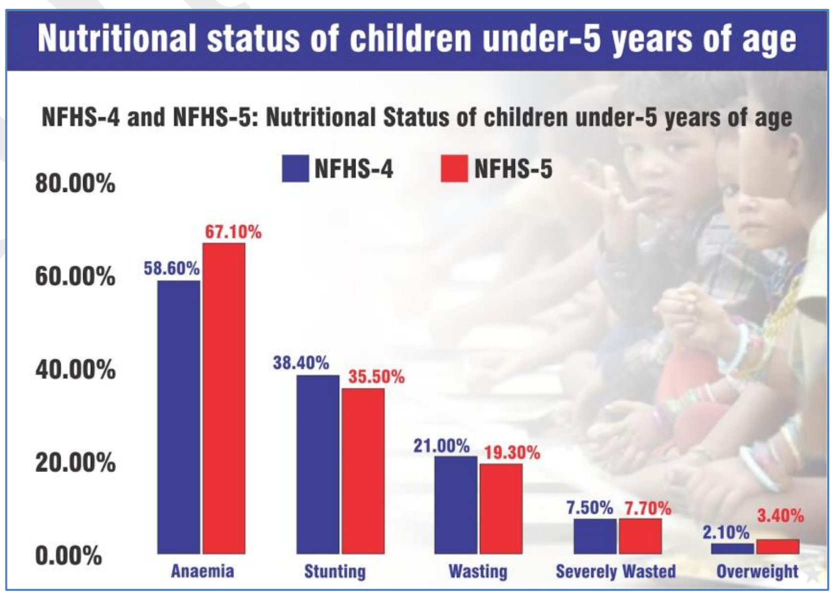

6.3. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया’ज मिसिंग मिडिल (Health Insurance for India’s Missing Middle)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग ने ‘हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया’ज मिसिंग मिडिल’ पर रिपोर्ट जारी की है।**

संबंधित तथ्य

- भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण है। यह स्वास्थ्य बीमा को वैकल्पिक बनाने की अनुमति प्रदान करता है। भारत में कई प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं।
    - केंद्र प्रायोजित **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** जैसी सरकारी सब्सिडी वाली स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और राज्य विशिष्ट योजनाएं जैसे **'आरोग्य कर्नाटक योजना'** इत्यादि।
    - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)[117] द्वारा संचालित **कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS)** जैसी सामाजिक स्वास्थ्य बीमा (SHI)[118] योजनाएं। रेलवे और रक्षा जैसे केंद्रीय विभागों के पास अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, अर्धसैनिक बलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े अस्पताल हैं।
    - निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा (PVHI[119]) योजनाएं आदि।
- इस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम **30% आबादी (40 करोड़ लोग) स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा से वंचित है।** इस आबादी को **मिसिंग मिडिल** कहा गया है।
    - मिसिंग मिडिल वंचित गरीब वर्गों और अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संपन्न संगठित क्षेत्र के बीच स्थित आबादी का गैर-निर्धन वर्ग है। यह वर्ग अंशदान वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान करने की वित्तीय क्षमता के बावजूद, निर्धन कर देने वाले स्वास्थ्य व्यय के प्रति प्रवण होता है।
    - मिसिंग मिडिल में आंकड़ों को पांच समान भागों में विभाजित करने वाले पांच व्ययों में से एक समान भाग में शामिल हैं तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
    - यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार (कृषि और गैर-कृषि) अनौपचारिक क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, अर्ध-औपचारिक एवं औपचारिक व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला का सृजन करता है।

भारत में कम और खराब स्वास्थ्य बीमा कवरेज के कारण

- **कम जागरूकता:** कुल मिलाकर भारत में बीमा उत्पादों के बारे में कम जागरूकता है। इस प्रकार, जब लोग बीमा पॉलिसियों को चुनते हैं, तब भी उनका लक्ष्य कम से कम प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यह उन्हें पर्याप्त कवरेज और सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
- **धारणा संबंधी मुद्दे:** ग्राहकों के बीच शिक्षा की कमी है और ग्राहक इसे दीर्घकालिक संपत्ति (जो बचाव के लिए आ सकती है) की बजाय एक लागत मानते हैं।
- **उत्पाद डिजाइन के मुद्दे:** बीमा पॉलिसियां प्राय: जटिल और समझने में कठिन होती हैं। इसके अलावा, बहुत सारी कागजी कार्रवाई और औपचारिकताएं भी होती हैं।
- **बीमा क्षेत्र में आंतरिक बाधाएं:** भारत की विशाल भौगोलिक और आर्थिक विविधताओं को देखते हुए बीमा क्षेत्र के लिए समान नीतियों के साथ इन भिन्न बाजारों की मांग को पूरा करना मुश्किल है।
- **ग्रामीण क्षेत्र में शाखाओं की अनुपलब्धता:** स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए धीरे-धीरे, टियर II और III शहरों में कुछ शाखाएँ बन गई हैं; लेकिन, ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ही कोई शाखा है। संभावित बाजार का अधिकांश हिस्सा अभी भी वंचित है।

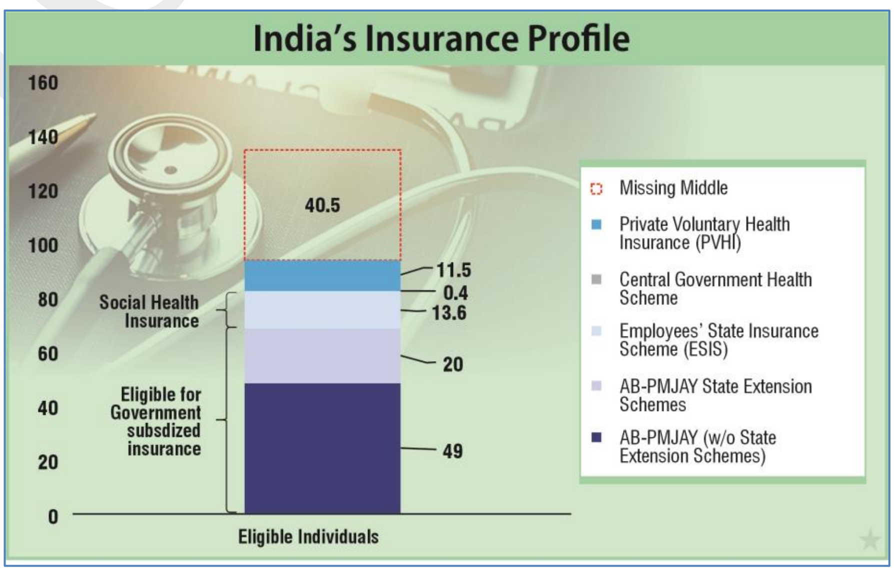

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में दबावकारी मुद्दों के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है

- **मिसिंग मिडिल आबादी के लिए कवरेज सुनिश्चित करने वाले अलग-अलग समय पर चरणबद्ध तीन मॉडल निम्नलिखित हैं:**
    - **अल्पावधि में,** वाणिज्यिक बीमाकर्ताओं के माध्यम से निजी स्वैच्छिक बीमा के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
    - **मध्यम अवधि में,** एक बार जब PMJAY और ESIC की आपूर्ति एवं उपयोग मजबूत हो जाता है, तो PMJAY प्लस उत्पाद या ESIC के मौजूदा चिकित्सा लाभों में स्वैच्छिक योगदान की अनुमति देने के लिए उनके बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया जा सकता है।

---

[117] Employee State Insurance Corporation
[118] Social Health Insurance
[119] Private Voluntary Health Insurance

- दीर्घावधि में, एक बार जब कम लागत वाला स्वैच्छिक अंशदायी स्वास्थ्य बीमा बाजार विकसित हो जाता है, तब PMJAY के मिसिंग मिडिल के वंचित गरीब वर्ग तक विस्तार पर विचार किया जाना चाहिए।

- **सरकार की भूमिका:** सरकार स्वास्थ्य बीमा के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने, एक संशोधित व मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद विकसित करने, त्वरित शिकायत निवारण, मजबूत लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और आंशिक वित्तपोषण या स्वास्थ्य बीमा की प्रदायगी के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करके उपभोक्ता विश्वास बनाने पर ध्यान केंद्रित करके मदद कर सकती है।
  - सरकार वितरण और परिचालन लागत को कम करके उत्पाद के उन्नयन को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है।
  - निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में वितरण और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार अपने डेटा एवं बुनियादी ढांचे को सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में प्रस्तुत कर सकती है
- **बीमा कंपनियों की भूमिका:** भारत में बीमा कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दिखानी होगी। साथ ही, ऐसे उत्पादों को डिजाइन करना होगा, जो ग्रामीण लोगों के लिए उपयुक्त हों। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल वितरण तंत्र बनाने की भी आवश्यकता है।
  - इसके अलावा, बीमा कंपनियों के लिए बीमा में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की ओर बढ़ने का समय आ गया है।
- **अन्य चरणों में शामिल हैं:**
  - **'आरोग्य संजीवनी' जैसा संशोधित व मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद विकसित करना।**
    - आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी को भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। यह कोविड-19 रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करने पर लक्षित है।
  - PMJAY **योजना के माध्यम से सरकारी सब्सिडी वाले स्वास्थ्य बीमा को लाभार्थियों के व्यापक समूह तक पहुंचाना।**

भारत में बीमा कवरेज बढ़ाने का महत्व

- **स्वास्थ्य संबंधी व्यय में कमी:** स्वास्थ्य बीमा कवरेज में वृद्धि, किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अत्यधिक विनाशकारी और खराब स्वास्थ्य से संबंधित व्यय को कम करती है।
- **व्यक्तियों द्वारा उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) के कारण उत्पन्न वित्तीय जोखिम:** अपेक्षाकृत कम स्वास्थ्य बीमा कवरेज और निजी क्षेत्रक की स्वास्थ्य सेवाओं का महंगा होना, भारत के उच्च OOPE का कारण है। इस प्रकार बीमा, व्यक्तियों के लिए विनाशकारी, अप्रत्याशित स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रदान करता है। ये व्यय परिवारों को निर्धनता की ओर धकेल सकते हैं।
  - वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts) के अनुमानों के अनुसार, स्वास्थ्य संबंधी कुल व्यय में OOPE का हिस्सा 48.8% है।
  - राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)[120] सर्वेक्षणों के आधार पर ब्रुकिंग्स इंडिया द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की 7% से अधिक आबादी स्वास्थ्य देखभाल संबंधी लागत के कारण प्रत्येक वर्ष निर्धनता से ग्रस्त हो जाती है।
- **सेवाओं की बेहतर दक्षता और प्रभावकारिता:** स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी गतिविधियों की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना:** स्वास्थ्य बीमा कवरेज में वृद्धि करना, भारत के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है।

संबंधित आंकड़े

- भारत में विश्व की दूसरी सबसे अधिक आबादी होने के बावजूद भी, वर्तमान में विश्व के कुल बीमा प्रीमियम में भारत की हिस्सेदारी 1.5% से भी कम है।
- भारत में लगभग 95 करोड़ व्यक्ति या 21.5 करोड़ परिवार (जनसंख्या का 70%) स्वास्थ्य बीमा (बीमा कवर) के लिए पात्र हैं।
  - लगभग 20% आबादी या 25 करोड़ व्यक्तियों को सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कवर किया जाता है।
  - केंद्र की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) में मौजूदा कवरेज अंतराल और योजनाओं के मध्य अतिव्यापन (ओवरलैप) के कारण वास्तविक वंचित आबादी अधिक है।
- वित्त वर्ष 2018 के लिए बीमा पहुँच (सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कुल प्रीमियम का अनुपात) 3.69% थी।
- इसी अवधि के लिए बीमा घनत्व (जनसंख्या के संबंध में कुल प्रीमियम का अनुपात) 73 अमेरिकी डॉलर था।

6.4. घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISDWs) {All India Survey on Domestic Workers (AISDWs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने घरेलू कामगारों (AISDWs) पर प्रथम अखिल भारतीय सर्वेक्षण** का शुभारंभ किया।

120 National Sample Survey Organisation

अन्य संबंधित तथ्य

- इस सर्वेक्षण का उद्देश्य **राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या तथा अनुपात,** लिव-इन/लिव-आउट, औपचारिक/अनौपचारिक रोजगार एवं अन्य सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के आधार पर घरेलू कामगारों के प्रतिशत वितरण का आकलन करना है।
  - यह **डेटा अंतराल को भी शामिल करेगा** और **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण प्रक्रियाओं में भी सहायता करेगा।**
- AISDWs **श्रम ब्यूरो द्वारा किए जा रहे 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों का हिस्सा है।** वर्तमान में जारी अन्य चार अखिल भारतीय सर्वेक्षण, निम्नलिखित से संबंधित हैं:
  - प्रवासी मजदूर;
  - परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार;
  - पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार और
  - अखिल भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (All-India Quarterly Establishment based Employment Survey : AQEES)।

घरेलू कामगारों के बारे में

- घरेलू कामगार वह व्यक्ति होता है **जो किसी भी घर में अस्थायी या स्थायी आधार पर घरेलू कार्य करने के लिए नियोजित होता है।**
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुमान के अनुसार, **भारत में कम से कम चार मिलियन घरेलू नौकर हैं।** उनमें से ज्यादातर प्रवासी, महिलाएं, नाबालिग और आर्थिक रूप से सबसे निचले स्तर से संबंधित हैं।
  - इनमें से ज्यादातर कमजोर समुदायों से हैं **- आदिवासी, दलित या भूमिहीन ओबीसी।** इनमें से लगभग सभी प्रवासी श्रमिक हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं।
- अनेक **सह-निवासी घरेलू कामगार** सप्ताह के सातों दिन तथा **दिन में कम से कम 15 घंटे कार्य करते हैं।** अंशकालिक कामगार (Part-Time workers) प्राय: 3-4 अलग-अलग घरों में प्रतिदिन लगभग 8-10 घंटे कार्य करते हैं।
- भारत, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के 189वें सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता है।** इसे घरेलू कामगारों पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभी तक **इसकी पुष्टि नहीं की है।**
  - कन्वेंशन में कहा गया है कि **घरेलू कामगारों को दैनिक और साप्ताहिक आराम के घंटे दिए जाने चाहिए,** उनका भुगतान **न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता** को पूरा करना होना चाहिए, और यह कि उन्हें वह स्थान चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां वे रहते हैं और अपना अवकाश व्यतीत कर सकते हैं।
- **लैंगिक विषमता:** ILO के अनुसार विश्व में 25 में से 1 महिला कामगार घरेलू कामगार है।

भारत में घरेलू कामगारों के सामने आने वाली समस्याएं

- **अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण लेकिन अदृश्य योगदान:** घरेलू कामगार, कृषि और निर्माण के बाद श्रमिकों की **तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी** है। तीव्र शहरीकरण से श्रमिकों का पलायन होगा और घरेलू कामगारों की संख्या में वृद्धि होगी।
- **कानूनी अनिश्चितता:** घरेलू कामगारों पर डेटा की कमी का अर्थ है कि जब सरकार राहत उपायों की घोषणा करती है तो वे प्राय: उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। प्रवासी घरेलू कामगारों की स्थिति और भी खराब है, क्योंकि सरकार यह नहीं जानती कि उन तक कैसे पहुंचे, भले ही वह उन तक पहुंचना चाहे।
  - इसके अतिरिक्त, चूंकि घरेलू कामगार घरों में कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें उन बुनियादी कानूनों से बाहर रखा गया है जो नौकरी की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देते हैं जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923; अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 इत्यादि।
- **कार्य स्थल की निम्नस्तरीय स्थिति:** भारत में घरेलू कामगार को उनके नियोक्ताओं द्वारा कम भुगतान, अधिक कार्य करवाने और दुर्व्यवहार किए जाने की व्यापक सूचनाएँ मिलती रहती हैं। **उन्हें नियोक्ताओं द्वारा भेदभाव और उदासीनता का सामना करना पड़ता है।** उदाहरण के लिए, अधिकांश घरेलू कामगारों को स्नानघर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। उनके पास आराम करने के लिए कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है (विशेषकर यदि वे नियोक्ता के साथ रह रहे हैं)। कई को मौखिक, शारीरिक और लैंगिक शोषण का भी सामना करना पड़ता है।
- **बाल श्रम:** ILO का अनुमान है कि विश्व स्तर पर, विशेषकर विकासशील देशों में 15 वर्ष से कम आयु के 7.4 मिलियन बच्चे घरेलू कामगार हैं।
- **पुलिस द्वारा सुभेद्यता का शोषण:** घरेलू कामगार प्राय: संदेह के शिकार होते हैं। यदि घर में कुछ भी चोरी हो जाता है, तो सबसे पहले उन्हें धमकी दी जाती है, उनके साथ शारीरिक हिंसा व पुलिस पूछताछ एवं दोषसिद्धि होती है और यहां तक कि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है।

* **कोविड -19 ने घरेलू कामगारों को हाशिये पर धकेल दिया है:** उदाहरण के लिए, सेल्फ-एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (सेवा/SEWA) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, उनमें से लगभग 60% को लॉकडाउन के दौरान भुगतान नहीं किया गया था। नौकरी छूटने से वे गरीबी और ऋण से ग्रस्त हो गए हैं। इसके कारण भोजन ग्रहण करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण में गिरावट आई है।

आगे की राह

* **व्यापक कानून:** ज्ञातव्य है कि असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 और विभिन्न राज्यों में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी अनुसूचियां घरेलू कामगारों को संदर्भित करती हैं, तथापि वहां व्यापक व समान रूप से लागू एक राष्ट्रीय कानून का अभाव है, जो रोजगार की उचित शर्तों एवं घरेलू कामगारों के लिए कार्य करने की अच्छी स्थिति की गारंटी देता है।
* **संगठन और अभिव्यक्ति:** कानून का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होने के लिए घरेलू कामगारों को भी संगठित होने की जरूरत है, यह देखते हुए कि उनके नियोक्ता आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए, घरेलू कामगारों को ट्रेड यूनियनों में संगठित किया जाना चाहिए और न केवल नीति निर्माण में बल्कि कार्यस्थल पर भी प्रतिनिधिक आवाज उठानी चाहिए।
* **ILO के 189वें सम्मेलन की पुष्टि करना:** अभिपुष्टि करने वाले देशों को ऐसे श्रमिकों के खिलाफ **हिंसा के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय** करने की आवश्यकता होती है। साथ ही, रोजगार के उद्देश्यों के लिए **न्यूनतम आयु** को लागू करना भी आवश्यक है।
* **नियोक्ता को संवेदनशील बनाना:** घरेलू कामगारों को कार्य पर रखने वाले परिवारों को अपने घरों में घरेलू कामगारों के योगदान के बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए और उनमें जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। इस दिशा में, ILO ने घरेलू कामगारों द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यों पर जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए **"आपका कार्य महत्वपूर्ण है"** अभियान शुरू किया है।
* **सर्वोत्तम वैश्विक कार्यों का अनुकरण:** फिलीपींस में घरेलू सहायकों के लिए मैग्नाकार्टा; हांगकांग में संगठित होने का अधिकार एवं आप्रवासन विभाग द्वारा आवश्यक न्यूनतम मानकों के साथ रोजगार अध्यादेश और अनुबंधों के तहत कवरेज; दक्षिण अफ्रीका में घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए बाध्यकारी अधिदेश के साथ रोजगार की बुनियादी शर्तें अधिनियम, 1997 इत्यादि।

6.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

6.5.1. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) द्वितीय चरण के निष्कर्ष जारी किए {Union Health Ministry Releases National Family Health Survey (NFHS-5) Phase II Findings}

* NFHS के क्रमागत चरणों का मुख्य उद्देश्य **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य उभरते मुद्दों से संबंधित विश्वसनीय एवं तुलनात्मक डेटा प्रदान करना है।**
  * NFHS-5 में कुछ **नए प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि मृत्यु पंजीकरण, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तारित प्रक्षेत्र, मासिक धर्म स्वच्छता, अल्कोहल और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति आदि।**

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं (अखिल भारतीय स्तर)

संकेतक	NFHS (वर्ष 2019-21)	NFHS (वर्ष 2015-16)
• **कुल प्रजनन दर (TFR) (प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या)** ○ प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के TFR को प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। इसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।	2.0	2.2
• **कुल जनसंख्या में लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं)** ○ यह पहली बार है, जब किसी भी NFHS या जनगणना में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है।	1,020	991
• **नवजात मृत्यु दर** ○ प्रति 1000 जीवित जन्मों में व्यक्त जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में मृत्यु की संख्या।	24.9	29.5
• **शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म)** ○ यह जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। इसे प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त किया जाता है।	35.2	40.7
• **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म)**	41.9	49.7

○ यह किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि में जन्म लिए बच्चे की पांच वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मृत्यु की संभावना है।		
• **20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ (%)**	23.3%	26.8%
• **संस्थागत जन्म**	88.6%	78.9%
• **5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो ठिगनेपन से पीड़ित हैं (आयु के अनुरूप लम्बाई कम होना)**	35.5%	38.4%
• **5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुबलेपन से पीड़ित हैं (ऊंचाई के अनुरूप वजन कम होना)**	19.3%	21%
• **5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है (आयु के अनुरूप वजन कम होना)**	32.1%	35.8%

6.5.2. भारत के लिए वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किये गए {The National Health Accounts (NHA) Estimates for India for 2017-18 is Released}

- यह **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र** द्वारा तैयार की गई लगातार **पांचवीं** NHA रिपोर्ट है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (National Health Accounts Technical Secretariat: NHATS) के रूप में नामित किया गया था।
  - NHA अनुमान **विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 के आधार पर एक लेखांकन ढांचे का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं।**
- **प्रमुख निष्कर्ष**

निष्कर्ष	वर्ष 2013-14	वर्ष 2017-18
कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय**	64.2%	48.8%
देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा	1.15%	1.35%
कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय साझा करना	28.6%	40.8%
प्रति व्यक्ति के संदर्भ में सरकारी स्वास्थ्य व्यय	₹1,042	**₹1,753**
वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा	51.1%	**54.7%**
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य के लिए बाहरी/दाता अनुदान	0.3%	**2.3%**

- अन्य निष्कर्ष
  - **प्राथमिक और द्वितीयक देखभाल वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय के 80% से अधिक** के लिए उत्तरदायी है।
  - **स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय के हिस्से में वृद्धि** हुई है। इसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और सरकारी कर्मचारियों को दी गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल हैं।

6.5.3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2021' रिपोर्ट जारी की है {Swachh Survekshan 2021 Report Released by Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)}

- स्वच्छ सर्वेक्षण (SS), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के तहत संपूर्ण भारत के **शहरों और कस्बों में साफ-सफाई, आयोग्यकारिता तथा स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है।**
  - इसका संचालन **MoHUA द्वारा** किया जाता है। **भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)** इसका कार्यान्वयन भागीदार है।
  - सर्वेक्षण का उद्देश्य **व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी** को प्रोत्साहित करना तथा कचरा मुक्त शहर (garbage free city) और खुले में शौच मुक्त (ODF) शहर की दिशा में की गई **पहल की संधारणीयता सुनिश्चित करना है।**
  - ध्यातव्य है कि **प्रथम स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2016 में किया गया था।**
- 4,320 शहरों की भागीदारी के साथ, स्वच्छता सर्वेक्षण का **छठा संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण** बन गया है।
  - इस सर्वेक्षण को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था - (इन्फोग्राफिक देखें)
- **मुख्य निष्कर्ष**
  - '1 लाख से अधिक आबादी' की श्रेणी में **इंदौर ने लगातार पांचवीं बार 'सबसे स्वच्छ शहर' की उपाधि प्राप्त की है।** इसके बाद **सूरत और विजयवाड़ा** ने '1 लाख से अधिक आबादी' की श्रेणी में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर सफलता प्राप्त की है।
  - **वाराणसी 'सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर'** के रूप में उभरा है, जबकि **अहमदाबाद छावनी ने 'भारत की सबसे स्वच्छ छावनी'** का खिताब प्राप्त किया है।
  - इसके अतिरिक्त, **स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत शुरू की गई एक नई प्रदर्शन श्रेणी 'प्रेरक दौर सम्मान'** के तहत पांच शहरों - इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगर परिषद और तिरुपति को 'दिव्य' (प्लैटिनम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

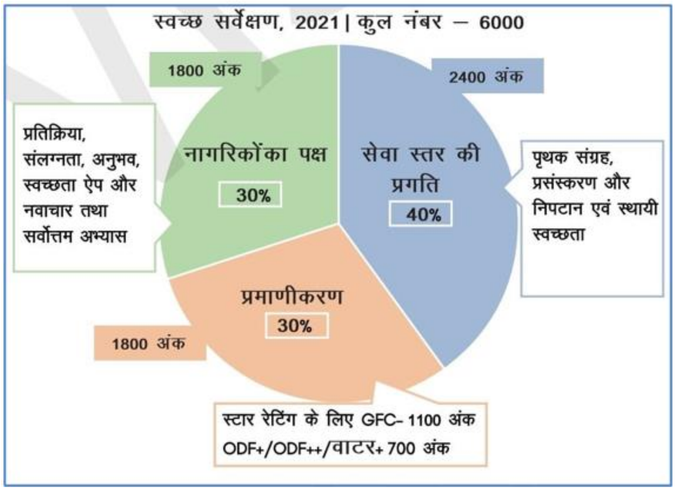

6.5.4. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति बनाने की पहल (Initiative on Creating Lakhpati SHG Women)

- **ग्रामीण विकास मंत्रालय** ने ग्रामीण SHG से जुड़ी महिलाओं को **प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये** कमाने में सक्षम बनाने हेतु एक पहल की शुरुआत की है।
- इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय ने **आगामी 2 वर्षों में ग्रामीण SHG से जुड़ी 2.5 करोड़ महिलाओं को आजीविका सहायता** प्रदान करने की योजना बनाई है।
    - इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, पशुधन, गैर-काष्ठ वनोपज आदि से लेकर **घरेलू स्तर पर आजीविका गतिविधियों में विविधता लाने के लिए सुनियोजित हस्तक्षेपों के माध्यम से** प्राप्त किया जाएगा।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. 5G प्रौद्योगिकी (5G Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को मई 2022 तक 5G की परीक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु दूरसंचार विभाग (DoT) ने निर्धारित समय अवधि को छह माह के लिए बढ़ा दिया है।

3G vs 4G vs 5G vs 6G

	3G	4G	5G	6G
Deployment	2004-06	2006-10	2020	2028-2030
Bandwidth	2 mbps	200 mbps	>1 gbps	1 tbps
Latency	100-150 millisecond	20-30 millisecond	<10 millisecond	<1 microsecond
Average Speed	144 kbps	25 mbps	200-400 mbps	About 50 times faster than 5G

5G तकनीक के बारे में

- 5G (सेलुलर नेटवर्क की पांचवीं पीढ़ी) को **गति, लेटेंसी (विलंबता) और उपयोगिता जैसे दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान** कर, नेटवर्क कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान करने में पूर्व के/वर्तमान पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क असमर्थ रहे हैं।
    - **लेटेंसी** वस्तुतः डेटा के प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में होने वाले विलंब या देरी को संदर्भित करता है।
- यह **उन्नत सेवा प्रवाह क्षमता (throughput)** से युक्त होगा तथा इसके माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के नेटवर्क की तुलना में एक ही समयावधि में **एक साथ अनेक कनेक्शन को संचालित करना सक्षम** होगा।
- 5G **मुख्य रूप से 3 बैंड (निम्न, मध्यम और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम)** पर काम करता है।
- 5G द्वारा **भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.35 से 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की गई है।**

स्पेक्ट्रम	उपयोग/लाभ	सीमाएं
निम्न बैंड	• इंटरनेट कवरेज और स्पीड तथा डेटा आदान-प्रदान के मामले में अत्यधिक भरोसेमंद, अधिकतम गति 100 Mbps (मेगाबिट्स प्रति सेकंड) तक सीमित है। • यह वाणिज्यिक सेलफोन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है, विशेषकर जिन्हें तेज गति के इंटरनेट की आवश्यकता न हो।	• उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए यह इष्टतम नहीं है।
मध्यम बैंड	• निम्न बैंड की तुलना में उच्च गति। • कैप्टिव नेटवर्कों के निर्माण के लिए उद्योगों और विशेष कारखाना इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।	• कवरेज क्षेत्र और सिग्नल्स की उपलब्धता संबंधी सीमाएं।
उच्च -बैंड	• उपर्युक्त दोनों बैंड्स की तुलना में उच्चतम गति {20 Gbps (गीगा बिट्स प्रति सेकेंड) तक} प्रदान करता है।	• बेहद सीमित कवरेज और सीमित सिग्नल उपलब्धता क्षमता।

5G के साथ आने वाले अवसर

समाज में उन्नति

- कम से कम कार्बन उत्सर्जन के लिए अधिकाधिक स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड।
- रोड पर आपस में टक्कर से बचाने के लिए आपस में डाटा साझा करने वाले अधिकाधिक परस्पर कनेक्टेड वाहन।
- दुर्घटना होने पर आपातकालीन सेवाओं को अधिक तेजी से लागू करने की व्यवस्था।
- आपस में जुड़े हुए सेंसर जो प्राकृतिक आपदाओं का पता लगा सकते हैं और उनके बारे में समय रहते सूचना दे सकते हैं।
- आपातकालीन अवस्था में उचित अनुक्रिया करने की गति को तेज करने और सहायता प्रदान करने के लिए प्रमुख उपकरण के रूप में ड्रोन की महत्ता का बढ़ना।
- परामर्श और रोगों के निदान के लिए विशेषज्ञों को सुचारू रिमोट एक्सेस (दूर से नियंत्रण या पहुँच)।

उद्योगों का रूपांतरण

- **5G** लचीले, कुशल और जिम्मेदार व्यवसाय का आधार है।
- प्रोडक्शन लाइन्स द्वारा आपूर्ति और मांग के प्रति स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करना।
- समय रहते मशीनों के वास्तविक दोषों के बारे में चेतावनी दे सकने में सक्षम डिजिटल अनुकृतियाँ।
- विभिन्न लॉजिस्टिक नेटवर्क द्वारा वास्तविक दुनिया की दशाओं के आधार पर स्वचालित रूप से वस्तुओं का मार्ग निर्धारण करना।
- वेयरहाउस तथा पत्तनों में हर एक सामान के स्तर तक पता लगाने की सुविधा।
- जोखिम भरे वातावरण में बेहतर सुरक्षा के लिए शक्तिशाली रोबोट और वाहनों का रिमोट एक्सेस।
- फसलों को कुशलतापूर्वक उगाने के लिए कृषि में इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स **(IoT)** के उपयोग में बढ़ोतरी।

बेहतर अनुभव

- हल्के उपकरणों के कारण वर्चुअल रियलिटी **(VR)**, ऑग्मेंटेड रियलिटी **(AR)** और एक्सटेंडेड रियलिटी **(XR)** में अधिक यथार्थवाद।
- उपकरणों के माध्यम से स्पर्श जैसे संवेदी अनुभव प्रदान करना।
- अधिकाधिक रुचिकर (इमर्सिव) सामग्री के माध्यम से शिक्षण के अधिक आकर्षक तरीके।
- दूरस्थ टीम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्चुअल मीटिंग।
- भीड़–भाड़ वाली जगहों में स्थिर और भरोसेमंद कनेक्टिविटी।
- आयोजन के लाइव और रिमोट दर्शकों के लिए नए कोण और परस्परिक क्रिया के तरीके।

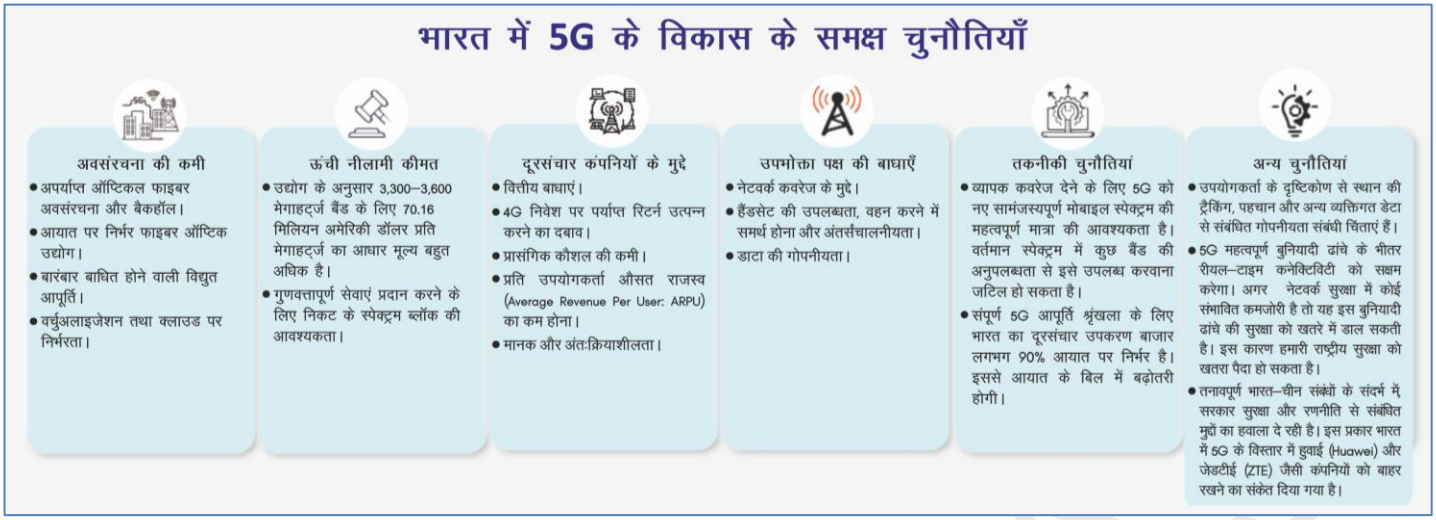

5G और क्वाड

- क्वाड **वस्तुतः साझा 5G जोखिम और सुनम्य ढांचे के लिए एक आदर्श परीक्षण आधार/स्थल** प्रदान करता है जिसे व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र तक विस्तारित किया जा सकता है।
- **पहचान/चिन्हित किए गए जोखिमों में शामिल हैं**
  - **तकनीकी जोखिम:** इसमें 5G अवसंरचना और प्रोटोकॉल से संबंधित जोखिम शामिल हैं।
  - **आपूर्ति श्रृंखला और कनेक्टिविटी संबंधी जोखिम:** इसमें विशेषकर संभावित संघर्ष संबंधी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले व्यवधान के साथ-साथ भू-राजनीतिक दबाव, जटिल आपूर्ति श्रृंखला अन्योन्याश्रयता, और राष्ट्रीय शक्तियों द्वारा राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को नियंत्रित किए जाने जैसी बाधाएं भी शामिल हैं।
  - **योग्यता और क्षमता संबंधित जोखिम:** इसमें 5G संबंधी सुरक्षा जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए विशेषज्ञता, संस्थागत संबंधों और कर्मियों सहित अपर्याप्त संस्थागत योग्यता और क्षमता शामिल हैं।
- **अपने 5G परिनियोजन को सुरक्षित करने के लिए क्वाड देशों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण:**
  - **उच्च जोखिम वाले विक्रेताओं को रोकना:** बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और चीन के प्रति अविश्वास को देखते हुए क्वाड सदस्यों ने चीनी विक्रेताओं (हुआवेई और जेड.टी.ई.) को अपने राष्ट्रीय 5G नेटवर्क से बाहर रखने का निर्णय लिया है।
  - **तृतीय-पक्ष आपूर्ति श्रृंखला जोखिम को कम करना:** साइबर और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा संबंधी कठोर अनिवार्यताओं के समावेशन के साथ सरकारी खरीद प्राधिकरणों और नीतियों में परिवर्तन करना, आदि उपाय क्वाड देशों द्वारा अपनाए गए हैं।
  - सुरक्षित 5G परिनियोजन के **लिए उद्योग को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना**।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना:** उदाहरण के लिए जापान और भारत के मध्य जनवरी 2021 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें 5G प्रौद्योगिकियों और दूरसंचार सुरक्षा सहित अन्य मुद्दे शामिल थे।
  - **क्वाड देशों ने अपने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर साइबर सुरक्षा दायित्व लागू किए** हैं उदाहरण के लिए, ये दायित्व दूरसंचार संबंधी विनियामकों और महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण प्राधिकरणों के माध्यम से लागू किए गए हैं।

आगे की राह

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- भारत में 5G के विजन को सुस्पष्ट करने तथा इस विजन को साकार करने की दिशा में नीतिगत पहलों और कार्य योजनाओं की सिफारिश करने हेतु **वर्ष 2017 में एक 5G उच्च स्तरीय फोरम की स्थापना** की गई थी।
- **सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने 5G इंडिया फोरम (5GIF) का गठन किया है,** जो एक राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य कर सकता है, जहां निजी और सार्वजनिक, छोटे और बड़े सभी हितधारक एकजुट होकर भारत में 5G के परिनियोजन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं।
- **'एंड-टू-एंड 5G टेस्ट बेड बिल्डिंग'** कार्यक्रम को विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स के मध्य घनिष्ठ भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु परिकल्पित किया गया है। यह एक ऐसे पारितंत्र के निर्माण पर बल देता है जो वास्तविक 5G परिनियोजन को परिलक्षित करता हो।
- **राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018** (NDCP-2018) भी भारत में 5G सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिनमें शामिल हैं:
- अनेक 5G प्रौद्योगिकियों के परिनियोजन द्वारा **हाई-स्पीड इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एम2एम** (मशीन से मशीन) को सक्षम बनाना।
- अगली पीढ़ी के नेटवर्क के विकास का समर्थन करने के लिए **बैकहॉल क्षमता** को बढ़ाना।

7.2. सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं (Satellite Internet Services)

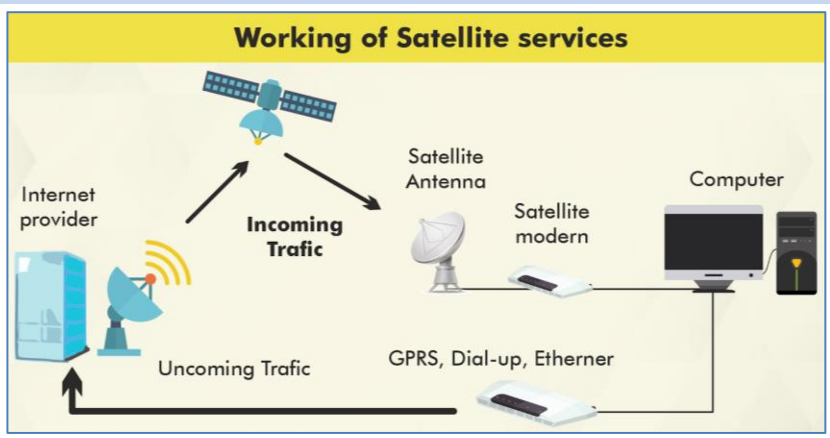

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने स्टारलिंक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भारत में उपग्रह-आधारित सेवाओं की पेशकश करने से रोकने के लिए एक सार्वजनिक परामर्शिका जारी की है। साथ ही नागरिकों से इसकी सदस्यता नहीं लेने के लिए आग्रह किया है क्योंकि भारत में इसे परिचालन लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च के लिए किसी भी कंपनी को **उपग्रह आधारित वैश्विक मोबाइल निजी संचार सेवा (GMPCS)**[121] लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह लाइसेंस भारत सरकार के **दूरसंचार विभाग** द्वारा **भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के** तहत प्रदान किया जाता है।

[121] Global Mobile Personal Communication by Satellite

- **GMPCS एक व्यक्तिगत संचार प्रणाली है, जो** छोटे और सरल परिवहन योग्य टर्मिनलों से संबद्ध उपग्रहों के समूह द्वारा **अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या वैश्विक कवरेज प्रदान** करती है।

सैटेलाइट इंटरनेट सेवा क्या है?

- सैटेलाइट इंटरनेट सेवा एक **वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है**। इसके तहत इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP)[122] से इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करने तथा उपयोगकर्ताओं तक सिग्नल को प्रेषित करने के लिए अंतरिक्ष स्थित उपग्रहों का उपयोग किया जाता है।
- यह दो तरफा संचार वाले उपग्रहों जैसे **वी-सैट (वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल)** या दूरसंचार उपग्रहों का उपयोग करके ISP और सैटेलाइट डिश वाले उपयोगकर्ताओं के मध्य सिग्नल/संचार के आदान-प्रदान में मदद करता है।
- ये 500-2000 कि.मी. के मध्य **स्टारलिंक** (स्पेसएक्स), **कुपियर** (अमेज़ॅन) और **वन वेब** द्वारा स्थापित किए गए भूस्थिर उपग्रह या **निम्न भू कक्षा (LEO)** वाले उपग्रह हो सकते हैं ।
- ये **दूरसंचार उपग्रह से भिन्न होते हैं** क्योंकि इसमें **दोतरफ़ा संचार वाले** इंटरनेट सिग्नल **की सुविधा होती** है। साथ ही, ऐसे उपग्रहों द्वारा डेटा को संचारित करने के लिए बहुत **अधिक मात्रा में बैंडविड्थ का उपयोग** किया जाता है।
- यह संभवतः वर्ष **2022 तक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध** हो सकते हैं, यह **ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों** 'जैसे इंटरनेट रहित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा प्रदान करके '**डिजिटल इंडिया**' पहल को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- भारत में अन्य प्रकार की **इंटरनेट सेवाओं** में शामिल हैं- **डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL), फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट, वायरलेस सेलुलर नेटवर्क (जैसे- 4G, 5G), फाइबर ऑप्टिक केबल** आदि।

सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लाभ	**सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं में चुनौतियां**

• यह ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और द्वीपों के लिए **लास्ट माइल कनेक्टिविटी** हेतु एक वहनीय और **सुलभ इंटरनेट** विकल्प हो सकता है।
• यह सतत सुधार वाली तकनीक है तथा लगभग **100 Mbps** तक की वर्तमान गति के साथ **DSL कनेक्शन की तुलना में तीव्र गति प्रदान करती है।**
• **यह आपातकालीन समय में** सीमित बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के कारण **आपदा राहत हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा** सकता है।
	• फाइबर ऑप्टिक केबल की तुलना में इसकी **गति कम** और **विलंबता (लेटेंसी)* उच्च** होती है।
	  ○ लेटेंसी जिसे पिंग टाइम के रूप में भी जाना जाता है, यह किसी सूचना को सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन पर **एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय** (डेटा के प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचने में होने वाले विलंब या देरी) को संदर्भित करता है।
	• वायरलेस सेलुलर नेटवर्क और अन्य की तुलना में यह उच्च **लागत** वाले होते हैं।
	• **मौसम संबंधी विचलन के उच्च प्रभाव के कारण बैंडविड्थ बाधित** हो सकता है।
	• इसमें वृहद् उपग्रह नेटवर्क की आवश्यकता के कारण **अंतरिक्ष यान/उपग्रहों के क्षतिग्रस्त होने या उच्च उपग्रह आवृत्ति के बाधित होने की संभावना** अधिक होती है।
	• इससे अंतरिक्ष में मलबे की **वृद्धि होने की संभावना बढ़** सकती है।
	• **ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सेवाओं के** लिए **सुसंगत नहीं हैं।**
	  ○ VPN सार्वजनिक इंटरनेट कनेक्शन से एक निजी नेटवर्क उपलब्ध कराकर **ऑनलाइन निजता और अज्ञात बने रहने की सुविधा प्रदान करता है।**

7.3. लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी परियोजना {Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) Project}

सुर्खियों में क्यों?

हिंगोली राजस्व विभाग (महाराष्ट्र) ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी (LIGO) परियोजना के अंतर्गत कुछ अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे सहित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्ष 2016 में, केंद्र सरकार ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों (GW) पर अनुसंधान के लिए **LIGO-India** (एक संयुक्त भारत-अमेरिका डिटेक्टर) को स्वीकृति प्रदान की थी।
    - **लिगो-इंडिया (LIGO-India)** के लिए आवश्यक प्रमुख संचालन दायित्वों को **चार प्रमुख संस्थानों के बीच वितरित किया गया है:** जिनमें निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय (मुंबई), राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (इंदौर), प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (गांधीनगर), और खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र (पुणे) शामिल हैं।

सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत

- इसके अनुसार जिसे हम **गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में अनुभव करते हैं, वह अंतरिक्ष और समय की वक्रता या विकुंचित (wraping) होने का परिणाम है।**
- कोई पिंड जितना अधिक विशाल होता है, वह अपने चारों ओर के अंतरिक्ष और समय को उतना ही अधिक विकुंचित (wraping) करता है।

[122] Internet Service Provider

- विकसित की जा रही इस प्रौद्योगिकी में **अल्ट्रा स्टेबल लेजर (ultra stable laser) की डिजाइन और निर्माण, क्वांटम माप प्रौद्योगिकी (quantum measurement techniques),** परिशुद्ध नियंत्रण (precision control) के प्रवर्तन हेतु जटिल नियंत्रण प्रणाली का प्रबंधन, लार्ज स्केल अल्ट्रा हाई वेक्यूम प्रौद्योगिकी, **डेटा विश्लेषण और मशीन लर्निंग** शामिल हैं।
- इस परियोजना को **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा** वित्त पोषित किया जाएगा।

LIGO- इंडिया का महत्व

- यह वैज्ञानिकों को **सम्पूर्ण अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोतों का** पता लगाने में मदद करेगी। हालांकि अभी, यह निर्धारित करने में अत्यधिक अनिश्चितता बनी हुई है कि अंतरिक्ष में इन विक्षोभों का स्रोत क्या है।
- यह भारत में प्रायोगिक विज्ञान की व्यावहारिकता बढ़ाएगा और इसके प्रति वैज्ञानिकों को आकर्षित करेगा। साथ ही, यह विद्यार्थियों को आकर्षित करने और उन्हें प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने में मदद करेगा।
- गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए आवश्यक भौतिक मापन हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है, जिनके बहुत से गैर-सैन्य अनुप्रयोग होते हैं।

LIGO के बारे में

- इसे आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत द्वारा पूर्वानुमानित की गई **गुरुत्वाकर्षण तरंगों का प्रत्यक्ष पता लगाने के लिए डिज़ाइन गया था।**
- इसे **अमेरिका में दो स्थानों** (वाशिंगटन और लुइसियाना) **पर परिचालित किया जा रहा है।**
  - इसके अतिरिक्त, **LIGO की 3 अन्य संबद्ध इकाईयां हैं:** इटली में विर्गो, जर्मनी में जियो600 (GEO600), जापान में कामिओका ग्रेविटेशनल-वेव डिटेक्टर अर्थात काग्रा (KAGRA) तथा **LIGO- भारत।**
- **LIGO** द्वारा एकत्र किए जाने वाले डेटा का **गुरुत्वाकर्षण, सापेक्षता, खगोल भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, कण भौतिकी और** परमाणु भौतिकी **सहित भौतिकी के अनेक क्षेत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।**
- न्यूट्रॉन तारों के विखंडन या ब्लैक होल, या सुपरनोवा जैसी प्रलयकारी ब्रह्मांडीय घटनाओं से उत्पन्न होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संचलन से अंतरिक्ष-समय/स्पेस-टाइम में उत्पन्न होने वाली लहरों को मापने के लिए **LIGO द्वारा लेज़र इंटरफेरोमेट्री** का उपयोग किया जाता है।
  - इंटरफेरोमीटर ऐसे **खोजी उपकरण हैं** जिनके तहत व्यतिकरण पैटर्न (interference pattern) सृजित करने के लिए, **प्रकाश के दो या दो से अधिक स्रोतों को एक साथ एकीकृत कर दिया जाता है।** तदुपरांत उनका मापन और विश्लेषण किया जाता है।
  - इनका **उपयोग प्रायः ऐसे अत्यधिक सूक्ष्म माप प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिन्हें** किसी अन्य तरीके से नहीं मापा जा सकता।

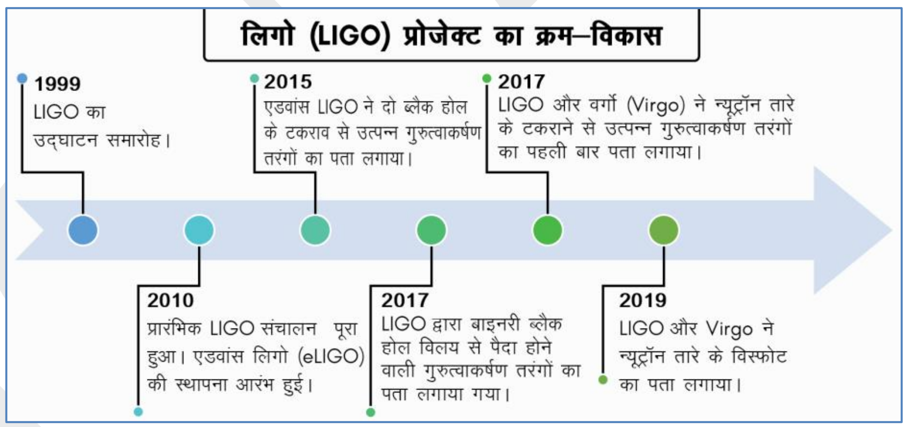

- **यह अन्य वेधशालाओं से भिन्न है क्योंकि**
  - **LIGO नेत्रहीन है:** ऑप्टिकल या रेडियो टेलिस्कोप के विपरीत, LIGO विद्युत चुम्बकीय विकिरण (जैसे, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव) को देखने में असमर्थ है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तरंगें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं होती हैं।
  - **LIGO गोल/वृत्ताकार नहीं है और इसे अंतरिक्ष में किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर लक्षित नहीं किया जा सकता है।** चूंकि LIGO को तारों से आने वाले प्रकाश को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे गोल या तश्तरी के आकार में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

LIGO द्वारा खोजी गई गुरुत्वाकर्षण तरंगों का महत्व

- **गुरुत्वाकर्षण तरंगों द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी**
  - **इससे गुरुत्वाकर्षण की चरम स्थितियों में आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के परीक्षण में सहायता प्राप्त होगी,** जिसका पहले कभी परीक्षण नहीं किया गया है।
  - इससे मैटर/पदार्थ के असाधारण सघन स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जिनसे न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है।
  - **इससे ब्रह्मांड में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे पिंडों की मौजूदा संख्या के बारे में** जानकारी प्राप्त होगी।
  - इससे ब्रह्मांड के कुछ सबसे विध्वंसक विस्फोटों के दौरान घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है।

गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में

- **गुरुत्वाकर्षण तरंगें**
  - गुरुत्वाकर्षण तरंगें **स्पेस-टाइम में उत्पन्न 'लहरें'** हैं, जो ब्रह्मांड में कुछ सबसे विनाशकारी और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न होती हैं तथा प्रकाश की गति से गमन करती हैं।
  - वे अपने साथ अपनी **प्रलयकारी उत्पत्ति के बारे में जानकारी के साथ-साथ गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति के अमूल्य भेद भी समाहित** करती हैं।

- इनका निर्माण तब होता है, जब
    - पिंड बहुत तेज गति से गमन करता है,
    - जब किसी तारे में असममित रूप से विस्फोट होता है (जिसे सुपरनोवा कहा जाता है),
    - जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं,
    - जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और आपस में विलीन हो जाते हैं।
- **गुरुत्वाकर्षण तरंगों के विभिन्न प्रकार**
    - **कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स (Continuous gravitational waves): यह माना जाता है कि ये न्यूट्रॉन तारे जैसे एकल घूर्णन करने वाले पिंडों द्वारा उत्पन्न होती हैं।**
    - **कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पिरल ग्रेविटेशनल वेव्स (Compact binary inspiral gravitational waves):** श्वेत वामन तारों, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे विशाल और घने ("कॉम्पैक्ट") पिण्डों की परिक्रमा करने वाले युग्मों से उत्पन्न होती हैं।
    - **स्टोकेस्टिक ग्रेविटेशनल वेव्स (Stochastic Gravitational Waves):** ये सबसे छोटी गुरुत्वाकर्षण तरंगें होती हैं जिनका पता लगा पाना सबसे कठिन होता है और पूरे ब्रह्मांड में प्रति-क्षण गमन/संचालन करती रहती हैं और कभी कभी एक दूसरे में मिश्रित/विलीन हो जाती हैं।

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

7.4.1. इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 {Internet Protocol Version 6 (IPv6)}

- हाल ही में, DoT ने **सरकारी संगठनों हेतु IPv6 को पूर्णतः अपनाने के लिए** 30 जून 2022 और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए दिसंबर 2022 की **समय सीमा निर्धारित की है।**
- IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) का नवीनतम संस्करण है। यह **नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के लिए एक पहचान और अवस्थिति निर्धारण से संबंधित प्रणाली प्रदान करता है।** साथ ही, इंटरनेट पर डेटा ट्रैफिक को रूट भी करता है। इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है।
- IPv4 की तुलना में यह तेज़ और अधिक सुरक्षित है। **यह अपनी 128 बिट एड्रेस प्रणाली के माध्यम से 340 अंकीय मान वाला एक अद्वितीय एड्रेस स्पेस (Undecillion unique address spaces) प्रदान करता है।**

IPv4	IPv6
Deployed 1981	Deployed 1998
32-bit IP address	128-bit IP address
4.3 billion addresses Addresses must be reused and masked	7.9×10^{28} addresses Every device can have a unique address
Numeric dot-decimal notation 192.168.5.18	Alphanumeric hexadecimal notation 50b2:6400:0000:0000:6c3a:b17d:0000:10a9 (Simplified - 50b2:6400::6c3a:b17d:0:10a9)
DHCP or manual configuration	Supports autoconfiguration

7.4.2. लगभग 75% ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) की योजना पूरी हुई {Geographical Information System (GIS) Plans for around 75% Gram Panchayats (GPs) Completed}

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के तहत **2.69 लाख ग्राम पंचायतों में से 2 लाख ग्राम पंचायतों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) योजनाओं को पूर्ण** कर लिया है। इस कार्य में मंत्रालय ने **रिज टू वैली अप्रोच** पर आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया है।
- भौगोलिक भूभाग का मानचित्रण और विश्लेषण करने के लिए **GIS एक कंप्यूटर आधारित उपकरण है।** यह क्षेत्र के लिए उपयुक्त विकास कार्यों के वैज्ञानिक विकल्प प्रदान करता है।
    - यह **प्रश्नों (query) और सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे सामान्य डेटाबेस संचालन को नक्शों** द्वारा प्रस्तुत किए गए विशिष्ट चित्रण और **भौगोलिक विश्लेषण के लाभों** के साथ एकीकृत करता है।
- मनरेगा के तहत, **GIS विकल्प का उपयोग परिसंपत्ति से संबंधित डेटा** (जल-संभर अवस्थितियाँ, खेत-तालाब, चेक डैम, सड़क आदि) तथा उनके प्रभाव/परिणाम की बेहतर समझ के लिए किया जाता है।
- **मनरेगा GIS के तहत कार्य के दायरे में शामिल हैं**
    - उपग्रह छवियों और स्कैन की गई छवियों को **भू-संदर्भित करना।**
    - **GIS मैपिंग:** विशिष्ट कार्यों के लिए अखिल ग्रामीण भारत हेतु डिजिटल डेटा (एसेट्स) का निर्माण करना।
    - **छवियों की जियो टैगिंग** करना और संबंधित परिसंपत्तियों के साथ एकीकरण करना।
- **मनरेगा गतिविधियों के ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए आरंभ की गई अन्य पहलें**
    - **युक्तधारा भू-स्थानिक योजना पोर्टल** अन्य मंत्रालयों को योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के मानचित्र पर भौगोलिक अवस्थिति देखने में मदद करता है।
    - **क्लाइमेट रेजिलिएंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग (CRISP-M)** नामक साधन स्थानीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में सक्षम बनाएगा।
- **रिज टू वैली अप्रोच के बारे में**
    - यह वर्षा जल को **आबद्ध, उसकी दिशा बदलने तथा संग्रहण और उपयोग करने पर आधारित दृष्टिकोण है।**
    - यह **कटक (ridge) से घाटी तक प्रवाहित होने वाले जल के बेहतर प्रबंधन में योगदान करता है।** साथ ही, वर्षा जल के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। इससे कृषिगत और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।

7.4.3. खाद्य सुरक्षा और मानकों पर (आनुवंशिक रूप से संशोधित या आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड खाद्य पदार्थ) विनियम, 2021 के प्रारूप की अधिसूचना जारी की गई {Draft Notification on Food Safety & Standards (Genetically Modified or Genetically Engineered Foods) Regulations, 2021}

- **भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India: FSSAI)** ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (2006) के तहत नए विनियम प्रस्तावित किए हैं। **ये विनियमन निम्नलिखित पर लागू होंगे:**
  - भोजन के रूप में या प्रसंस्करण के लिए सीधे उपयोग के लिए लक्षित **आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव** (Genetically Modified Organism: GMO) या **आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीव** (GEO) या **जीवित संशोधित जीव** (LMO);
    - GMOs/GEOs/LMOs का तात्पर्य **ऐसे जीवित जीवों से है, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री के एक नवीन संयोजन से युक्त हैं।**
  - **खाद्य या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ,** जिनमें LMOs या GEOs या GMOs से उत्पादित आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्री तो शामिल है, परन्तु ये जीव इनमें समाहित नहीं हैं।
- **प्रारूप विनियमों के प्रमुख प्रावधान**
  - GMOs से प्राप्त किसी भी **खाद्य या खाद्य घटक के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात आदि** के लिए FSSAI से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
  - यदि GMOs या GEOs में LMOs होते हैं, तो FSSAI से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए **आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति से पूर्व अनुमति** की आवश्यकता होगी। यदि कोई LMOs नहीं है, तो FSSAI से सीधे अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
  - आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए **नामित खाद्य प्रयोगशालाओं** हेतु अर्हताओं को निर्दिष्ट करता है।
  - यदि आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्री 1% या अधिक है, तो **GM खाद्य पदार्थों के लिए लेबलिंग मानक लागू किए जाएंगे।**

संबंधित तथ्य

- इससे पहले FSSAI ने **खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फ़ूड) विनियम 2021** के मसौदे को अधिसूचित किया था। इसमें निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान शामिल हैं:
  - **पादप आधारित खाद्य उत्पादों की परिभाषा** या वेगन फ़ूड में शामिल खाद्य पदार्थ।
  - ऐसे उत्पादों की पहचान करने के लिए **नए वेगन फ़ूड लोगो का प्रयोग करना।**
  - 100% पशु-मुक्त और वेगन-अनुकूल उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिए वेगन फ़ूड का कोई पशु परीक्षण नहीं होगा।

7.4.4. इसरो ने चंद्रयान-2 ऑर्बिटर और नासा के लूनर रिकोनिसेंस ऑर्बिटर (LRO) के बीच संभावित टकराव को रोका है {ISRO Prevents Collision of Chandrayaan-2 Orbiter and with NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)}

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) द्वारा **कोलीज़न एवॉइडेंस मैन्हुवर (collision avoidance manoeuvre: CAM)** के माध्यम से इन दो ऑर्बिटर की टक्कर को रोका गया है। इसरो ने ऐसा चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के समीप निकटतम पहुँच दूरी केवल 3 किमी शेष रहने संबंधी डेटा ज्ञात होने के बाद किया, अन्यथा दोनों ऑर्बिटर के बीच टक्कर की पूर्ण संभावना थी।
  - **अंतरिक्ष मलबे और अन्य सक्रिय अंतरिक्ष यानों** सहित अंतरिक्ष पिंडों के कारण टकराव के जोखिम को कम करने के लिए पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों के लिए CAM से गुजरना सामान्य है।
  - हालांकि, यह पहली बार है **जब इसरो के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन के लिए इस तरह की अत्यंत संभावित टक्कर का अनुभव किया गया था।**
- **चंद्रयान-2 के बारे में**
  - इस मिशन को **वर्ष 2019 में चंद्रमा के बहिर्मंडल, सतह और उपसतह को मिलाकर उसके सभी क्षेत्रों का अध्ययन करने के उद्देश्य से,** एकल मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - चंद्रयान-2 में चंद्रमा के गैर-अन्वेषित (unexplored) दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करने के लिए **एक ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल थे।**
  - हालांकि, **मिशन में अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग में विफल रहा,** लेकिन इसके **ऑर्बिटर** (जो मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है) ने **सफलतापूर्वक चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को आज तक एकत्र और प्रसारित करना** जारी रखा है।
- **LRO नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है।** यह वर्तमान में एक उत्केन्द्री ध्रुवीय मैपिंग कक्षा (eccentric polar mapping orbit) में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है।

7.4.5. डबल एस्टेरोइड रिडायरेक्शन टेस्ट (डार्ट) मिशन {Double Asteroid Redirection Test (DART) Mission}

- यह नासा का **पहला ग्रह रक्षा परीक्षण मिशन** है। इसे, इस महीने के अंत में लॉन्च किया जाएगा।
- इस मिशन का उद्देश्य एक **नई विकसित तकनीक का परीक्षण करना है।** इसके तहत किसी **अंतरिक्ष यान को क्षुद्रग्रह से टकराना** और इसके **परिणामस्वरूप पैदा होने वाली ऊर्जा से क्षुद्रग्रह के मार्ग को बदलना शामिल है।**
  - इस मिशन में, **भविष्य में पृथ्वी की ओर आने वाले किसी क्षुद्रग्रह को रोकने के लिए तैयार की गयी नई तकनीक** का परीक्षण किया जाएगा।
- परीक्षण में प्रयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का **लक्ष्य डायमोर्फोस नामक एक छोटा चंद्रमा (मूनलेट)** है। यह डिडिमोस नामक एक बड़े क्षुद्रग्रह की परिक्रमा करता है।

○ मूनलेट **एक छोटा प्राकृतिक या कृत्रिम उपग्रह** होता है।

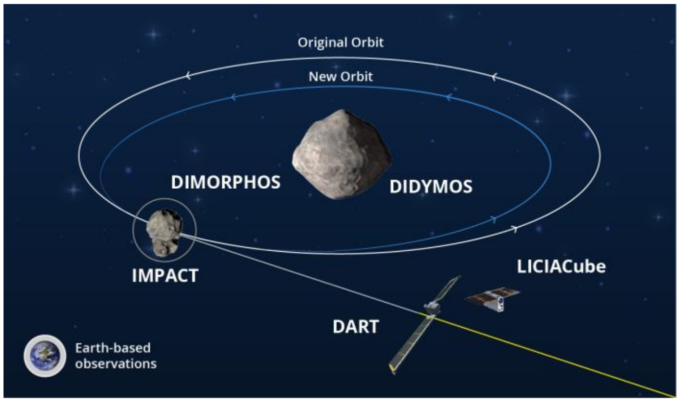

7.4.6. नया बाह्य ग्रह (एक्सोप्लैनेट)-टीओआई 1789 बी या एचडी 82139 (New Exoplanet-TOI 1789b or HD 82139)

- अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) ने एक नए बाह्य ग्रह की खोज की है। इसका द्रव्यमान **सूर्य से 1.5 गुना** है और यह 725 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।
  - एक **एक्सोप्लैनेट या बाह्य ग्रह सौरमंडल से बाहर** का कोई ग्रह होता है, जिनमें से अधिकांश अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। हालांकि, मुक्त रूप से चक्कर काटने वाले एक्सोप्लैनेट, जिन्हें अनाथ/भटकता ग्रह अथवा रोग प्लैनेट (rogue planet) भी कहा जाता है, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं तथा ये किसी भी तारे से जुड़े नहीं होते हैं।
- यह **दूसरा** बाह्य ग्रह है। इसे **TOI 1789b या HD 82139b नाम** दिया गया है।
- इस तरह का **पहला बाह्य ग्रह K2-236b,** वर्ष 2018 में खोजा गया था।
- तारों के आसपास **0.25 से लेकर कुछ बृहस्पति ग्रहों के द्रव्यमान तक के ऐसे निकटवर्ती बाह्य ग्रहों को "हॉट-ज्युपिटर"** कहा जाता है।

7.4.7. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को 'वेरिएंट ऑफ़ कंसर्न' के रूप में नामित किया एवं इसे 'ओमाइक्रोन' नाम दिया है (WHO Designates New Coronavirus Strain as 'variant of concern', names it 'Omicron')

- यह **B.1.1.529 वेरिएंट, पहली बार दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था।** इसे डेल्टा वेरिएंट की तुलना में संभावित रूप से अधिक खतरनाक माना जा रहा है।
  - **यह उत्परिवर्तन** (mutation) **के "बहुत ही असामान्य समूह" के साथ संबद्ध है।** यह संपूर्ण टीकाकरण करवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर सकता है।
- **सभी सजीवों की भांति, वायरस भी अपने संपूर्ण जीवनकाल में उत्परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं।**
  - उत्परिवर्तन, वायरस द्वारा मेजबान के शरीर का उपयोग करके **स्वयं के जीन में एक सूक्ष्म परिवर्तन करना है।**
  - यह वायरस को अधिक **अस्थिर और अधिक सुभेद्य बना सकता है।**
- **कभी-कभी उत्परिवर्तन के परिणामस्वरूप वायरस की संरचना में व्यापक परिवर्तन हो सकते हैं।**
  - इस मामले में, मौजूदा परीक्षणों के द्वारा वायरस का पता लगाना कठिन हो सकता है। इसके अतिरिक्त, उपचार के विरुद्ध वह भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकता है और **संक्रमण या टीकाकरण के बाद विकसित एंटीबॉडी के साथ इसे पहचान पाना लगभग असंभव हो सकता है।**

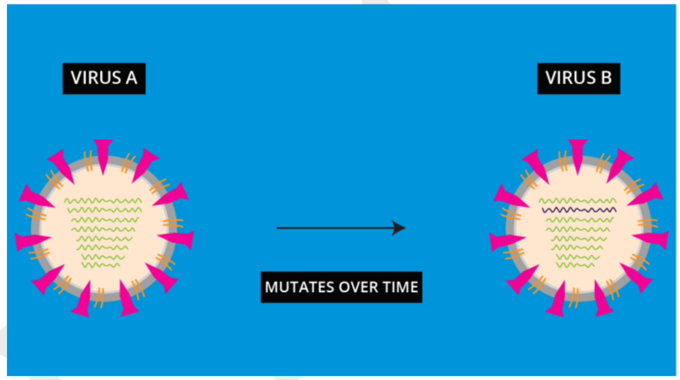

कोविड-19 वेरिएंट का WHO द्वारा किया गया वर्गीकरण	
वेरिएंट ऑफ़ कंसर्न	• यह एक ऐसा वेरिएंट है, जिसके परिणामस्वरूप वायरस की प्रसार-क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही, इससे प्रभावित होने वालों की मृत्यु दर में भी बढ़ोत्तरी होती है। इसके अतिरिक्त, टीकों, चिकित्सा और अन्य स्वास्थ्य उपायों की प्रभावशीलता में भी उल्लेखनीय कमी आती है। • **अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट** इसके अंतर्गत आते हैं।
वेरिएंट ऑफ़ इंटरेस्ट	• यह अनुवांशिक क्षमता वाला एक वेरिएंट है, जो रोग की गंभीरता, प्रतिरक्षा से बचाव (immune escape), प्रसार की क्षमता और नैदानिक उपायों से बचने जैसी वायरस की विशेषताओं को प्रभावित करता है तथा व्यापक सामुदायिक प्रसार का कारण बनता है। • **एटा, आयोटा, कप्पा और लैम्ब्डा** इसके अंतर्गत आते हैं।
वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग (VUM)	• यह अनुवांशिक परिवर्तनों से युक्त एक वेरिएंट है। यह वायरस की विशेषताओं को प्रभावित करने के लिए संदिग्ध माना जाता है, किंतु इसके फेनोटाइपिक या महामारी जैसे प्रभाव का प्रमाण वर्तमान में स्पष्ट नहीं है। • इससे **भविष्य में खतरा** हो सकता है।

7.4.8. ज़ायकोव-डी (ZyCov-D), विश्व की पहला सुई-मुक्त कोविड-19 वैक्सीन (ZyCov-D, the World's First Needle-free Covid-19 Vaccine)

- यह विश्व की पहली **सुई-मुक्त प्लाज्मिड डी.एन.ए. वैक्सीन** है। इसे सुई-मुक्त ऐप्लिकेटर का उपयोग करके त्वचा की पहली दो परतों में लगाया जाता है।
  - इसी तकनीक का उपयोग मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन लगाने के लिए भी किया जाता है।

- यह **0-28-56 दिनों के अंतराल** में दी जाने वाली तीन-खुराक की वैक्सीन है।
- **प्लाज्मिड डी.एन.ए. वैक्सीन**
    - **एंटीजन एन्कोडिंग करने वाले डी.एन.ए. के एक भाग को एक जीवाण्विक प्लाज्मिड में प्रवेश कराया जाता है।**
        - एंटीजन रोग पैदा करने वाले रोगज़नक़ का एक भाग होता है, जो हमारे शरीर से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है।
    - **एंटीजन ले जाने वाले इस डी.एन.ए. प्लाज्मिड को मांसपेशियों में प्रवेश कराया जाता है।** एक बार जब डी.एन.ए. हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है, तो वह एंटीजन का उत्पादन शुरू कर देता है। इससे एक **प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया आरंभ** हो जाती है।
    - डी.एन.ए. वैक्सीन को आसानी से बनाया जा सकता है। ये **सस्ती और अधिक सुरक्षित** भी होती हैं।

7.4.9. वोल्बाचिया बैक्टीरिया (Wolbachia Bacteria)

- हाल ही में, इंडोनेशिया में **डेंगू के मामलों में 77% तक गिरावट दर्ज** की गयी है। यह उपलब्धि इंडोनेशियाई शोधकर्ताओं द्वारा वोल्बाचिया बैक्टीरिया के समावेशन के साथ **डेंगू मच्छरों के प्रजनन के बाद हासिल की गई है।**
- **वोल्बाचिया एक सामान्य बैक्टीरिया है। यह लगभग 60% कीट प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है।** इनमें कुछ मच्छर, फल मक्खियां, पतंगे, ड्रैगन फ्लाई और तितलियाँ शामिल हैं। वोल्बाचिया **मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाते।**
- प्राकृतिक रूप से, डेंगू फैलाने वाले **एडीज़ एजिप्टी (Aedes Aegypti) मच्छरों में यह बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है।** एडीज़ एजिप्टी प्रजाति के मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, ज़ीका (Zika) और पीत ज्वर (Yellow Fever) जैसी गंभीर बीमारियों के प्रसार के लिये उत्तरदायी हैं।
    - जब एडीज एजिप्टी मच्छर वोल्बाचिया का वहन करते हैं, तो बैक्टीरिया **डेंगू, जीका आदि जैसे वायरस से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार मच्छरों के भीतर वायरस का पुनः उत्पन्न होना कठिन बना देते हैं।**

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

8. संस्कृति (Culture)

8.1. मानसिकता का विऔपनिवेशीकरण (Decolonisation of Minds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संविधान दिवस के एक समारोह को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि **औपनिवेशिक मानसिकता**, भारत जैसे विकासशील देशों की वृद्धि के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती है।

'औपनिवेशिक मानसिकता' या 'मानसिकता का औपनिवेशीकरण' और उसकी प्रक्रिया के बारे में

एक 'औपनिवेशिक मानसिकता' को उस मानसिकता के रूप में समझा जा सकता है, जो **श्वेत रंग और पश्चिम (पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका) में या से व्युत्पन्न सांस्कृतिक मूल्य, व्यवहार, शारीरिक रूप-रंग और वस्तुओं के प्रति वरीयता या वांछनीयता** को प्रदर्शित करती है। गैर-पश्चिम देश से आई किसी भी उत्पाद की अवहेलना या उसके प्रति अवांछनीयता भी इसी मानसिकता के साथ आती है।

- **औपनिवेशिक मानसिकता की विशेषताओं को नीचे उल्लिखित किया जा रहा है:**
    - किसी बाह्य स्रोत अर्थात् 'उपनिवेशक' द्वारा अधीन व्यक्ति या अधीन व्यक्तियों के समूह यानी 'उपनिवेशित' के मानसिक क्षेत्र में हस्तक्षेप।
    - यह हस्तक्षेप मस्तिष्क की संरचना, संचालन प्रणाली और विषय वस्तु के केन्द्रीय आयाम को प्रभावित करता है।
    - इसके प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं और इन्हें आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता।
    - दोनों शामिल पक्षों के बीच शक्ति की स्पष्ट असमितता (asymmetry) होती है।
    - दोनों पक्ष, उपनिवेशक और उपनिवेशित के रूप में अपनी भूमिका के प्रति जागरूक या अनजान हो सकते हैं, और दोनों स्वेच्छा से या अनायास ही प्रक्रिया में प्रतिभाग ले सकते हैं।
- शक्ति के आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण की अपेक्षा मानसिकता का औपनिवेशीकरण एक धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि किसी आबादी की परंपरा और इतिहास ही उन्हें इस मानसिक नियंत्रण का सक्रिय या निष्क्रिय विरोध करने के योग्य बनाती है। इसलिए, ऐसी स्थितियों को पहचाना गया है, जिनसे मानसिकता का औपनिवेशीकरण होता है।
- सामान्य तौर पर, यह पुनः लिखित इतिहास, भाषा और शिक्षा नीतियाँ एवं सांस्कृतिक पाठ होते हैं जो साहित्यिक, सिनेमाई आदि हो सकते हैं। हालंकि, 'शासक' यानी उपनिवेशक की श्रेष्ठता, विशेष रूप से, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शासित की अभिसत्ता के व्यवस्थित क्षरण के साथ, आंतरिक रूप से स्थापित होती रहती है।

अंग्रेज़ी भाषा: राज निकाय (बॉडी-पॉलिटिक) के साथ-साथ मानसिकता के औपनिवेशीकरण के लिए

- थॉमस बैबिंगटन, जिसे लॉर्ड मकौले के नाम से भी जाना जाता है (वह व्यक्ति जिसे भारत में अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश शिक्षा लाने का श्रेय दिया जाता है), का मानना था कि एक यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी एशिया और अरब के समस्त स्थानीय साहित्य के भंडार से श्रेष्ठ है।
- वह भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था 'जो रक्त एवं रंग में तो भारतीय हों, पर वह रूचियों, विचारों, नैतिकता एवं विद्वता में अंग्रेज जैसा हो।'
- इस प्रकार अंग्रेज़ी भाषा अल्पसंख्यक अंग्रेजों के लिए (1900 ई. में भारत में, यह केवल 1,30,000 थे), तीन सौ मिलियन से अधिक भारतीय प्रजा पर शासन करने का एक माध्यम बन गई थी।

मानसिकता के औपनिवेशीकरण के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं?

- **आधिकारिक तंत्र में औपनिवेशिक संस्कृति:** आजादी के सात दशकों के बाद भी, शासन के लगभग सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों की विरासत जारी है: न्यायपालिका से लेकर पुलिस प्रशासन, सैन्य प्रथाएं और यहां तक कि संसद में भी, हाव-भाव, एहसास, प्रोटोकॉल और प्रथाएं: अभी भी औपनिवेशिक शासन की एक झलक देती हैं।
    - लोकसभाध्यक्ष के साथ सीधी मुद्रा में खड़े, लंबी पगड़ी पहने औपनिवेशिक ड्रेस कोड के पहनावे में दरबान का पद अंग्रेजों की ही धरोहर है, जो वर्तमान में भी जारी है। इसी तरह, न्यायाधीशों को भी अभी तक 'माई लॉर्ड' या 'योर ऑनर' कहकर ही संबोधित किया जाता है।
    - भारतीय सेना बैंड अभी भी समापन समारोह का अंत ईसाई प्रार्थना 'अबाइड विद मी' (Abide with Me) से करते हैं, भारत में जिसकी शुरुआत ब्रिटेन ने की थी।
    - विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था में औपनिवेशिक आख्यानों का ही वर्चस्व है। औपचारिक शिक्षा में किसी बच्चे के विकास को मापने का निर्णायक पैमाना अंग्रेजी को माना जाता है।
- **स्थानीय संस्कृति से अलगाव:** संगीत, नाम, नृत्य, विवाह, उत्तराधिकार प्रणाली आदि के आधार पर देशीय संस्कृति की निंदा और विद्यालयों में इनकी जानकारी को हतोत्साहित करने से, लोग अपने सांस्कृतिक मूल से दूर हो जाते हैं और इससे उनमें हीनभावना जन्म लेती है।

- **सामाजिक भेदभाव:** मानसिकता के औपनिवेशीकरण का परिणाम औपनिवेशिक संस्कृति के लिए प्रशंसा तो है ही; साथ ही, न केवल देशज संस्कृति के प्रति नापसंदगी बल्कि उस संस्कृति से संबंधित लोगों की शारीरिक विशेषताओं या देशज मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध लोगों के विरुद्ध वैमनस्य भी है।
- **व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक कार्य पद्धति और आत्म-संकल्पना पर हानिकारक प्रभाव:** मानसिकता के औपनिवेशीकरण के कारण किसी व्यक्ति की संस्कृति के प्रति लज्जा का आन्तरिकीकरण, बेचैनी और अवसाद के अनुभव को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि औपनिवेशिक मूल्यों को अपनाने के साथ-साथ लोग स्व-तिरस्कार करने लगते हैं।
  - तिरस्कार से तात्पर्य यह है कि जब निरंतर प्रयासों के बावजूद भी व्यक्ति उपनिवेशक नहीं बन पाता, तब उसे निराशा का सामना करना पड़ता है।
  - देशीय संस्कृति और औपनिवेशिक सांस्कृतिक मूल्यों के बीच फंसे इस व्यक्ति के पास स्वयं के प्रति घृणा और अपमान के मनोभाव रह जाते हैं, जो उसके आत्म-सम्मान को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।

मानसिकता के औपनिवेशीकरण से, वैयक्तिक और सामाजिक स्तर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव का सांस्कृतिक विकास, सामाजिक संबंधों एवं समग्र विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे उभरने का एकमात्र तरीका मानसिकता का विऔपनिवेशीकरण (decolonization of minds) है।

मानसिकता का विऔपनिवेशीकरण वास्तव में क्या है?

- मानसिकता के विऔपनिवेशीकरण का अर्थ, चिंतन के औपनिवेशिक तरीकों से उपजे हमारे विचारों, पसंद और मूल्यों के विखंडन से है।
- यह देशज लोगों की "सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक स्वतंत्रता" के साथ स्थानीय आधिपत्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संबंधित है। व्यापक अर्थ में यह अपनी भूमि, संस्कृति, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणालियों के प्रति देशज लोगों के स्वाधीन व्यवहार का अधिकार व क्षमता का द्योतक है।

विऔपनिवेशीकरण मात्र ऐसी प्रक्रिया नहीं है, जो आधिकारिक औपनिवेशिक शासन के समाप्त होने पर संपन्न होती है, बल्कि यह इतिहास, सौन्दर्य शास्त्र और संस्कृति के व्यापक क्षेत्रों में उपनिवेशवाद की सांस्कृतिक धरोहर को चुनौती देने की प्रक्रिया है।

हम मानसिकता के विऔपनिवेशीकरण की ओर बढ़ने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं?

- **पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना:** गांधी जी का मानना था कि वर्तमान रूप में प्रचलित आधुनिकता की आलोचना के बिना मानसिकता का विऔपनिवेशीकरण संभव नहीं है। यह इस विचार पर ध्यान दिलाता है कि आधुनिकता पश्चिमीकरण का पर्याय नहीं है।
  - गांधी जी के स्वराज की अवधारणा भी, केवल स्वायत्त शासन स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं पर स्व-शासन स्थापित करके मानसिकता के विऔपनिवेशीकरण की ओर बढ़ने के दृष्टिकोण को दर्शाती है।
  - उनके **'हिन्द स्वराज'** को साधारण रूप से केवल एक राजनीतिक घोषणा-पत्र के रूप में न देखकर विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने की एक नियमावली के रूप में भी देखा जाना चाहिए।
- **शैक्षिक ढांचे का पुनः निर्माण:** ज्ञातव्य है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में औपनिवेशिक आख्यानों पर वाद-विवाद करने की बजाय, इन्हें ग्रहण किया जाता है और स्थायित्व प्रदान किया जाता है। वर्तमान ढांचे में सुधार किए बिना हम औपनिवेशीकरण के अत्यंत जटिल जाल से बाहर नहीं निकल सकते हैं।
- **मौलिक विचार की संस्कृति को पुनर्जीवित करना:** मौलिक विचार की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए केवल वर्तमान अनुसंधान प्रणालियों की स्वच्छंद आलोचना की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि साथ ही यह प्रश्न करने की भी ज़रूरत है कि किसी शोध कार्य की अहर्ता का पैमाना क्या होना चाहिए।
  - इसके लिए मूल रचनाओं को अत्यधिक महत्व प्रदान करने की ज़रूरत है और ऐसी रचनाओं की वैधता का ब्योरा रखने के लिए नए फ्रेमवर्क की भी आवश्यकता है। इसमें उन उद्धरणों (citations) की संस्कृति के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करना भी शामिल है, जिन्हें रचना की प्रामाणिकता को चिह्नित करने वाला माना जाता है।
- **मुख्य ऐतिहासिक मूल्यों, घटनाओं आदि का पुनर्विलोकन और पुनर्विचार:** मानसिकता के विऔपनिवेशीकरण की जड़ें उन विचारधाराओं में विद्यमान हैं, जो इतिहास की घटनाओं से उत्पन्न हुई हैं। इस संदर्भ में, किसी भी तरह के स्वाभाविक पक्षपात को समाप्त करने के लिए बहु-परिप्रेक्ष्य से इतिहास का पुनर्विलोकन करना आवश्यक हो जाता है।
  - उदाहरण के लिए, अंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठता का विचार पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता के विचार पर आधारित है, जिसके बारे में हमने ऐतिहासिक साहित्य से जाना है। ऐतिहासिक अवधारणा को बदलकर हम मूल से इसकी श्रेष्ठता के आधार को भी परिवर्तित कर सकते हैं।
- **स्थानीय संस्कृति को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करना:** कई बार, मानसिकता का औपनिवेशीकरण, स्थानीय संस्कृति और साहित्य की उपेक्षा का परिणाम होता है। स्थानीय संस्कृति की समृद्धि का एक व्यवस्थित प्रकटीकरण एक प्रतिस्पर्धात्मक विचार प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। इसके परिणामस्वरूप, मानसिकता के विअनौपनिवेशीकरण में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

विअनौपनिवेशीकरण एक धीमी, सजग और कठोर प्रक्रिया है। यह हमारी औपनिवेशिक मनोवृत्ति से मानसिकता को स्वतंत्र करने की एक प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, यह हमारी संकुचित व वर्गीकृत कल्पना की परिरेखाओं से परे हमारे ज्ञान के प्रवाह को स्वीकृति प्रदान करती है। इस संबंध में, 'रोड्स मस्ट फॉल' आंदोलन के तत्व एक उपयुक्त आगे की राह का सुझाव देते हैं।

इसका स्पष्ट उदाहरण: 'रोड्स मस्ट फ़ॉल' आंदोलन

- इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में, उच्च शिक्षा को अनौपनिशक मानसिकता से मुक्त बनाने के लिए, केपटाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा विरोध से हुई थी। केपटाउन से यह आंदोलन, यूरोप में और उसके बाहर अन्य विश्वविद्यालय परिसरों और शहरों में फैल गया, उल्लेखनीय रूप से ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी।
- सामाजिक और राजनीतिक संदर्भों में भिन्नता होने के बावजूद भी केपटाउन और ऑक्सफोर्ड में, रोड्स मस्ट फ़ॉल आंदोलन ने निम्नलिखित माध्यमों से विऔपनिवेशीकरण के लिए गति प्राप्त की:
    - विश्वविद्यालयों में या उनके आस-पास उपनिवेशवाद से प्रेरित प्रतिष्ठित प्रतिमाओं, स्मारकों और अन्य भौतिक धरोहरों को बदलना या हटाना,
    - अधिकाधिक अश्वेत दक्षिण अफ़्रीकी शिक्षाविदों (केपटाउन यूनिवर्सिटी के मामले में) और अधिक नस्लीय विविधता (ऑक्सफोर्ड के मामले में) का आह्वान।
    - पाठ्यक्रम को विऔपनिवेशीक बनाने के लिए और ज्ञान मीमांसा के विस्तृत प्रतिनिधित्व की स्वीकृति के लिए, गैर-पश्चिमी लेखकों, दृष्टिकोणों और विषयों का समावेश करना।

8.2. जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Divas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को 'जनजाति गौरव दिवस'** के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य भारतीय इतिहास और संस्कृति में **अनुसूचित जनजातियों के योगदान को सम्मानित करना है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा और **सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता,** आतिथ्य एवं राष्ट्रीय गौरव के **भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देगा।**
- **संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मिज़ो जैसे आदिवासी समुदायों द्वारा कई आंदोलनों से** भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्राप्त हुई थी।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ देश के विभिन्न क्षेत्रों में **आदिवासी आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े** और पूरे देश में भारतीयों को प्रेरित किया।

भारत में प्रमुख आदिवासी आंदोलन

- आदिवासी आंदोलनों के बेहतर विश्लेषण के लिए इन आंदोलनों को भारत की मुख्य भूमि के आदिवासी विद्रोहों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रित और सीमांत आदिवासी विद्रोहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
    - **मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोह**
        - अंग्रेजों की भूमि बंदोबस्त प्रणाली ने **आदिवासियों की संयुक्त स्वामित्व परंपरा को प्रभावित किया** और उनकी सामाजिक व्यवस्था को बाधित किया।
        - जैसा कि कंपनी शासन द्वारा कृषि को एक व्यवस्थित रूप में विस्तारित किया गया था, **इससे आदिवासी अपनी भूमियों से वंचित हो गए थे और इन क्षेत्रों में गैर-आदिवासी लोगों का प्रवेश बढ़ गया था।**

बिरसा मुंडा के बारे में

- बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। उनका **जन्म छोटानागपुर पठार क्षेत्र (झारखंड) के खूंटी जिले में मुंडा जनजाति में** हुआ था।
- ईसाई धर्म में प्रारंभिक धर्मांतरण और मिशनरी स्कूल से शिक्षा प्राप्ति के बाद, शीघ्र ही **उन्हें ब्रिटिश और जमींदारों द्वारा स्थानीय जनजातियों के शोषण का एहसास हुआ। इन लोगों को 'दीकू' (अर्थात 'बाहरी लोग) कहा जाता था।**
- बिरसा आदिवासी **समाज में सुधार करना चाहते थे** और इसलिए, **उन्होंने लोगों से जादू टोने में विश्वास को त्यागने का आग्रह किया।** इसके बजाय प्रार्थना के महत्व, **शराब से दूर रहने,** भगवान में विश्वास रखने और आचार संहिता का पालन करने पर बल दिया।
    - इन्हीं के आधार पर उन्होंने **बिरसाइत नामक एक नए धर्म की भी शुरुआत की थी।** यह ईसाई मिशनरियों के लिए खतरा था, जो आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे।
- बिरसा ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के शोषण और भेदभाव के खिलाफ **'उलगुलान' (विद्रोह) या महान विद्रोह (The Great Tumult) नामक एक आंदोलन** शुरू किया।
    - इसके परिणामस्वरूप छोटानागपुर काश्तकारी (Chotanagpur Tenancy - CNT) अधिनियम, 1908 पारित हुआ।
    - CNT अधिनियम में **भूमि अभिलेखों के निर्माण और रखरखाव के प्रावधान किए गए थे।** इस अधिनियम ने "मुंडारी खुंटकट्टीदार" (उन्हें मुंडाओं के बीच भूमि का मूल अधिवासी माना जाता है) की एक विशेष काश्तकारी श्रेणी भी निर्मित की थी। साथ ही, **गैर-आदिवासियों को भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित कर दिया गया था।**
- **बिरसा मुंडा ने बैठ-बेगारी प्रणाली' का भी सक्रिय रूप से विरोध किया।** यह एक प्रकार की 'बलात श्रम' प्रणाली थी, जो आदिवासियों पर लागू होती थी।
- **9 जून, 1900 को हैजा से मुंडा की मृत्यु हो गई थी।** हालांकि, ऐसा कहा जाता है कि जेल में रहते हुए उनमें हैजा के कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी ब्रिटिश सरकार ने उनकी मृत्यु के कारण को हैजा बताया।

- **वनों में स्थानांतरित खेती पर अंकुश लगाया गया,** इससे आदिवासियों की समस्याएं और बढ़ गईं।
- सरकार ने आरक्षित वनों की स्थापना कर, **लकड़ी के उपयोग और चराई को प्रतिबंधित कर वन क्षेत्रों पर आदिवासी अधिकारों को सीमित कर दिया।**
- **पुलिस, व्यापारियों और साहूकारों** (उनमें से अधिकांश 'बाहरी लोगों') द्वारा शोषण ने आदिवासियों के कष्टों को और बढ़ाया।
- उपनिवेशवाद के विस्तार के साथ, **ईसाई मिशनरी इन क्षेत्रों में आए** और उनकी गतिविधियों ने आदिवासियों के पारंपरिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप किया।

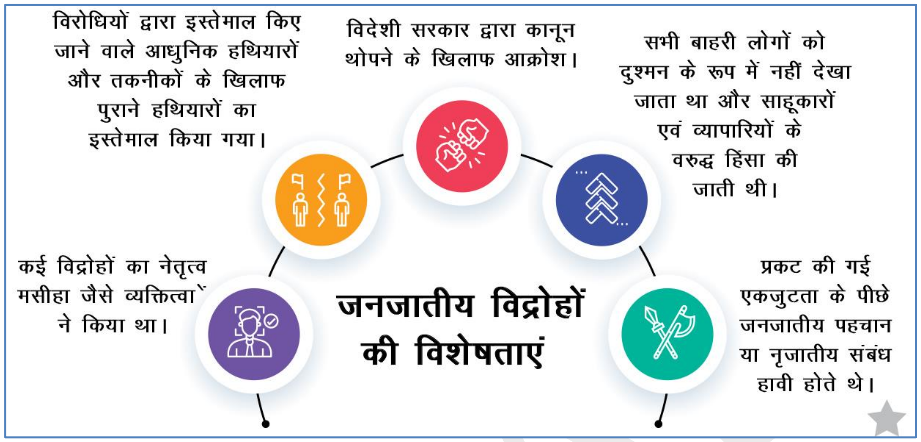

- **पूर्वोत्तर सीमांत की जनजातियों के आंदोलन**
  - उनके विद्रोह अक्सर **भारतीय संघ के भीतर राजनीतिक स्वायत्तता या पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे।**
  - ये **आंदोलन वन-आधारित या कृषि विद्रोह नहीं थे**, क्योंकि भूमि और वन क्षेत्र, आमतौर पर इन इन आदिवासियों के नियंत्रण में थे।
  - अंग्रेजों के विरुद्ध सीमांत जनजातीय विद्रोह **गैर-सीमांत जनजातीय आंदोलनों की तुलना में लंबे समय तक जारी रहा।**

प्रमुख आदिवासी विद्रोहों की संक्षिप्त जानकारी के लिए, कृपया लेख के अंत में परिशिष्ट 1 देखें।

भारत में आदिवासी आंदोलनों के मुद्दे

- **आदिवासी विद्रोह शुरू से ही प्रबल नहीं थे।** इसका कारण यह था कि उनके पास संघर्ष के लिए पुराने हथियार थे, जिनका मुकाबला उनके विरोधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधुनिक हथियारों और तकनीकों से था।
- अधिकांश विद्रोह **प्रकृति में स्थानीयकृत** थे और उनमें अखिल भारतीय भागीदारी का अभाव था।
- विद्रोह समन्वय की कमी के अलावा सुनियोजित भी नहीं थे।

निष्कर्ष

आदिवासी समुदायों द्वारा आयोजित क्रांतिकारी आंदोलनों और संघर्षों को उनके अपार साहस और सर्वोच्च बलिदान द्वारा पहचाना गया है। हालांकि, बड़े पैमाने पर जनता को इन आदिवासी नायकों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। 'जनजातीय गौरव दिवस' की घोषणा इन विद्रोहों की विरासत और आदिवासी समुदायों के गौरवशाली इतिहास एवं सांस्कृतिक धरोहर को स्वीकार करती है। यह इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव को संरक्षित करने के लिए आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में मदद करेगा।

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Shorts)

8.3.1. हरियाणा से विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के मार्ग के किनारे एक 1600 वर्ष प्राचीन 'स्थायी बस्ती' के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए (Haryana: Along the lost Saraswati trail, a 1,600-yr-old site of 'continued habitation')

- इस पुरातात्विक स्थल की खोज **हरियाणा के संधाई गांव (यमुनानगर जिले)** के निकट की गई है। इसका संबंध पौराणिक सरस्वती नदी के समीप की विलुप्त हो चुकी बस्तियों से है।
  - पौराणिक नदी **सरस्वती** प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित है। इस नदी के बारे में माना जाता है कि यह नदी 5,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी, लेकिन भूकंप और अन्य भौगोलिक गतिविधियों के कारण भूमिगत रूप से विलुप्त हो गई।
- **मुख्य खोज**
  - **अधिवास के साक्ष्य:** ईंटें, मिट्टी के बर्तन और मूर्ति के अवशेष।
  - **धार्मिक साक्ष्य:** नागर शैली में निर्मित पाषाण के मंदिर, संरचना के आधार से संबंधित सामग्री के अतिरिक्त स्तंभ का प्रमाण आदि।
- **समयावधि**
  - इस क्षेत्र से श्री-हा (Sri-ha) प्रकार के **हिंद-ससानी सिक्के प्राप्त हुए** हैं, जो इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी में प्रचलित थे।
  - यहां पाई गई **कलाकृतियां गुप्तोत्तर काल से लेकर गुर्जर-प्रतिहार काल (8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी) की कलाकृतियों की तरह दिखती हैं।**
  - इस स्थल की कालावधि **कुषाण काल से गुर्जर-प्रतिहार काल के बीच की हो सकती है।** हालांकि, कुछ ईंटें स्पष्ट तौर पर कुषाण काल की हैं।

○ इस स्थल की **वास्तविक कालावधि की जानकारी यहाँ से वनस्पतियों को हटाने के बाद ही मिलेगी,** क्योंकि वर्तमान में यह एक वन-क्षेत्र में अवस्थित है।

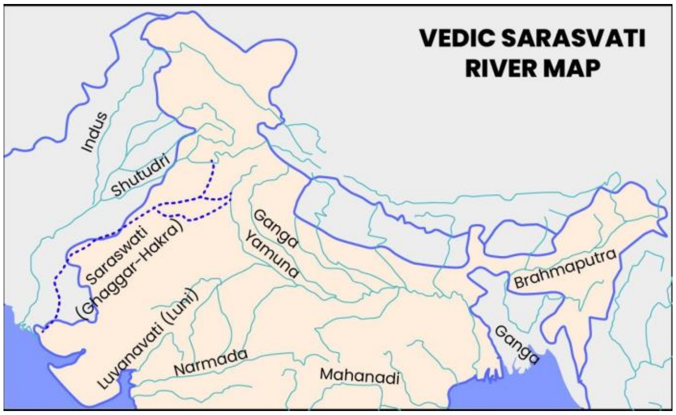

8.3.2. श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया {Srinagar joins UNESCO Creative Cities Network (UCCN) under the Crafts and Folk Arts Category}

- श्रीनगर **कागज निर्माण, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी रेशम, काष्ठ-कला, कश्मीरी कालीन, चांदी के बर्तन आदि जैसी विभिन्न सजावटी व प्रसिद्ध कला और शिल्प हेतु प्रसिद्ध है।**
    - ○ श्रीनगर **झेलम नदी** के तट पर कश्मीर घाटी के केंद्र में अवस्थित है।
- ध्यातव्य है कि इस नेटवर्क से जुड़कर, शहर **अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और विकासशील भागीदारी को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।** ये शहर सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, उत्पादन, वितरण एवं प्रसार तंत्र को मजबूत करने हेतु सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के साथ-साथ नागरिक समाज को भी शामिल करते हैं।
- **भारत के अन्य शहर जो UCCN में शामिल हैं:**
    - ○ **जयपुर** (शिल्प और लोक कला)।
    - ○ **वाराणसी एवं चेन्नई** (संगीत कला)।
    - ○ **मुंबई** (फिल्म)।
    - ○ **हैदराबाद** (पाक-कला)।
- UCCN को वर्ष 2004 में **उन शहरों के साथ और उनके बीच सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निर्मित** किया गया था, जिन्होंने संधारणीय शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में रचनात्मकता को रेखांकित किया है।
    - ○ ये शहर **एक साझा उद्देश्य** की दिशा में एक साथ कार्य करते हैं: रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योगों को स्थानीय स्तर पर अपनी विकास योजनाओं **के केंद्र में रखना** तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना इत्यादि।
- यूनेस्को **(UNESCO) शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के समन्वय के लिए उत्तरदायी एक संस्था है।**
    - ○ इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। यह **पेरिस** में अवस्थित है।

8.3.3. राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार आवंटित किए गए (Padma Awards Presented by The President)

- इन पुरस्कारों की **शुरुआत वर्ष 1954 में** की गई थी। वर्ष 1978 और 1979 तथा 1993 से 1997 के दौरान के संक्षिप्त व्यवधान को छोड़कर **प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर** पर इनकी घोषणा की जाती है।
    - ○ पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं-अर्थात्,
        - ▪ असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए **पद्म विभूषण;**
        - ▪ उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए **पद्म भूषण;** तथा
        - ▪ विशिष्ट सेवा के लिए **पद्मश्री।**
    - ○ इन पुरस्कारों का उद्देश्य विभिन्न क्रिया-कलापों या विषयों के **सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को सम्मानित करना** है, जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है।
    - ○ इन्हें **पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर** प्रदान किया जाता है। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है।
        - ▪ इसके लिए **स्व-नामांकन** भी किया जा सकता है।

8.3.4. दार्जिलिंग टॉय ट्रेन (Darjeeling Toy Train)

- **दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (DHR) को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नामित** हुए दो दशक से अधिक समय हो चुका है। इतने समय के बाद भारत ने प्रतिष्ठित 'टॉय ट्रेन' के दो लोगो (logo) को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत कराया है।
- विश्व में कहीं भी इन लोगो के उपयोग के लिए अब **भारत से लिखित अनुमति और शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।**
- इससे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के **'आयरन शेरपा' ब्लू स्टीम लोकोमोटिव को दार्जिलिंग हेरिटेज ट्रेन के रूप में** स्विट्ज़रलैंड की प्रसिद्ध ट्रांस-अल्पाइन रैटियन रेलवे (transalpine Rhaetian Railway) के समान दर्जा प्राप्त होगा।

8.3.5. संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव (BTV) की घोषणा की गई {Best Tourism Villages (BTV) by UNWTO}

- **BTV उन गांवों को पहचानने की लिए एक वैश्विक पहल है, जहां पर्यटन संस्कृतियों और परंपराओं को संरक्षण प्रदान करता है**, विविधता को बनाए रखता है, अवसर उपलब्ध करवाता है और जैव विविधता को सुरक्षित रखता है।
  - इसका उद्देश्य प्रशिक्षण और सुधार के अवसरों तक पहुंच के माध्यम से गांवों की **ग्रामीण पर्यटन क्षमता को बढ़ाने में सहायता** करना है।
- **पोचमपल्ली गांव (तेलंगाना)** को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा **BTV में से एक के रूप में चुना** गया है।
  - पोचमपल्ली को अक्सर इकत शैली के माध्यम से बुनी गई अपनी उत्तम साड़ियों के लिए **भारत की "सिल्क सिटी" के रूप में** जाना जाता है।
    - **पोचमपल्ली इकत** को वर्ष **2004 में भौगोलिक संकेतक टैग** प्रदान किया गया था।
  - **आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष** 1951 में पोचमपल्ली से ही **भूदान आंदोलन** की शुरुआत की थी।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

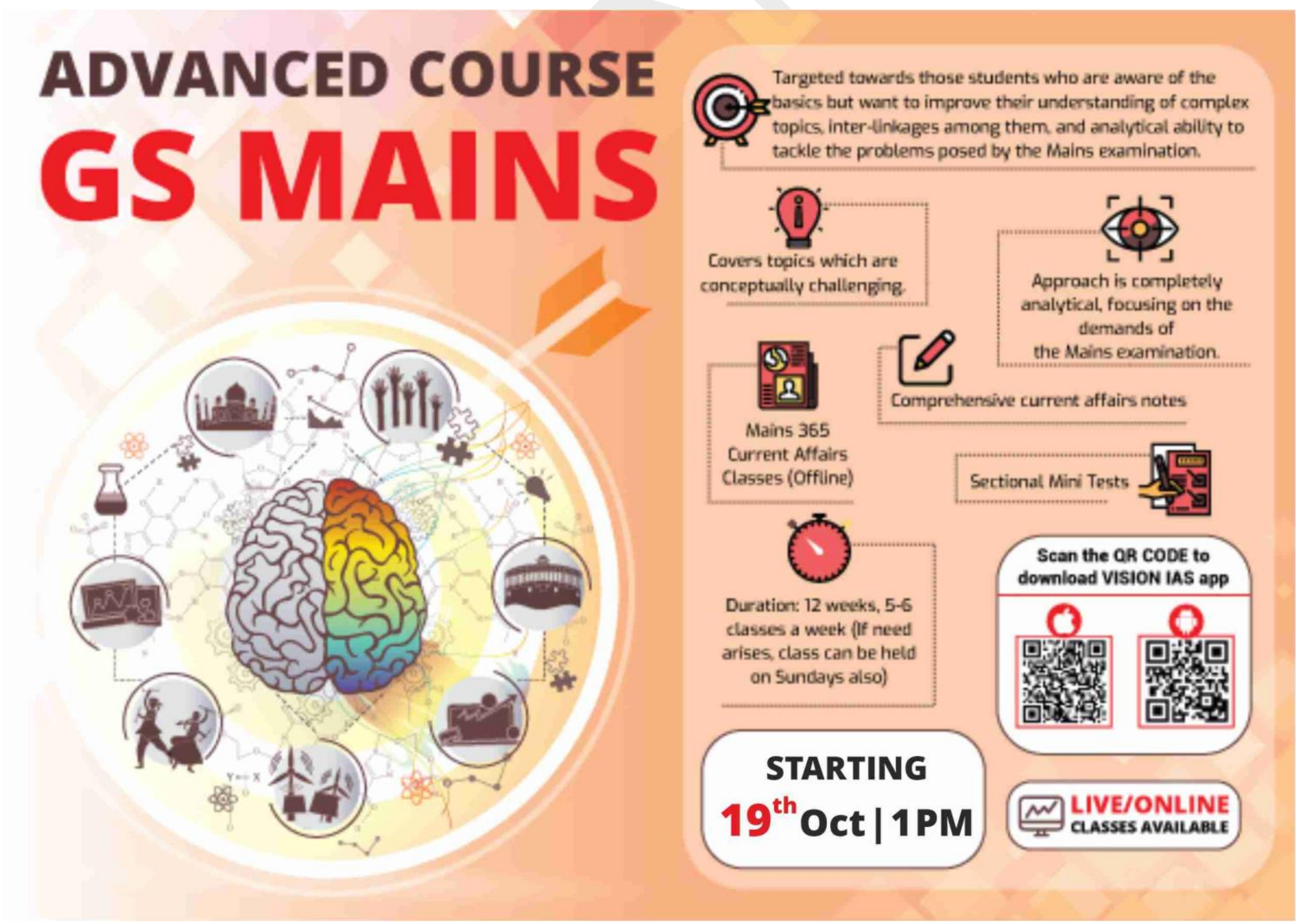

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. नैतिकता और जलवायु परिवर्तन (Ethics and Climate Change)

परिचय

वर्ष 2021 का **संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या वार्ता,** जिसे आम तौर पर **COP26** (यह UNFCCC के पक्षकारों का 26वां सम्मेलन भी था) के रूप में पुकारा गया, दो सप्ताह की लंबी बातचीत के बाद समाप्त हो चुका है। यूनाइटेड किंगडम के **ग्लासगो** में आयोजित COP26 के बाद पक्षकार देशों द्वारा **ग्लासगो जलवायु समझौते (Glasgow Climate Pact)** पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन इस समझाते में जो वादे किए गए हैं, उन्हें लेकर न विश्व के अग्रणी नेता और न ही जलवायु विशेषज्ञ संतुष्ट हैं। जलवायु वार्ताओं में विद्यमान कमी या अंतराल और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की गंभीरता का विश्व नेताओं की राय से अंदाजा लगाया जा सकता है:

"छोटे कदमो से अब काम नहीं चलेगा। अग्रणी देशों को सबसे बड़ा कदम उठाना होगा।"

- फिनलैंड के राष्ट्रपति सौली नीनिस्टो

"हर साल समस्याएं बदतर होती जा रही हैं। हम बिलकुल कगार पर खड़े हैं। अगर मैं कड़े शब्द का उपयोग करूं, तो मैं कहूँगा कि हम आत्महत्या की दहलीज पर खड़े हैं।"

- पोप फ्रांसिस

"एक ओर जरूरी वित्त प्रदान करने में विफलता और दूसरी ओर हानि और क्षति को हमारे समुदायों में जीवन और आजीविका की क्षति से मापना, अनैतिक और अन्यायपूर्ण दोनों है।"

- बारबाडोस की प्रधान मंत्री मिया मोटली

"मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने वार्ताकारों को यह निर्देश दें कि वे समझौता और आम सहमति का रास्ता चुनें। साहसिक जलवायु कार्रवाई इस सम्मेलन में प्रतिनिधित्व प्राप्त प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हित में है। ब्रिंक्समैनशिप का समय समाप्त हो गया है।"

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून

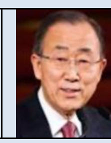

"होंडुरास के लिए, जलवायु परिवर्तन जीवन और मृत्यु का मामला है। आंकड़े सदैव सही प्रतीत नहीं होते....हम सभी समान रूप से जिम्मेदार नहीं हैं।

- होंडुरास के राष्ट्रपति जुआन हर्नांडेज़

"इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वादा किए गए उपायों का ग्लोबल वार्मिंग पर प्रभाव और बढ़ते तापमान को सीमित करने के लिए आवश्यक कार्य के बीच की खाई पाटने के लिए *'बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र ढांचा'* और *'बाध्यकारी समीक्षा तंत्र'* था।"

- जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल

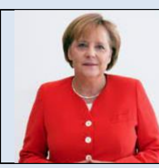

"जलवायु न्याय इस बात की भी मांग करता है कि जो थोड़ी कार्बन स्थल हमारे पास बचे हैं, उसमें विकासशील देशों को तरक्की करने की पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए।"

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी

जलवायु परिवर्तन को हमेशा एक पर्यावरणीय या भौतिक समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस समस्या का समाधान नैतिक मुद्दों में भी निहित है।

जलवायु परिवर्तन एक नैतिक मुद्दा कैसे है?

विभिन्न हितों वाले कई हितधारकों ने लंबे समय तक ग्लोबल कॉमन को साझा किया है। इसने जलवायु परिवर्तन को कई मोर्चों पर नैतिकता और न्याय का मुद्दा बना दिया है:

- **जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए?** यह वह समस्या है जो दुनिया के एक हिस्से में कुछ लोगों और राष्ट्रों के कारण हो रही है जो दुनिया के दूसरे हिस्से में अन्य लोगों और राष्ट्रों को भारी जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे देशों ने अक्सर यह समस्या पैदा करने के लिए बहुत कम काम किया है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी पर उत्तर-दक्षिण बहस।
- **सबसे बुरी तरह प्रभावितों की रक्षा कौन करेगा?:** सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए संभावित नुकसान केवल असुविधाएं नहीं हैं बल्कि जीवन, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधनों के लिए संभावित विनाशकारी नुकसान हैं, जिन पर जीवन निर्भर है।

- **क्या प्रयास क्षमता पर आधारित होने चाहिए?** जलवायु परिवर्तन वह समस्या है जिसको लेकर सबसे अधिक जोखिम वाले लोग अपने आपको बचाने के लिए बहुत कम कर सकते हैं। इसलिए, उनके लिए सबसे अच्छी उम्मीद यह है कि क्या विकसित राष्ट्र भार उठाएंगे।
- **राष्ट्रीय हित या जलवायु न्याय को आगे बढ़ाना है?** जलवायु परिवर्तन का वैश्विक समाधान सभी देशों और लोगों के लिए अपना ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन सुरक्षित वैश्विक उत्सर्जन की अपनी उचित हिस्सेदारी तक सीमित करने की माँग करता है। लेकिन यह उचित हिस्सा उनके राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकता है, जैसे कि आर्थिक विकास।
- **हमारा अंतर-पीढ़ीगत दायित्व क्या है?** जलवायु परिवर्तन से, हम एक पीढ़ी के रूप में भावी पीढ़ियों पर जोखिम थोप रहे हैं। यह इस मुद्दे पर जोर देता है कि भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों के दावों के प्रति आज जीवित लोगों के अधिकारों के दावों को कैसे संतुलित किया जाए।

इन नैतिक दुविधाओं का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि इन नैतिक सवालों को उत्तर खोजे बिना किसी सामूहिक कार्रवाई पर पहुंचना बहुत मुश्किल होगा।

जलवायु परिवर्तन वार्ताएं और इसकी नैतिकता

जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के तहत चर्चा ने जलवायु कार्रवाई के कुछ सिद्धांतों पर मंथन किया है जो उपर्युक्त सवालों का जवाब देने में मदद करते हैं:

- **भुगतान करने की सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी (CBDR)[123]/क्षमता:** यह सिद्धांत एक तरफ, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के लिए सभी देशों की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता और दूसरी ओर, देशों के बीच आर्थिक विकास के स्तर में व्यापक अंतर को मान्यता देने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करता है।
  - उदाहरण के लिए, समान उत्सर्जन स्तर होने के बावजूद कनाडा और मेक्सिको का उत्सर्जन लक्ष्य भिन्न-भिन्न होगा। यह उनके विकास के स्तर में अंतर के कारण होगा।
- **समान प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का विचार:** यह सिद्धांत कहता है कि वायुमंडल पर सभी का समान दावा है, जिसका अर्थ यह है कि उत्सर्जन की अनुमति मिलने उसमें सभी की हिस्सेदारी में समानता होनी चाहिए।
- **प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Polluter pays principle):** यह विचार कहता है कि जो लोग प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को होने वाला नुकसान को रोकने या उसकी भरपाई के लिए आवश्यक प्रबंधन की लागत भी उठानी चाहिए।
- **लाभार्थी द्वारा भुगतान का सिद्धांत (Beneficiary pays principle):** यह कहता है कि दूसरों को नुकसान पहुँचाकर जिनको लाभ मिला है, उनका कर्तव्य है कि वे उस नुकसान की भरपाई करें।
  - उदाहरण के लिए, गैसोलीन का उपयोग करने वाला चालक लाभान्वित होता है, लेकिन वह पर्यावरण को प्रदूषित (GHG उत्सर्जन उत्पन्न करके) करता है और इसलिए प्रदूषण कम करना, उसका कर्तव्य है।

इन सिद्धांतों ने चर्चा को आगे बढ़ाने में मदद की है। लेकिन व्यवहार में इन सिद्धांतों का रूपांतरण सीमित रहा है।

क्या हमारी वर्तमान जलवायु नीतियाँ न्यायोचित हैं?: ग्लासगो जलवायु समझौते को जाँच के दायरे में लाना

न्यायसंगत जलवायु नीतियाँ या **जलवायु न्याय**, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को न्याय, विशेष रूप से पर्यावरणीय न्याय और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं से और समानता, मानवाधिकार; सामूहिक अधिकार, और जलवायु के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारियों जैसे मुद्दों की जाँच करके संबंध जोड़ता है।

COP26 ने राष्ट्रीय सरकारों को अगले साल कठिन प्रतिज्ञाओं के साथ आने का आग्रह किया, नए क्षेत्रों में प्रतिज्ञा की और कार्बन व्यापार पर नियमों को पूरा किया। लेकिन **जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये सफलताएं पर्याप्त नहीं हैं,** क्योंकि-

- **यह समझौता औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए पर्याप्त नहीं है:** 1.5 डिग्री सेल्सियस का निशान लक्षित न करके, हम स्थायी क्षति की अनुमति दे रहे हैं जो हमारे मानवाधिकारों को खतरे में डालती है और भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारे दायित्व का उल्लंघन करती है।
- **यह समझौता हानि और क्षति की समस्या का समाधान करने में विफल रहा है:** हानि और क्षति पर सहमति न हो पाने से सबसे कमजोर देशों और समुदायों को जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विकसित और समृद्ध देशों ने पुन: अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लिया है।
- **जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की जटिलता और तात्कालिकता को ठीक से संबोधित नहीं किया गया:** यह समझौता जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की बात करता है, लेकिन समयसीमा पर टिप्पणी करने में विफल रहा है। साथ ही, यह विकसित और विकासशील देशों के बीच समान रूप से इसे चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने को शामिल नहीं करता है।

COP26 ने अपने कई पूर्ववर्तियों की तरह अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। देशों के बीच आम सहमति की कमी इस तथ्य से उपजी है कि इस बात पर कोई आपसी सहमति नहीं है **कि जलवायु कार्रवाइयों के लिए कौन-से सिद्धांत आधार के रूप में कार्य करेंगे।**

[123] Common but Differentiated Responsibility

 ©Vision IAS

हम जलवायु परिवर्तन नीतियों को अधिक नैतिक और न्यायसंगत कैसे बना सकते हैं?

सदस्य देशों और अन्य हितधारकों को उचित निर्णय लेने और प्रभावी नीतियाँ लागू करने में मदद करने के लिए **यूनेस्को ने जलवायु परिवर्तन के संबंध में नैतिक सिद्धांतों के एक घोषणा-पत्र (Declaration of Ethical Principles) को अपनाया है:**

- **ह्रास/क्षति की रोकथाम हेतु:** जलवायु परिवर्तन के परिणामों का बेहतर अनुमान लगाने और जलवायु परिवर्तन का शमन करने तथा उसके अनुकूल और प्रभावी नीतियों को लागू करना।
- **एहतियाती दृष्टिकोण:** निश्चित वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों की रोकथाम करने या शमन करने के उपायों के अंगीकरण को स्थगित नहीं करना।
- **समानता और न्याय:** जलवायु परिवर्तन का इस तरह से प्रबंधन करना जिससे न्याय और समानता की भावना के अनुरूप सभी को लाभ मिले।
  - जो लोग जलवायु परिवर्तन (अपर्याप्त उपायों या अपर्याप्त नीतियों के कारण) से अन्यायपूर्ण ढंग से प्रभावित हैं, उन्हें निवारण और उपचार सहित न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाहियों तक पहुँच का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- **संधारणीय विकास:** अधिक न्यायपूर्ण और जिम्मेदार समाज का निर्माण करते हुए (जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला हो) अपने पारिस्थितिकी तंत्र के संधारणीय संरक्षण को संभव बनाने वाले विकास के लिए नए मार्गों को अपनाना।
  - उन क्षेत्रों पर **विशेष ध्यान** दिया जाना चाहिए जहाँ **जलवायु परिवर्तन के मानवीय परिणाम नाटकीय हो सकते हैं,** जैसे भोजन, ऊर्जा, जल असुरक्षा, महासागर, मरुस्थलीकरण, भू-क्षरण और प्राकृतिक आपदाएं।
- **एकजुटता:** विशेष रूप से अल्पविकसित देशों (LDCs) और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील लोगों और समूहों की व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सहायता करना।
  - प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण, ज्ञान-साझाकरण और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में समय पर सहकारी कार्रवाई को मजबूत बनाना।
- **निर्णयन प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान और सत्यनिष्ठा को अपनाना:** जोखिम के पूर्वानुमान सहित, निर्णय लेने में बेहतर सहायता के लिए विज्ञान और नीति के बीच अंतरसंबंध और प्रासंगिक दीर्घकालिक रणनीतियों के कार्यान्वयन को मजबूत करना।
  - विज्ञान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और सभी के लाभ के लिए इसके निष्कर्षों का यथासंभव अधिक से अधिक लोगों तक व्यापक रूप से प्रसार करना।

इन सिद्धांतों का अंगीकरण और कार्यान्वयन सभी राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इनके कार्यान्वयन की तात्कालिकता/अति आवश्यकता को जलवायु परिवर्तन पर पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर के कथन उपयुक्त रूप से रेखांकित करते हैं- **"G20 के नेतृत्वकर्ता/सदस्य, हम डूब रहे हैं और हमारी एकमात्र आशा वह जीवन रक्षक पेटी है जिसे आप धारण/उपयोग कर रहे हैं। अतः आपको तात्कालिक कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए तथा हम सभी को एक साथ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए।"**

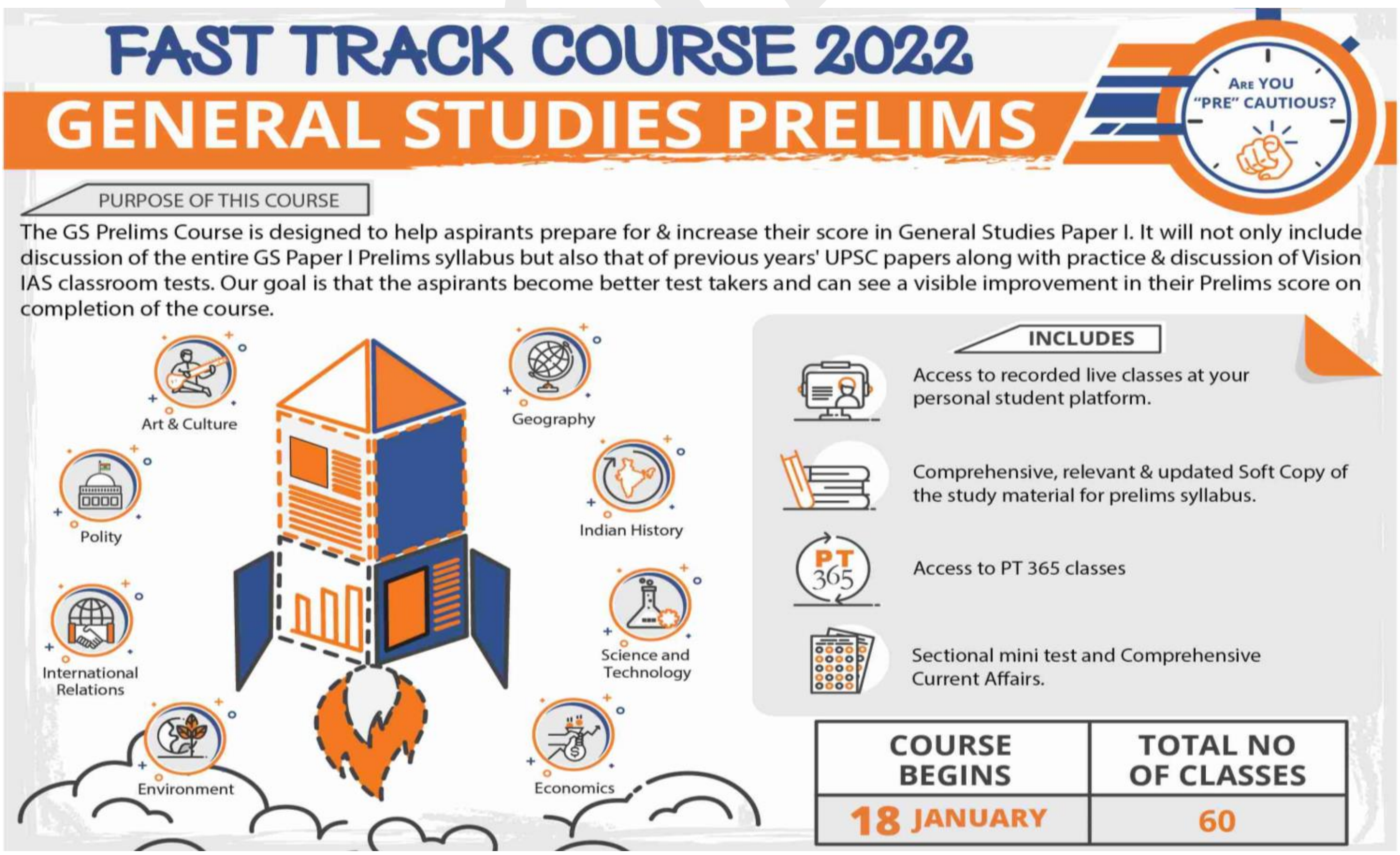

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएँ (Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना {Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह मंजूरी वर्ष 2022 तक शेष रह गए सड़क और पुल कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के बारे में

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• ग्रामीण क्षेत्रों में **पात्र असंबद्ध बसावटों/ बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना**।
• ग्रामीण आबादी के **सामाजिक-आर्थिक स्थिति उत्थान** हेतु सहयोग प्रदान करना।
	• **कार्यक्रम की इकाई/खंड या भाग**
	  ○ **राजस्व ग्राम/पंचायत की जगह** योजना के लिए इकाई **के रूप में बसावट/बस्ती** को चयनित/चिन्हित किया गया है।
	  ○ मैदानी क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले बसावट।
	  ○ पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले बसावट।
	  ○ वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक जनसंख्या वाले बसावट।
	• **सड़कों के लिए योजना/नीति निर्माण और उनका प्रबंधन**
	  ○ जिला ग्रामीण सड़क योजना के नियोजन तथा कोर नेटवर्क के **अनुमोदन के लिए पंचायती राज संस्थानों (PRIs)** के समक्ष रखा जाता है।
	  ○ PMGSY के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव भी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाता है।
	• **तकनीकी मानक:** PMGSY के तहत सड़कों को भारतीय मार्ग संगठन (इंडियन रोड कांग्रेस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार डिजाइन और निष्पादित किया जाता है।
	• **हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना:** जैसे कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, फ्लाई ऐश और जियो टेक्सटाइल का उपयोग करना, ज़ाइकोसाइल नैनो टेक्नोलॉजी (Zycosoil Nanotechnology), कॉपर स्लैग आदि का उपयोग करना।
	  ○ लागत प्रभावी और तेजी से निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सड़क निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।
	• **त्रि-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र**
	  ○ गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र के प्रथम स्तर हेतु कार्यकारी अभियंता को चयनित किया गया है
	  ○ राज्य स्तर पर सड़क की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की आवश्यकता होती है।
	  ○ राष्ट्रीय स्तर पर, **राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी** (ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत) सड़क कार्यों का निरीक्षण करती है।
	PMGSY के तहत उपलब्धियां
	• **PMGSY-II के तहत** मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर लंबाई तक के सड़क के समेकन की परिकल्पना की गई थी।
	  ○ जिसमें से केवल 4,240 कि.मी. लंबाई तक का सड़क कार्य शेष रह गया है।
	• **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना के तहत (वर्ष 2016 में शुरू)**
	  ○ **गृह मंत्रालय ने राज्यों और सुरक्षाबलों के परामर्श से** इस योजना के तहत किए जाने वाले सड़क और पुल कार्यों की पहचान की है।
	  ○ **4,490 किलोमीटर सड़क की लंबाई (पहचान किए गए 5,412 किलोमीटर तक के लंबाई वाले सड़क में से)** के कार्य को पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य को वर्ष **2023** तक पूर्ण करना है।

10.2. डेयरी सहकार योजना (Dairy Sahakar Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गुजरात के आनंद में "डेयरी सहकार" नामक एक योजना की शुरुआत की है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• इसका उद्देश्य 'सहयोग से समृद्धि तक' के	• 5,000 करोड़ रुपये की निवेश/लागत के साथ "डेयरी सहकार" के अंतर्गत, डेयरी क्षेत्र को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा।

विचार को साकार करना है। साथ ही, **"किसानों की आय को दोगुना करना"** तथा **"आत्मनिर्भर भारत"** के समग्र उद्देश्यों के तहत भारत में **डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के मौजूदा प्रयासों को समर्थन** प्रदान करना है।	○ NCDC **भारत सरकार द्वारा वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम के तहत** विशेष रूप से स्थानीय, जिला, शीर्ष/बहु-राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के लिए स्थापित **एक शीर्ष स्तरीय वैधानिक स्वायत्त संस्था है।** ○ **NCDC सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक निकाय है।** • NCDC द्वारा **गोजातीय विकास/सुधार, दुग्ध खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्य संवर्धन** आदि गतिविधियों के लिए पात्र सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ○ NCDC द्वारा वित्तीय सहायता में **सहायक गतिविधियों और सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा,** जैसे अक्षय ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), पशु चारा/चारा सामग्री का विनिर्माण/उत्पादन, अनुसंधान एवं विकास, पॉलीथीन टीरेफ्थलेट (PET) बोतल/पैकेजिंग सामग्री निर्माण, डेयरी उपकरण और मशीनरी का निर्माण, डेयरी से संबंधित रखरखाव सेवाएं, पशु चिकित्सा दवाओं का विनिर्माण आदि। • **अभिसरण (Convergence):** भारत सरकार और/या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/विकास एजेंसियों/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता/निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की **विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरित किया जाएगा।** • **परियोजना की लागत:** पात्र सहकारी समितियों द्वारा सीधे या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से NCDC दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय और कार्यरत निष्पादन के साथ व्यवहार्य प्रस्तावों के मामले में **परियोजना लागत पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।** ○ परियोजना लागत में बुनियादी ढांचा, मार्जिन मनी और कार्यशील पूंजी शामिल है। • **ऋण अवधि:** ऋण की अवधि **सामान्य रूप से 5 से 8 वर्ष की होगी,** जिसमें परियोजना के प्रकार और राजस्व स्रोतों के आधार पर **मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1 से 3 वर्ष की स्थगन अवधि शामिल है।**

11. परिशिष्ट I: आदिवासी विद्रोह (Appendix I: Tribal Revolts)

भारत के प्रमुख आदिवासी विद्रोह

नाम	उद्गम स्थान	घटनाएं	परिणाम
पहाड़िया (1778)	राज महल पहाड़ियाँ	▸ अंग्रेजों द्वारा उनके क्षेत्र में विस्तार करने पर, वीर पहाड़ियों ने विद्रोह कर दिया।	▸ इनके क्षेत्र को दामिन–ए–कोह क्षेत्र घोषित करके अंग्रेजों को मजबूरन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से लौटना पड़ा।
चुआर विद्रोह (जिसे जंगलमहल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है)	मिदनापुर जिले में 1776–1772 ई. और 1795–1816 ई. के मध्य	▸ **अकाल, लगान की बढ़ती मांग और आर्थिक तंगी** ने चुआर जनजातियों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। ▸ सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1798 ई. में दर्जन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ।	▸ इस विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा निर्दयता से दमन किया गया था।
कोल विद्रोह (1831)	छोटानागपुर	▸ कोल सरदारों से बाह्य लोगों जैसे कि हिन्दू, सिख, मुस्लिम किसानों और साहूकारों को बड़ी मात्रा में भूमि हस्तांतरित की गई। ▸ ब्रिटिश न्यायिक और राजस्व नीतियों ने कोल समुदाय की पारंपरिक सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया। ▸ प्रसिद्ध नेताः **बुद्धो भगत।**	▸ इनके क्षेत्र को दामिन–ए–कोह क्षेत्र घोषित करके अंग्रेजों को मजबूरन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से लौटना पड़ा।
हो और मुंडा विद्रोह (1820-1837)	सिंहभूम	▸ पराहाट के राजा ने हो जनजातियों को अधिग्रहण के खिलाफ़ विद्रोह करने के लिए संगठित किया था। ▸ बाद में, 1831 ई. में, नई कृषि राजस्व नीतियों और बंगालियों के प्रवेश के विरुद्ध विरोध करने के लिए हो मुंडाओं के साथ मिल गए।	▸ यह विद्रोह 1832 ई. में समाप्त हो गया था, लेकिन हो लोगों की विद्रोही गतिविधियां 1837 ई. तक जारी रहीं।
संथाल विद्रोह (1855-56)	राजमहल पहाड़ियाँ	▸ पुलिस और जमींदारों के सहयोग से साहूकारों ने किसानों का शोषण किया और उनकी भूमि का बलात अधिग्रहण किया। ▸ दो भाइयों, **सिद्धू और कान्हू** के नेतृत्व में संथाल ने कंपनी राज के उन्मूलन की उद्घोषणा की और भागलपुर एवं राजमहल के बीच के क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया।	▸ विद्रोह को रोकने के लिए वारेन हेस्टिंग्स द्वारा दीर्घकालीन सैन्य कार्रवाई की गई।
खोंड विद्रोह (1837-1856)	ओडिशा से श्रीकाकुलम और विशाखापटनम तक	▸ युवा राजा, **चक्र बिसोई** ने नरबलि की मनाही, नए करों और उनके क्षेत्रों में जमींदारों के प्रवेश का विरोध करने के लिए खोंडों का नेतृत्व किया था। ▸ विदेशी राज की समाप्ति और स्वतंत्र सरकार को प्राप्त करने की आशा में 1914 ई. में ओडिशा में एक अन्य विद्रोह शुरू हुआ था।	▸ बाद में, चक्र बिसोई के लापता होने के बाद, यह विद्रोह समाप्त हो गया।

नाम	उद्गम स्थान	घटनाएं	परिणाम
कोया विद्रोह (1803,1840,1845 ,1858,1861,1862) तथा (1879-80)	पूर्वी गोदावरी क्षेत्र	▶ पुलिस और साहूकारों द्वारा शोषण, नए नियम और वन क्षेत्रों में इनके परंपरागत अधिकारों की अस्वीकृति आदि इनकी शिकायतें थी।	▶ इनके क्षेत्र को दामिन–ए–कोह क्षेत्र घोषित करके अंग्रेजों को मजबूरन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से लौटना पड़ा।
भील विद्रोह (1817-19)	भील पश्चिमी घाट में निवास करते थे और उत्तर तथा दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करते थे।	▶ उन्होंने विद्रोह इसलिए किया क्योंकि, उन्हें अकाल, आर्थिक तंगी और कुशासन का सामना करना पड़ा था। ▶ भीलों ने **1825, 1831 और 1846 ई.** में पुनः विद्रोह किया था। ▶ **गोविंद गुरु** ने 1913 ई. तक भील राज के लिए संघर्ष करने हेतु उन्हें संगठित करने में दक्षिण राजस्थान के भीलों की मदद की थी।	▶ ब्रिटिश राज ने विद्रोह को रोकने के लिए दोनों, बल और सुलह प्रयासों का प्रयोग किया था।
कोली विद्रोह (1829, 1839 तथा 1844-48)	भील आदिवासियों के पड़ोसी	▶ इन्होंने कंपनी राज के आरोपण का विरोध किया, जिसके कारण इन्हें बड़ी मात्रा में बेरोजगारी और इनके किलों के विखंडन का सामना करना पड़ा।	
रामोसी विद्रोह	पश्चिमी घाट की पहाड़ी जनजाति	▶ ब्रिटिश राज और प्रशासन का ब्रिटिश प्रारूप मंजूर नहीं था। ▶ इन्होंने राज्य–हड़प नीति का विरोध किया। ▶ ये 1822 ई. में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में संगठित हुए और सतारा के आस–पास के क्षेत्रों को लूटा।	▶ श्रेष्ठ ब्रिटिश सेना ने क्षेत्र में व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। आमतौर पर अंग्रेजों ने रामोसियों के प्रति शांतिवादी नीति अपनाई थी।
मुंडा विद्रोह (1899-1900)	छोटा नागपुर	▶ यह विद्रोह एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। किन्तु सामंती, जमींदारी, पटवारी और साहूकारों द्वारा किए गए शोषण से लड़ने के लिए इसने रानीतिक बल ग्रहण किया।	▶ छोटा नागपुर पठार में ब्रिटिश सैन्य दल तैनात कर दिए गए थे। ▶ बिरसा को गिरफ़्तार कर कारावास का दंड दिया गया था।
अन्य विद्रोह	▶ **नैकदा आंदोलन** (1860 के दशक में मध्य प्रदेश और गुजरात); ब्रिटिश और जातिवादी हिंदुओं के खिलाफ़। ▶ **खरवार आंदोलन** (1870 के दशक में बिहार) राजस्व बंदोबस्त गतिविधियों के खिलाफ़ खरवारों द्वारा किया गया था। ▶ **बस्तर विद्रोह** (1910 ई. जगदलपुर); नए सामंतों और वन शुल्क के खिलाफ़। ▶ **ताना भगत आंदोलनः मुंडा और उरांव जनजाति** ने यह आंदोलन शुरू किया था। इसका नेतृत्व **जतरा भगत और बलराम भगत** द्वारा किया गया था (1914–15 ई. छोटानागपुर)। यह बाह्य लोगों के हस्तक्षेप के खिलाफ़ एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। ▶ कोया के **अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा विद्रोह** (1916 व 1922–1924 ई. आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में)। ब्रिटिश हस्तक्षेप के खिलाफ़। ▶ **गोंड विद्रोह** (1940 के दशक में) गोंड धर्म के लोगों को एकत्रित करने के लिए आरंभ हुआ था।		

पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय आंदोलन

नाम	उद्‌गम स्थान	घटनाएं	परिणाम
अहोम विद्रोह (1828)	असम	▸ प्रथम बर्मा युद्ध (1824–26) के बाद वापिस लौटने के अपने वादे को अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया था। ▸ यह विद्रोह **गोमधर कुंवर** के नेतृत्व में शुरू हुआ था।	▸अहोम साम्राज्य का विभाजन करके कंपनी द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था।
खासी विद्रोह (1833)	गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ	▸ ब्रिटिश एक सड़क का विकास करना चाहते थे ताकि बाहर के श्रमिक यहाँ प्रवेश कर पाएँ। ▸ **तीरथ सिंह** के नेतृत्व में इस विद्रोह का संचालन हुआ था।	▸अंग्रेजी सेना द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया था।
अन्य मुख्य विद्रोह	▸ **सिंगफ़ोस विद्रोह** (1830 का दशक; असम)। ▸ **कुकी विद्रोह** (1917–19 ई. मणिपुर); प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजदूरों को भर्ती करने की ब्रिटिश नीति के विरुद्ध। ▸ **त्रिपुरा में विद्रोह;** हाउस टैक्स दरों में बढ़ोतरी और क्षेत्र में बाह्य लोगों के निवास के खिलाफ (1863, 1920 का दशक, 1942–43)। ▸ **जेलियांगसोंग विद्रोह** (1920 का दशक, मणिपुर); ज़ेमी, लियांगमे और रोंगमे जनजातियों के नेतृत्व में। ▸ **नागा आंदोलन** (1905–31 ई. मणिपुर); जादोनांग के नेतृत्व में। ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ और नागा शासन स्थापित करने के लिए। ▸ **हेराका आंदोलन** (1930 के दशक में मणिपुर); **रानी गाइदिन्ल्यू** के नेतृत्व में। इस आंदोलन को तो दबा दिया गया था, किन्तु 1946 ई. में काबुई नागा संघ का निर्माण हो गया था।		

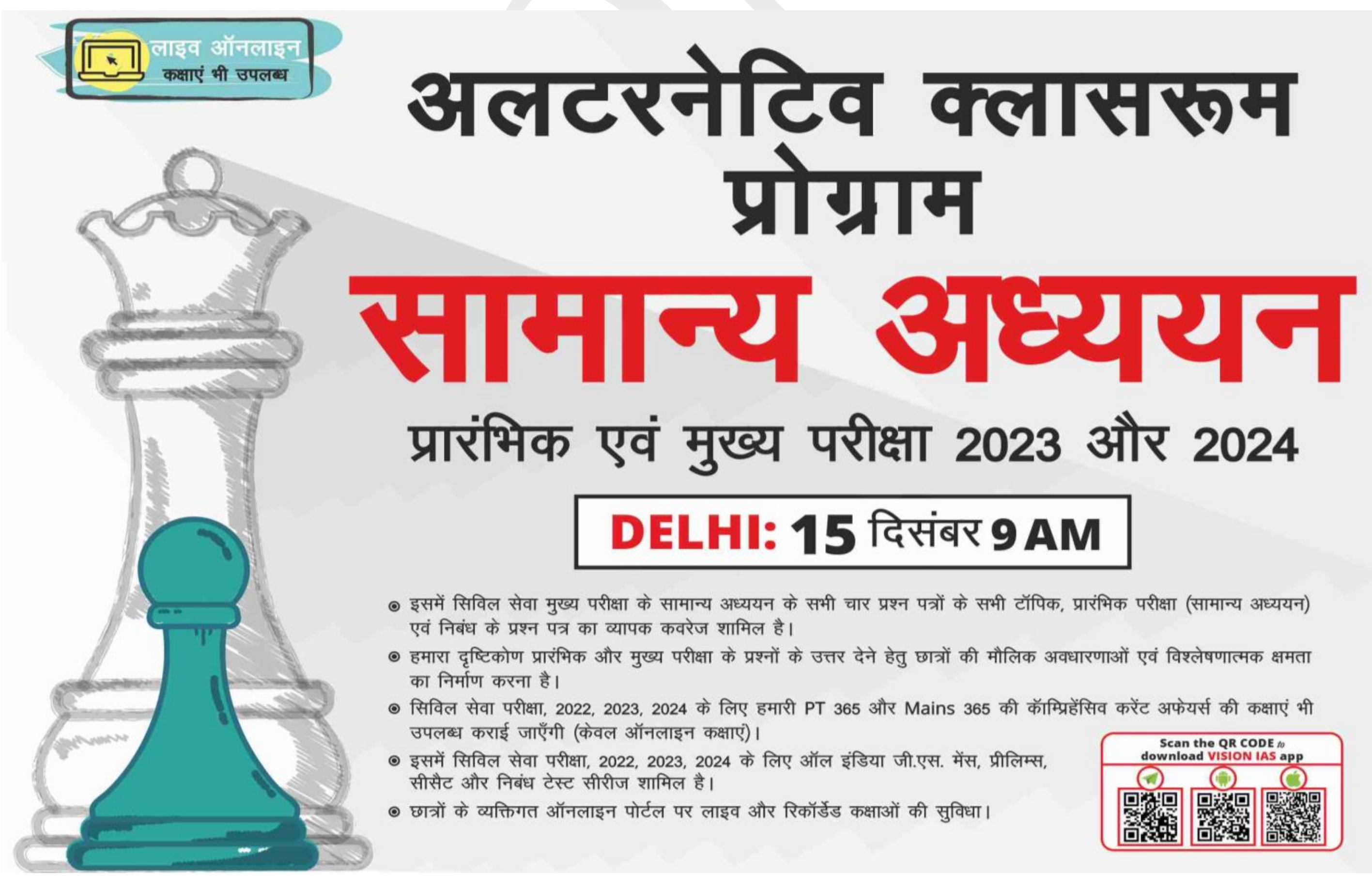

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

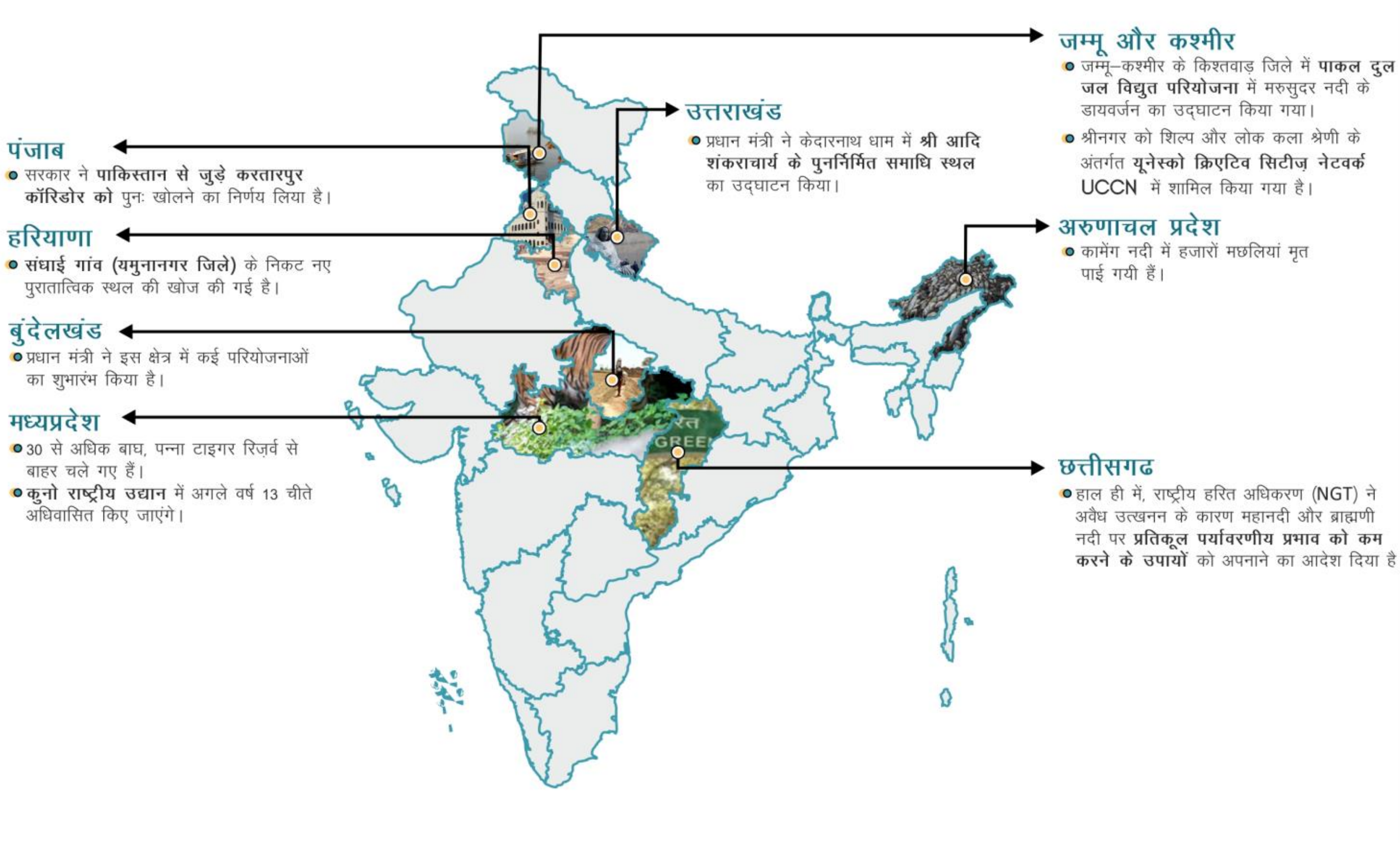

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

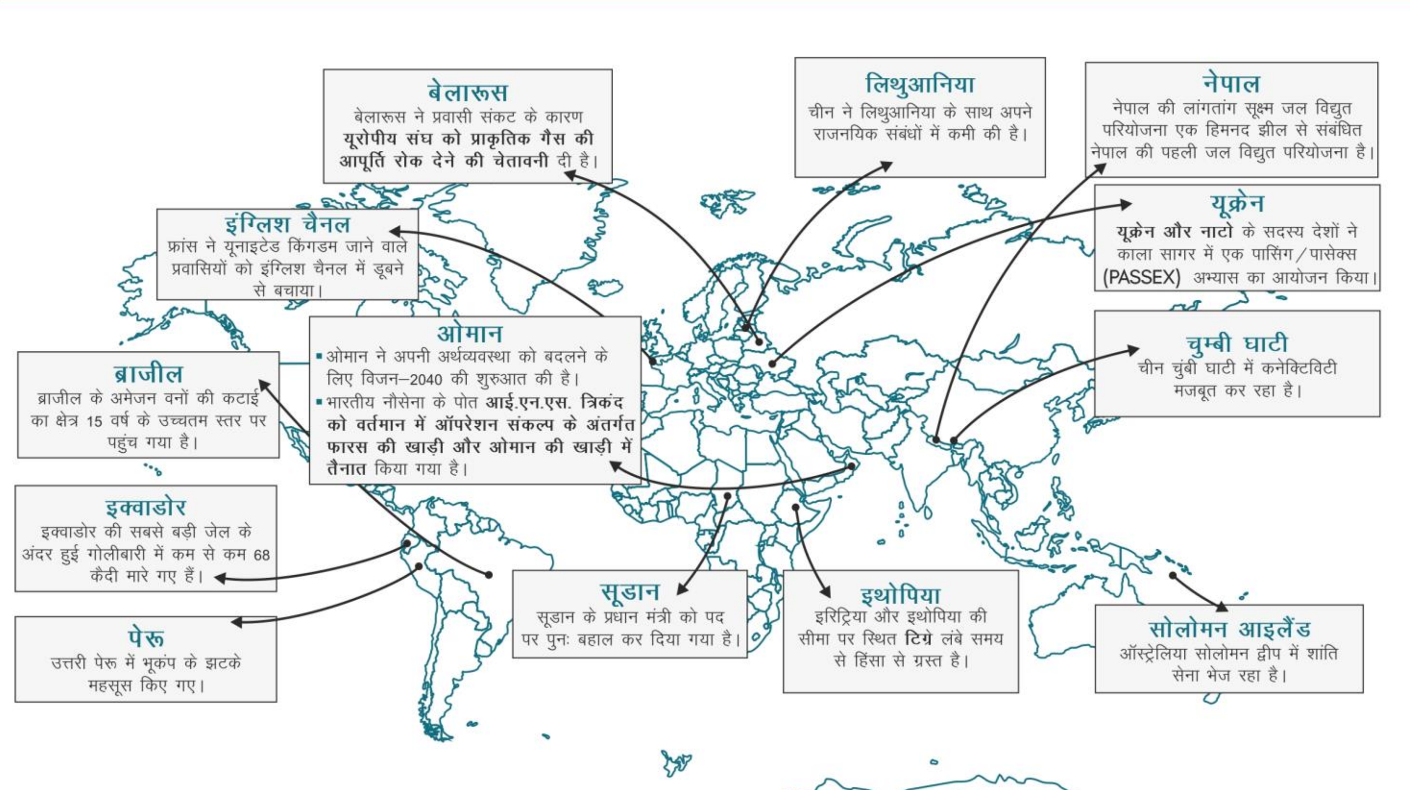

सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
रानी कमलापति	• रानी कमलापति एक **गोंड रानी** और सल्कनपुर (सीहोर) रियासत के **राजा कृपाल सिंह की पुत्री** थी। ▫ गोंड भारत के **सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है।** ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और ओडिशा में फैले हुए हैं। • उनका विवाह **सूरज सिंह शाह के पुत्र गिन्नौरगढ़ के निजाम शाह से** हुआ था। इन्होंने ही रानी के नाम पर भोपाल का कमलापति महल बनवाया था। • वह एक **कुशल योद्धा** थी तथा अपने पिता और पति के साथ युद्धों में भाग लेती थी। उन्होंने **1723 ई. में अपनी मृत्यु तक तत्कालीन गिन्नौरगढ़ पर शासन** किया था।	• **वीरता** ▸ जब एक शक्तिशाली अफ़गान सरदार ने रानी से जबरन विवाह करना चाहा, तो रानी ने सम्मान के लिए उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी।
देवसहायम पिल्लई	• 18वीं शताब्दी के देवसहायम पिल्लई (ब्लेस्ड लाजार्स) को **वेटिकन रोमन–कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि प्रदान की जाएगी।** • वह संत की उपाधि प्राप्त करने वाले **भारत के पहले आम आदमी (एक चर्च के गैर–नियुक्त सदस्य) होंगे।** • वे त्रावणकोर के शाही घराने की सेवा करते हुए डच **ईस्ट इंडिया कंपनी** के एक कप्तान के संपर्क में आ गए थे। इसके कुछ वर्ष बाद 1745 ई. में वे कैथोलिक ईसाई बन गए थे। • **ईसाई धर्म अपनाने के बाद पिल्लई ने "लाजार्स" नाम रख लिया था,** लेकिन बाद में वे देवसहायम के नाम से विख्यात हुए। • जातिगत भेदभाव के बावजूद वह सभी लोगों की समानता के प्रचारक थे।	• **दृढ़ विश्वास** ▸ उन्होंने अपना जीवन मानव जाति की समानता के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए उनके संघर्ष हेतु जाना जाता है।
ओनाके ओबाव्वा	• ओनाके ओबाव्वा को **एक ऐसी महिला के रूप में जाना जाता है, जिसने चित्रदुर्ग किले में हैदर अली की सेना से संघर्ष किया था।** इस किले पर 18वीं शताब्दी में मदकरी नायक का शासन था। • लोक कथाओं के अनुसार वह एक **'ओनाके' या मूसल (धान के दानों को कूटने के लिए बनाया जाने वाला एक लकड़ी का भारी लंबा डंडा) का उपयोग करके लड़ी** थी। • उन्हें कर्नाटक में अब्बक्का रानी, केलाडी चेन्नम्मा और कित्तूर चेन्नम्मा के साथ एक प्रमुख महिला योद्धा व देशभक्त तथा **कन्नड़ महिला गौरव का प्रतीक माना जाता है।**	• **वीरता** ▸ उन्होंने अकेले दम पर आगे बढ़ने वाले दुश्मनों की सेना को रोक दिया और बाद में स्वयं के नेतृत्व में अपनी सेना को हैदर अली के खिलाफ जीत दिलाई।
मदन मोहन मालवीय	• मदन मोहन मालवीय प्रयागराज (पहले इलाहाबाद) में जन्मे एक **प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे।** इन्हें **'महामना'** के नाम से जाना जाता था। • **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) में भूमिका:** वे लाहौर और दिल्ली में क्रमशः 24वें (1909) एवं 33वें (1918) अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ▫ वे वर्ष 1932 और 1933 में भी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन गिरफ्तारी के कारण वे अध्यक्षता नहीं कर सके। • **प्रमुख योगदान और उपलब्धियां** ▫ **उन्होंने हिंदुस्तान के संपादक** के रूप में कार्य किया था। वर्ष 1907 में **अभ्युदय** (हिंदी साप्ताहिक), वर्ष 1910 में **मर्यादा** (हिंदी मासिक) और वर्ष 1909 में **द लीडर** (अंग्रेजी दैनिक) की शुरुआत की थी। ▫ वर्ष 1906 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में कार्य किया था। ▫ वर्ष 1916 में उन्होंने **बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना** की थी। ▫ **वर्ष 2015** में उन्हें **भारत रत्न** (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया था।	• **प्रतिबद्धता और देशभक्ति** ▸ एक वकील के रूप में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वर्ष 1922 के चौरी–चौरा दंगों में अधिकांश आरोपियों का बचाव करते हुए लगभग 153 आरोपियों को मौत की सजा से बचाया था। ▸ उन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी उच्च आय वाली नौकरी छोड़ दी और राष्ट्रीय जागृति एवं स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक कार्य करना आरम्भ कर दिया।
बिरसा मुंडा	• बिरसा मुंडा को **भगवान बिरसा मुंडा या 'धरती आबा'** के नाम से भी जाना जाता है। उनका **जन्म छोटा नागपुर पठार क्षेत्र (झारखंड) के खूंटी जिले में मुंडा जनजाति में** हुआ था। • वे प्रारंभ में ईसाई धर्म में रूपांतरित हुए और मिशनरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद शीघ्र ही उन्हें **ब्रिटिश और जमींदारों द्वारा स्थानीय जनजातियों के शोषण का आभास हुआ।** इन ब्रिटिश लोगों और जमींदारों को **दिकू (बाहरी लोग) कहा जाता था।** • उन्होंने **आदिवासी लोगों की पहचान और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया।** धार्मिक रूपांतरण को समाप्त करने के लिए **बिरसाइत** नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध **आदिवासी समुदाय को एकजुट करते हुए 'मुंडा विद्रोह' का नेतृत्व किया।** • इस विद्रोह के कारण **1908 ई. में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम** पारित हुआ। इसके तहत आदिवासी **खुंटकट्टी प्रथा** को मान्यता दी गई और **बैठ–बेगारी प्रथा** पर प्रतिबंध लग दिया गया।	• **दृढ़ता और दूरदर्शिता** ▸ वह एक दूरदर्शी थे जिन्होंने अपने समुदाय की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ▸ वह एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों और शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करके असाधारण साहस का परिचय दिया।
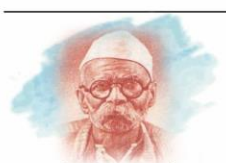 पांडुरंग महादेव बापट	• उन्हें लोकप्रिय रूप से **'सेनापति बापट'** के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने **भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन** में सक्रिय तौर पर भाग लिया था। • 12 नवंबर 1880 को जन्मे बापट का पालन–पोषण महाराष्ट्र के **अहमदनगर जिले के पारनेर शहर में** एक निम्न–मध्यमवर्गीय चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। • बापट को वर्ष **1921 में मुल्शी सत्याग्रह** (विश्व का प्रथम बांध विरोधी आंदोलन) **के दौरान उनके नेतृत्व के लिए 'सेनापति' कहा गया।** यह "किसानों के बलपूर्वक विस्थापन के विरुद्ध प्रथम दर्ज संगठित संघर्ष" था। • वर्ष 1904 में, कॉलेज से पास होने के बाद, उन्होंने छात्रवृत्ति अर्जित की और एडिनबर्ग के हैरियट–वाट कॉलेज में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए।	• **देशभक्ति** ▸ अपने संपूर्ण जीवन काल में उन्होंने स्वयं को अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों में संलग्न रखा।
सलीम अली	• 12 नवंबर को **"बर्डमैन ऑफ इंडिया"** के नाम से मशहूर सलीम अली की 125वीं जयंती मनायी गई। • **गांधीवादी विचार, अहिंसा (गैर–हत्या) के** विपरीत, सलीम अली ने दीर्घकालिक संरक्षण (अनुसंधान के लिए पक्षियों को मारना) के लिए उपयोगी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया था। • उन्होंने **भरतपुर पक्षी अभयारण्य (राजस्थान) की स्थापना** और **साइलेंट वैली नेशनल पार्क (केरल)** के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। • वह **बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी** से जुड़े हुए थे। यह अखिल भारतीय वन्यजीव शोध तथा संरक्षण हेतु मुंबई स्थित एक गैर–सरकारी संगठन है। • उन्होंने अपनी पुस्तक **'द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स'** के प्रकाशित होने के बाद एक नई किताब **'हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान'** लिखी थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों का सबसे व्यापक दस्तावेज है। • इन्हें वर्ष 1976 में **पद्म विभूषण** पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। • वे वर्ष 1967 में **ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट्स यूनियन का स्वर्ण पदक** प्राप्त करने वाले पहले गैर–ब्रिटिश व्यक्ति भी थे।	• **संरक्षण और प्रकृतिवाद** ▸ प्रकृति के संरक्षण हेतु उनके योगदान के लिए उन्हें 5 लाख रुपये की राशि का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस राशि को अपने पास रखने के बजाय, उन्होंने सारा धन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को दान कर दिया।

रानी गाइदिन्ल्यू	• मणिपुर में **'रानी गाइदिन्ल्यू जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय'** का उद्‌घाटन किया गया है। • **रानी गाइदिनल्यू** का जन्म मणिपुर की रोंगमेई जनजाति में हुआ था। वह 13 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई थी। • वह **हेराका आंदोलन में अग्रणी** रही थी। इस आंदोलन का उद्देश्य नागा जनजातीय धर्म का पुनरुद्धार और **नागाओं के स्व–शासन की स्थापना करना था। यह असहयोग आंदोलन के समान** था। ▫ उन्हें वर्ष 1932 में गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ही रिहा किया गया था। • जवाहरलाल नेहरू ने गाइदिनल्यू को **"पहाड़ियों की बेटी"** के रूप में वर्णित किया था और **उनके साहस के लिए उन्हें 'रानी' की उपाधि दी थी।**	• **साहस** ▸ उन्होंने अपने समुदाय के लिए स्व–शासन आंदोलन का नेतृत्व कर असाधारण साहस दिखाया।

चौधरी हरमोहन सिंह यादव	• वह एक शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एक राजनीतिज्ञ थे।
	• वर्ष 1991 में, उन्हें वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उनकी असाधारण वीरता और निडरता के लिए **उन्हें शौर्य चक्र** से सम्मानित किया गया था।
	• **महत्वपूर्ण मूल्यः**
	    ▫ **सांप्रदायिक सद्भावः** उन्होंने वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान अनेक लोगों का जीवन बचाया था।
	    ▫ **सादगी और जनसेवा की प्रेरणाः** उन्होंने लोगों के जीवन में, विशेषकर हाशिये पर रहने वालों और किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया था।
		• **सादगी और सार्वजनिक सेवा**
		▸ उन्होंने आम लोगों के अधिकारों के लिए काम किया, विशेष रूप से किसानों और मजदूरों जैसे हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए।

डॉ. वर्गीज कुरियन	• **श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन** की स्मृति में 26 नवंबर 2014 से संपूर्ण भारत में **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** मनाया जा रहा है।
	• उन्होंने भारत को दूध की कमी वाले देश से **विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल** दिया था।
	• उन्हें **पद्म विभूषण, विश्व खाद्य पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार** आदि से सम्मानित किया गया था।
	• **मूल्यः** नेतृत्व, समर्पण आदि।
	• **महत्वपूर्ण मूल्यः**
	    ▫ उन्होंने **ऑपरेशन फ्लड** का नेतृत्व किया था।
	    ▫ **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)** की स्थापना की थी।
	    ▫ **वर्ष 1979 में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद** (IRMA) की स्थापना की थी।
	    ▫ **दिल्ली दुग्ध योजना** का प्रबंधन किया था।
		• **व्यावहारिक आदर्शवाद**
		▸ उनके प्रयासों व दूर–दृष्टि ने अकेले गुजरात में लाखों परिवारों के लिए सहकारी समितियों की परंपरा को पुनर्जीवित किया और उन्हें आगामी पीढ़ियों के लिए आजीविका का एक स्थायी स्रोत प्रदान किया।

बाबासाहेब पुरंदरे	• वह एक प्रख्यात इतिहासकार और लेखक थे। इन्हें **छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास पर उनके साहित्यिक कार्यों के लिए शिव शाहिर (शिवाजी का चारण/ भाट)** के रूप में भी जाना जाता था। • उन्होंने छत्रपति **शिवाजी महाराज पर कई पुस्तकें लिखी थीं।** एक **रंगमंचीय व्यक्तित्व के रूप में** उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन और नेतृत्व पर एक लोकप्रिय नाटक **जाणता राजा (विवेकशील राजा) का निर्देशन** किया था। • उन्हें **वर्ष 2019 में पद्म विभूषण** से सम्मानित किया गया था।	• **रचनात्मकता और प्रतिष्ठा** ▸ उनके नाटक लोगों के मन में एक अमिट छाप छोड़ते हैं क्योंकि वे उन्हें उनकी संस्कृति और उनके शानदार अतीत से जोड़ते हैं।

कृष्णम्मल जगन्नाथन	• हाल ही में, तमिलनाडु की एक सामाजिक सेवा कार्यकर्ता कृष्णम्मल जगन्नाथन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
	• **मूल्यः** ये गांधीवादी सिद्धांतों (अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय आदि) की अनुयायी हैं और उन्होंने सामाजिक अन्याय के विरुद्ध सदैव संघर्ष किया है।
	• **महत्वपूर्ण योगदानः**
	    ▫ उन्होंने सामाजिक समानता और सशक्तीकरण के लिए **महात्मा गांधी तथा विनोबा भावे के साथ कार्य किया है।**
	    ▫ उन्होंने **लैंड फॉर टिलर्स फ्रीडम** (LAFTI) की स्थापना की है। यह जमींदारों से भूमि खरीदने और उन्हें भूमिहीन दलितों के बीच समान रूप से वितरित करने के लिए एक संगठन है।
		• **सामाजिक न्याय की प्रणेता**
		▸ उन्होंने समाज में उत्पीड़ित समुदायों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए अथक प्रयास किया।

डॉ. नरिंदर सिंह कपानी	• राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने डॉ. नरिंदर सिंह कपानी को मरणोपरांत भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार **पद्म विभूषण** से सम्मानित किया। • उन्हें **"फाइबर ऑप्टिक्स का जनक"** माना जाता है। • वह वर्ष 1954 में **फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से छवियों को प्रसारित करने वाले पहले व्यक्ति** थे। उन्होंने **हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव** रखी थी। • उन्होंने **फाइबर–ऑप्टिक्स संचार, लेजर, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी** आदि क्षेत्रों में कार्य किया था। • उन्हें वर्ष 1998 में यू.एस.ए. पैन–एशियन अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के **'द एक्सीलेंस 2000 अवार्ड'** से सम्मानित किया गया था। • वह **ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका** और **अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस** सहित कई विज्ञान संबंधी संस्थाओं के फेलो रह चुके थे।	• **अग्रणी नवाचार** ▸ डेटा संचार के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सूचना प्रसारित करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स के उपयोग के पथ प्रदर्शक थे।
तुलसी गौड़ा	• **पर्यावरणविद** तुलसी गौड़ा को हाल ही में **पद्मश्री पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है। • वह **कर्नाटक में हलक्की जनजाति से** संबंधित हैं। पौधों और जड़ी–बूटियों की विविध प्रजातियों के अपने विशाल ज्ञान के कारण इन्हें **"वन विश्वकोश** (Encyclopedia of Forest)" के रूप में भी जाना जाता है। • उन्होंने अपने जीवनकाल में 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं।	• **प्रकृतिवाद** ▸ उन्होंने प्रकृति और वनस्पति एवं जीवों के संरक्षण को अपना प्रमुख उद्देश्य बनाया।

नृपेंद्र मिश्रा	• वह एक सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी हैं, जिन्हें वर्ष 2021 में **पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।**
	• **मूल्यः** उन्हें ईमानदार और कठोर मेहनत करने वाले, परिणाम–उन्मुख, निर्णायक, कुशल तथा सख्त कार्यपालक के रूप में जाना जाता है।
	• **महत्वपूर्ण योगदानः**
	    ▫ उन्होंने **प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव** के रूप में कार्य किया है।
	    ▫ जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए उन्हें **राइजिंग सन, गोल्ड और सिल्वर स्टार अवार्ड से सम्मानित** किया जा चुका है।
	    ▫ उन्हें **राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष** नियुक्त किया गया है।
	    ▫ उन्होंने **भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के अध्यक्ष** के रूप में भी कार्य किया था।
		• **सत्यनिष्ठा और कड़ी मेहनत**
		▸ अपने संपूर्ण करियर के दौरान, वह परिणाम–उन्मुख, निर्णायक, कुशल और कठिन कार्य करने वाले सिद्ध हुए।

 हरेकला हजब्बा	• वह **मैंगलोर (कर्नाटक) के एक फल विक्रेता** हैं जिन्हें हाल ही में **पद्म श्री पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है। • अक्षर संत के रूप में लोकप्रिय, हजब्बा ने अपनी कमाई से बचत करके अपने गांव हरेकला–न्यूपाडपु में वंचित बच्चों के लिए एक **स्कूल का निर्माण** कराया था।	• **सार्वजनिक चेतना** ▸ उनकी इच्छा वंचित बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने की थी। उन्होंने अपनी बचत को उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया।
 राहीबाई सोमा पोपेरे	• राहीबाई पोपेरे को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस वर्ष **पद्म श्री पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर सैकड़ों आमतौर पर उगाई जाने वाली फसलों की जंगली किस्मों को बचाने में मदद की है। • उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर **बीज बैंक की शुरुआत** की और ऐसे देसी **बीजों की किस्में सुरक्षित की**, जो किसानों को **कम सिंचाई में अच्छी फसल** दे सकें। इसलिए उन्हें लोकप्रिय रूप से **'सीड मदर'** के रूप में भी जाना जाता है। • **औपचारिक स्कूली शिक्षा के अभाव** और **आदिवासी समुदाय से होने** के बावजूद, उनमें **करुणा तथा सामुदायिक सेवा की भावना है।** ▫ उनके **जीवन का उद्देश्य जैविक खेती, कृषि–जैव विविधता** और **वन्य खाद्य संसाधनों के बारे में जागरूकता** फैलाना है। • उनके पास स्व–स्थाने संरक्षण केंद्र, लोभिया विविधता केंद्र तथा किचन गार्डन है। • वह **भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (BAIF) डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन** (NGO) **से जुड़ी** हुई हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक कोर सपोर्ट ग्रुप है।	• **विवेक और देखभाल** ▸ अपने क्षेत्र की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने की इच्छा के कारण उन्होंने दुर्लभ वन्य फसल प्रजातियों के संरक्षण एवं पोषण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनके प्रयासों के अभाव में इन प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना थी।

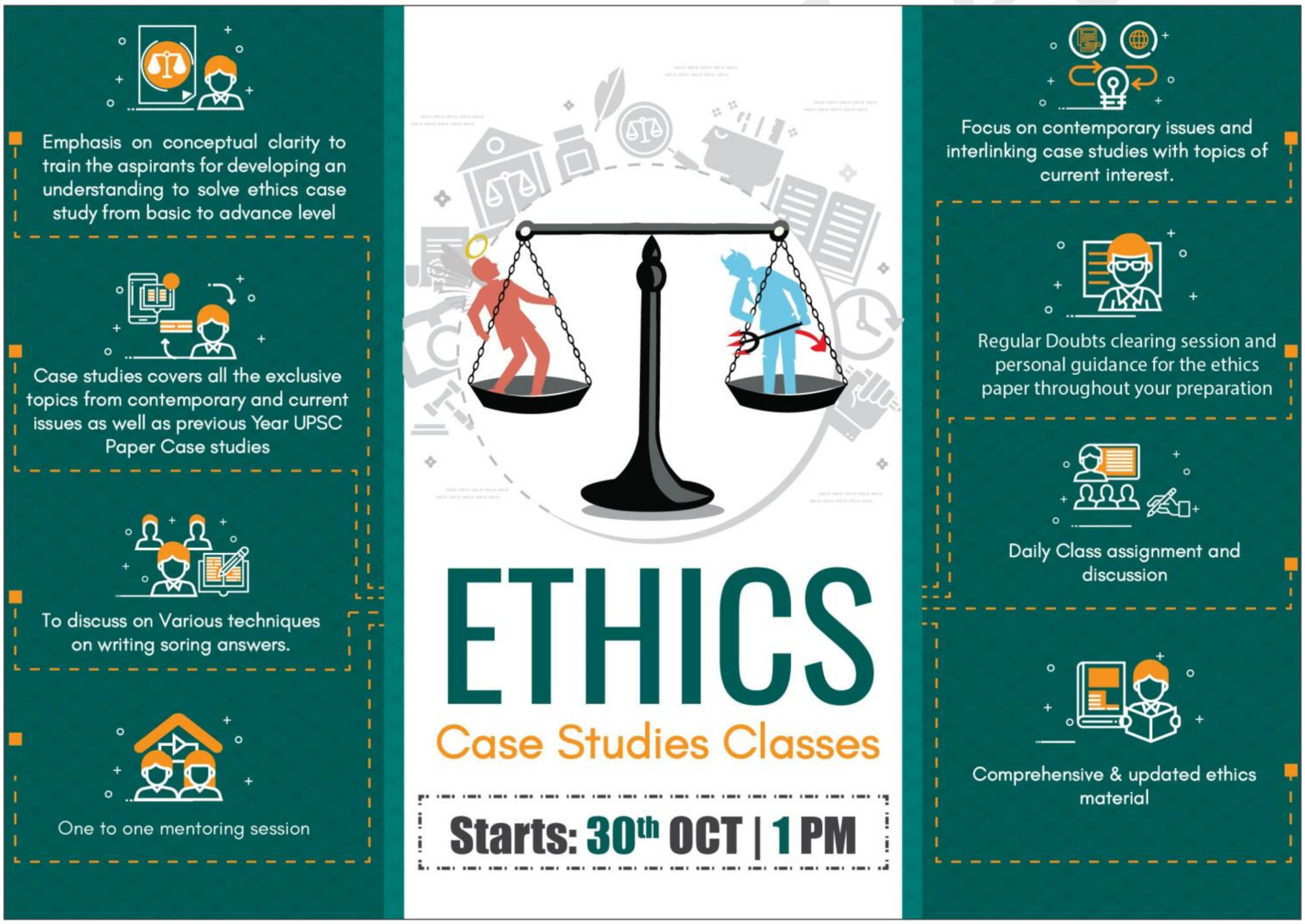

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए

सोशल मीडिया पर फॉलो करें

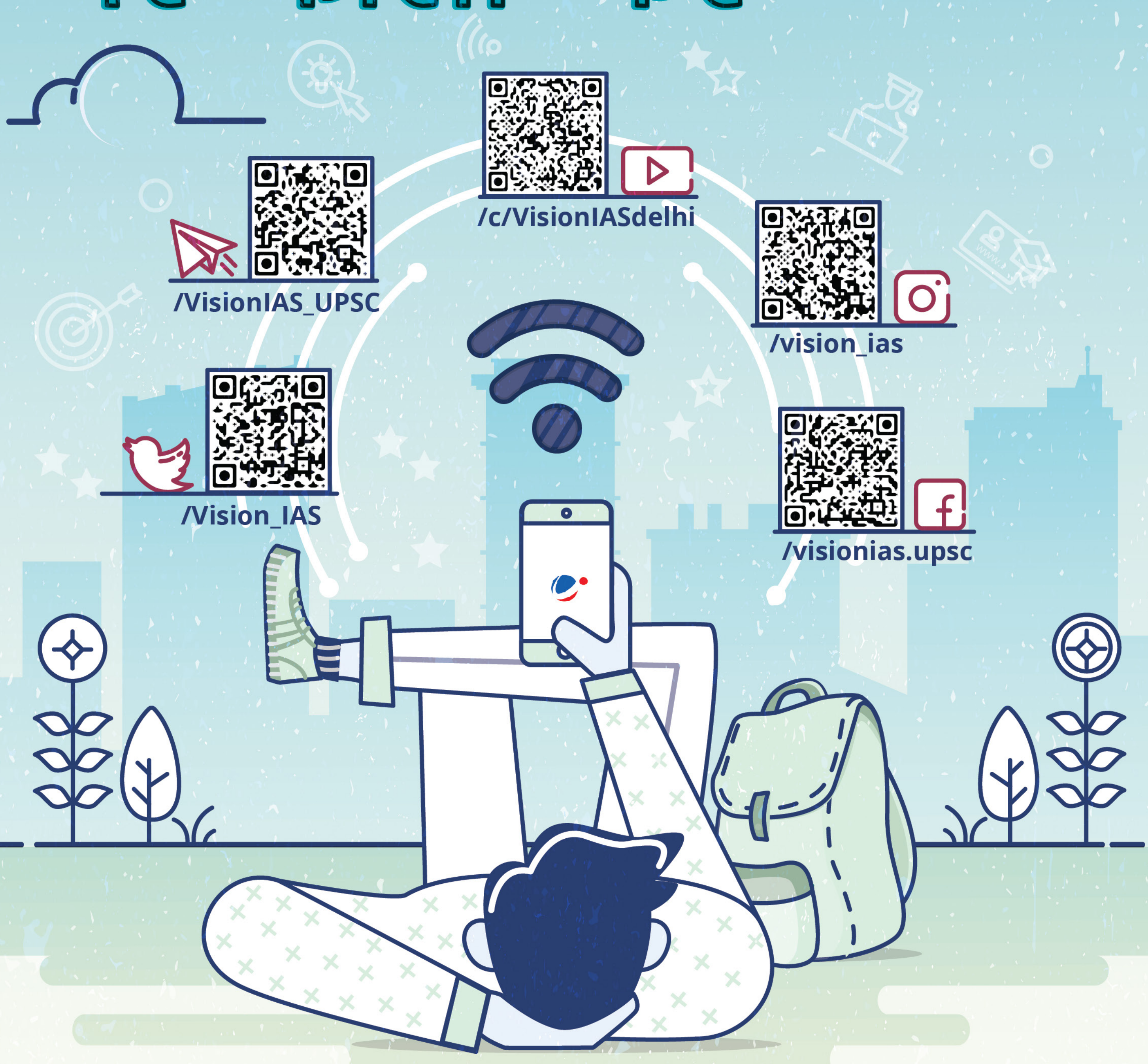

www.visionias.in

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

from various programs of **Vision Ias**

1 AIR

SHUBHAM KUMAR
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

2 AIR

JAGRATI AWASTHI
(ALL INDIA TEST SERIES)

3 AIR

ANKITA JAIN
(ALL INDIA TEST SERIES)

4 AIR

YASH JALUKA
(ABHYAAS TEST SERIES)

5 AIR

MAMTA YADAV
(ALL INDIA TEST SERIES)

6 AIR

MEERA K
(ALL INDIA TEST SERIES)

7 AIR

PRAVEEN KUMAR
(ALL INDIA TEST SERIES, ESSAY TEST, ABHYAAS, PDP)

8 AIR

JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

9 AIR

APALA MISHRA
(ABHYAAS TEST SERIES)

10 AIR

SATYAM GANDHI
(ALL INDIA TEST SERIES, ESSAY TEST)

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR	HYDERABAD	PUNE	AHMEDABAD	LUCKNOW	CHANDIGARH	GUWAHATI
9001949244	9000104133	8007500096	9909447040	8468022022	8468022022	8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC